विषय-सूची

दशम माला, खण्ड 4, पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 36, शुक्रवार, 30 अगस्त, 1991/8 भाद्र, 1913 (शक)

विषय		पृष्ठ
सम्बन्धी उल्लेख		1
के मौखिक उत्तर		2—28
*तारांकित प्रश्न संख्या	: 630 से 635	2—27
प्रश्नों के लिखित उत्तर		29—239
तारांकित प्रश्न संख्या	: 636 से 638, 640 से 648 और 650	29—42
अतारांकित प्रश्न संख्या	: 5152 से 5210, 5212 से 5228, 5230 से 5282 और 5284 से 5339	43—223
सभा पटल पर रखे गए पत्र		239—248
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति		248
नियम 377 के अधीन मामले		248—251
(एक) हिसार में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता		
श्री नारायण सिंह		248
(दो) केरल में प्रथानामथिट्टा जिले के तन्नीतोड़ क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए तुरन्त कदम उठाने की आवश्यकता		
श्री कोडीकुन्नील सुरेश		249
(तीन) आरा और सासाराम के बीच रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता		
श्री राम प्रसाद सिंह		249

*किसी सदस्य के नाम अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(चार) डिंडिगल, तमिलनाडु में महत्वपूर्ण विपणन स्थलों पर शीतागार और वातानुकूलित कक्ष बनाने और खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री चिन्नासामी श्रीनिवासन	250
(पांच) हिमाचल प्रदेश में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सुद्वरवर्ती क्षेत्र भत्ता प्रदान करने की आवश्यकता	
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	250
(छः) पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में रेलवे फाटक पर उपरी पुल का निर्माण करने की आवश्यकता	
श्री परशुराम गंगवार	251
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1991-92	251—273
कृषि मंत्रालय	
खाद्य मंत्रालय और	
ग्रामीण विकास मंत्रालय	
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	251
श्री बालिन कुली	259
श्री मुही राम सैकिया	262
श्री लाईता उम्ब्रे	264
श्री रामेश्वर पाटीदार	267
विधेयक पुरः स्थापित	273—296
(एक) उड़ीसा उच्च न्यायालय (सम्बलपुर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक	
श्री बल्लभ पाणिग्रही	273
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1991 (नए अनुच्छेद 23 क, 23 ख और 23 ग अन्तःस्थापन)	
श्रीमती बासव राजेश्वरी	273
(तीन) विवाहित स्त्री (अधिकार संरक्षण) विधेयक	
श्रीमती बासव राजेश्वरी	274
(चार) लिंग निर्धारण परीक्षण पाबन्दी विधेयक	
श्रीमती बासव राजेश्वरी	274
(पांच) रेल संरक्षेण बल (संशोधन) विधेयक (विधेयक के पूरे नाम के स्थान पर नए पूरे नाम का प्रतिस्थापन आदि)	
श्री बसुदेव आचार्य	275

विषय	पृष्ठ
(छः) भिक्षावृति उत्सादन विधेयक	
श्रीमती बासव राजेश्वरी	275
(सात) गुजरात उच्च न्यायालय (राजकोट में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक	
श्री दिलीप भाई संघानी	275
(आठ) गुजरात उच्च न्यायालय (राजकोट में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक	
श्रीमती भावना चिखलिया	276
(नौ) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक	
श्री शरद दिघे	276
(दस) आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (गुंटूर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक	
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	277
(ग्यारह) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 58, आदि में संशोधन)	
श्री विश्नाथ शर्मा	277
(बारह) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा 36 में संशोधन)	
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वड्डे	291
(तेरह) संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची में संशोधन)	
श्री गुमानमल लोढा	292
(चौदह) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 48, आदि में संशोधन)	
श्री गुमानमल लोढा	292
(पंद्रह) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 311 में संशोधन)	
श्री सुधीर गिरि	292
(सोलह) श्रमजीवी महिला कल्याण विधेयक	
कुमारी उमा भारती	293
(सत्रह) मातृ-वंशावली विधेयक	
कुमारी उमा भारती	293

विषय	पृष्ठ
(अठारह) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 371 में संशोधन)	
श्री हरि सिंह चावड़ा	294
(उन्नीस) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक (अनुसूची में संशोधन)	
प्रो० के० वी० थामस	294
(बीस) संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 31 का अन्त:स्थापन)	
श्री सुधीर गिरि	295
(इक्कीस) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 29, आदि में संशोधन)	
श्री सुधीर गिरि	295
(बाइस) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 356 में संशोधन)	
श्री सुधीर गिरि	296
विधेयक वापस लिया गया	
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 81, आदि में संशोधन	
शिशु खाद्य और पोषण बोतल	
उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक —वापस लिया गया	296—317
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री राम नाईक	297
प्रो० रासा सिंह रावत	302
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	306
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	308
श्री बल्लभ पाणिग्रही	311
श्री छेदी पासवास	313
कुमारी ममता बनर्जी	314
वापस लेनेके लिए प्रस्ताव	
श्री राम नाईक	316
संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 19 क का अन्त:स्थापन)	317—319
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री चित्त बसु	317

लोक सभा

शुक्रवार, 30 अगस्त, 1991/8 भाद्र, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. प. पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निधन सम्बधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को हमारे भूतपूर्व साथी श्री समर ब्रह्म चौधरी के दुखद निधन की सूचना देनी है ।

श्री चौधरी ने दिसम्बर, 1985 से नवम्बर, 1989 तक आठवीं लोक सभा में असम के कोकराधार निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया । इससे पहले वह असम विधान सभा और राज्य मंत्री परिषद के सदस्य थे ।

श्री चौधरी एक सक्रिय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे । वह 1964-67 के दौरान काचुगांव आंचलिक पंचायत के अध्यक्ष रहे । वह विभिन्न सामाजिक और छात्र संस्थाओं में भिन्न-भिन्न पदों से संबद्ध रहे ।

श्री चौधरी ने समाज के कमजोर वर्गों विशेष रूप से राज्य के आदिवासियों की दशा सुधारने के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया । श्री चौधरी ने असम के मैदानी भाग के आदिवासियों की परिषद गठित की जिसके वह अध्यक्ष थे । श्री चौधरी ने बोड़ो लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे के पुनर्गठन के लिए कार्य किया ।

श्री चौधरी ने बोडो साप्ताहिक 'राडाव' का सम्पादन किया और असमिया भाषा में कई पुस्तिकायें लिखीं ।

श्री चौधरी का निधन दुःखद परिस्थितियों में हुआ जब वह, 27 अगस्त 1991 को 59 वर्ष की आयु में, गुवाहाटी में एक हत्यारे की गोली का शिकार बने ।

देश के विभिन्न भागों में आतंकवादी गतिविधियों की निन्दा करते हुए हम अपने इस मित्र के निधन पर दुख प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा मेरे साथ शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनायें व्यक्त करेगी ।

सभा के सदस्य अब दिवंगत सदस्य की स्मृति में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे ।

तत्पश्चात सदस्य गण थोड़ी देर मौन खड़े रहे ।

———

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आयकर की बकाया राशि

[अनुवाद]

*630. **श्री राय कापसे :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार आयकर की कितनी बकाया राशि वसूल की जानी थी;

(ख) इस बकाया राशि को वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ग) इस बकाया राशि के जमा होते जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) दिनांक 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार बकाया आयकर की राशि 6958 करोड़ रुपए (अनन्तिम) बैठती है।

(ख) बकाया राशि में कमी लाने के लिए निरन्तर समुचित उपाय किए जाते हैं। इन महत्वपूर्ण उपायों में से कुछ उपाय ये हैं :—

(i) बकाया राशि तथा चालू मांगों की वसूली/घटौती के लिए आयकर विभाग की केन्द्रीय कार्य-योजना में लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्रत्येक मुख्य आयुक्तीय क्षेत्र के कार्य-निष्पादन पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है।

(ii) आयकर आयुक्त तथा उच्च प्राधिकारियों द्वारा उच्च मांगों वाले डोजियरों की प्रत्येक तिमाही में समीक्षा की जाती है।

(iii) मुख्य आयकर आयुक्तों को यह निदेश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में अपील आयुक्तों के पास अनिर्णीत के पड़ी हुई शीर्ष 100 प्रथम अपीलों के निपटान पर नजर रखें।

(iv) मुख्य आयकर आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई है कि वे बड़ी-बड़ी मांगों वाले कर-निर्धारण को दिसम्बर, 1991 के अन्त तक अन्तिम रूप दे दें।

(v) उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष से यह अनुरोध किया जाए कि वे बड़ी-बड़ी मांगों वाली अपीलों का शीघ्र निपटान करें।

(vi) जिन मामलों में बड़ी-बड़ी मांगों पर न्यायालयों ने स्थगन-आदेश दिए हैं, ऐसे मामलों में मुख्य आयुक्तों को यह सलाह दी गई है कि वे जहां-कहीं संभव हो, स्थगन आदेशों को निरस्त करवायें।

इन उपायों के परिणामस्वरूप दिनांक 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार बकाया मांग में दिनांक 31 मार्च, 1991 तक 3596 करोड़ रुपए की घटौती की गई थी। आयकर निर्धारणों के मुकम्मल होने पर दिनांक 1 अप्रैल, 1990 से 31 मार्च, 1991 के बीच जारी की गई चालू मांग की बकाया राशि को शामिल करने के पश्चात दिनांक 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार 6958 करोड़ रुपए की कुल बकाया मांग की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 1991 को 6560 करोड़ रुपए (अनन्तिम) की कुल बकाया मांग पड़ी हुई थी।

(ग) इस बकाया राशि के जमा होने के मुख्य-मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(i) चालू मांग का एक बहुत बड़ा भाग दिनांक 31 मार्च तक अदायगी के लिए देय नहीं हुआ था भले ही उसे वर्ष के अन्त में पड़ी बकाया राशि के आंकड़ों में शामिल किया गया था।

(ii) पिछले कुछ वर्षों में चालू मांग में वृद्धि हुई है, जैसाकि नीचे बताया गया है :—

(करोड़ रु० में)

वित्त वर्ष	जारी की गई चालू मांग
1985-86	6171
1986-87	6913
1987-88	7266
1988-89	9449
1989-90	12482
1990-91	12462

जारी की गई चालू मांग का एक बहुत बड़ा भाग अपीलों में विवादग्रस्त है।

(iii) विवादग्रस्त मांग विवादों के निपटान होने तक बिना वसूली के पड़ी रहती है। न्यायालयों, न्यायाधिकरणों में अथवा आयकर अपीलीय प्राधिकारियों और सम-

झौता आयोग के समक्ष अनिर्णीत पड़े हुए मुकदमों का अन्तिम रूप से फैसला होने में काफी लम्बा समय लगता है और इस प्रकार का अंतिम फैसला होने तक इसी प्रकार की मांगें परवर्ती वर्षों में भी बनी रहती हैं।

(iv) हालांकि अत्यधिक सावधानी की दृष्टि से लेखा-परीक्षा आपत्तियों के संबंध में उपचारात्मक उपाय निरपवादरूप से किए जाते हैं, फिर भी, लेखा-परीक्षा द्वारा उठाई गई जिन लेखा-परीक्षा आपत्तियों को विभाग स्वीकार नहीं करता है उनके परिणामस्वरूप भी मांग सृजित होती है।

(v) कभी-कभी विवादों का अन्तिम रूप से निपटान होने तक मांग को रोक दिया/आस्थगित रखा जाता है। जिन करदाताओं की वास्तविक वित्तीय कठिनाइयां होती हैं, ऐसे करदाताओं को करों की अदायगी किस्तों में करने की भी अनुमति दी जाती है।

(vi) अनेक मामलों में मांग की वसूली करना कठिन अथवा संदेहजनक हो जाता है और अन्ततः मांग को बट्टे-खाते में डालना पड़ता है। इस प्रकार के मामलों में ये मामले शामिल हैं कम्पनियों का परिसमापन होना; जिन मामलों में दिवालियापन की कार्यवाही चल रही हों; ऐसे कर-निर्धारिती जो भारत छोड़कर विदेश चले गये हों; तथा जिनकी कोई ज्ञात परिसम्पतियां नहीं हों; ऐसे तस्करों के मामले जिनकी परिसम्पतियां जब्त कर ली गई हो; ऐसी कम्पनियां जो रूग्ण हो गई हों; बेनामी ऋणदाताओं (नेम लेन्डर्स) के मामले; ऐसे मामले, जिनमें वास्तविक कठिनाई के विविध कारणों से मांगों की वसूली नहीं की जा सकती हो; आदि।

श्री राम कापसे : 31 मार्च 1990 को बकाया आयकर की राशि 6958 करोड़ रुपए थी। उत्तर में यह बात कही गयी है कि इस सम्बन्ध हैं निरन्तर उपयुक्त उपाय किए जा रहे हैं और एक उपाय यह है कि मुख्य आयुक्तों को सलाह दी गई है कि वह यह सुनिश्चित करें कि बड़ी मांगों सम्बन्धी कर निर्धारण दिसम्बर, 1991 के अन्त तक निपटा लिए जायें। मैं बड़ी मांगों सम्बन्धी कर निर्धारण के बारे में जानना चाहूंगा? बड़ी मांगों के सम्बन्ध में निर्धारण की राशि कितनी है?

श्री रामेश्वर ठाकुर : 6958 करोड़ रुपए के आंकड़ों में कई प्रकार की मांगे सम्मिलित हैं। प्रश्न यह है कि यह मांग और अन्य मांगें वास्तव में 4-5 श्रेणियों में आती हैं और मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इन विभिन्न श्रेणियों के सम्बन्ध में स्थिति को समझें। 31 मार्च, 1990 को 6958 करोड़ रुपए में से लगभग 3747 करोड़ रुपए अर्थात 54 प्रतिशत की इस तिथि तक वसूल नहीं हुई थी। इनके ब्यौरा इस प्रकार है :—

(एक)	मांग जो अभी देय नहीं हुई है	1927 करोड़ रुपए
(दो)	मांग जिसे न्यायालयों सहित विभिन्न प्राधिकारियों ने स्थगित किया हुआ है	1627 करोड़ रुपए
(तीन)	किस्तों द्वारा कवर की गयी मांग (अर्थात विभाग किस्तें देता है)	92 करोड़ रुपए
(चार)	जितनी राशि के भुगतान का दावा किया गया है लेकिन सत्यापन बाकी है	101 करोड़ रुपए
	कुल :	3747 करोड़ रुपए

बाकी मांग केवल 3211 करोड़ रुपए की है जिसमें से कतिपय मामले ऐसे हैं जहां इन मांगों के सम्बन्ध में अपील विभिन्न चरणों में विवाद ग्रस्त है। उनमें से कुछ विभिन्न स्तरों पर अपील द्वारा विभागीय अपील द्वारा कवर होते हैं और यद्यपि इस सम्बन्ध में औपचारिक रूप से स्थगन जैसे सी. आई. टी. (अपील) डी. सी. (अपील) नहीं दिया गया है, वहां मामले लम्बित हैं। और कुछ अन्य मामले हैं जिनमें संशोधित आवेदन दिए जाने हैं। हमारे पास बकाया राशि के चालान हैं – तथा कुछ मामिले में विभागीय चालान प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए 105 करोड़ रुपए की बात है। माननीय सदस्य शेष के बारे में जानना चाहते हैं। जो कुछ शेष है उसमें हमने एक लाख रुपए के ऊपर की सभी मांगों को बकाया माना है और इसके लिए आयकर आयुक्त (व्यक्तिगत) द्वारा एक फाईल रखी जानी चाहिए और उनकी नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए। हमने यह कहा था कि जो में अपील लम्बित हैं उनमें से लगभग 101 अपील मुख्य आयुक्तों द्वारा अपने क्षेत्र के प्रत्येक मण्डल विचार किया जाना चाहिए और उन्हें अपना कर निर्धारण कार्य तेजी से करना चाहिए और उन्हें 31 दिसम्बर 1991 तक पूरा कर देना चाहिए अर्थात प्रत्येक मण्डल में बड़ी मांगों सम्बन्धी कर निर्धारण कार्यों को पूरा कर देना चाहिए। प्रत्येक मण्डल का विवरण यहां उपलब्ध नहीं होगा। यदि सदस्य जानकारी चाहते हैं तो मैं इस सम्बन्ध में एक नोटिस चाहूंगा ताकि इसके आधार पर मैं सारे देश में विभिन्न मुख्य आयुक्तों की जानकारी दे सकूंगा।

श्री राम कापसे : मानीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक विशेष प्रश्न पूछा था क्योंकि यह कुल मिलाकर एक भिन्न श्रेणी है और उन्होंने उत्तर में जिक्र किया है कि मुख्य आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई है कि बड़ी मांगों सम्बन्धी कर निर्धारण दिसम्बर 1991 तक निपटा दिए जायें। मैंने कभी भी मुख्य आयुक्तों को यह नहीं कहा कि ऐसा क्यों है ? मैंने कभी भी यह नहीं कहा। मैंने केवल बड़े निर्धारणों में शामिल कुल धन राशि के बारे में पूछा था जो कि कुल मिलाकर एक भिन्न भाग है। कृपया मुझे यहां वह जानकारी दें। और अब चूंकि यह एक विशेष प्रश्न है अत: मैं इसे लिखित रूप में नहीं चाहता हूं और यह एक भिन्न श्रेणी है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : महोदय, प्रश्न बड़े कर निर्धारणों के बारे में है। ये कर निर्धारण भिन्न-भिन्न श्रेणियों के है—व्यक्तिगत, फर्म, एच. यू. एफ. और नियमित क्षेत्र अर्थात कम्पनियां और वे विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि बड़े कर निर्धारणों के सम्बन्ध में एक आकड़ा हमें एक ही स्थान पर मिल जाए।

श्री राम कापसे : परन्तु राष्ट्र एक है। **(व्यवधान)**

श्री रामेश्वर ठाकुर : हमने यहाँ यह सब बताया है। यदि आप चाहें तो मैं आपको लगभग 20 बड़े मामले दे सकता हूं जहां कर निर्धारण कार्य लम्बित है और इस कार्य में विभिन्न चरणों में तेजी लायी जा रही है लेकिन इसमें सभा का समय लगेगा। यदि आप मुझे इजाजत दें तो उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं कि हमारे पास 20 बड़े मामलों की पूरी जानकारी है। जी. टी. सी. उद्योग, मुम्बई, जोकि मुम्बई का केन्द्रीय उद्योग है और इसके वर्ष 1990-91 तक विभिन्न वर्षों के निर्धारण फलस्वरूप कुल मांग के आंकड़े प्राप्त हुए जो कि 132 लाख रुपए हैं। लेकिन जो मांगें स्वीकार नहीं है अर्थात् जिन्हें न्यायालय से स्थान मिला है वह 107.68 लाख रुपए की है और वास्तविक मांग लगभग 74 लाख रुपए की है। इस वर्ष हमें कुछ और आंकड़े प्राप्त हुए हैं अर्थात् वे आंकड़े जिनके सम्बन्ध में वर्ष 1984-85 से लेकर 1987-88 तक की अपीलें लम्बित हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, वह जानना चाहते हैं कि क्या आप बकाया राशि की जानकारी दे सकते हैं जोकि बड़े लोगों से सम्बन्धित है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : ऐसी कोई नहीं है.... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री राम कापसे : वह ये दे सकते हैं। लेकिन वह 20 मामलों की जानकारी की बात कर रहें हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह सभा में सभी 20 मामलों के नाम नहीं देना चाहते हैं लेकिन धनराशि दी जानी चाहिए।

श्री रामेश्वर ठाकुर : उनका प्रश्न स्पष्ट नहीं था। यदि वह एक स्पष्ट प्रश्न पूछें तो मैं इसकी जानकारी हासिल कर सकता हूं और माननीय सदस्यको दे सकता हूं।

श्री राम कापसे : मेरा प्रश्न बिलकुल स्पष्ट था। उनके पास जानकारी नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न स्पष्ट था और मेरा पूरक प्रश्न भी स्पष्ट था। मैंने 31 मार्च, 1990 को बकाया आयकर की राशि के बारे में पूछा था। यदि उनके पास जानकारी नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं।

श्री रामेश्वर ठाकुर : प्रश्न आंकड़ों के बारे में नहीं था। लेकिन आप बकाया राशि के बारे में पूछते हैं।

श्री राम कापसे : जब बड़े कर निर्धारण के बारे में श्रेणी का उल्लेख किया जाता है तो मंत्री महोदय के पास राशि की सूचना होनी चाहिए। मैं यही कहना चाह रहा हूं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय इसके बारे में फैसला करेंगे।

अब मैं दूसरा पूरक प्रश्न पूछूंगा। बकाया राशि को कम करने के लिए निरन्तर उचित ऊपाय किए जाते हैं। यह सब वर्षों से किया जा रहा है। इतने वर्षों के अनुभव के बाद आप इस नए गुण में कौन से नए उपाय करने जा रहे हैं ? दूसरी बात यह है कि मांगों की वसूली मुश्किल हो जाती है या संदेहास्पद होती है और बट्टे खाते में डालनी पड़ती है। पिछले तीन वर्षों में इस श्रेणी के तहत कितने मामले हैं ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : महोदय, जहां तक प्रश्न के पहले भाग की बात है ऐसा नहीं है कि हमारे पास इस सम्बन्ध में एक समय में स्थिर आंकड़े हों। प्रत्येक वर्ष में हमारे पास मांगों के बकाया के रूप में भिन्न-भिन्न आंकड़े होते है। हम इसका कुछ भाग वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके सम्बन्ध में मांग के बकाया के सन्दर्भ में कोई विवाद न हो। फिर कुछ अन्य ऐसे मामले हैं जो अपील की प्रक्रिया में हैं। हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपील का कार्य तेज किया जाए। हमने प्रत्येक मण्डल के मुख्य आयुक्तों से अनुरोध किया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि इन मामलों को प्राथमिकता मिले और सुनवाई पूरी हो तथा एक बार सुनवाई पूरी हो जाने पर हम जान पायेंगे कि निर्णय के प्रभाव क्या है, कहां राहत दी गई है और कहां राहत नहीं दी है, यदि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो मैं इस सम्बन्ध में कहूंगा कि वास्तविव आंकड़े 6958 करोड़ रुपए हैं तथ्य यह बहुत बड़े और चौंकाने वाले लगते हैं। लेकिन वस्तुतः 31 मार्च, 1990 को वर्ष की समाप्ति पर इस 6958 करोड़ रुपए में 3596 करोड़ रुपए का अर्थात 52 प्रतिशत का चालू वित्त वर्ष में निपटान कर दिया गया है। इसके दो भाग है एक तो वह जो हमने 702 करोड़ रुपए की नकद राशि एकत्र की है और दूसरा जो अपील की वजह से हमने राहत के 2894 करोड़ रुपए दिए हैं। यदि हम इस विवाद मुक्त और अपील पर राहत को लें तो पायेंगे कि विवाद मुक्त मांग ज्यादा नहीं है और हमने लगभग 102 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। इसी तरह विभिन्न स्तरों पर प्रयत्न किए जा रहे हैं, पहले तो स्वयं आयुक्तों के स्तर पर, और फिर मुख्य आयुक्तों के स्तर पर भी किए जा रहे हैं ताकि निगरानी रखी जा सके। फिर तिमाही रिपोर्टों की प्राप्ति पर यदि राशि एक करोड़ रुपए से अधिक होती है तो बोर्ड अपने अधिकार का प्रयोग करता है। अब, हमने कहा है कि यह रिपोर्टें प्रत्येक माह दी जानी चाहिए और हम इस पर गौर कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : तो आप इसकी निगरानी कर रहे हैं।

श्री रामेश्वर ठाकुर : जी हां, महोदय, हम पूरी तरह से इसकी निगरानी कर रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, यदि चालू बकाया राशि को छोड़ दें तो आंकड़े क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि उन्होंने काफी लम्बा उत्तर दिया है और शायद आपने ध्यान नहीं दिया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : चालू वर्ष की बकाया राशि कितनी है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने बहुत ही लम्बा उत्तर दिया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : नहीं।

अध्यक्ष महोदय : तो आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उसमें गड़बड़ियां हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कुछ बकाया राशि ऐसी हैं जो वसूली नहीं जा सकतीं। बकाया राशि कितनी है ?

क्या यह भी सत्य नहीं है कि पुरानी बकाया राशि भी बढ़ रही है। यदि ऐसा है तो पूर्व में किए गए उपायों जिनका आपने उल्लेख किया वे इस समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। मैं आपको एक सुझाव यह दे रहा हूं कि आप उन बड़े लोगों से बात क्यों नहीं करते जिनके लिए उदारीकरण की योजना सरकार ही उनके लिए चला रही है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : इस प्रश्न के दो भाग हैं। जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, वास्तव में 31 मार्च, 1990 की तुलना में 31 मार्च, 1991 में बकाया राशि में करीब 4000 करोड़ रुपए की कमी आई है। इसलिए इसमें वृद्धि नहीं हो रही है।

दूसरा जहां तक माफ करने की बात है वर्ष 1989-90 के दौरान 15.50 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले गए थे। वर्ष 1990-91 के दौरान केवल 4,64,00,000 रुपए रह गए।

यदि हम केवल बकाया राशि की अवधि को देखें तो ऐसा लगता है कि यह लम्बे समय से बकाया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक वर्ष के दौरान बकाया राशि लगभग 59-54 करोड़ है जो सामान्य माना जाता है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या आप करदाताओं के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं।

श्री रामेश्वर ठाकुर : हमने आर्थिक एवं अन्य नीतियों को उदार बना दिया है। हम इस बात पर बल दे रहे हैं कि हमारी जो भी बकाया राशि है वह हमें समय पर मिल जानी चाहिए।

श्री श्रवण कुमार पटेल : आय कर सीमा बढ़ाने के रूप में दी गई हर राहत का परिणाम अधिक कर संचय और कर की बकाया राशि का कम होना होता है····

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री बकाया राशि के बारे में कह रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार पटेल : मुझे बकाया के बारे में कुछ भी नहीं पूछना है। मैं छूट की सीमा के बारे में पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी क्या आप उत्तर देना चाहते हैं ? श्री पटेल, आप अपना प्रश्न पूरा करें।

श्री श्रवण कुमार पटेल : रुपये की क्रय शक्ति में कमी को देखते हुए आय कर सीमा न ही बढ़ाए जाने के औचित्य के बारे में जानना चाहता हूं। क्योंकि पिछली बार कर में छूट की सीमा निर्धारित की गई थी। और जिससे ईमानदार करदाताओं की सहायता की जा सके ?

क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस अवधि के दौरान रुपये की क्रय शक्ति में कितनी कमी आई है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसे संगत मानते हैं ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : अपनी नीति के अनुरूप हमने पहले कर दर को कम किया है।

जहां तक चालू वर्ष के बजट का संबंध है आयकर, सम्पत्तिकर या उपहार कर की दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई हैं।

जहां तक न्यूनतम सीमा का सम्बन्ध है, उसे यथावत रखा गया है क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते तो अधिक से अधिक लोग कर सीमा के अन्दर नहीं आते, और इससे राजस्व की हानि को रोकने में कठिनाईयां पैदा होती जिसके लिए सरकार अभी तैयार नहीं है।

[हिंदी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : आयकर की राशि जो कि बकाया है उसकी वसूली के सिलसिले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कितनों की कुर्की हुई ? जब गांव में सौ-दो सौ रुपए बकाया वसूली को लेकर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और कुर्की हो जाती है तो जिनकी करोड़ों रुपयों की राशि बकाया है उसको वसूल करने के लिए सरकार उसी तरह से वसूली करेगी ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : सरकार सक्रिय है। जो वसूली की रकम है उसको मैंने बताया है कि कानूनी अड़चन आ जाये हाई कोर्ट के द्वारा या दूसरे अधिकारियों के द्वारा तो उसको वसूल उसी समय नहीं कर पाते हैं उसके लिए हम इस तरह के कदम नहीं उठा सकते। क्योंकि यह कानूनी ढंग से उचित नहीं है।

जो रकम कहीं रुकी नहीं है, जिसके बारे में ऐसी अड़चन नहीं है उसको हम बहुत सावधानी से और सक्रियता के साथ जहां आवश्यकता है वहां सख्ती के साथ वसूल करते हैं। उसमें किसी के साथ न कोई रियायत की जाती है, न की जायेगी।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : मैं साफ पूछ रहा हूं कि अब तक बकाया राशि के सिलसिले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और कितनों की कुर्की हुई ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यह सूचना अभी तत्काल उपलब्ध नहीं है। यदि माननीय सदस्य इसके बारे में मुझे लिखेंगे तो इसको सूचना दे दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप इनको लिखकर भेज दीजिए।

(व्यवधान)

[**अनुवाद**]

श्री राम नाईक : महोदय, सरकार कर बकायों को वसूल करने का प्रयास कर रही है। ऐसा किया जान चाहिये। इस संबंध में मुझे कोई शिकायत नहीं है। सभी करों की जल्द से जल्द वसूली की जानी चाहिये। छोटे कर दाता कर दे रहा है। बड़ी रकमों को वसूलने में छोटे कर दाताओं के मामलों का निपटारा कई वर्षों तक लम्बित रखा जाता है। छोटी रकमों के संबंध में कई मामलों को आठ या दस वर्षों तक लम्बित रखा गया है। और ऐसे ही कई मामले हैं। छोटे कर दाताओं के संबंध में क्या सरकार जल्द से जल्द ऐसे मामलों का निपटारा सुनिश्चित करेगी ? ठीक है, यह भी प्रश्न उठता है कि उच्च न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश दे दिये जाते हैं, मैं इस बात को भी समझता हूं। उन मामलों को छोड़कर जिनमें उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश नहीं लिया गया है उनके संबंध में क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे सभी मामलों को 31 दिसम्बर, 1991 तक निपटा दिया जाये ? ये मामले तीन वर्ष से अधिक पुराने हो गए हैं।

[**हिन्दी**]

श्री रामेश्वर ठाकुर : सरकार की जो वर्तमान नीति है और आय कर कानून के अन्तर्गत जो प्रावधान है उसके मुताबिक सभी आय कर दाता अपनी आय की रिटर्न समय पर दाखिल करेंगे। यदि उनका बकाया दिखाया गया है तो सरकार शतप्रतिशत वह स्वीकार करती है। हमारे छोटे कर दाताओं को कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन सरकार उसमें से 5 से 10 प्रतिशत जो आय कर रिटर्न आई हैं उनको चुनती है और उनकी बड़ी गहराई से जांच करती है। जांच करने के बाद उसमें जो अतिरिक्त कर भार होना चाहिए वह देती है और करदाता को मौका देती है कि वह उसके संबंध में कोई अपील करना चाहे या विवरणी देना चाहे तो दे। ऐसे केस चलते रहते हैं। अपीलें कमिश्नर के पास, ट्राइब्यूनल के पास और हाई-कोर्ट के पास भी जाती हैं। लेकिन छोटे केस नहीं जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, इसका प्रश्न छोटा है। वे कह रहे हैं कि छोटे असैसी के केस जल्दी जाएं इसके लिए आप क्या कुछ करेंगे।

श्री रामेश्वर ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, उनको भी स्वीकार कर लेते हैं। वे भी कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

[**अनुवाद**]

श्री राम नाईक : मैं सरकार से यह आश्वासन प्राप्त करना चाहता हूं कि इन मामलों को 31 दिसम्बर, 1991 तक निपटा दिया जायेगा लेकिन मंत्री जी ने उसका उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : वे यह कार्यकर रहे हैं। काफी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह करदाताओं पर निर्भर करेगा।

लघु उद्योग क्षेत्र को "बिल डिस्काउंटिंग फेसिलिटी" दिया जाना

+
***631. श्री बलराज पासी :**

श्री महेश कुमार कनोडिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योग क्षेत्र को "बिल डिस्काउंटिंग फेसिलिटी" देने और उस प्रयोजनार्थ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक तथा अन्य बैंकों का वित्तपोषज करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र को और क्या-क्या सुविधाएं देने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) लघु क्षेत्र को इस समय बैंकों से बिल भुनाई सुविधा प्राप्त है जो बदले में सिडबी द्वारा दी जाने वाली पुनर्भुनाई सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। सिडबी इस समय प्रत्यक्ष भुनाई सुविधाएं भी देता है। जबकि सरकार यह चाहती है कि लघु उद्योग क्षेत्र बिल प्रथा (कल्चर) को अधिक से अधिक स्वीकार करे और इसे अपनाए, इसका किसी भी नये प्रकार के बिल भुनाई सुविधाओं को शुरू करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) सिडबी की बिल पुनर्भुनाई योजनाओं के अन्तर्गत, लघु उद्योग एककों को अथवा उनके द्वारा आस्थगित भुगतान बेचे या खरीदे गए पूंजीगत उपकरणों संबंधी बिलों को बैंकों से भुनाया जाता है। बदले में ये बिल सिडबी द्वारा पुनर्भुनाई किये जाने के लिए पात्र हैं। सिडबी की प्रत्यक्ष भुनाई योजना के अन्तर्गत ऐसे बिलों को सिडबी द्वारा सीधे भुनायी की जाती है। अल्पविधि बिलों की सीधे भुनाई के लिए हाल ही में शुरू की गई योजना के अन्तर्गत लघु उद्योग क्षेत्र के एककों द्वारा खरीददारों को 90 दिन की अल्पावधि के उधार पर सप्लाई किए गए घटकों (कम्पोनेंट), पुर्जों, सह-संयोजकों (सब एसम्बली), साज-सामान (एसेसरी) और मध्यवर्तियों (इन्टर मीजरी) के संबंध में विनिर्दिष्ट खरीददारों पर आहरित बिलों की पुनर्भुनाई करता है। इसी तरह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भी लघु क्षेत्र को उनके द्वारा आहरित अल्पावधि बिलों के लिए भुनाई सुविधा प्रदान करते हैं।

(ग) इस क्षेत्र को अधिक कार्यशक्ति और प्रतिस्पर्द्धा प्रदान करने के उद्देश्य से विशेष रूप से उत्पादन में वृद्धि, रोजगार और निर्यात में सहायता देने के उद्देश्य से हाल ही में सरकार ने लघु, अति लघु और ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन और उन्हें मजबूत बनाने के लिए अलग नीति गत उपायों की घोषणा की है।

[हिन्दी]

श्री बलराज पासी : अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन वर्षों में बैंकों ने कुल कितनी राशि के लघु उद्योगों के बिल डिसकाउंट किये और इसी अवधि में बड़े उद्योगों के लिये कितनी राशि डिसकाउंट किये गये ?

श्री दलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन वर्षों के सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य ने पूछा है, बीमार लघु उद्योगों का डिसकाउंट कुल राशि 1 लाख 86 हजार 441 है, इसमें लगभग 10 परसेंट, हुआ। दूसरे में 1 लाख 6 हजार 42 है 8.6 परसेंट 1586.27 डिसकाउंट किये।

श्री बलराज पासी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि सरकार ने लघु अति लघु और ग्रामीण उद्योगों को मजबूत बनाने के लिये अलग नीतिगत उपायों की घोषणा की है। इसके बारे में क्या संक्षेप में बतायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने घोषणा-पत्र सभा पटल पर रख दिया है।

श्री महेश कुमार कनोडिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्त मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि स्माइल स्केल इण्डस्ट्रीज और ग्रामीण उद्योगों को संवर्द्धन और उनको मजबूत बनाने के लिये कुछ उपायों की घोषणा की गई है। तो मैं यह जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस घोषणा का विवरण क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह घोषणा पत्र आपकी टेबिल पर रखा गया है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, यह मामला वास्तव में छोटे उद्योगों से बकाया राशि वसूलने में आने वाली कठिनाइयों से जुड़ा है। अब न तो उनके पास ग्राहक और न संगठन सुविधा और न आधारभूत ढांचा है कि वह बड़े उद्योगों और सरकारी एजेंसियों से अपना बकाया वसूलने के लिये दवाब डाल सकें। इस संगठन से जुड़े होने के कारण मुझे पता है कि बड़ी कठिनाइयों का का सामना करना पड़ता है। विपणन एक बड़ी समस्या है उसके बाद आपूर्ति और तब बकाया की वसूलने की समस्या फिर शुरू हो जाती। एक प्रक्रिया है बिल में छूट देने की सुविधा। मैं नहीं कह सकता कि यह बहुत ही संतोषजनक है। एस. आई. डी. बी. आई. के प्रतिनिधि से हमारी बातचीत कलकत्ता में हुई थी और अभी श्री कपूर इसके प्रतिनिधि हैं। उनका कहना है कि वे सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि यह इस सीमा तक रिक्त हो चुका है। वास्तव में यह विपणन सहायता का एक भाग है। अब जो नई नीति है, उसकी एक प्रति हमारे पास है, उसमें कहा गया है :—

> "छोटे उद्योगों को देर से भुगतान करने की समस्या को हल करने के लिए फैक्टरिंग सर्विसेज की स्थापना करके एस. आई. डी. बी. आई में लघु उद्योग विकास बोर्ड के माध्यम से कार्य शुरू हो चुका है। ऐसे सर्विसेज की स्थापना पूरे देश में की जाएगी और इसका संचालन वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जायेगा। लघु उद्योगों के बिलों का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त कानून बनाया जायेगा।"

यही उनकी नीति है यह कहा गया है कि सरकार किसी भी तरह की बिल में छूट की सुविधा देने का विचार नहीं रखती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कानून में सरकार क्या प्रस्ताव करने जा रही है जो कि उनकी नीति का भाग है, और जिसकी उन्होंने ईमानदारी के साथ घोषणा की है कि यह छोटे उद्योगों को उनके द्वारा आपूर्ति किये जाने के कारण हुई बकाया के वसूलने में सहायता करेगा। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वह यह बताए कि वह कब इस आशय का विधेयक प्रस्तुत करना चाहती है और इस विधेयक की मुख्य बातें क्या होंगी।

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : सर, सबसे पहले यह जो काम करती है, वह आई. डी. बी. आई. करती थी बाद में यह सोचा गया कि जो स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज हैं इनको और ज्यादा प्रोत्साहन मिले और इसको फायदा मिले, इसके लिये हमने एस. आई. डी. बी. आई. जैसी वित्तीय संस्थाओं के रूप में इनकी स्थापना की है और आई. डी. बी. आई. में लगभग 42 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रीज के लोगों को फायदा होता है और नीचे के तबके के लोगों को फायदा नही होता है तो इसी के तहत अभी हमारे इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर ने एक नयी उद्योग नीति की घोषणा की है ताकि उसमें उन गरीब तबके के लोगों को फायदा हो। इतना ही नहीं जो शार्ट टर्म लोन है इसमें डिले होता है और 5-7 साल की देरी होती है इसको

90 दिनों के अन्तर्गत माना है। इसे यूं कहा जाये तो सबसे बड़ी बात यह यह है कि हमने भी सिंगल बिड़ी स्कीम के तहत किया ताकि इन लोगों को भटकना न पड़े और एक ही जगह पर परचेज सेल और री-फाइनेंस की भी सुविधा है। इसलिए जो 6 अगस्त, 1991 को नयी उद्योग नीति की घोषणा की गई है, उसको दृष्टि में रखते हुये निर्णय लिया गया है। और जो अन-एम्प्लायड लोग हैं•••

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने एक नया कानून बनाने के सम्बन्ध में कहा है। यह नीतिगत वक्तव्य था।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वे पूछ रहे हैं कि नया कानून करेंगे या नहीं? यदि करेंगे तो वह क्या होगा और कब से करेंगे?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : नीति में यह कहा गया है कि उपयुक्त कानून बनाया जायेगा ताकि छोटे उद्योगों के बिलों का तत्काल भुगतान हो सके।

श्री दलबीर सिंह : जहां तक नीति का सम्बन्ध है उस पर चर्चा की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : अपने अपनी नीति में कहा है कि एक कानून पारित किया जायेगा। आप इसे कब पारित करना चाहते हैं और इस कानून में की विषय वस्तु क्या होंगी?

श्री दलबीर सिंह : उन पर विचार किया जा रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस नीति को बड़ी निष्ठापूर्वक प्रस्तुत किया गया है और सभा में इसकी घोषणा की गई थी।

श्री दलबीर सिंह : इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : विचाराधीन है, से आपका क्या तात्पर्य है? आपने इस पर विचार कर लिया है और कहा है कि इसे पेश किया जाएगा। क्या आप अपनी नीति पर पुनर्विचार कर रहे हैं? **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या अपनी नीति पर फिर से विचार कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : शायद, विधेयक की विषय वस्तु पर विचार किया जा रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं भी उनकी सहायता करना चाहता हूं। वह हमारे अच्छे मित्र हैं और हम उन्हें विषम स्थिति में नहीं डालना चाहते। लेकिन सरकार को ही यह बताने दें कि विधेयक का स्वरूप कैसा होगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप विधेयक तैयार कर चुके हैं या आपको कुछ कहना है ? **(व्यवधान)**

श्री दलबीर सिंह : मैं माननीय सदस्य को बता चुका हूं कि इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : लघु उद्योगों की इकाईयों के लिये भुगतान में विलम्ब किया जाना बहुत ही गम्भीर बात है। प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी का कहना है कि हाल ही में प्रस्तुत की गई योजना और मैं समझता हूं कि वह फैक्टरिंग सर्विस की बात कर रहे हैं, जो नीति में उल्लिखित है, उसमें कहा गया है कि "अल्पकालिक बिलों में सीधे छूट देने के लिये—एस. आई. डी. बी. आई—लघु उद्योग क्षेत्रों के एककों द्वारा विनिर्दिष्ट क्रेताओं से प्राप्त किये गये अल्कालिक बिल।" विनिर्दिष्ट क्रेताओं की कोई सूची सरकार के पास है और या प्राथमिकता दी जा रही है ? क्या सरकार ऐसे विनिर्दिष्ट क्रेताओं की सूची प्रकाशित करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास विनिर्दिष्ट क्रेताओं की सूची है या आप इसे तैयार करना चाहते हैं ?

[**हिन्दी**]

श्री दलबीर सिंह : सर, इसकी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। जब आएगी, तो माननीय सदस्य को पहुंचा देंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसे दृष्टि में रखते हुये माननीय सदस्य ने यहां पर हमारी नयी नीति 8 अगस्त को रखी गई है, सारे दृष्टिकोण को इण्डस्ट्री मिनिस्ट्री ने उसमें रखा है और उस सारे पर विचार कर रही है।

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहता हूं कि लघु उद्योगों को बैंकों के द्वारा जो कर्जा दिया जाता है, उस पर व्याज की दर रहती है, वह 19.5% से 30% तक रखी जाती है। क्या यह सच है, और उसे कम करने की सरकार की नीति है ? हमारे वित्त मंत्री तो यहां पर इटली, कोरिया के बड़े-बड़े उदाहरण देते हैं लेकिन इटली में ही

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न पूछ लिया, बहुत अच्छा प्रश्न है।

श्री दलबीर सिंह : इनका रेट अलग ऑफ इंटरस्ट है। जो 7,500 रुपये तक कर्ज लेते हैं उन्हें 10% है, 7,500 से 15,000 तक 11% है, 15,000 से 25.000 तक 12% है और 25,000 से 50,000 तक 13% है। 50,000 से ऊपर पर 14% रेट ऑफ इंटरस्ट है।

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, वहां महाराष्ट्र में लघु उद्योग बन्द होने की स्थिति में हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको मालूम नहीं है। आप वहां मालूम कराइए।

[**अनुवाद**]

श्री श्रीकान्त जेना : मुख्य प्रश्न देरी सी की गई अदायगी के सम्बन्ध में है। जब तक की विधेयक को प्रस्तुत करके लागू नहीं किया जाता इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। मुझे इस बात की जानकारी है कि लघु उद्योग विभाग ने विधेयक को अन्तिम रूप दे दिया है और यह विधेयक उद्योग मंत्रालय के पास वित्त मंत्रालय की स्वीकृति के लिए लम्बित है। विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया जाना है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास इसकी जानकारी है ?

श्री श्रीकान्त जेना : जी हां, मेरे पास जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मंत्री महोदय को दिखा सकते है।

श्री श्रीकान्त जेना : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या प्रभारी मंत्री महोदय और वित्त मंत्रालय इस ओर देंगे तथा इसे शीघ्र स्वीकृति प्रदान करेंगे जिससे उद्योग मंत्रालय इसी सत्र में सदन में विधेयक प्रस्तुत कर सके।

श्री बलबीर सिंह : वह इसे उद्योग मंत्रालय को भेज सकते हैं।

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और वाराणसी जिलों में स्वापक पदार्थों की तस्करी

[**अनुवाद**]

*632. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और वाराणसी जिलों में स्वापक पदार्थों की तस्करी में लगातार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में स्वापक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान कितने तस्कर गिरफ्तार किये गये और उनसे कितनी मात्रा में स्वापक पदार्थ जब्त किये गये; और

(घ) इस क्षेत्र में स्वापक पदार्थों के सेवन में हो रही वृद्धि को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे है ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

गाजीपुर और वाराणसी जिलों में जब्त किए गए मादक पदार्थों के आंकड़े जो नीचे की सारणी में दिए गए हैं, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार में किसी प्रकार की वृद्धि को नहीं दर्शाते हैं

(मात्रा किलोग्राम में)

वर्ष	अफीम	हेरोइन	गांजा (कैनाबीस)	चरस (हशीश)
जिला वाराणसी				
1988	1.380	3.385	—	—
1989	0 620	1.326 + 328 पुड़िया	20.100	—
1990	0.090	1.970 + 836 पुड़िया	100.470 + 91 पुड़िया	0.500
1991 (जुलाई तक)	0.010	0.811 + 896 पुड़िया	69.879 + 72 पुड़िया	0.450
जिला गाजीपुर				
1988	—	0.853	—	—
1989	0.600	2.942	5.325	—
1990	0.400	1.189	69.385	—
1991 (जुलाई तक)	0.310	0.268	179.310	—

अवैध व्यापार की गतिविधियों में किसी भी प्रकार की वृद्धि की रोकथाम के लिये सरकार ने निरन्तर कठोर विधायी, प्रशासनिक तथा प्रवर्त्तन सम्बन्धी उपाय किये हैं।

स्वापक औषध और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत किये गये अपराधों में कैलेण्डर वर्ष, 1990 के दौरान वाराणसी में 318 व्यक्ति तथा गाजीपुर में 144 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। 1991 में जुलाई तक वाराणसी में 275 तथा गाजीपुर में 73 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। पकड़े गये मादक पदार्थों की मात्रा ऊपर सारणी में दी गई है।

सरकार ने अवैध पूर्ति में कमी लाने के लिए कानून प्रवर्त्तन तथा अवैध मांग को कम करने के लिये लत के विरुद्ध जनता में जागृति पैदा करके और स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से परामर्श देकर लत छुड़वाने के लिए दो तरफा नीति अपनाई है।

[हिन्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने आंकड़ों के आधार पर यह दिखाने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और वाराणसी जिलों में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार में कोई वृद्धि ही नहीं हुई है जबकि असलियत कुछ और है। हकीकत यह है कि गाजीपुर और वाराणसी दोनों जिलों में इन वस्तुओं के अवैध व्यापार का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि स्वापक पदार्थों और विशेषकर हिरोईन की तस्करी रोकने के लिये क्या केन्द्रीय सरकार कोई विशेष दस्ता बनाने का विचार रखती है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि वारणसी और गाजीपुर जिलों में पिछले चार सालों में यानी 1988, 1989, 1990 और 1991 में अफीम, हिरोईन, गांजा और चरस, इन चारों के सम्बन्ध में, हमारे अधिकारियों और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा भेजे गये आंकड़ों के अनुसार, जितना अवैध व्यापार हुआ, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि अफीम, हिरोईन और चरस, तीनों में कमी आयी है जब कि गांजे की मात्रा में अवश्य अभिवृद्धि हुई है। इस सिलसिले में वाराणसी जिले में 318 व्यक्तियों को और गाजीपुर जिले में 144 व्यक्तियों को अरैस्ट किया गया है, कैद किया गया है, वर्ष 1990 में, तथा वर्ष, 1991 में वाराणसी में 275 तथा गाजीपुर में 73 व्यक्तियों को अरैस्ट किया गया है। इसलिए हमारी जानकारी के मुताबिक, जैसा मैंने अभी बताया, गांजे को छोड़कर अन्य वस्तुओं के अवैध व्यापार में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

श्री आनन्द रत्न मौर्य : अध्यक्ष जी, मैंने पूछा था कि क्या सरकार का कोई विचार इस सम्बन्ध में विशेष दस्ता गठित करने का है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी यह बताइए कि कोई विशेष दस्ता गठित करने का विचार है या नहीं।

श्री रामेश्वर ठाकुर : माननीय सदस्य को जानकारी होगी कि गाजीपुर और वाराणसी का जो क्षेत्र है, वह किसी अन्तर्राष्ट्रीय या अन्तर्राज्यीय गिरोह जहां काम करते हैं, सक्रिय हैं, दोनों जिले ऐसे तस्करी के क्षेत्र में नहीं पड़ते हैं। ये दोनों जिले उत्तर प्रदेश सरकार के अन्तर्गत आते हैं और

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्य वहां की राज्य सरकार और वहां के एक्साइज विभाग तथा राज्य पुलिस का है, उनका यह कर्त्तव्य और दायित्व है। इसके साथ-साथ हमारे यहां से, केन्द्र का जो विशेष संगठन है, जिसे रिवैन्यू इंटैलीजैंस कहते हैं - बोर्डर सीक्योरिटी फोर्स है...

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि सरकार विशेष दस्ता बनाने का विचार रखती है या नहीं।

श्री रामेश्वर ठाकुर : इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है।

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय मंत्री महोदय ने आज के सबसे प्रचलित मादक पदार्थ ब्राऊन शुगर का उल्लेख नहीं किया है। मैं दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। प्रथम यह कि इन दो जिलों में कितनी ब्राऊन शुगर पकड़ी गई या मिली? दूसरा इसके बढ़ते हुए प्रयोग को रोकने के सम्बन्ध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि सरकार ने कानूनी ऐजेंसियों के सहयोग से अवैध सप्लाई को रोकने के लिए और अवैध मांग को कम करने की दो तरफा रणनीति अपनाई है। सवाल यह है कि मादक द्रव्य की अवैध सप्लाई का केन्द्र मुख्यतय: राजस्थान और मध्य प्रदेश के जिले हैं। मुख्यतय: मन्दसौर जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और मुख्य मंत्री के जिले हैं अफीम की खेती और इस राष्ट्र में अन्य मादक पदार्थों के उत्पादन की जड़ें यहीं हैं। मैं केवल सच्चाई ध्यान कर रहा हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह किस तरह मुख्य मंत्री का उल्लेख कर सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : यदि इसमें कोई अपमानजनक बात है तो मैं इसे देखूंगा।

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं, नहीं **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम भी ऐसा कर सकते हैं ..**(व्यवधान)**

श्री दिग्विजय सिंह : मैं सच्चाई ध्यान कर रहा हूं कि जिला मन्दसौर इसकी सप्लाई का मुख्य केन्द्र है। क्या वह अफीम की खेती में कमी करने पर विचार करेंगे? **(व्यवधान)** मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय देश में अफीम की खेती की पूर्णतया रोकने या उसमें कमी करने पर विचार करेंगे। **(व्यवधान)** यह घोर आपत्तिजनक है। मैंने केवल तत्सम्बन्धी विवरण का उल्लेख ही किया है।

मन्दसौर जिला मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री और गृह मंत्री का गृह जिला है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आप हमेशा मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को बीच में ले आते हैं जबकि प्रश्न केवल गाजीपुर और वाराणसी में तस्करी का है।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा तस्करी होती है। क्या हम यह कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री इसमें शामिल हैं ? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसके बारे में व्यवस्था दी है···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया कोई स्पष्टीकरण मत दीजिए।

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर ठाकुर : माननीय सदस्य ब्राऊन शुगर के बारे में जानना चाहते हैं। ब्राऊन शुगर का दूसरा नाम हेरोईन है।

अध्यक्ष महोदय : इन दो जिलो से कितनी ब्राऊन शुगर पकड़ी गई ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : यह दिया हुआ है। जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है इस पर कोई विवाद नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछले दो सालों में अफीम का उत्पादन जिसके बारे में माननीय सदस्य ने उल्लेख किया था कि 1989-90 में उत्तर प्रदेश में····

श्री दिग्विजय सिंह : मैं यह पूछ रहा था कि क्या वह अफीम के उत्पादन पर रोक लगाने या उसके उत्पादन क्षेत्र में कमी पर विचार करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह कार्य कृषि मंत्री द्वारा किया जायेगा।

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं, नहीं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं कृपया आपस में बातचीत मत कीजिए।

श्री रामेश्वर ठाकुर : मैं आंकड़े देना चाहता था। उत्तर प्रदेश के मामले में उत्पादन में पहले ही कमी आ चुकी है। **(व्यवधान)** देश में तीन केन्द्रीय अफीम उत्पादन केन्द्र हैं। मैं अलग-अलग इनके आंकड़े बता हूं जिसमें यह दिखाया गया है कि इसे धीरे-धीरे कैसे कम किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं, नहीं दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। वह कह रहें हैं "क्या आप अफीम की खेती का क्षेत्र और उसके उत्पादन में कमी लाने का विचार रखते हैं?

श्री रामेश्वर ठाकुर : वास्तव में हमने किया है।

अध्यक्ष महोदय : अपने ऐसा कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह बघेला : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह कोई राज्य का विषय नहीं था। क्या वित्त मंत्रालय को यह पता है कि यू० पी० मध्य प्रदेश, राजस्थान में ओपियम का सवाल नहीं है। पूरा माल काडमांडू बार्डर से उत्तर प्रदेश में आता है। बार्डर खुला है।

अध्यक्ष महोदय : यह सिर्फ गाजीपुर और वाराणसी के बारे में है।

श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम और डिफेंस के साथ परामर्श करके स्मगलिंग के जितने भी धंधे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ कर रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप व्यवस्थित रूप में कुछ कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि इसका उत्तर 'हां' होगा।

श्री रामेश्वर ठाकुर : जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, इसके तीन उत्पादन केन्द्र है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सबसे कम और मध्य प्रदेश में यह सबसे ज्यादा है। इन सभी तीन राज्यों में उत्पादन में कमी आई है।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस सम्बन्ध में जो अधिनियम बना हुआ है उसके अनुसार सामान्यतः दस वर्ष की सजा और दो लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। फिर भी मामले इस प्रकार के होते हैं कि सब लोग छूट जाते हैं। क्या आप ऐसे कोई कठोर उपाय करने जा रहे हैं जिससे गरीब किसान न मारा जाए क्योंकि प्राय किसान ही परेशान होता है। जो बड़े-बड़े लोग इस प्रकार से तस्करी करने वाले होते हैं वे बच जाते हैं। क्या इस प्रकार की आप कोई व्यवस्था करेंगे जिससे तस्करी करने वाले पकड़े जाएं? आज कानून कई खामियां है। क्या इस तरह से संशोधन करने का आपका कोई विचार है या आप कोई नया संशोधन करने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सजा को और कठोर बनायेंगे ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : सजा पहले ही कठोर है। प्रश्न यह है कि इसे कहां लागू किया जाये। जहां यह लागू होती है, वहां हम इसका ध्यान रखते हैं कि दोषी लोगों को न छोड़ा जाए।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए तुलन-पत्र हेतु नये नियम

+
*653. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी** :

श्री रमेश चन्द्र तोमर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में तुलन-पत्र के सम्बन्ध में नए नियम तथा प्रपत्र लागू हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अपने तुलन-पत्रों में अशोध्य और सन्देहास्पद ऋणों को दिखाने के लिए कहा गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार द्वारा 18 जनवरी 1991 को एक अधिसूचना जारी की गयी है जिसमें इस आशय का नोटिस दिया गया है कि अधिसूचना में प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर सरकार का वाणिज्यिक बैंकों के तुलन-पत्रों और लाभ-हानि लेखों के फार्मेटों में संशोधन करने का इरादा है। प्रस्तावित फार्मेटों की, अन्य बातों के साथ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(i) ये आय और व्यय दोनों को और अधिक व्यापक तस्वीर पेश करेंगे;

(ii) इनसे परिसम्पतियों और देनदारियों तथा साथ ही आय और व्यय की विभिन्न मदों के वर्गीकरण में एकरूपता सुनिश्चित होगी; और

(iii) इन्हें आसानी से समझने के लिए इनमें लेखा नीतियों पर विवरण भी शामिल होंगे।

इस अधिसूचना के सन्दर्भ में भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान सहित कुछ हितबद्ध लोगों से

कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। नए फार्मेटों को 3 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले चालू वर्ष से लागू करने का विचार है।

(ग) और (घ) बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अनुसार बैंकों को अशोध्य और संदिग्ध ऋणों तथा ऋण हानियों के लिए की गई व्यवस्था को प्रकट न करने के लिए सांविधिक संरक्षण प्राप्त है। तथापि नए फार्मेट में अशोध्य ऋणों, मूल्यह्रास और करों के लिए की गई व्यवस्थाओं को लाभ-हानि लेखे में व्यय में समेकित तौर पर दिखाया जाएगा।

श्रीमती महेन्द्र कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि बैंकों द्वारा अपने तुलन-पत्र में बट्टे खाते की वास्तविक राशि न दर्शाने के क्या कारण हैं।

[हिन्दी]

श्री बलबीर सिंह : श्रीमान्, इसी के सम्बन्ध में एक घोष कमोटी बनी थी, न्यू फार्मेट के लिए और तीन महीने के अन्तर्गत इसको लाने का था, इसकी तारीख 17-4-91 से समाप्त हो गई है लेकिन इसमें 56 सजेशंस आए हैं, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इण्डिया और जो ऐसे कुछ संस्थान हैं उन्होंने भी लगभग सजेशंस दे दिए हैं। इस पर भी आर. बी. आई. विचार कर रही है, लेकिन इसमें यह तय है कि इस वर्ष के अन्त में जो हमारा फार्मेट्स है उसको हम लागू कर देंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती महेन्द्र कुमारी : महोदय, मैं दूसरा प्रश्न नहीं पूछना चाहूंगी।

[हिन्दी]

श्री रमेश चन्द तोमर : अध्यक्ष महोदय, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बैलंस शीट को चार्टर्ड एकाउंटेन्ट द्वारा आडिट किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इन बैलेंस-शीट को सी. एण्ड ए. जी. द्वारा आडिट क्यों नहीं कराया जाता और अब बैंकों के बैलेंस-शीट ऑडिट को बदलने जा रहे हैं। तो क्या सरकार भविष्य में बैलेंस-शीट सी. एण्ड ए. जी. द्वारा आडिट कराएगी।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो कमर्शियल बैंक हैं, इसमें जो सम्मानित सदस्य पूछ रहे हैं कि दूसरों के द्वारा क्यों नहीं की जाती है, ऐसा कुछ नहीं है और दूसरी चीज यह है कि हमारी कुछ सीमाएं हैं। इसी के अन्तर्गत सोचा गया है **(व्यवधान)** इसके लिए एक कमेटी बनी है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के लिए पहले वालें प्रश्न में 40-45 मिनट का समय दिया गया था।

[अनुवाद]

अब अगला प्रश्न।

ग्रामीण क्षेत्रों में लघु बचत से राशि जुटाना

*634. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लघु बचत से राशि जुटाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प बचतें जुटाने हेतु किए गए विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं :—

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 1,25,000 डाकघरों का उपयोग;

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में गहन प्रचार कार्य;

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का उपयोग करना और वहां राज्य सरकारों तथा अभिकरण योजनाओं की सेवाओं में विस्तार करना;

(iv) इन्दिरा विकास पत्र और किसान विकास पत्र जैसे नए बचत पत्रों, जो विशेषतः उस ग्रामीण जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं, जो कमोवेश रूप में आयकर दाता नहीं है, का आरम्भ किया जाना।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : महोदय, भारत की बजट परफोरमेंस रिपोर्ट में यह दिया गया है कि सांतवी योजना के दौरान औसत सकल घरेलू बचत में सुधार हुआ है, यह 1984-85 में 18.2 प्रतिशत जो 1988-89 में बढ़कर 21.1 प्रतिशत और आगे यह 21.7 प्रतिशत हो गयी। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि सकल घरेलू बचत की बढ़ोतरी में ग्रामीण क्षेत्र के योगदान का प्रतिशत कितना है और क्या इस ग्रामीण बचत को प्राप्त करने लिए कोई लक्ष्य रखा गया था और यदि हां तो क्या वह लक्ष्य प्राप्त हुआ या नहीं।

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने खासकर रूरल एरियाज के बारे में पूछा है, मैं बताना चाहता हूं कि देश में कल लगभग 1 लाख 45 हजार डाकघर हैं और ग्रामीण

क्षेत्रों में लगभग 1.25 लाख डाकघर हैं । इस सम्बन्ध में अभी आंकड़े इसलिए हमारे पास नहीं आ पाए हैं, क्योंकि डाकघरों में कंप्यूटर्स नहीं हैं, सारा काम हाथ से किया जाता है । अतः शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का जो वर्गीकरण है, वह हम अभी नहीं कर पाए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : टारगेट फुलफिल हुआ है या नहीं ?

श्री दलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि स्टेट गवर्नमेंट और खासकर डिस्ट्रिक्ट अथारटीज जो कलेक्शन करती हैं, उसका 75 परसेंट स्टेट्स को जाता है । 20-25 साल के लिए लोन भी मिल जाता है, यही इसका मुख्य उद्देश्य है ।

[अनुवाद]

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : मंत्री महोदय ने अभी यह कहा है कि मार्ग-निदेशों के अनुसार 75 प्रतिशत इकट्ठी की गई छोटी बचत का उसी राज्य या क्षेत्र में निवेश किया जाना होता है । मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या इसका सख्ती से पालन हो रहा है यदि नहीं तो क्या सरकार भविष्य में ऐसा करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी ?

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदारी है, उनको इसका 75 परसेंट मिलता है, यह स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वह किस क्षेत्र में इस पैसे को खर्च करती है ।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, क्या यह सत्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इकट्ठी की गई बचत को शहरी क्षेत्रों में सरकार द्वारा उद्योग और व्यवसाय मे निवेभ किया जा रहा है ? इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि पर्याप्त पूंजी का ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश नहीं किया जा रहा क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ग्रामीण क्षेत्र में इकट्ठी की गई बचत का उसी क्षेत्र में किसानों, कमजोर वर्गों कृषि श्रमिकों और छोटे उद्यमियों को ऋण या अन्य सहायता देने के लिए उपयोग किया जाए उसी क्षेत्र में इसी बचत राशि का उपयोग करने की ओर आवश्यक कदम उठाएगी ।

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, इस बारे में हम स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे । दरअसल इस माध्यम से जो साधन जुटाए जाते हैं, इन्दिरा विकास पत्र और किसान विकास पत्रों द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट से कहेंगे कि इस राशि का उपयोग रूरल एरियाज में किया जाए और रूरल एरियाज में ज्यादा फण्ड्स अलाट किए जाएं ।

जलयानों द्वारा ढोये जाने वाले माल के लिए भाड़ा

*635. **श्री सुधीर सावन्त :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटवर्ती भागों में जलयानों द्वारा ढोये जाने वाले सभी प्रकार के माल के लिए भाड़ा निर्धारित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसका तटवर्ती नौवहन उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार का विचार तटवर्ती नौवहन उद्योग को पुर्नजीवित करने के लिए इस समय लागू भाड़ा निर्धारण सूत्र को उदार बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) मुख्य भूमि तट के साथ केवल औद्योगिक कोयले और नमक के सम्बन्ध में तथा मुख्य भूमि और अंडमान और लक्षद्वीप समूह के बीच सभी प्रकार के भाड़े तथा यात्री टेरिफ के बारे में, नौवहन दरों से सम्बन्धित सलाहकार मंडल की सलाह पर तटीय टेरिफ के निर्धारण अथवा संशोधन के लिए केन्द्र सरकार, इस समय वाणिज्य नौवहन अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रही है । तट पर अन्य प्रकार के माल की ढुलाई के लिए टेरिफ का निर्धारण, जहाज मालिकों और शिपर्स के मध्य द्विपक्षीय वाणिज्यिक आधार पर सीधे समझौता वार्ता करके किया जाता है । कोयला तथा नमक की ढुलाई के लिए "बंकर" अधिभार निर्धारित करने तथा उन वस्तुओं की भाड़ा दरें, जिनके लिए सरकार द्वारा कोई सबसिडी नहीं दी जाती, निर्धारित करने के लिए नौवहन महानिदेशक को अधिकार दिए गए हैं । अण्डमान और लक्षद्वीप समूह के लिए यातायात के सम्बन्ध में भाड़ा दरें; जिसमें भारतीय नौवहन निगम को सबसिडी की अदायगी के अन्तर्ग्रस्त है सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है । गत वर्षों में तट पर थर्मल कोल, क्रूड आयल एवं पैट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई में तीव्र वृद्धि हुई है ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुधीर सावन्त : महोदय, मैं वास्तव में उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं । खासकर अपने प्रश्न (ख) के उत्तर के (संदर्भ में, जिसमें मैंने तटीय जहाजरानी उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पूछा था । सवाल मैंने पूछा जरूर है, यद्यपि इसका उत्तर मैं जानता हूं, और इसका उत्तर यह है कि

तटीय जहाजरानी उद्योग पूरी तरह ठप्प हो गया है। इस देश में केवल 14 यात्री व माल वाहक जहाज परिचालन में हैं, वे भी मुख्यतया अण्डमान और लक्षद्वीप के लिए हैं। वार्षिक रपट में भी जहाजरानी के मामले में किसी प्रकार के नीति सम्बन्धी वक्तव्य का उल्लेख नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना प्रश्न पूछें। आपसे जानकारी देने की अपेक्षा नहीं की जाती है - आप अपनी जानकारी को अपना प्रश्न पूछने में इस्तेमाल कर सकते हैं।

श्री सुधीर सावन्त : महोदय गोआ, मुम्बई, पट्टी में बहुत से पत्तन हो सकते हैं। जब 1983 में तटीय जहाजरानी का राष्ट्रीयकरण किया गया था तब यह सुचारू रूप से चल रहा था। तत्पश्चात 1985 में इसे बन्द कर दिया गया दरअसल इसका राष्ट्रीयकरण हो या निजीकरण हो, हमारी इसमें कोई रुचि नहीं है। हमारा मकसद तो मात्र यह है कि इसको पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। तटीय जहाजरानी का भारतीय नौवहन निगम द्वारा अधिग्रहण करने में कोई कठिनाई नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : किसी सदस्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अअनी जानकारी का इस्तेमाल अपने प्रश्न के लिए करें।

श्री सुधीर सावन्त : मेरा प्रश्न इसी पहलू से जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न यह है कि तटीय जहाजरानी को भीरतीय नौवहन निगम अपने अधिग्रहण में क्यों नहीं लेती हैं? और इसको पुन: शुरू क्यों नहीं किया जाता है?

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप उन तथ्यों की पुनरावृत्ति नहीं करें जिनका उल्लेख वह अभी कर कुके हैं।

श्री जगदीश टाईटलर : लगभग 166 जहाज तटवर्ती क्षेत्रों में पहले से ही कार्यशील हैं।

जहां तक तटीय जहाजरानी द्वारा ढोये गए यातायात का सवाल है, इसमें बढ़ोत्तरी ही हुई है। वर्ष 1952 में 26 लाख टन की ढुलाई हुई थी, जो अब बढ़कर 244 लाख टन हो गई है। अब सड़क और रेल की बेहतर सुविधा के कारण यातायात उधर चला गया है। जहाजरानी निगम मुख्य भूमि से लक्षद्वीप और अण्डमान द्वीप समूह के लिए ही केवल यात्रियों की ढुलाई करता है।

इस मामले में हमारी कोई नीति नहीं हैं। हालांकि हम लोगों को और भी जहाज तथा छोटी नावें लाने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं, जहां तक नौवहन मंत्रालय का सम्बन्ध हैं, मुझे उन लोगों के प्रति कोई आपत्ति नहीं है जो भारतीय झंडा लगाकर अपने जहाज चलाना चाहते हैं।

श्री सुधीर सावन्त : निजी लाइसेन्स तीन साल पहले दिए गए थे। ये अक्तूबर 1991 में सप्ताह होने जा रहे हैं। यद्यपि लाइसेंस दिए गए थे, फिर भी आज तक किसी भी निजी कम्पनी ने

कोई भी जहाज नहीं खरीदा और नहीं यात्री या माल वाहन सेवा की शुरूआत आज तक हो पाई है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र व कोकंन पट्टी को अपूर्ण विकास की बजह से संचार सुविधाएं कम हो गई हैं। तटीय जहाजरानी जो पिछले तीन साल से चल रही थी, अब बन्द कर दी गई है।

माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा कि ढुलाई दर में बढ़ोतरी होने की वजह से क्षमता कम हो गई है, मैं कहना चाहूंगा कि पश्चिमी तटीय पट्टी में सड़क ढुलाई में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। जब ढुलाई की दर निजी जहाजरानी में बाधा बन कर खड़ी हो जाती हैं, तो एक पैंकेज कार्यक्रम बताया जाना चाहिए ताकि मुम्बई जैसे शहरी क्षेत्रों में परिवहन अनुमति लाईसेंस प्रदान किए जा सकें।

अध्यक्ष महोदय : आपका समय समाप्त हो रहा है। क्या आपका आशय यह है कि भाड़े में कटौती की जाए।

श्री सुधीर सावन्त : महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार मुम्बई जैसे शहरी क्षेत्रों तथा महाराष्ट्र के अन्य तटीय क्षेत्रों में यात्री व माल वाहक जहाज चलाने के लिए निजी नौवहन कम्पनियों के लिए एक पैकेज कार्यक्रम बनाने का विचार रखती है।

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, सरकार निजी लोगों को इस क्षेत्र में शामिल होने के लिए उत्साहित करती है ताकि वे इन मार्गों पर सेवाएं आरम्भ करें।

श्री छासकार फेरनान्डेस : महोदय, मुम्बई से गोआ, मंगलौर और कोचीन को छूते हुए कोचीन तक जहाजरानी सेवा की शुरूआत का प्रस्ताव था। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह प्रस्ताव किस चरण में है और जब कोई निजी कम्पनी इस क्षेत्र में शामिल होना नहीं चाह रही हो तो क्या सरकार यह जहाजरानी कम्पनी स्वयं इस सेवा को आरम्भ करेगी या नहीं।

श्री जगदीश टाईटलर : हमारे पास इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है।

डा० विश्वनाथम कैनिथी : महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मुख्य भूमि से अण्डमान द्वीप समूह के बीच कितने जहाज चल रहे हैं क्योंकि उनकी निर्धारित समय-सारणी न होने तथा अघोषित तरीखों के कारण यात्रियों को बहुत ही असुविधा हो रही है।

श्री जगदीश टाईटलर : हमारी पूरी कोशिश है कि मुख्य भूमि से अण्डमान द्वीप समूह के बीच जहाजरानी सेवाओं की आवृत्ति में बढ़ोत्तरी हो हाल ही में, हमने एक बिल्कुल नए किस्म का जहाज प्राप्त किया है और हमारी उम्मीद है कि हमें इसी किस्म के दो और जहाज मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इन दो जहाजों की प्राप्ति के बाद, अण्डमान के लोगों की परेशानी दूर की जा सकेगी।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कृषि निर्यात

*636. **श्री पी० सी० थामस :**

श्री एम० आर० कादम्बुर जनार्दनन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई आयात-निर्यात नीति का निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या हाल ही में कृषि निर्यात को बढ़ावा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो 1990-91 के दौरान केरल से कृषि निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और क्या विदेशी मुद्रा अर्जन में इस वर्ष वृद्धि होने की सम्भावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कृषि उत्पादन को और अधिक बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ङ) सरकार ने दिनांक 4 जुलाई, 1991 की व्यापार नीति के प्रारम्भिक पैकेज की घोषणा की थी और उसके बाद दिनांक 13 अगस्त, 1991 की नीति में कुछ ऐसे संशोधन किए गए जिनका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहनों को मज़बूत करना है।

नई व्यापार नीति की कुछ प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं :—

(1) आर० ई० पी० लाइसेंसों के स्थान पर "एक्सिमस्क्रिप" नामक एक नया प्रलेख आरम्भ किया गया है। निर्यात के बदले जिस बुनियादी दर पर एक्सिमस्क्रिप जारी किए जाएंगे वह एफ.ओ.बी. मूल्य का 30% होगी। कुछ खास मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त एक्सिमस्क्रिप की हकदारी की अनुमति दी गई है अर्थात् इन उत्पादों के लिए कुल एक्सिमस्क्रिप दर एफ. ओ.बी. मूल्य का 40% होगी। इन उत्पादों में अन्य उत्पादों के अलावा जो उत्पाद शामिल हैं वे हैं : 1 किलो ग्राम या उससे कम वजन के उपभोक्ता पैकों में भुनी हुई, नमकीन काजू गिरी, वायुयान द्वारा भेजे जाने वाले ताजे फल, सब्जियां; चुने फूल, पौधे तथा पौध सामग्री और मसाले, सभी प्रकार के डिब्बाबन्द, बोतल-बन्द और विशेष रूप से पैकेट बन्द फल, वनस्पति उत्पाद और मसाले, आदि।

(2) अग्रिम लाइसेंस हेतु आवेदन पत्रों पर विचार करने की क्रियाविधि को सरल बना दिया गया है।

(3) शीरे, खांडसारी शीरे और चीनी सहित निर्यात की अनेक मदों का सरणीयन समाप्त करके उन्हें "खुले सामान्य लाइसेंस (ओ०जी०एल०) 3" में रख दिया गया है।

(4) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे निर्यात माल को सभी विक्रीय कर-शुल्कों (लेवियों) से मुक्त कर दें।

राज्य वार निर्यात आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं, इसलिए, यह बताना संभव नहीं है कि वर्ष 1900-91 दौरान केरल से कृषि मदों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई थी।

वर्ष 1989-90 की तुलना में वर्ष 1990-91 के दौरान कृषि वस्तुओं का निर्यात दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न हैं। चूंकि व्यापार नीति में संशोधन अभी हाल ही में किए गए हैं इसलिए, विदेशी मुद्रा के अर्जन पर इसके प्रभाव आंकलन इतनी जल्दी करना संभव नहीं होगा।

निर्यात के लिए बेशी माल की व्यवस्था हेतु कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से निम्नलिखित तिहरी कार्य-नीति अपनाई गई है: (1) क्षेत्र, पैदावार में वृद्धि करना, (2) उत्पादन तथा फसल-पश्चात की सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी अपनाकर और बहुत अच्छे किस्म के प्रबन्धन द्वारा उत्पादकता में बेहतर कार्यकुशलता लाना, और (3) संगत अनुसंधान एवं विकास कार्य और प्रसार कार्यों के जरिए प्रोत्साहन सहायता देना। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।

विवरण

वर्ष 1989-90 की तुलना में वर्ष 1990-91 में कृषि वस्तुओं का निर्यात

मात्रा : हजार टन

मूल्य : करोड़ रुपयों में

इकाई मूल्य : रु०/प्रति कि० ग्राम

क्रमांक	मद	1990-91 मात्रा	1990-91 मूल्य	1990-91 इ० मूल्य	1989-90 मात्रा	1989-90 मूल्य	1989-90 इ० मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कपास	283.03	752.76	26.60	61.850	80.27	12.98
2.	मसाले						
	(क) काली मिर्च	31.371	111.06	34.35	34.482	152.97	44.36
	(ख) इलाइची (छोटी)	0.379	10.06	269.72	0.180	3.07	170.38
	(ग) इलायची (बड़ी)	0.961	4.32	44.91	0.787	2.95	37.46
	(घ) लाल मिर्च	23.178	27.98	122.07	11.983	25.85	21.57
	(ङ) अदरक	5.487	10.93	19.93	9.037	12.67	14.04
	(च) हल्दी	12.764	14.34	11.223	16.860	16.15	9.58
	(ठ) कड़ी पाउडर	2.787	6.01	21.57	3.320	6.75	20.84

1	2	3	4	5	6	7	8
	(ज) विविध मसाले	18.985	22.54	11.87	25.344	32.49	12.82
	(झ) मसाला तेल/तैल राल	97.291	238.67	—	102.710	275.16	—
	अर्द्ध योग (2)						
3.	काजू						
	(क) गिरि	49.641	431.51	86.92	44.857	360.34	80.33
	(ख) काजू छिलका द्रव (सी० ए० एस० एल०)	3.603	2.52	6.99	3.014	2.53	8.39
	(ग) 1 कि० ग्रा० से कम के उपभोक्ता पैकों में	0.05	0.78	156.00	0.07	1.05	150.00
	(घ) अर्द्ध योग (3)	53.294	434.81	—	47.941	363.92	—
4.	तम्बाकू						
	(क) अविनिर्मित	70.375	209.16	29.79	58.183	152.24	26.16
	(ख) उत्पाद	13.299	54.53	—	15.512	19.79	—
	योग (4)	83.674	263.69	—	73.695	172.03	18.34
5.	अनाज :						
	(क) गेहूं	201.025	38.51	—	—	—	—
	(ख) बासमती चावल	241.83	288.56	11.91	396.90	412.06	10.40

1	2	3	4	5	6	7	8
	(ग) गैर-बासमती चावल	313.83	187.83	5.99	26.71	16.36	6.12
	(घ) मोटे अनाज	—	5.13	—	—	4.93	—
	योग (5)	—	—	—	—	—	—
6.	खलियां/निस्सारण :						
	(क) सोयाबीन निस्सारण	1295.303	457.67	3.54	937.987	363.61	3.88
	(ख) मूंगफली निस्सारण	127.643	31.73	2.46	419.771	83.71	1.99
	(ग) बिनौला निस्सारण	17.008	3.60	2.12	36.637	7.12	1.94
	(घ) धान भूसी निस्सारण	448.847	52.78	1.18	634.543	65.34	1.08
	(ङ) रेपसीड निस्सारण	525.928	70.08	1.57	710.597	90.60	1.28
	(च) सूर्यमुखी बीज निस्सारण	92.370	14.19	1.35	65.267	9.40	1.44
	(छ) शाल बीज निस्सारण	42.351	4.78	1102	74.547	606	0.81
	(ज) अन्य निस्सारण	19.972	3.66	—	24.253	4.79	—
	अर्द्ध–योग (6)	2570.422	639.29	—	2903.552	630.71	—
7.	नाइजर सीड	10.386	13.52	—	13.840	11.93	—
8.	तिल	47.187	72.00	15.273	138.530	178.15	12.86
9.	आई० आई० पी० की मूंगफली	35.473	62.43	17.60	24.791	26.88	10.82
10.	गौण तेल	3.849	10.79	—	5.180	11.88	—
11.	ए० पी० डी० मदें						
	(क) ताजे फल एवं सब्जियां	—	172.00	—	—	155.57	—
	(ख) प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां	—	60.00	—	—	66.37	—

1	2	3	4	5	6	7	8
	(ग) मांस एवं मांस उत्पाद	—	147.50	—	—	127.57	—
	(ग) अन्य प्रसंस्कृत खाद्य	—	133.00	—	—	132.98	—
	अर्द्ध योग (11)	512.50				452.49	
12.	चीनी	65.00	52.06	8.06	32.800	22.37	6.812
13.	शीरा	214.00	19.54	0.91	258.00	16.85	0.65
14.	शैलाक	6.692	17·17	25.65	6.200	17.76	28.64
15.	गोन्द काराय	0.46	3.83	—	1.590	122.80	—
	योग (क 1-15)		3612.66			22737.40	

उपभोक्ताओं को उचित दरों पर कपड़े की उपलब्धता

[हिन्दी]

*637. **श्री तेज नारायण सिंह :**

श्री राम टहल चौधरी :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं को उचित दरों पर कपड़ा उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के सही कार्यान्वियन पर निगरानी रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

1. सरकार जनता कपड़ा योजना हथकरघा क्षेत्र में और कन्ट्रोल के कपड़े की योजना संगठित मिल क्षेत्र (एन० टी० सी०) में क्रियान्वित कर रही है । इन योजनाओं के उद्देश्य कम रोजगार प्राप्त तथा बेरोजगार बुनकरों को सतत रोजगार प्रदान करना तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब वर्गों के लोगों को सामर्थ्य कीमतों पर कपड़ा उपलब्ध कराना है । जनता कपड़ा योजना राज्य हथकरघा निदेशकों द्वारा क्रियान्वित की जाती है और इसमें 3.40 रु० प्रति वर्ग मी० की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । कन्ट्रोल के कपड़े की योजना राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है और इसके अन्तर्गत धोती एवं साड़ी के लिए 2 रु० प्रति मीटर, लट्ठे के लिए 1.50 रु० प्रति मी० तथा पोलिस्टर सूती कन्ट्रोल के कपड़े के लिए 2.50 रु० प्रति मीटर की दर से अधिक सहायता प्रदान की जाती है ।

2. जनता कपड़ा योजना के क्रियान्वयन की उपयुक्त मानीटरी करने के लिए इस आशय के मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं कि नोडीय अभिकरण को एक तिमाही में कम से कम एक बार वास्तविक निरीक्षण करना चाहिए तथा प्रत्येक राज्य को राज्य स्तरीय स्थाई मानीटरी समिति स्थापित करनी होगी जो कि प्रत्येक तिमाही में जनता कपड़ा योजना के क्रियान्वयन के सभी पहलुओं की समीक्षा करेगी ।

3. एन. टी. सी. द्वारा निर्मित कन्ट्रोल के कपड़े का वितरण एन. सी. सी. एफ. राज्य सहकारी समितियों, एन. टी. सी. के फुटकर व्यापारियों तथा एन. टी. सी. के

प्राधिकृत व्यापारियों के जरिए किया जाता है। कन्ट्रोल के कपड़े के अन्तरण की किसी भी शिकायत की जांच की जाती है तथा उपचारी उपाय किए जाते हैं।

दिल्ली में टैक्सियों तथा आटोरिक्शाओं में इलैक्ट्रानिक मीटरों का लगाया जाना

[अनुवाद]

*638. **श्री मदन लाल खुराना** :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैक्सियों तथा आटोरिक्शाओं में लगने वाले इलैक्ट्रानिक मीटरों की जांच करने पर यह पता चला है कि वे अपेक्षित मानक के स्तर के अनुरूप वाटरप्रूफ नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में टैक्सियों तथा आटोरिक्शाओं में ऐसे मीटर लगाने पर जोर दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि टैक्सियों और आटो-रिक्शाओं में लगाए जाने हेतु प्रस्तावित इलैक्ट्रानिक मीटरों के वाटर प्रूफ होने के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई है। इन मीटरों को लगाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए दिल्ली में टैक्सियों और आटो-रिक्शाओं में इन मीटरों के लगाए जाने पर जोर देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय सड़क निर्माण निगम

*640. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी** :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सड़क निर्माण निगम पिछले कई वर्षों से घाटे में चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा निगम को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, या उठाए जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) निगम को अर्थक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

महंगाई भत्ते पर आयकर

[हिन्दी]

*641. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**

प्रो० के० वी० थामस :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक निश्चित अवधि के दौरान हुई मूल्य वृद्धि लिए कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देकर उनकी क्षतिपूर्ति करती है; और

(ख) यदि हां, तो आयकर का हिसाब लगाते समय महंगाई भत्ते की राशि को कर्मचारियों की आय में शामिल करने का क्या औचित्य है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित मौजूद फार्मूले के तहत भारत सरकार मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए अपने कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति पहली जनवरी तथा पहली जुलाई से एक साल में दो बार महंगाई भत्तों की मंजूरी देकर करती है, जो कि क्रमशः मार्च तथा सितम्बर महीने के वेतन के साथ देय बनता है ।

(ख) आयकर की संगणना करते समय कर्मचारियों की आय में महंगाई भत्ते की राशि को शामिल किए जाने का औचित्य यह है कि महंगाई भत्ते की संगणना किसी कर्मचारी के पूर्व-कर वेतन पर की जाती है ।

चाय और काफी बीजों का मूल्य

[अनुवाद]

*643. **श्री एन. डेनिस :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उपभोक्ताओं को बेची जाने वाली चाय तथा काफी बीजों के दाम करने और इन वस्तुओं की जमाखोरी तथा मुनाफा खोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : चाय के मामले में, कुछ ब्रान्डों की खुदरा कीमतों में जनवरी, 1991 और जुलाई, 1991 के बीच गिरावट आयी है ।

(रु./कि. ग्रा.)

	ब्रुक बान्ड रेड लेबल	लिपटन यलो लेबल
जनवरी, 1991	64.00	66.70
जुलाई, 1991	62.00	62.00

जहां तक काफी का सम्बन्ध है, पिछले वर्ष के दौरान कमजोर फसल के कारण जनवरी, 1991 से मार्च, 1991 के बीच काफी की कीमतों में वृद्धि हुई। किन्तु, मार्च, 1991 के बाद यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रही और इसकी खुदरा कीमतों में गिरावट आयी है, जैसाकि कच्ची काफी के बारे में नीचे दर्शाया गया है :—

(रु./ कि. ग्रा.)

	प्लांटेशन ए	अरेबिका एबी	रोबस्टा एबी
जनवरी, 1991	49.70	41.20	44·30
जुलाई, 1991	42.45	37.80	30.25

भारतीय वायुसेना के विमानों का रख-रखाव

[हिन्दी]

*643. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना का विमान बेड़ा पुराना पड़ गया है तथा इसके रख-रखाव पर भारी खर्च करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) क्या विमानों के रख-रखाव पर होने वाले खर्च में कमी करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

छावनी की भूमि का अहमदनगर नगर पालिका को हस्तान्तरित किया जाना

[अनुवाद]

*644. **श्री यशवन्तराव पाटिल** :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छावनी बोर्ड भींगर, अहमदनगर की समस्याओं के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार छावनी की कुछ भूमि को अहमदनगर नगर पालिका को हस्तान्तरिक करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) सरकार को श्री यशवन्तराव जी पाटिल से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने छावनी बोर्ड भिगर, अहमदनगर के सामने पेश आने वाली कतिपय समस्याओं का उल्लेख किया है। उन्होंने विशेष रूप से जिन मुद्दों को उठाया है, वे इस प्रकार हैं :—

(1) इस छावनी में आवास की बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या को हल करने के लिए सरकार को फर्श क्षेत्र सूचकांक को बढ़ाकर गुणक (फैक्टर) 1 से 2 कर देना चाहिए।

(2) छावनी अस्पताल में गरीब रोगियों के वास्ते एक्स-रे की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ी एक्स-रे मशीन मंजूर की जानी चाहिए।

(3) छावनी क्षेत्र में सफाई आदि की बेहतर व्यवस्था के लिए जमीन के नीचे सीवर लाइन बिछाने की मंजूरी दी जानी चाहिए और वर्तमान शुष्क शौचालयों के स्थान पर फ्लश वाले शौचालय बनाए जाने चाहिएं।

(3) छावनी के सिविल क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी है, इसलिए इन क्षेत्रों में पानी की सप्लाई के लिए एक अलग पाइप लाइन बिछाने की योजना मंजूर की जानी चाहिए।

(5) छावनी के सिविल क्षेत्रों में सड़कों की काफी मरम्मत करने और उनकी हालत सुधारने की आवश्यकता है।

(6) पाइप लाइन से पानी की सप्लाई की व्यवस्था खराब हो जाने की स्थिति से निपटने के लिए छावनी क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराने के लिए 21 बरमे लगाने की मंजूरी दी जाए।

(7) इस समय छावनी के सिविल क्षेत्र में ओल्ड ग्रांट वाली भूमि को फ्री होल्ड में बदलने के लिए सरकार ने जो दरें रखी हैं, वे काफी ऊंची हैं। इन्हें कम किया जाना चाहिए और ओल्ड ग्रांट वाली भूमि को फ्री-होल्ड में परिवर्तित करने की शक्तियां पुणे में दक्षिण कमान प्राधिकारियों को जानी चाहिएं।

(8) छावनी में खाली पड़ी जगहें आवास समितियों को आबटित की जाएं ताकि वे निम्न आय वालों के लिए और शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए वहां मकान बना सकें।

(9) सरकार को चाहिए कि वह छावनी क्षेत्र के जिन कुछ हिस्सों में झुग्गी-झोंपड़ियां हैं, उस क्षेत्र का विकास कार्यक्रम अपने हाथ में ले।

(10) छावनी अधिनियम में संशोधन किया जाए ताकि चुनकर आने वाले सदस्यों को अधिक शक्तियां दी जा सकें, जिससे वे विकास सम्बन्धी मामलों के बारे में सभी निर्णय स्थानीय स्तर पर ही ले सकें।

जुलाई, 1988 में सरकार ने अहमदनगर नगर परिषद् के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि अहमदनगर छावनी से हटा दिए गए क्षेत्र में से 40.91 एकड़ रक्षा भूमि को 2,25,90,787 रुपए के बाजार मूल्य की अदायगी पर नगर परिषद् को स्थानान्तरित किया जा सकता है, लेकिन नगर परिषद् ने बाजार मूल्य पर भूमि के हस्तान्तरण के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने यह अनुरोध किया कि उन्हें यह भूमि नाममात्र कीमत पर दे दी जाए। उनका यह अनुरोध नामंजूर कर दिया गया है।

दिल्ली में वाहनों में अर्ध-पारदर्शी शीशों के लगाने पर प्रतिबन्ध

*647. **श्री प्रतापराव बी. भोंसले** :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में चलने वाले सभी वाहनों में अर्ध-पारदर्शी शीशे लगाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ वाहनों को इस प्रतिबन्ध से मुक्त रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में दोषी पाये गये वाहन-मालिकों के विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही करने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने मोटर-चालकों को सलाह दी है कि वे 70% से कम दृष्यता वाली सोलर फिल्में/रिन्टेड शीशे अपने वाहनों से हटा लें ताकि उनके वाहन केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 100 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप हों।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन ने सुरक्षा/स्वास्थ्य सम्बन्धी आपवादिक मामलों में छूट देने का निर्णय लिया है। छूट पाने के इच्छुक मोटर चालकों को पुलिस आयुक्त/स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से आवाश्यक अनुशंसा प्राप्त करने की सलाह दी गई है।

(ङ) इन नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190 के प्रावधानों के अनुसार दण्ड दिया जाएगा।

बदमाल, उड़ीसा में आयुध कारखाना

*646. **श्री शरत चन्द्र पटनायक :**

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के बोलंगीर जिले में बदमाल में आयुद्ध कारखाने का निर्णय निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ख) इस परियोजना के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त आयुध कारखाने में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) परियोजना के पहले चरण का काम जून, 1993 तक पूरा कर लिए जाने का कार्यक्रम/अनुमान है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस आयुध निर्माणी में समूह "ग" और समूह "घ" के पदों पर सीधी भर्ती स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है। इन समूहों में उपलब्ध सभी रिक्त पदों के बारे में स्थानीय जिला रोजगार कार्यालय को सूचित किया जाता है। कुछ मामलों में, जहां इन पदों के लिए अपेक्षित योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते वहां स्थानीय रोजगार कार्यालय ऐसी रिक्तियों के बारे में निकटवर्ती जिला रोजगार कार्यालय को सूचित करता है।

आयुध कारखाने की अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग

*647. **श्री शरद दिघे** :

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के आयुध कारखानों में अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने कोई आयुध कारखानों में उपलब्ध अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता का उपयोग करने हेतु गैर-सरकारी उद्यमियों की सूची बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) उपलब्ध मानक श्रम घंटों के अनुसार वर्ष 1990-91 में आयुध निर्माणियों की क्षमता का उपयोग कुल मिलाकर 99.70 प्रतिशत था।

(ख) और (घ) क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए लिम्नलिखित कदम उठाए जा चुके हैं :—

(1) रक्षा से भिन्न क्षेत्रों जैसे रेलवे, केन्द्रीय और राज्य सरकार के पुलिस बलों, अर्ध सैन्य तथा सुरक्षा बलों और यहां तक कि सिविल व्यापार (जिसमें निजी क्षेत्र भी शामिल हैं) की जरूरत के विविध सामान को निर्माण करना।

(2) निर्यात।

इस प्रकार के रक्षा क्षेत्र से भिन्न प्रयोक्ताओं के लिए 1990-91 में निर्मित सामान का मूल्य 114 करोड़ रुपए (अनन्तिम) है।

अपना निर्यात सम्बन्धी दायित्व पूरा न करने वाली फर्मों को आयात लाइसेंस

[हिन्दी]

*648. **श्री मदन लाल खुराना** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसी बड़ी फर्मों को आयात लाइसेंस जारी किए गए हैं जिन्होंने अपना आयात सम्बन्धी दायित्व पूरा नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इन फर्मों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सरकार की जानकारी में ऐसे मामले आये हैं जिनमें निर्यात वचनबद्धताओं को पूरा नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

पर्यावरण की दृष्टि से उद्योगों की जांच

[अनुवाद]

*650 **डा. सी. सिलवेरा** :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण की दृष्टि से उद्योगों की जांच को अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विद्यमान कम्पनी कानून में इस आशय का संशोधन करने के लिए विधेयक लाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री के. विजय भास्कर रेड्डी) : (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने प्रस्ताव किया है कि प्रत्येक कपनी अपने निदेशक मंडल की रिपोर्ट में पर्यावरणीय कानूनों के अनुपालन, प्रदूषण निवावरण के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए उठाए गए अथवा प्रस्तावित कदमों अपशिष्टों को कम करने, अपशिष्टों को पुनः प्रयोग में लाने और उपयोग करने; प्रदूषण नियंत्रण उपायों, पर्यावरणीय सुरक्षा पर निवेश और अपशिष्टों को करने, जल एवं अन्य रंसाधनों के संरक्षण में इन उपायों के प्रभाव के सम्बन्ध में संक्षिप्त ब्यौरा का उल्लेख करेगी।

(ख) और (ग) मामले की जांच की जा रही है।

बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में कार्य स्थगित करना

5152. **श्री चित्त बसु** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रमुख बैंकों ने जून, 1991 से प्राथमिकता क्षेत्र में अपने कार्यों को स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के ऋणों का संवितरण रोक दिए जाने के बारे में कुछ शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन शिकायतों/अभ्यावेदनों को संबंधित बैंकों के साथ उठाया गया परन्तु उन्होंने प्राथमिकता क्षेत्रों को रूप के स्थगन/रोक से इंकार किया है। फिर भी, उसने संबंधित बैंकों का ध्यान अपने दिनांक 23-2-1991 के परिपत्र की ओर पुनः दिलाया है जिसमें बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सामान्यतया प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की ओर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तथा सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए ऋण प्रवाह को रोका नहीं जाना चाहिए तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र श्रेणियों के उधारकर्ताओं को बैंक की शाखाओं से ऋण प्राप्त करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए।

भारत के संविधान का अनुदित संस्करण

5153. **श्री राम नाईक** :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संविधान के अनुच्छेद (1) का अनुवाद करते समय अधिकांश भाषाओं में "इण्डिया दैट इज भारत" शब्दों को ज्यों को त्यों रखा है केवल उर्दू भाषा में "हिन्द यानि भारत" शब्द का प्रयोग किया गया है;

(ख) यदि हो, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा भारत के संविधान के अनुदित संस्करणों में एकरूपता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम)** : (क) और (ख) जी, हां। भारत के संविधान का उर्दू पाठ, विधि और उर्दू भाषा के विशेषज्ञों की सहायता से और जम्मू-कश्मीर सरकार के परामर्श से, जिसकी राजभाषा उर्दू है, राजभाषा (विधायी) आयोग द्वारा तैयार किया गया था।

(ग) भारत के संविधान के उर्दू पाठ को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के समक्ष नहीं है।

रक्षा व्यय में कटौती

5154. **श्री माग्ये गोर्वधन** :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा व्यय में कटौती को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने कौन-से उपलब्ध उपाय अपनाए हैं;

(ख) विकास तथा आधुनिकीकरण संबंधी परियोजनाओं की बढ़ी हुई लागत में कटौती करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धन राशि की भण्डरण क्षति दर्ज की गई; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आवंटित कुल धन राशि में वर्षवार कितनी औसत हानि हुई ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) रक्षा व्यय में कटौती करने और उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए अनक उपाय शुरू किए गए हैं/प्रस्तावित हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ ये भी शामिल हैं—सामान सूची का कारगर प्रबंध, परिवहन का अधिकतम उपयोग,

प्रभावी कार्मिक प्रबन्ध, ईंधन, तेल और स्नेहकों की खपत में कमी, वेतन मानों और सभी प्रशिक्षण/अभ्यास शिविरों की अवधि का पुनरीक्षा, कुछ वाहनों की मरम्मत और ओवरॉलिंग बाजार से करवाना, कम ईंधन खपत करने वाले वाहनों का इस्तेमाल, प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का इस्तेमाल, सामान संबंधी व्यय पर कड़ा नियंत्रण, शस्त्रों और उपस्करों आदि की उपयोग अवधि बढ़ाने के लिए उपाय शुरू करना आदि ।

(ख) रक्षा परियोजनाओं के मामले में, प्रत्येक की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनके प्रबन्ध के कार्य में समुचित रूप से हस्तक्षेप करने के लिए परियोजनाओं के विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से नजर रखी जाती है । बड़ी परियोजनाओं के लिए, जिनके पूरा होने में अधिक समय लगता है, और अधिक खर्च आता है, सरकार ने एक विशेष अन्तर-मंत्रालय पुनरीक्षण समिति का गठन किया है ।

(ग) और (घ) वार्षिक आवंटन को देखते हुए सामान की क्षति नाममात्र की है ।

दिल्ली में यातायात और परिवहन व्यवस्था के सुधारने के लिए योजनाएं

5155. **श्री विजय नवल पाटिल :**

श्री राम लखन सिंह यादव :

श्री मोहन रावले :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जुलाई, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "रोडस विल नाट टेक पे मोर बसेस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सड़कों पर सुगम यातायात सुनिश्चित करने हेतु दिल्ली में यातायात और परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए व्यापक योजना बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाये जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के लिए तीव्र जन परिवहन प्रणाली को लागू करने के लिए मैसर्स राइट्स को एक तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया था । मैसर्स राइट्स की रिपोर्ट दिल्ली प्रशासन को प्रस्तुत कर दी गई थी । भारत सरकार ने दिल्ली प्रशासन के परामर्श से तीव्र जन परिवहन प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की जांच करने हेतु दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मार्गदर्शक समिति का गठन किया है इसके अतिरिक्त

दिल्ली के उप राज्यपाल की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया है और जिसे तीव्र जन पारगमन प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की जांच करने और प्रचालन, अनुरक्षणों तथा विनियमन सहित परिवहन के सभी पहलुओं को शामिल करने के लिए केवल एक परिवहन प्राधिकरण का गठन करने का भी उत्तरदायित्व सौंपा गया है ।

दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली में यातायात और परिवहन प्रणाली में सुधार करने के लिए जो कदम उठाए हैं, वे हैं यातायात की भीड़-भाड़ कम करने के लिए यातायात परिचालन पैटर्न लागू करना, वन-वे सड़कें, संगणकीकृत क्षेत्रीय यातायात प्रणाली लागू करना आदि ।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा राजस्थान को दी गई वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

5156. श्री बाऊ दयाल जोशी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा राजस्थान को वर्ष-वार और मदवार कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ख) उस पर ब्याज दर कितनी थी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) (1) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में योजनाबद्ध ऋणों के तहत कृषि और सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए पुनर्वित्त का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(2) वर्ष 1988-89 से 1990-91 के दौरान राजस्थान में सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य सरकार को नबार्ड द्वारा मंजूर अल्पावधिक, मध्यम अवधि और दीर्घावधिक ऋण सीमाओं की राशि संलग्न विवरण-II में दर्शायी गई है।

(ख) बैंकों को दिए गए पुनर्वित्त और हिताधिकारियों को बैंक ऋणों पर लागू ब्याज दरों को संलग्न विवरण-III में दर्शाया गया है ।

विवरण-I

पिछले 3 वर्षों के दौरान राजस्थान में योजनाबद्ध ऋणों के अन्तर्गत कृषि और सम्बद्ध कार्यों के लिए नबार्ड द्वारा उपलब्ध पुनर्वित्त का प्रयोजन-वार ब्यौरा।

(लाख रुपए में)

प्रयोजन	वर्ष		
	1988-89 (जुलाई-मार्च)	1989-90 (अप्रैल-मार्च)	1990-91 (अप्रैल-मार्च)
लघु सिंचाई	1778	2473	2256
भूमि विकास	257	78	16
फार्म पंजीकरण	1182	1833	2266
वृक्षारोपन/बागवानी	23	53	33
मुर्गी/भेड़/सूअर पालन	34	141	101
मत्स्ययन	1	2	1
डेयरी विकास	18	81	101
भण्डारण और विवरण यार्ड	188	262	204
वानिकी	1	3	1
गोबर गैस प्लांट	2	1	1
अन्य	237	26	33
आई. आर. डी. पी.	1640	3191	2651
अति लघु (एन. एफ. एस.)	—	642	380
जोड़	5361	8786	8044

विवरण-II

वर्ष 1988-89 से 1990-91 के दौरान नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों/राज्य सरकार और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राजस्थान सरकार को दिए गए अल्पावधि, मध्यावधिक और दीर्घावधिक (गैर योजना बद्ध) ऋण सीमाओं और उसके अन्तर्गत अधिकतम बकाया

सहकारी बैंक (करोड़ रुपए)

क्रम सं०	प्रयोजन (ब्याज दर और चलन अवधि सहित	1988-89		1989-90		1990-91	
		मंजूर सीमा	बकाया	मंजूर सीमा	बकाया	मंजूर सीमा	बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8
	I अल्पावधिक						
1.	मौसमी कृषि कार्य (3% से 5% तक (जुलाई-जून)	133.50	100.67 (30.6.89) (अधिकतम)	142.95	114.68 (30.6.90) (अधिकतम)	131.65	108.08 (31.7.90) (अधिकतम)
2.	हथकर्घा उत्पादों का उत्पादन और विपणन (बैंक दर से $12\frac{1}{2}$ % कम) (अप्रैल मार्च)	0.07	शून्य	0.05	शून्य	शून्य	शून्य
3.	उर्वरकों की खरीद और संतितरण (बैंक दर से 1% अधिक) (जनवरी-दिसम्बर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	4.39	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	सूत और कपास सहित फसल की बिक्री (बैंक दर) (जुलाई-जून)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3.75	शून्य
	II मध्यावधिक						
1.	कृषि कार्य के लिए मंजूर (बैंक दर से 3% कम) (जनवरी-दिसम्बर)	1.55	3.87 (दिसम्बर 88)	0.59	2.25 (दिसम्बर 89)	0.33	1.02
2.	कमी वाले क्षेत्रों के अल्पावधिक ऋणों को मध्यावधिक ऋण में इदलना, पुनः चरणबद्ध करने सहित 3% पर (जुलाई-जून)	1.38	63.75*	42.20	66.54*	23.09	62.16*
	III दीर्घावधि						
1.	सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पंजी के अंशदान के लिए राज्य सरकारों की ऋण (6 प्रतिशति की दर से) (अप्रैल-मार्च)	2.72	16.84* (31.3.89)	1.37	16.64* (31.3.90)	3.40	18.06* (31.3.91
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक						
1.	एस. टी. मौसमी कृषि परिचालन (ब्याज दर 5 प्रतिशति)	2.75	2.23	1.69	2.26*	2.42	2.13
2.	एम. टी. [illegible] उत्पादन कार्यक्रम (ब्याज दर [illegible]%)	0.04	0.04	0.07	0.04	0.04	0.04

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	एस. टी. मौसमी कृषि परिचालनों के अलावा	0.26	0.11	—	0.11*	0.03	0.03*
4.	एम. टी. गैर योजनाबद्ध (ब्याज दर 3% बैंक दर से नीचे)	4.20	15.67	2.52	12.59*	1.69	9.62*
5.	एम. (परिवर्तन) (ब्याज दर 5 प्रतिशत	0.12	0.43*	0.12	0.38*	—	0.36*

* पिछले वर्ष के बकाया सहित

विवरण-III

बैंकों के लिए पुनर्वित्त पर लागू ब्याज दर और हिताधिकारियों को बैंक ऋण

(क) 22 सितम्बर, 1990 से पहले

क्रम सं. उद्देश्य	ब्याज दर	
	अन्तिम उधारकर्ता	राष्ट्रीय बैंक पुनर्वित्त
1. लघु सिंचाई और भूमि विकास	10%	6.5%
2. **विविध प्रयोजन**		
(क) आई. आर. डी. पी. (ख) छोटे किसान (राष्ट्रीय बैंक की परिभाषा) के अनुसार) (ग) गोबर गैस	10%	6.5%
(घ) अन्य	12.5%	8%

(ख) 22 सितम्बर 1990 से

(% वार्षिक)

मंजूर ऋण का आकार	ब्याज दर	
	अन्तिम लाभार्थ	राष्ट्रीय बैंक पुनर्वित्त
7500 तक और उसे शामिल कर	10.0	6.5
7500 रु. से अधिक 15000 रु. तक	11.5	
5000 रु. से अधिक 25000 रु. तक	12.0	
25000 रु. से अधिक 50000 रु. तक	12.00	
50000 से रु. अधिक	14.00	9.5

(ग) 22 सितम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों के मामले में पुनर्वित्त वर्ग के 8% ब्याज वाले सभी बकाया राशि पर, बैंकों से 9.5% ब्याज लिया जाएगा बशर्ते कि बैंक ऋणों पर मूल ब्याज दर लें और तदनुसार ही राष्ट्रीय बैंक को सूचित करें।

गैर योजनागत ऋण

(क) 1-3-1988 से राष्ट्रीय बैंक द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिए लिए जाने वाले ब्याज दर को अनुबन्ध-II में दिखाया गया है। अल्पावधिक ऋण (मौसमी कृषि कार्य) सीमाओं के मामले में केन्द्रीय सहकारी बैंकों से लिया जाने वाला ब्याज निम्नलिखित आधार पर निर्धारित किया जाता है :—

राष्ट्रीय बैंक से औसत ऋणों के प्रतिशत की तुलना में वर्ष के दौरान सी. सी. बी. स्तर पर औसत बकाया	पुनर्वित्त पर प्रभारित अन्तिम ब्याज दर
80% और अधिक	5.00
60% और अधिक परन्तु 80% से कम	4.00
60% से कम	3.00

(ख) सी. सी. बी. को मंजूर सीमाओं पर वर्ष, 1990-91 के दौरान प्रभारित अन्तिम ब्याज दर निम्नलिखित है :—

सी. सी. बी. की संख्या	प्रभारित अन्तिम ब्याज
19	3%
4	4%
2	5%

(ग) मध्य अवधि (परिवर्तनीय) के मामले में ब्याज दर वही है जैसा कि परिवर्तित एस. टी. (एस. ए. ओ.) ऋणों के मामले में लिया जाता है।

सोवियत संघ के साथ रुपए में व्यापार करने सम्बन्धी समझौता

[अनुवाद]

5157. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अगस्त, 1991 के "इकानामिक टाइम्स" में सोवियत डिसलाइक फार रूबल ट्रेड डिलिंग पावर, स्टील प्रोजेक्टस "शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान दीर्घकालीन समझौते के अन्तर्गत, जो 1995 में समाप्त होगा, सोवियत संघ के साथ अपरिवर्तनीय रुपया व्यापार समझौते को जारी रखने के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का सोवियत-संघ को निर्यात करने वाले निर्यातकों को अन्य देश के बाजारों में अपना माल भेजने की सलाह देने अथवा सचेत करने का विचार है; और

(घ) विदेशों को भेजे जाने वाले माल के शीर्ष के अन्तर्गत 1990 और 1991 में आज तक सोवियत संघ को निर्यात की जाने वाली मात्रा सहित विभिन्न वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) रुपया व्यापार प्रबन्ध को लाभकारी पाया गया है । भारत तथा सोवियत संघ के बीच मौजूदा द्विपक्षीय समाशोधन प्रबन्ध होने से सोवियत संघ को किए जाने वाले भारतीय निर्यातों का स्तर निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि सोवियत संघ से भारत को कितनी राशि का निर्यात हुआ तथा सोवियत संघ पर ऋणों का पुनर्भुगतान बकाया है । व्यापार की संभावनाओं की द्विपक्षीय बैठकों में समय-समय पर समीक्षा की जाती है ।

(घ) एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

विवरण

क्रमांक	वस्तु समूह	1990 (अनन्तिम)	1991 (अनन्तिम) (जनवरी-मई)
1	2	3	4
			(रु./करोड़)
1.	कृषिगत उत्पाद	2084	430
2.	खनिज पदार्थ तथा अयस्क	67	2
3.	रासायनिक पदार्थ तथा सम्बद्ध उत्पाद	1039	459

1	2	3	4
4.	चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद	301	156
5.	वस्त्र	752	307
6.	इंजीनियरी सामान	1049	352
7.	अन्य	113	23
	योग :	5405	1729

(स्रोत : वाणिज्यिम जानकारी तथा सांख्यकीय महा निदेशालय कलकत्ता)

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 को चौड़ा किया जाना

[हिन्दी]

5158. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी से गाजीपुर होकर गोरखपुर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 29 को चौड़ा करने का कोई प्रवधान रहा है,

(ख) यदि हां, तो उक्त राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए काम कब शुरू किय गया था;

(ग) काम के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

जल भूतल-परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 29 के एक लेन वाले राजमार्ग को पहले ही चौड़ा करके दो लेन में परिवर्तित कर दिया गया है।

(ख) से (घ) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने का कार्य खंडों में किया जाता है, जो यातायात की सघनता के अनुसार प्राथमिकता और ससाधनों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है। रा. रा. 29 पर दो लेन बना कर चौड़ा करने का पहला कार्य 1972 में वाराणसी के निकट के खंड में शुरू किया गया था। अन्तिम कार्य की स्वीकृति 1987 में दी गई थी और चौड़ा करने के सभी कार्य अब पूरे हो चुके हैं।

आन्ध्र प्रदेश में वस्त्रों का उत्पादन

]अनुवाद]

1558. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली** :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में वस्त्र उद्योग की उत्पादकता अन्य दक्षिणी राज्यों की तुलना में बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) चार दक्षिणी राज्यों में आन्ध्र प्रदेश का स्थान यार्न की उत्पादकता के मामले में तीसरा तथा कपड़े के मामले में चौथा है।

(ख) कुछ दक्षिणी राज्यों की तुलना में आन्ध्र प्रदेश की उत्पादकता कम होने के अनेक कारण हैं जैसे जटिल किस्म की मशीनें, कम श्रमिक उत्पादकता, मिलों का बन्द होना, क्षमता का कम उपयोग तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धी अन्य कठिनाईयां। वस्त्रों के उत्पादन में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत सहायता, नोडीय अभिकरणों द्वारा रुग्ण मिलों का पुनरुद्धार आदि शामिल हैं। अभी तक 31-3-1991 की स्थिति अनुसार आधुनिकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश में 28 मामलों 34.38 करोड़ रु. की राशि वितरित की गई है (जिसमें 0.51 करोड़ रु. का विशेष ऋण यदि शामिल है)। इसके अतिरिक्त नोडीय अभिकरण ने आन्ध्र प्रदेश में अभी तक 11 मिलों की जांच की है जिनमें से 3 मिलों को अर्थक्षम, 3 मिलों को गैर-अर्थक्षम पाया गया है तथा बाकी मामलों में अभी निर्णय लिया जाना है। इसके साथ ही 9 मिलों को बी. आई. एफ. आर. के पास पंजीकृत भी किया गया है।

गोआ से लोह-अयस्क का निर्यात

5160. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांत्ये** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, 1990-91 के दौरान गोआ से लोह अयस्क का श्रेणीवार कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और कितने रुपए मूल्य का;

(ख) लोह-अयस्क के निर्यातकों को इस समय क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है;

(ग) क्या गोआ से लोह-अयस्क के निर्यात को और अधिक प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सरकार का विचार निर्यातकों को और अधिक प्रोत्साहन देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) एक विवरण-पत्र संलग्न ।

(ख) लोह अयस्क के निर्यात, निर्यात के एफ. ओ. बी. मूल्य के 30% की दर से एक्जिसरिक्रप्स और संसाधित लोह अयस्क के निर्यात के मामले में इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80 एच. एच. सी. के तहत कर रियायत के पात्र हैं ।

(ग) और (घ) मौजूदा निर्यात प्रोत्साहन पर्याप्त समझ गए हैं ।

विवरण

मात्रा लाख मी. टनों में

मूल्य करोड़ रुपए में

गोवा शिपर्स द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान गोवा के लोह अयस्क को ग्रेड-वार निर्यात

फाइन्स (ग्रेड)	(क्वालिटी)	मूल्य
63/63%	34.23	91.44
62/62%	54.26	140.40
62/60%	1.19	2.89
61/61%	5.60	13.86
60/60%	8.29	18.89
59/59%	1.32	3.06
58/58%	0.95	2.05
53/48%	1.67	3.24
57/57%	0 84	1.44
	108.35	277.27

लम्प्स (ग्रेड)		
63/63%	3.80	11.81
61/61%	1.58	4.43
60/59%	3.91	9.89
61/60%	1.19	3.19
58/57%	1.21	2.11
	11.69	31.43
कुल योग :	120.04	308.70

एम. एम. टी. सी. द्वारा गोवा से वर्ष 1990-91 के दौरान लोह अयस्क के ग्रेडवार

फाइन्स (ग्रेड)	निर्यात	
58/58%	0.35	1.07
62/60%	0.83	1.76
एच. डी. ए.	0.21	0.72
65/63%	8.53	22.25
9.92	9.92	25.00
लम्प्स (ग्रेड)		
62/60%	0.83	2.74
65/63%	0.55	1.84
	1.38	4.58
कुल योग :	11.30	30.38

राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी के कैडेट

5161. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** :

रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी में वर्षवार कितने कैडेटों को प्रवेश दिया गया है; और

(ख) सैनिक स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आई. सी. एस. सी. और राज्य बोर्डों जैसी विभिन्न शिक्षा पद्धतियों द्वारा ली गई अर्हक परीक्षाओं के आधार पर चुने गए कैडेटों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) पिजले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश पाने वाले कैडेटों की संख्या इस प्रकार है :—

1988	—	625
1989	—	587
1990	—	615

(ख) विभिन्न शिक्षा पद्धतियों द्वारा ली गई अर्हक परीक्षाओं आधार पर चुने गए कैडेटों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	1988	1989	1990
सैनिक स्कूल	140	85	68
केन्द्रीय विद्यालय	159	177	188
मिलट्री स्कूल	26	20	18
राष्ट्रीय भारतीय मिलट्री कालेज	24	18	38
अन्य	263	278	288
कुल :	612	578	15
अकादमी में प्रवेश लेने के बाद उसे छोड़ने वाले कैडेटों की संख्या	13	587	15
कुल योग :	625	587	615

तमिलनाडु में नई कताई मिलें

5162- डा. श्रीमती के. एस. सौन्द्रम :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान तमिलनाडु में कितनी नई कताई मिलें स्थापित की गई और उनकी कताई क्षमता कितनी-कितनी है; और

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा इन यूनिटों को यूनिटवार और बैंक-वार कितनी-कितनी राशि के ऋण दिए गए ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 के दौरान तमिलनाडु में 5 नई कताई मिलों ने वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ किया है। क्षमता तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा एककों को दिए गए ऋण के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

	लाइसेंस प्राप्त क्षमता		ऋण (लाख रु. में)	बैंक का नाम
	तकुए	रोटर		
(1) श्री सर्वेश काटन मिल्स प्रा.) लि.	25000	—	90.00	भारतीय स्टेट बैंक, चेन्नी
(2) कुमारन मिल्स लि., यूनिट नं. 2	25000	—	35.00	इण्डियन बैंक, कोयम्बतूर
(3) एस. वी. पी. बी. स्पिनर्स प्रा. लि.	24664	336	यूनिट ने राष्ट्रीयकृत बैंक से किसी भी आवधिक ऋण का लाभ नहीं उठाया है।	
(4) सुलोचना काटन मिल्स (प्रा.) लि.	6240	—	- वही—	
(5) श्री रामाकृष्णा मिल्स (सी. बी. ई. लि., यूनिट न. 2	11616	384		
	92520	720		

सिगरेटों पर उत्पाद-शुल्क

5163. **श्री पीयूष तीरकी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल सिगरेट की लम्बाई के आधार पर ही सिगरेट पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क लगता है और इसकी उसके मूल्यों के परस्पर कोई संगति नहीं है;

(ख) क्या किसी सिगरेट निर्माता ने गत तीन वर्षों में सिगरेट की लम्बाई कम की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) उसके परिणामस्वरूप प्रत्येक मामले में प्रति हजार सिगरेट पर कितने केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क का घाटा हुआ; और

(ङ) सरकार सिगरेट निर्माताओं की इस प्रकार की चालाकी के कारण होने वाली राजस्व की हानि को किस प्रकार रोकने का विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) केवल लम्बाई के आधार पर ही फिल्टर और बिना फिल्टर वाली दोनों प्रकार की सिगरेटों पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क लगाया जाता है।

(ख) जी हां।

(ग) यथा उपलब्ध ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं;

(घ) और (ङ) निर्माता सिगरेट की लम्बाई बदलने के लिए स्वतंत्र होता है। छोटी की गई सिगरेटों पर उद्गृहीत शुल्क और लम्बाई न घटाए जाने की दशा में उद्गृहीत शुल्क के बीच के अन्तर के सम्बन्ध में यथा उपलब्ध ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

क्रम सं.	सिगरेट कम्पनी का नाम	सिगरेट ब्रांड का नाम	कम की गई लम्बाई — से	कम की गई लम्बाई — तक	वह तारीख जिसकी लम्बाई कम की गई
1	2	3	4	5	5
1.	मै. न्यू टोबैको कं. लि. कलकत्ता	कैम्ब्रिज लक्शरी (फिल्टर टिप्ड) (सी. एम. एल.)	75 मि. मी.	70 मि. मी.	08.01.90

1	2	3	4	5	6
2.	मै. आई. टी. सी. लि. बंगलौर	गोल्ड फ्लेक हनी ड्यू फिल्टर टिप्ड	72 मि. मी.	68 मि. मी.	26.07.91
3.	मै. आई. टी. सी. लि. मुंगेर	गोल्ड फ्लेक हनी ड्यू फिल्टर टिप्ड	72 मि. मी.	68 मि. मी.	26.07.91
4.	मै. हैदराबाद डेकन सिगरेट फैक्टरी प्रा. लि. लि. हैदराबाद	गोल्ड फ्लेक हनी ड्यू फिल्टर टिप्ड	72 मि. मी.	68 मि. मी.	25.07.91

विवरण-II

क्रम सं.	सिगरेट का ब्रांड नाम	कम की गई लम्बाई		कम की गई लम्बाई की सिगरेटों पर उद्गृहीत शुल्क और लम्बाई न घटाए जाने की दशा मे उद्गृहीत शुल्क के बीच अन्तर, प्रति हजार सिगरेटों के हिसाब से (वर्ष-वार)		
		से	तक	89-90	90-91	92-93
				रु.	रु.	रु.
1.	कैम्ब्रिज लक्शरी (फिल्टर टिप्ड)	75 मि. मी.	70 मि. मी.	170.40 ×	180.70	शून्य*
2.	गोल्ड फ्लैक हनी ड्यू फिल्टर टिप्ड	72 मि. मी.	68 मि. मी.	शून्य	शून्य	355.60@

× 8-1-90 से लम्बाई कम की गई है।

*कम की गई लम्बाई की सिगरेटों के उत्पादन के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

@यह सूचना मिली है कि कम की गई लम्बाई की सिगरेटों का उत्पादन 25 और 26 जुलाई, 1991 से आरम्भ हुआ है।

सिंडिकेट बैंक के कर्मचारियों का उत्पीड़न

5164. **श्री गुरुदास कामत** :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंडिकेट बैंक के कुछ कर्मचारियों को उत्पीड़ित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है या करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सिंडिकेट बैंक ने सूचित किया है कि उसने अपने किसी कर्मचारी को उत्पीड़ित नहीं किया है ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते ।

बिहार में पटसन उद्योग स्थापित करना

[**हिन्दी**]

5165. **श्री नवल किशोर राय** :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीतामढ़ी (बिहार) में एक पटसन मिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किया जायेगा ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गलहोत) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

करेंसी नोटों पर सिंधी भाषा में अंकों का मुद्रण

5166. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करेंसी नोटों पर सिंधी भाषा में अंकों का मुद्रण नहीं हुआ है यद्यपि सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं सूची में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) करेंसी नोटों पर सिंधी भाषा में अंकों का मुद्रण कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं । करेंसी नोटों पर सिंधी भाषा का अंकन अभी मुद्रित नहीं किया जा रहा है ।

(ख) करेंसी नोटों पर मूल्य अंकित करने के लिए सिंधी भाषा को इसलिए नहीं शामिल किया जा सका, क्योंकि सिंधी भाषा की अलग-अलग लिपियों का प्रचार करने वाले दो मुख्य समुदायों में कोई समझौता नहीं हो सका था ।

(ग) भाषा पैनल में अंकन के लिए सिंधी भाषा के पाठ को शामिल करने पर विचार, सिंधी लिपि के प्रयोग के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्णय हो जाने के बाद किया जाएगा।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं को ईंधन की सप्लाई

[अनुवाद]

5167. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान झींगा मछली के निर्यात में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर ईंधन सप्लाई करने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सिफारिश को कब तक कार्यान्वित करने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) वर्ष 1988-89 से 1990-91 तक श्रिम्पों के निर्यात में मात्रा और मूल्य दोनों ही रूपों में वृद्धि हुई है। जैसा कि नीचे दी गई सारणी से पता चलता है है।

मा : मात्रा मीट्रिक टन

मू : करोड़ रु. में

1988-89	मा :	56835
	मू :	470.33
1989-90	मा :	57819
	मू :	463.30
1990-91	मा :	62377
	मू :	662.93

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने मछली पकड़ने के उन जलयानों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पर हाई स्पीड डीजल आयल उपलब्ध कराने की एक योजना घोषित की है, जो एम्पीडा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है और जिनके मालिक एम्पीडा अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत नियमों के अधीन पंजीकृत निर्यातक हैं लेकिन इसके लिए शर्त यह होगी कि प्रत्येक जलयान से पकड़ी जाने वाली मछली के एफ. ओ. बी. मूल्य का 35% निर्यात करना होगा।

(घ) यह योजना । जनवरी, 1992 से मछली पकड़ने वाले जलयानों द्वारा उपयोग में लाये गये हाई स्पीड डीजल आयल के सम्बन्ध में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा । अप्रैल, 1992 से कार्यान्वित की जा रही है ।

केरल में सामान्य भर्ती केन्द्र

5168. **श्रीमती सुशीला गोपालन** :

क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सेवाओं में चयन करने हेतु केरल में सामान्य भर्ती केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है जिससे उस राज्य से आने वाले उम्मीदवारों को कठिनाई से बचाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन स्थलों का चयन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पतवार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केरल में इस समय निम्नलिखित भर्ती केन्द्र कार्य कर रहे है :—

(1) शाखा भर्ती कार्यालय, कालीकट

(2) शाखा भर्ती कार्यालय, त्रिवेन्द्रम

(3) वायु सैनिक चयन केन्द्र, कोचीन

(4) नौसेना भर्ती स्थापना, भा. नौ. पो. वेन्दुरती, कोचीन ।

भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या और राज्य की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन चार भर्ती केन्द्रों को पर्याप्त समझा गया है ।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों की मरम्मत

[हिन्दी]

5169. **श्री मृत्युंजय नायक** :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पुल बाढ़ और तूफानों इत्यादि से नष्ट हो गये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे सभी पुलों की मरम्मत करने का है;

(ग) यदि हां, तो इन पर आने वाली अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर जिन नये पुलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है उनका ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) हाल ही में उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कोई पुल बाढ़ों और चक्रवातों आदि के कारण नष्ट नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) विवरण के रूप में संलग्न सूची के अनुसार, 1991-92 के दौरान उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 19 नये पुलों को, धनराशि उपलब्ध होने की स्थिति में मंजूरी देने हेतु विचार करने का प्रस्ताव है ।

विवरण

उड़ीसा में रा. रा. पर उन पुल कार्यों की सूची जिन पर 91-92 के दौरान मंजूरी हेतु विचार करने का प्रस्ताव है

क्रम सं.	नाम तथा पुल का स्थान	अनुमानित लागत (लाख रु.)
1	2	3
1.	रा. रा. 42 पर 175/840—175/10 कि. मी. पर पुल	80.00
2.	रा. रा. 5 पर सिन्धी नाले पर पुल	30.00
3.	रा. रा. 6 पर हैबीबहाल में 537/200 कि. मी. पर पुल	30.00
4.	रा. रा. 23 पर 15.750 से 54.560 तक के मिसिंग लिंक पर चैनेज 532 पर पुल	20.00
5.	रा. रा. 23 पर 302.980 कि. मी. पर इन्दपुर नाले पर पुल	24.00
6.	रा. रा. 23 पर 325.260 कि. मी. पर बालीगोड़ नाले पर पुल	40.00
7.	रा. रा. 42 पर 217/6-8 कि. मी. पर तन्तुरा नाले पर पुल तथा सम्पर्क मार्ग	24.00
8.	रा. रा. 42 पर 234 कि. मी. पर पुल	24.00
9.	रा. रा. 5 पर रंभा बाई पास पर आर. ओ. बी.	60.00

1	2	3
	10. रा. रा. 6 पर 244.411 कि. मी. पर बेसोई बाई पास पर बेस्ती पर पुल	30.00
	11. रा. रा. 23 पर 70-71 कि. मी. पर नेसानाले पर पुल	20.00
	12. रा. रा. 23 पर 309/690 कि. मी. पर बदजीरा नाले पर पुल	40.00
	13. रा. रा. 23 पर 367/4-6 कि. मी. पर पुल	30.00
	14. रा. रा. 5 पर प्लासुवनी पुल	380.00
	15. रा. रा. 5 पर कुसई पुल	517.00
	16. रा. रा. 5 पर तालडंडा पुल	96.00
	17. रा. रा. 5 पर कठजोरी पुल	860.00
	18. रा. रा. 5 पर महानदी पुर	2320.00
	19. रा. रा. 23 पर समाकोई नदी पर पुल	250.00

तेल्लीचेरी-मैसूर राष्ट्रीय राजमार्ग

[अनुवाद]

5170. **श्री कोड्डीकुनील सुरेश :**

क्या **जल-भूतल परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल्लीचेरी-मैसूर सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था और क्या इस सड़क का विकास कार्य शुरू हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सड़क पर कार्य कब से शुरू हो जाने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कपड़ा मिलों के कार्य निष्पादन पर आधुनिकीकरण का प्रभाव

5171. **श्री ए. चार्ल्स :**

क्या **वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण पर प्रतिमिल कितनी धनराशि खर्च की गई,

(ख) क्या इन मिलों के समूचे कार्य निष्पादन पर आधुनिकीकरण का प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) 31 मार्च, 1991 अर्थात् सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत वस्त्र मिलों के लिए स्वीकृत एवं संवितरित ऋण की धनराशि निम्नोक्त अनुसार है :

	(अनन्तिम)	(करोड़ रु.)
	स्वीकृति धनराशि	संवितरित धनराशि
आधुनिकीकरण ऋण (विशेष ऋण सहित)	971.85	524.84
विदेशी मुद्रा ऋण	24.41	6.55

(ख) जी हां।

(ग) वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त एककों का भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने एक अध्ययन किया था जिसने उनकी आधुनिकीकरण योजना को क्रियान्वित किया था। इनमें से अधिकांश कताई एकक हैं। मिश्रित एककों के मामले में भी कताई विभाग को सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दिया गया था। आधुनिकीकरण के कारण मशीनरी और श्रम उत्पादकता, अपव्यय में गिरावट, बेहतर मूल्य वसूली और लाभप्रदत्ता में सुधार हुआ है। आधुनिकीकरण ने इन दोनों अर्थात् कताई तथा मिश्रित एककों को अपनी निर्यात क्षमता बढ़ाने के योग्य बना दिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में रुग्ण औद्योगिक इकाइयां

[हिन्दी]

5172. **श्री राम नरेश सिंह** :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में उन रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के नाम और स्थलों का ब्यौरा क्या है जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) द्वारा जनवरी से जून 1991 तक हाथ में लिए गये हैं; और

(ख) प्रत्येक मामले में बोर्ड द्वारा किये गये निर्णयों अथवा दिये गये निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि जनवरी-जून 1991 की अवधि के दौरान, उसने रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 15 के अंतर्गत बिहार में रुग्ण कम्पनियों से सम्बन्धित कोई नया मामला दर्ज नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों तथा पुलों का निर्माण

5173. **श्री एस. एन. वेकारिया** :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के उन राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों के नाम क्या हैं, जिन्हें राष्ट्रीय यातायात विकास परिषद् ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने की सिफारिश की है;

(ख) इनका निर्माण किन-किन क्षेत्रों में करने का प्रस्ताव है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रथम चरण में राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों का निर्माण आरम्भ करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) सरकार को "राष्ट्रीय यातायात विकास परिषद्" नामक किसी संगठन अथवा उसके द्वारा की गई सिफारिशों की कोई जानकारी नहीं है । वैसे भी 8वीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है । अतः अभी से यह बताना मुमकिन नहीं है कि गुजरात सहित सम्पूर्ण देश में 8वीं योजना के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों अथवा पुलों पर कौन-कौन से निर्माण-कार्य किए जायेंगे ।

डिन्डीगुल से कुमुली तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

[अनुवाद]

5174. **श्री आर. रामास्वामी** :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिन्डीगुल से कुमुली तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव सरकार के पास कब से लम्बित है; और

(ख) उपर्युक्त सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) (क) और (ख) डिन्दीगुल से कुमुली तक की सड़क को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने कोई विशेष अनुरोध नहीं किया है। हालांकि, जनवरी, 1991 में राज्य सरकार ने राज्य सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने के लिए कुछ प्रस्ताव भेजे थे जिनमें अन्य के साथ-साथ थोंडी-मदुरै-थैनी-कुंबम-कोट्टयाम-कोचीन सड़क भी शामिल है और इसमें प्रश्न गत सड़क का कुंबम से गुजरने वाली थैनी से कुमुली तक का थोड़ा-सा भाग शामिल है। फिर भी, आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दे दिए जाने के बाद ही नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा पर विचार किया जा सकता है जो संसाधनों की सकल उपलब्धता, नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के मानदण्ड, प्रस्तावों की पारस्परिक प्राथमिकता इत्यादि पर निर्भर करेगा। प्रसंगावश उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रस्तावों की सूची में इस सड़क को कम प्राथमिकता दी गई है।

शाहजहांपुर में राष्ट्रीय राजमर्ग पर बाईपास का निर्माण

[हिंदी]

5175. **श्री सत्यपाल सिंह यादव** :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यहा बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शाहजहांपुर होकर जाने वाले दिल्ली-लखनऊ राजमार्ग पर शाहजहांपुर में एक बाई पास का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो बाई पास का निर्माण शुरू नहीं करने के क्या कारण हैं जबकि भूमि का अधिग्रहण पहले ही किया जा चुका है; और

(ग) इस वाईपास पर निर्माण कब शुरू होने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) बाईपास के लिए आवश्यक पूरी जमीन पर कब्जा हो जाने के पश्चात् ही बाई पास का निर्माण-कार्य हाथ में लिया जाएगा बशर्ते धनराशि उपलब्ध हो। राज्य सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार भूमि के कुछ भाग का अभी अधिग्रहण किया जाना हैं।

(ग) अभी से बाई पास शुरू करने की तारीख बताना मुनासिब नहीं है।

चांदीपुर में राकेटों का परीक्षण-स्थल

[अनुवाद]

5176. **श्री अर्जुन चरम सेठा** :

क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में बालासोर जिले के चांदीपुर से कुछ आधुनिक राकेट दागे हैं;

(ख) यदि हां, तो हाल ही में जिन राकेटों का परीक्षण-किया गया उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चांदीपुर को ऐसे राकेटों का परीक्षण-स्थल बनाये जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी हां।

(ख) अपने देश में ही विकसित अनेक प्रणालियों को जैसे सतह से सतह पर मार करने वाला राकेट (पिनाका), टैंक रोधी प्रक्षेप्रास्त्र (नाग), कम दूरी का सतह से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र (त्रिशूल), मध्यम दूरी की सतह से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र (आकाश) तथा प्रौद्योगिकी प्रदर्शक प्रणाली अग्नि) चांदीपुर से छोड़ा गया है।

(ग) जी हां।

(घ) चांदीपुर में स्थापित की गई सुविधाओं का उपयोग मुख्य रूप से कम तथा मध्यम दूरी वाले राकेटों, प्रक्षेपास्त्रों तथा इसी प्रकार की प्रणालियों के उड़ान परीक्षण के लिए किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश को दीर्घावधि ऋण

[हिन्दी]

5177. **श्री राम बदन** :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश को दीर्घावधि ऋण स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह धनराशि कब जारी किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) विभिन्न परियोजनाओं के लिए कितने प्रतिशत ऋण दिए जाएंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को (i) राज्य योजनागत स्कीमों (ii) केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों (iii) लघु बचत संग्रहणों के प्रति और (iv) अन्य विशिष्ट योजनेत्तर स्कीमों के लिए दीर्घावधि ऋण सहायता प्रदान करती है। ये ऋण निर्धारित फार्मूले के अनुसार किस्तों में दिए जाते हैं। इसके अलावा, चालू वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार को कोई विशेष दीर्घावधि ऋण स्वीकृत नहीं किए गए हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उड़ीसा में औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश

[अनुवाद]

5178. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितना पूंजी निवेश किया और यह राष्ट्रीय औसत की तुलना में कितना प्रतिशत था;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उड़ीसा में पूंजी निवेश का कोई लक्ष्य निर्धारित किया था; और

(ग) यदि हां, तो बैंकों ने यह लक्ष्य किस हद तक प्राप्त किया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सम्भवतः माननीय सदस्य 7वीं पंचवर्षीय अवधि के दौरान उड़ीसा में औद्योगिक क्षेत्र को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का उल्लेख कर रहे है। योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में औद्योगिक क्षेत्र को समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जून, 1989 (अद्यतन उपलब्ध) तक दिये गये अग्रिमों की वर्षवार कुल बकाया राशि और इसकी अखिल भारत स्तर से तुलना में उसकी प्रतिशतता नीचे दी है :—

(करोड़ रुपये)

वर्ष	अखिल भारत	उड़ीसा	अखिल भारत की तुलना में उड़ीसा की प्रतिशता
दिसम्बर, 86	23305	324	1.4
जून, 87	24347	439	1.8
जून, 88	32617	591	1.7
जून, 89	38906	513	1.3

बैंकों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को वित्तीय सहायता देने के लिए कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। बहरहाल, बैंकों को अपने-अपने निवल बैंक ऋण का 40% प्राथमिकता वाले क्षेत्र को देने के लिए कहा गया है जिसमें लघु उद्योग भी शामिल हैं।

शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख यूनिटों को आई. पी. आर. एस. और आर. ई. पी लाइसेंस

5179. **श्री मोरेश्वर सावे** :

श्री के. प्रधानी :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान समय में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख यूनिटों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूरक योजना (आई.पी. आर. एस.) और आर. ई. पी. लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं;

(ख) क्या आई. पी. आर. एस. और आर. ई. पी. लाइसेंसों से प्राप्त होने वाली सुविधाओं के अभाव में इन यूनिटों को मजबूरन आयात करना पड़ता है क्योंकि विदेशी सप्लाईकर्ता उनकी उपेक्षा करने लगते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इन यूनिटों को आई. पी. आर. एस. और आर. ई. पी. लाइसेंस मंजूर करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) सौ प्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक वास्तविक निर्यातों पर अर्जित की गई निवल विदेशी मुद्रा को 30 प्रतिशत की दर से एक्जिम सक्रिय का लाभ पाने के हकदार हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कीमत प्रतिपूर्ति योजना भी उन पर लागू की जाएगी।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा लघु औद्योगिक एककों को वित्तीय सहायता

5180. **श्री एस. बी. सिदनाल** :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने बहुत छोटे और लघु उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए अपने पूर्ण नियंत्रण में एक सहायक बैंक-भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में लघु उद्योगों की सहायता करने हेतु कोई मार्ग-निर्देश तैयार किए हैं;

(ग) यदि हां, तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा तैयार की गयी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान कितने लघु उद्योगों को ऋण और सहायता दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना मुख्य वित्तीय संस्था के रूप में लघु उद्योगों के संवर्धन, वित्त पोषण तथा विकास और इसी प्रकार के कार्यकलापों में लगी संस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए अप्रैल, 1990 में की गई थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक पात्र बैंकों तथा राज्य स्तरीय संस्थानों को अति लघु क्षेत्र में कारीगरों को दिए जाने वाले अपने

तथा ग्राम और कुटीर उद्योगों को दिए जाने वाले सावधि ऋणों और लघु उद्योग क्षेत्र में अन्य एककों के सम्बन्ध में पुनर्वित्त प्रदान करता है। नए एककों को स्थापित करने अथवा वर्तमान लघु उद्योगों के प्रसार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण तथा पुनर्वास के लिए पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जाता है। 300 लाख रुपये तक की लागत की परियोजनाएं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से पुनर्वित्त सहायता के लिए पात्र हैं।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बिलों की पुनर्भुनाई प्रत्यक्ष भुनाई सुविधा उपलब्ध करता है जिसके अन्तर्गत लघु उद्योग एककों को अथवा उसके द्वारा पूंजीगत उपलब्ध उपकरण की आस्थगित भुगतान बिक्री खरीद आते हैं।

मार्च, 1991 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने अल्पावधि बिलों की प्रत्यक्ष भुनाई प्रारम्भ की है जिसके अन्तर्गत घटकों, पुर्जों आदि के बारे में विशिष्ट खरीददारों से सम्बन्धित लघु उद्योगों एककों द्वारा जारी बिलों (90 दिन की अवधि के लिए) को भुनाया जाता है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक विक्रय केन्द्रों को स्थापित करने, शो-रूम सुविधा प्रदान करने, कार्यालय उपस्कर, बिक्री वैनों और कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन धन के लिए प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करता है। राज्य औद्योगिक विकास निगमों, राज्य आधार-भूत सुविधा विकास निगमों और लघु उद्योग विकास निगमों को भू-लागत, सड़कें बिछाने के लिए, जल, विद्युत और सीवेज कनैक्शनों की व्यवस्था करने के लिए और टेलेक्स और टेलीफोन जैसी सामान्य सुविधाओं के लिए समस्त औद्योगिक क्षेत्र विकास परियोजनाओं को (300 लाख रुपये की लागत वाली) प्रत्यक्ष सहायता भी उपलब्ध कराता है।

(घ) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंकों को आशा है कि वर्ष 1991-92 के दौरान बैंक अपनी योजनाओं के तहत लगभग, 1,19,400 हिताधिकारियों को 2350 करोड़ रुपए के लगभग (अल्पावधि बिलों की खरीद के लिए वित्त के अलावा) सहायता राशि का संवितरण करेगा।

प्योर ड्रिंक्स, नई दिल्ली के पास जमा की गई राशि का भुगतान

[हिंदी]

5181. **श्री अरविंद नेताम** :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्यारे ड्रिंक्स, नई दिल्ली में ब्याज पर धनराशि जमा कराने वाले व्यक्तियों को उनकी राशि का भुगतान कराने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(ख) सरकार के पास अभी तक कुल कितनी राशि के दावे प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क की उपधारा (9) जो 1 सितम्बर, 1989 से लागू हुई, जमाकर्ताओं को उनकी अतिदेय जमाराशियों का ऐसे समय के अन्दर और ऐसी शर्तों के अन्तर्गत जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये, पुनर्भुगतान करने के लिए, कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा कम्पनियों को आदेश देने हेतु बोर्ड के समक्ष आवेदन दायर करने का अधिकार देती हैं 1 सितम्बर, 1989 से 31 मार्च, 1991 की अवधि के दौरान कम्पनी विधि बोर्ड की उत्तरी क्षेत्र की पीठ द्वारा मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (न्यू दिल्ली) लि. के जमाकर्ताओं से, ब्याज के बिना कुल 5.50 करोड़ रुपये की मूल राशि के पुनर्भुगतान से सम्बन्धित लगभग 4450 आवेदन प्राप्त हुए थे। कम्पनी विधि बोर्ड ने अभी तक कुल लगभग 1.19 करोड़ रुपये की मूल राशि से सम्बन्धित 1082 आवेदनों के लिए आदेश पारित कर दिए हैं और बोर्ड के अनुदेशों के अनुसरण में कम्पनी ने सभी अतिदेय जमाराशियों के पुनर्भुगतान के लिए एक योजना तैयार की है। 20 अगस्त, 1991 को कम्पनी को निदेश दिया गया है कि इस योजना की मुख्य विशेषताएं बताते हुए समाचार पत्रों में एक नोटिस प्रकाशित करें। इसके बाबत, यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो बोर्ड योजना की गुणवत्ता के आधार पर इसकी जांच करेगा।

शीघ्रता से निपटान करने की दृष्टि से मामले की प्रगति पर सरकार द्वारा निगरानी की जा रही है।

वाराणसी छावनी क्षेत्र में मार्ग पुनः खोलना

5182 **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी न्यायालयों को जाने वाले बौलिया-लहरतारा छावनी-वरूण पुल के प्रमुख मार्ग को जनता के लिए बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मार्ग को जन हित में पुनः खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, सुरक्षा सम्बन्धी कारणों से वाराणसी कैन्ट छावनी से गुजरने वाली भीतरी एम. ई. एस. सड़क, का एक किलोमीटर हिस्सा जो वाराणसी न्यायलय तक जाने वाली बौलिया-लहरतारा-छावनी-वरूण पुल नामक मुख्य मार्ग का भाग है, बन्द करने का प्रस्ताव है और स्थानीय प्रशासन के साथ परामर्श करके इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

उच्चतम न्यायलय में निर्णयाधीन मामले

[अनुवाद]

5183. **श्री के. वेंकटगिरि गौड़** :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान उच्चतम न्यायालय में प्रत्येक वर्ष कितने मामले निर्णयाधीन थे;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उच्चतम न्यायालय में वर्ष-वार कितने न्यायाधीश सेवारत थे; और

(ग) इस अवधि के दौरान वर्ष-वार कितने मामले निपटाए गए ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगरजन कुमारमंगलम) : (क) 31 दिसम्बर, 1988, 1989 और 1990 को उच्चतम न्यायालय में क्रमश: 199138, 203158 और 185108 मामले लंबित थे ।

(ख) 1 जनवरी, 1988, 1989 और 1990 को, उच्चयम न्यायालय में सेवारत न्यायधीशों की संख्या क्रमश: 16, 20 और 24 थी ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निपटाए गए मामलों का विवरण निम्नलिखित है :

वर्ष	निपटाए गए मामलों की सं०
1988	44252
1989	48118
1990	56243

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा दिए गए ऋण

[हिन्दी]

8184. **श्री राम नारायण बैरवा** :

श्री महासमुद्रम गजेन्द्र रेड्डी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय आवास बैंक के पास फिलहाल कुल जमा पूंजी कितनी है;

(ख) उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्हें इस बैंक ने आवास निर्माण हेतु ऋण दिया है और वर्ष-वार तथा राज्य-वार अब तक दी गई धनराशि कितनी है; और

(ग) इन संस्थाओं द्वारा कितने आवासों का निर्माण किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राष्ट्रीय आवास बैंक गृह ऋण खाता योजना के नाम से जानी जाने वाली ऋण सम्बद्ध बचत योजना द्वारा धनराशियां जमा करता है तथा राष्ट्रीय आवास बैंक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इसकी गृह ऋण खाता योजना के अन्तर्गत 5 लाख रुपए से अधिक खाते खोले गए हैं जिसमें जून 1991 के अन्त की स्थिति के अनुसार इनमें लगभग 92 करोड़ रुपए की कुल जमा-राशियां थीं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय आवास बैंक प्राथमिक ऋणदाताओं द्वारा संवितरित पात्र ऋणों के सम्बन्ध में बसके मार्गनिर्देशों के अनुसार पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पुनर्वित्त सहायता प्राप्त ऐसी संस्थाओं के नाम संलग्न विवरण में दर्शाये गए हैं। वर्ष 1989-90 से 1991-92 (जुलाई, 1991 तक) के दौरान पुनर्वित्त के संवितरण को नीचे सारणी में दर्शाया गया है :—

	वर्ष (जुलाई-जून)		(करोड़ रुपए)	
संस्थाएं	1989-90	1990-91	1991-92 (जुलाई तक)	संयची राशि (जुलाई 1991 तक)
1. अनुसूचित वाणिज्यक बैंक	8.0	20.9	2.2	31.1
2. सहकारी क्षेत्र की संस्थाएं	8.2	55.4	—	63.6
2. आवास वित्त कंपनियां (तदर्थ वित्तीय सहायता सहित)	115.5	359.5	31.4	496.4
	131.7	435.8	23.6	591.1

राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली उपर्युक्त आकड़ों का राज्वार वर्गीकरण उपलब्ध नहीं कराती हैं।

राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि लगभग 2 लाख आवासीय एककों के लिए पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराई गयी है जिनमें उन्नमन एककों और भूमिविकास परियोजनाओं के साथ-साथ शरण-स्थलों का निर्माण भी शामिल है।

विवरण

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा दी गयी पुर्नवित्त सहायता संस्थाओं के नाम

I. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

1. सिंडिकेट बैंक
2. विजया बैंक
3. बैंक आफ इण्डिया
4. बैंक आफ महाराष्ट्र
5. इण्डियन ओवरसीज बैंक
6 आंध्रा बैंक
7. इण्डियन बैंक
8. यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया।
9. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
10. यूको बैंक
11. पंजाब नेशनल बैंक
12. रत्नाकर बैंक लि०
13. सांगली बैंक लि०
14. कर्नाटक बैंक लि.
15. वैश्य बैंक लि.
16. लार्ड कृष्णा बैंक लि.
17. बैंक आफ करद लि.
18. कसर वैश्य बैंक लि.
19. बैंक आफ मदुरा लि.
20. लक्ष्मी विलास बैंक लि.
21. यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.

II. सहकारी क्षेत्र की संस्थाएं

1. केरल राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लि.

2. उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक

3. महाराष्ट्र राज्य सहकारी आवास वित्त निगम लि.

4. तमिलनाडू सहकारी आवास संघ

5. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लि.

6. विकास सहकारी बैंक लि.

7. रुपया सहकारी बैंक लि.

III. आवास वित्त कम्पनियां

1. गुजरात ग्रामीण आवास वित्त निगम

2. केन फाइनांस होम लि.

3. एस. बी. आई. होम फाइनांस लि.

4. इण्डिया हाउसिंग फाइनांस एण्ड डेवलपमेंट

5. दिवास हाउसिग एण्ड डेवलपमेंट फाइनांस लि.

6. हुडको

7. एच. डी. एफ. सी.

8. पी. एन. बी. हासिग फाइनांस लि.

9. फेयर ग्रोथ हाउसिंग फाइनांस लि.

10. एल. आई. सी. हासिंग फाइनांस लि.

11. साथा हाउसिग फाइनांस कम्पनी लि.

III तदर्थ वित्तीय सहायता

1. एच. डी. एफ. सी.

2. केन फिल होम लि.

3. एफ. बी. आई. होम फाइनांस लि.

जबलपुर में और इसके आस-पास के रक्षा कारखानों में उत्पादन

[अनुवाद]

5185. **श्री श्रवण कुमार पटेल** :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबलपुर में और इसके आसपास के विभिन्न रक्षा कारखानों, विशेष रूप से गन, कैरियेज फैक्टरी, "ग्रे आयरन फाउन्डरी", व्हिकल फैक्टरी और आॅर्डनेंस फैक्टरी" (खमेरिया) में गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन फैक्टरियों में से प्रत्येक फैक्टरी के पास उपलब्ध आर्डरों की स्थिति क्या है;

(ग) क्या जबलपुर व्हिकल फैक्टरी में कुछ उत्पादन क्षमता अनुपयुक्त पड़ी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के आर्डरों का कार्य करने के लिए इस क्षमता का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) इन निर्माणियों में विभिन्न प्रकार की मदों का निर्माण होता है जिनमें शास्त्रास्त्र, आर्टिलरी गनों के वाहन, सैन्य उपयोग के वाहन और उनके लिए ढलाई की मदें, गोलाबारूद तथा उनके खोल आदि शामिल हैं।

अधिक ब्यौरे देना लोक हित में नहीं है।

(ग) आयुध निर्माणी जबलपुर में इस समय कोई अप्रयुक्त क्षमता नहीं है।

(घ) से (च) ऊपर (ग) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न पैदा नहीं होते।

गंडक नदी पर दो लेन वाले पुल का निर्माण

[हिन्दी]

5186. **श्री ललित उरांव** :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने बिहार में समस्तीपुर-दरभंगा रोड पर गंडक नदी के समस्तीपुर-मगरदही घाट पर दो लेन वाले पुाले पुल के निर्माण का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) उपर्युक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस पुल का निर्माण कार्य कब से शुरू होने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बढ़ी हुई केन्द्रीय सड़क निधि के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर मंजूरी हेतु कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि केन्द्रीय सड़क निधि में वास्तविक वृद्धि अभी नहीं हुई है। अतः अभी से यह बता पाना मुमकिन नहीं है कि पुल का कार्य कब तक शुरू होगा।

भारतीय नौवहन ऋण और निवेश निगम का प्रबंध ढांचा

]अनुवाद]

5187. **श्री सी. पी. मुदालगिरियप्पा** :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौवहन ऋण और निवेश कंपनी का वर्तमान प्रबन्ध ढांचा किस प्रकार है;

(ख) इस संगठन का अन्तिम पर्यवेक्षी निकाय क्या है;

(ग) क्या इस संगठन को विभाजित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कंपनी एक बोर्ड के प्रबन्ध के अधीन कार्य करती है और कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत निगमित है। जबकि, निदेशक मण्डल प्रशासनिक नीतियों का निर्धारण करता है और ऋण तथा अन्य सहायता की मंजूरी प्रदान करता है, कार्यकारी प्रबन्धन कार्य उपाध्यक्ष और प्रबन्ध का निदेशक के हाथ में है, जिसे कार्यकारी निदेशक, वरिष्ठ प्रबन्धन और व्यवसायियों और संबंध कर्मचारियों के एक दल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कंपनी का उच्चतम पर्यवेक्षी तन्त्र निदेशक मण्डल है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखायें

[हिन्दी]

5188. **कुमारी बिमला वर्मा** :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जिला-शाखाएं खोली गई हैं और प्रत्येक जिले में इनकी संख्या कितनी है; और

(ख) राज्य के ग्रामीण विकास में इन बैंकों ने क्या भूमिका निभाई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश के 44 जिलों में 24 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 1600 शाखाएं हैं। शाखाओं का जिलावार वर्गीकरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि मार्च, 1990 को समाप्त ए वर्ष के दौरान मध्यप्रदेश में कार्यरत 24 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 2.26 लाख खातों में कुल 77.07 रोड़ रुपए संवितरित किए हैं जिसमें कृषि के लिए अल्पावधिक ऋण, कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों लिए सावधि ऋण तथा गैर-कृषि कार्यों के लिए सावधि ऋण शामिल हैं। मार्च, 1990 की स्थिति अनुसार बकाया अग्रिमों की राशि 9.47 लाख खातों में 268.88 करोड़ रुपए थी। इन क्षेत्रीय ामीण बैंकों ने लगभग 25 लाख खातों में 295.57 करोड़ रुपए की जमाराशियां भी जुटाई। उन्होंने ार्च, 1990 तक कमजोर वर्गों के 9.47 लाख उधारकर्ताओं को सहायता भी प्रदान की है।

विवरण

मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं का जिलावार ब्यौरा

क्र. सं.	जिले का नाम	शाखाओं की संख्या
1	2	3
1.	बालाघाट	26
2.	बस्तर	63
3.	भिंड़	
4.	भोपाल	4
5.	बिलासपुर	76
6.	छत्तरपुर	
7.	छिदंवाड़ा	35
8.	दंमोह	24
9.	दतिया	10
10.	देवास	35
11.	धार	52
12.	दुर्ग	59
13.	पूर्वी निमाड़	30
14.	गूना	34
15.	ग्वालियर	22

1	2	3
16.	होशंगाबाद	51
17.	इन्दौर	12
18.	जबलपुर	21
19.	झाबुआ	34
20.	मांडला	31
21.	मर्दसौर	32
22.	मुरैना	27
23.	नरसिंहपुर	20
24.	पन्ना	19
25.	रायगढ़	67
26.	रायपुर	74
27.	रायसेन	41
28.	राजगढ़	38
29.	राजनन्दगांव	48
30.	रतलाम	12
31.	रीवा	47
32.	सागर	33
33.	सतना	83
34.	सिहोर	8
35.	सोनी	34
36.	शाहदोल	46
37.	शाजपुर	24
38.	शिवपुरी	34
39.	सिंधी	36

1	2	3
40.	सरगोजा	83
41.	तिकमगढ़	83
42.	उज्जैन	27
43.	विदिशा	18
44.	पश्चिम निमाड़	45
	जोड़	1600

निर्यात जांच एजेंसियों को बन्द करना

[अनुवाद]

5189. **श्री अम्बारासु इरा** :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात जांच एजेंसियों के कुछ कार्यालयों को बन्द करने का है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन निर्यात जांच एजेंसियों के के कुछ अधिकारियों की छंटनी कर दी है अथवा करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन अधिकारियों को अन्य किन्हीं संगठनों आदि में खपाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) विदेशी क्रेताओं की गुणवत्ता सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यातकों को उत्तरदायी बनाने की सरकार की नीति के अनुसरण में निर्यात निरीक्षण अभिकरणों के कार्यालयों में काम कम हो जाएगा जिसके परिणामस्वरूप जनशक्ति बेशी हो जाएगी ।

(ग) से (ङ) निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कलकत्ता में विभिन्न संवर्गों में 305 बेशी पदों को समाप्त कर दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप 205 कर्मचारी आवश्यकताओं से अधिक हो गए हैं । इन कर्मचारियों को अन्य संगठनों में पुनर्नियुक्त करने के प्रयास सफल नहीं हुए । अतः बेशी

जनशक्ति को निकालने का निर्णय लिया गया है। लेकिन निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कलकत्ता के 159 कर्मचारियों ने बम्बई, कोचीन, दिल्ली तथा मद्रास स्थित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में पुनर्नियुक्त होने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है। तदनुसार, निदेशक, निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा 6 अगस्त, 1991 को इन अधिकारियों के तैनाती आदेश जारी किए गए।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना जोधपुर लिफ्ट नहर की पूंजीगत लागत में भागीदारी

5190. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** :

क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना जोधपुर लिफ्ट नहर की पूंजीगत लागत में जामनगर पद्धति पर भागीदारी के लिए निवेदन किया था; और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) जोधपुर में तैनात सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के लिए जल आपूर्ति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, रक्षा मंत्रालय ने उक्त परियोजना की पूंजीगत लागत के लिए सहायता के रूप में राजस्थान सरकार को 18.71 करोड़ रुपये का ऋण देने की सहमति दे दी है। परियोजना को कार्यान्वित करने के आनुपातिक व्यय के आधार पर, 8.836 करोड़ रुपये की राशि की पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।

न्हावा शेवा पत्तन का कार्यकरण

5191. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरू पत्तन (न्हावा शेवा पोर्ट पर प्रतिदिन कितने जहाजों से माल उतारा या उन पर माल चढ़ाया जाता है और पिछले 6 महीनों के दौरान कितने जहाजों से माल उतारा गया या उन पर माल चढ़ाया गया;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इस पत्तन को कितना घाटा हुआ;

(ग) वहां राजस्व-प्राप्ति की स्थिति में सुधार के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये गए;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त पत्तन के कार्यकरण का अध्ययन करने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) पिछले 6 महीनों के दौरान, औसतन लगभग 3 जहाज प्रतिदिन हैंडल किए गए। इस अवधि के दौरान, कुल 129 जहाज हैंडल किए गए।

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान पत्तन को 245.29 लाख रु. का प्रचालन-घाटा हुआ। तथापि, वर्ष 1990-91 के दौरान अनंतिम आंकड़े प्रचालन अधिशेष दर्शाते हैं।

(ग) कार्गो हैंडलिंग में वृद्धि करने और उसके फलस्वरूप राजस्व में वृद्धि करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिनमें उत्साहवर्धक विपणन नीति और आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करना शामिल है।

(घ) और (ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

आंध्र प्रदेश में रेशम उत्पादन का विकास

5192. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** :

क्या **वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा और पश्चिम गोदावरी जिलों में रेशम के उत्पादन में अच्छी प्रगति हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन जिलों में कुल कितनी भूमि पर रेशम का उत्पादन किया गया है;

(ग) रेशम के उत्पादन, विशेषतया कृमिकोषों की खेती और इनके विपणन के लिए कृषकों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या इन जिलों में रेशम की चखियां बनाने के एककों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, उसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान शहतूत बागानों के अन्तर्गत लाए गए क्षेत्र निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	जिला	
	कृष्णा	पश्चिम गोदावरी
		(एकड़ में)
1988-89	1486	1496
1989-90	2231	1916
1990-91	2785	2389

(ग) रेशम उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नोक्त कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं :—

(1) कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों के जरिए किसानों को प्रशिक्षण देना ।

(2) किसानों की बैठकें तथा अध्ययन दौरे ।

(3) रोग-मुक्त रेशम कीट अण्डों की आपूर्ति ।

(4) तकनीकी सेवा केन्द्रों के जरिए तकनीकी मार्गदर्शन ।

(5) बाजार के रूप में अधिसूचित विभागीय रेशम रीलिंग एककों और राज्य में नियमित कोसा बाजारों के जरिए विपणन सुविधाएं ।

(घ) और (ङ) इन जिलों के निम्नोक्त स्थानों पर रेशम रीलिंग एककों की स्थापना पहले से ही की जा चुकी है :—

(1) विजयवाड़ा	—	कृष्णा जिला
(2) तलावरोल	—	,,
(3) हनुमान जंक्शन	—	,,
(4) विजयराम	—	पश्चिम गोदावरी जिला
(5) के. आर. पुरम	—	,,

पारादीप पत्तन का विकास

5193. **श्री गोपीनाथ गजपति :**

श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोह-अयस्क के निर्यात में वृद्धि करने हेतु 1,70,000 डी. डब्ल्यू. टी. बलक कैरियरों की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने पारादीप पत्तन का विकास करने और इसे गहरा बनाने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि रखी गई है;

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय के अन्त तक सारा काम पूरा कर दिया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) लगभग

420 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से पारादीप पत्तन के जरिए 6 मिलियन टन खनिज लोहे का निर्यात् करने हेतु पत्तन सुविधाएं विकसित करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस परियोजना के मंजूरी की तारीख से 36 महीने के अन्दर पूरा होने की आशा है।

पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप और वाराणसी के बीच जलमार्ग यात्री सेवा

5194. **श्री राधिका रंजन प्रामाणिक** :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप (कपिल मुनि आश्रम) और उत्तर प्रदेश में वाराणसी के बीच जलमार्ग यात्री सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तंजौर में मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करना

5195. **श्री के. तुलसिऐया बांडायार** :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्णयाधीन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए तंजौर में मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह खंडपीठ कब तक स्थापित कर दिए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) मद्रास उच्च न्यायलय की तंजौर में न्यायपीठ स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि कब और कहां न्यायपीठ स्थापित की जाएगी।

बेहतर वसूली के लिए बैंकों को पुरस्कार

5196. **श्री चेतन पी. एस. चौहान** :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की उन शाखाओं को प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कार देने का है जो ऋणों की वसूली नब्बे प्रतिशत से अधिक तक करने में सफल हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की उन शाखाओं को प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कार देने का कोई प्रस्ताव नहीं है जो ऋणों की वसूली 90 प्रतिशत से अधिक तक करने में सफल हो जाते हैं। समय पर मंजूरी तथा ऋण का संवितरण, प्रभावी पर्यवेक्षण तथा देय राशियों की वसूली के लिए तात्कालिक प्रयास बैंकों की पर्यवेक्षण ऋण प्रबंधन तंत्र की सामान्य तथा आवश्यक पूर्वापेक्षा हैं। बैंक पदाधिकारियों से आशा की जाती है कि वे अपने सामान्य कार्य के रूप में वसूली प्रबंधन को सफल बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास करें।

निर्यात आयात और व्यापार घाटा

5197. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1987-88 1990-91 तक वर्षवार कितने रुपये का निर्यात, आयात और व्यपार घाटा हुआ;

(ख) वे कौन से देश हैं जिनके साथ 1990-91 के दौरान भारत का व्यापार संतुलन प्रतिकूल रहा है और प्रत्येक के मामले में कितने रुपए का घाटा हुआ है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान व्यापार घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यह घाटा अनुमानतः कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1987-88 से 1990-91 के दौरान वर्षवार निर्यातों, आयातों का मूल्य और व्यापार घाटा निम्न प्रकार है।

(मूल्य करोड़ रु. में)

वर्ष	निर्यात	आयात	व्यापार घाटा
1987-88	15674	22244	6570
1988-89	20232	28235	8003
1989-90 (अ)	27681	35412	7731
1990-91 (अ)	32527	43171	10644

अ: अनन्तिम

(ख) एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

(ग) व्यापार नीति में अनेक परिवर्तन किए हैं, जिनका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ करना, आयात लाइसेंसों को काफी हद तक समाप्त करना तथा आयात दबाव को अभीष्ट स्तर तक लाना है । पी. ओ. एल. तथा उपर्वको जैसे संवेदनशील मदों के अनिवार्य आयातों को पूरी सुरक्षा दी गई है लेकिन कच्चे माल एवं संघटकों के अन्य आयातों को निर्यात निष्पादन के साथ जोड़ दिया गया है । आर. ई. पी . लाइसेंसों का स्थान अब एक्सिमस्क्रिप्स नामक दस्तावेज ने ले लिया है । एक्सिमस्क्रिप्स के जरिए अब कच्चे माल, संघटकों एवं फालतू पुर्जों की कुछ किस्मों को आयात किया जा सकेगा । असूचीबद्ध ओ. जी. एल. की श्रेणी को समाप्त कर दिया गया है और इन मदों को अब केवल एक्सिमस्क्रिप्स के आधार पर ही आयात किया जा सकता है । निर्यात संवर्धन के एक साधन के रूप में अग्रिम लाइसेंस की प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है ।

(घ) आयात दबाव के लिए सरकार द्वारा किए गए अनेक उपायों के परिणाम-स्वरूप व्यापार घाटा अप्रैल-जून, 1990 में 1876 करोड़ रु. से कम होकर अप्रैल-जून, 1991 में 1502 करोड़ रु. रह गया है । यह बताना कठिन है कि कब तक व्यापार घाटा समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि यह अनेक विश्वव्यापी एवं घरेलू कारणों पर निर्भर करता है ।

विवरण

(मूल्य : करोड़ रु.)

क्रमांक	देश का नाम	1990-91 के दौरान व्यापार घाटा
1	2	3
1.	अर्जेन्टीना	110
2.	आस्ट्रेलिया	1146
3.	आस्ट्रीया	23
4.	बहरीन द्वीपसमूह	395
5.	बाहामास	1
6	बेल्जियम	1463
7.	ब्राजील	411
8.	बुल्गारिया	50
9.	बुरूनडी	6

1	2	3
10.	कनाडा	278
11.	चिली	125
12.	चाइनिज थाइपेयी	512
13.	चीन जनवारनी गणराज्य	23
14.	कोलम्बीया	38
15.	क्यूबा	8
16.	चेकोस्लाविकिया	123
17.	डोमिनिकन गणराज्य	2
18.	फ्रांस	540
19.	जर्मन संघीय गणराज्य	943
20.	गिनी	4
21.	गिनी बिसाऊ	15
22.	हंगरी	60
23.	ईरान	877
24.	इराक	452
25.	इजराइल	47
26.	इटली	93
27.	आयवरी कोस्ट	5
28.	जापान	220
29.	जोर्डन	287
30.	कोरिया गणराज्य	321
31.	कुवैत	289
32.	लोसोथी	5
33.	साइबिरिया	5
34.	लीबिया	48

1	2	3
35.	लक्समबर्ग	13
36.	मलेशिया	731
37.	म्यानमार	150
38.	मैक्सिको	165
39.	मंगोलिया	2
40.	मोरक्को	252
41.	नीदरलैंड	145
42.	न्यूजीलैंड	79
43.	न्यू कालेडोनिया	8
44.	नार्वे	6
45.	पाकिस्तान	11
46.	पपुआ न्यू जुनिया	3
47.	पेरू	28
48.	कतार	17
49.	साऊदी अरब	2479
50.	सनेगल	112
51.	सिंगापुर	751
52.	स्वीडन	194
53.	स्वीटजरलैंड	81
54.	तंजानिया	8
55.	टोगो	33
56.	ट्रीनीडाड और टोबागो	1
57.	टूनीसिया	61
58.	तुर्की	82
59.	यू. ए. ई.	1119
60.	यू. के.	797
61.	यू. एस. ए.	441

1	2	3
62.	वेनेजुला	51
63.	वीयतनाम समाजवादी गणराज्य	73
64.	यमन गणराज्य	36
65.	यूगोस्लाविया	97
66.	जायरे गणराज्य	102
67.	जाम्बिया	114
68.	जिम्बाबवे	6

हथकरघा नियंत्रण आदेश का उल्लंघन

5198. **श्री रवि राय :**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा नियंत्रण आदेश का उल्लंघन किये जाने के मामले सामने आये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान, इस आदेश का उल्लंघन करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र संत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) जी हां। विद्युत करघा मिल प्रचालकों द्वारा हथकरघा आरक्षण आदेशों के उल्लंघन के 131 मामलों का पता चला है प्रवर्तन शाखा (हथकरघा) द्वारा इन मामलों को बुक किया गया तथा क्षेत्र के सम्बन्धित पुलिस स्टेशन में एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई।

बुक किए गए मामलों की संख्या :

मुख्य प्रवर्तन कार्यालय, दिल्ली द्वारा	—	28
क्षेत्रीय प्रवर्तन कार्यालय, पुणे द्वारा	—	50
क्षेत्रीय प्रवर्तन कार्यालय, कोयम्बटूर द्वारा	—	53

(ग) और (घ) जी नहीं। माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा 30-11-1987 को जारी किए गए एक-पक्षीय रोक के कारण हथकरघा आरक्षण अधिनियम, 1985 और उसके अन्तर्गत जारी किए गए आदेश निष्क्रिय हैं।

बिहार में कताई मिलें स्थापित करना

[हिन्दी]

5199. **श्री राम शरण यादव** :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पिछड़े जिलों में कुछ कताई मिलें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में राष्ट्रीयकृत बैंकों की और अधिक शाखाएं खोलना

[अनुवाद]

5200. **श्रीमती बासवराजेश्वरी** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये हैं;

(ख) क्या कर्नाटक में राष्ट्रीयकृत बैंकों की और अधिक शाखायें खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत, बैंकों की परिचालन कार्यकुशलता, परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता तथा वित्तीय शक्ति को सुधारने के सभी प्रयासों पर बल देने के साथ-साथ सुदृढ़ीकरण का दौर जारी रहेगा। बैंक शाखाओं में वृद्धि, प्रस्तावित शाखाओं की प्रमाणित आवश्यकताओं, कारोबार संबंधी सक्षमता तथा वित्तीय अर्थक्षमता पर निर्भर करेगी। इसके अलावा, वर्तमान नीति की शर्तों के अनुसार शाखाओं का खोलना एक सतत प्रक्रिया होगी, जो इस विषय में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी लाइसेंस के द्वारा नियंत्रित होगी। अतः इस समय कर्नाटक में खोली जाने वाली बैंक की शाखाओं की संख्या का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

तमिलनाडु में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता

5201. **श्री सी. श्रीनिवासन** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा विशेष रूप से तमिलनाडु में कितने लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता दी गयी;

(ख) क्या दियासलाई उद्योग, इंट उद्योग आदि जैसे लघु उद्योग भी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने ने सूचित किया है कि अप्रैल, 1990 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना हो जाने से लघु उद्योग क्षेत्र को सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने ले भी है। 1990-91 के दौरान, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तमिलनाडु में 12,732 लघु उद्योग एककों को सहायता मंजूर की है।

(ख) और (ग) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दियासलाई उद्योग और इंट उद्योग सहित सभी प्रकार के लघु उद्योग एककों को सहायता प्रदान कर रहा है। इसमें मिश्रित ऋण योजना तथा राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना भी शामिल हैं, जो विशेषरूप से ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कारीगरों और अति लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई हैं।

(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि वह अपनी संवर्धनात्मक गतिविधियों के भाग के रूप में तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन के लिए निरन्तर वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लघु एवं अति लघु एकक स्थापित करने में ग्रामीण व्यक्तियों की मदद करने के लिए विशेष रूप से संकेन्द्रित ग्रामीण उद्यमवृत्ति विकास कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमवृत्ति विकास के संवर्धन को सहायता और प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक स्वैच्छिक एजेंसियों को औद्योगिक क्षेत्र में विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं भृत्ति (वेज) रोजगार के उनके कार्यों में चयनात्मक आधार पर भी सहायता प्रदान कर रहा है।

आई. एल. 76 विमान

5202. **श्री वो. एस. विजयराघवन** :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई. एल. 76 विमान भारतीय परिस्थितियों में काम करने के उपर्युक्त पाये गए हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या विमान में कोई फेर-बदल किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इंजन में गड़बड़ी होने के कारण अब तक ऐसे कितने विमानों को खड़ा कर दिया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) इंजन की खराबी के कारण तीन वायुयानों को उपयोग में नहीं लाया जा रहा है।

केरल में रबड़ बोर्ड की मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं

5203. **श्री रमेश चेन्नित्तला** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में मृदा परीक्षण हेतु रबड़ बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों से सम्बन्ध नई प्रयोगशालाएं शुरू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय कितनी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं ।

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) इस समय देश भर में नौ मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं अस्तित्व में हैं । दसवीं मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कर्नाटक में मंगलोर में स्थापित करने के संबंध कार्रवाई की जा रही है । अभी किसी और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

नागापट्टिनम से सिंगापुर तक यात्री नौवहन सेवा

5204. **डा. (श्रीमती) पद्मा** :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नागापट्टिनम से सिंगापुर तक यात्री नौवहन सेवा को पुनः शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

जल-भूतल परिवन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड द्वारा नागापट्टिनम से सिंगापुर तक यात्री नौवहन सेवा चलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह प्रस्ताव आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है। तथापि, यदि कोई प्राइवेट पार्टी इस सेवा को चलाना चाहे तो सरकार इस पर अनुकूल दृष्टि से विचार करेगी।

राज्य व्यापार निगम में कर्मचारियों की छंटनी

5205. **श्री अनादि चरण दास** :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम का अपने फालतू कर्मचारियों की छंटनी करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाने का विचार है;

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के हितों की रक्षा कैसे की जाएगी;

(ङ) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा छंटनी किए जाने वाले सभी कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र के कुछ अन्य उपक्रमों में नौकरियों पर लगाया जाएगा;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) राज्य व्यापार निगम (एन. टी. सी.) में कर्मचारियों की छंटनी करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

पोलिस्टर कपड़े के मूल्य में वृद्धि

[हिन्दी]

5206. **श्री राजवीर सिंह** :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान पोलिस्टर कपड़े के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि हुई; और उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) मौजूदा समय में पोलिस्टर वस्त्र की कीमतों पर कोई सांविधिक द्वारा नियंत्रण नहीं है ये मांग-पूर्ति तथा उपभोक्ता पसंद की शक्तियों शासित होती है । सरकार द्वारा पोलिस्टर के मूल्यों की समीक्षा की जाती और जब भी आवश्यक होता है, सरकार उपचारी उपाय करती है । सरकार ने विगत में पोलिस्टर फिलामेंट यार्न के कताई कर्ताओं एवं बुनकरों के साथ वार्ताएं की थीं तथा इसके फलस्वरूप पोलिस्टर ब्लैंडिड फैब्रिक के उत्पादन के लिए बुनकरों को उचित मूल्यों पर यार्न की सप्लाइ किया जाना संभव हुआ । पिछले दो वर्षों के दौरान निविष्टियों की लागत में बारम्बार आये उतार-चढ़ाव तथा अन्य लागत कारकों के कारण जून 1989 तथा जून 1991 के बीच पोलिस्टर अंश वाले चुनिंदा प्रकार के फैब्रिक्रों के फुट-कर मूल्यों अनेक बार वृद्धि हुई । फिर भी यह 13 प्रतिशत ही थी । इसके अतिरिक्त सरकार महसूस करती है कि ऐसे वस्त्रों के मूल्यों के निर्धारण की छूट बाजार वालों को होनी चाहिए जहां कि मिल क्षेत्र साथ-साथ हथकरघा क्षेत्र के एककों के मध्य परस्पर प्रतिस्पर्धा होने के कारण कुछ हद तक मूल्यों को नियंत्रण में रखा जाता है

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी एसोसिएशन की मांगें

[अनुवाद]

5207. **श्री अर्जुन सिंह यादव** :

श्रीमती बसुन्धरा राजे :

श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जुलाई 1991 के अन्तिम सप्ताह में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी एसोसिएशन से कोई मांग पत्र मिला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धों ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनकी मांगों पर कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की अनेक यूनियनों तथा एसोसिएशनों से सरकार को मांगें प्राप्त होती रही हैं।

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यूनियनों एसोसिएशनों की मांगों में अन्यों के साथ-साथ, निम्न-लिलिखित शामिल हैं—

(i) भारतीय ग्रामीण बैंक का गठन

(ii) राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के अधिनिर्णय का क्रियान्वयन,

(iii) क्षेत्री ग्रामीण बैंकों के पदों का प्रायोजक बैंकों के पदों के साथ समीकरण में और फिटमेंट फार्मूला में तथाकथित विषमताओं को दूर करना।

(iv) प्रायोजक बैंक के वेतनमानों में वेतन नियतन किए जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न वेतन आदि के बकाया का भुगतान।

(v) अस्थाई तथा अंशकालिक संदेशवाहक को नियमित करना।

(vi) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए ग्रामीण प्रतिपूरक भत्ते की स्वीकृति।

(ग) से (ङ) भारतीय ग्रामीण बैंक के गठन के बारे में सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण ने अपना अधिनिर्णय 30-4-1990 को दिया था तदुपरान्त, सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पदों का प्रायोजक बैंक के पदों के साथ समीकरण करने के लिए एक समीकरण समिति का गठन किया था ताकि अधिकरण के अधिनिर्णय के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को प्रायोजक बैंक के वेतमान के समान वेतन दिया जा सके। अधिकरण के अधिनिर्णय तथा समीकरण समिति की शिफारिशों को मंजूर कर लिया गया है। 1-9-87 से प्रायोजक बैंक के समान वेतनमानों की स्वीकृति देते हुए, सरकार ने 22-2-1991 को आदेश जारी कर दिए थे। नए वेतनमानों में वेतन नियत कर दिए जाने के फलस्वरूप, कर्मचारियों को 1-1-1991 तक वेतन के बकाया का भुगतान कर दिया गया है। 1-9-89 से 31-12-90 की अवधि के लिए बकाया के भुगतान के लिए क्रियाविधि पर भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा विचार किया जाएगा। समीकरण समिति ने सिफारिश की थी कि प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष अंशकालिक संदेशवाहकों के कार्य-समय के बारे में स्थिति का पता लगाए तथा उन्हें संबंधित प्रायोजक बैंक में उसी कार्य समय के लिए कार्यरत अंश-कालिक अथवा पूर्ण-कालिक संदेश वाहकों के साथ समता प्रदान करें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की पदोन्नति नीति तथा सेवा नियमों को बनाने तथा किसी अन्य संबंधित मामाले में ध्यान देने के लिए भी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में हाल ही में एक कार्य-दल बनाया गया है।

उड़ीसा में तटरक्षक जिला मुख्यालय की स्थापना

5208. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र** :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में तटरक्षक जिला मुख्यालय की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) उड़ीसा में पारादीप में एक तटरक्षक जिला मुख्यालय पहले स्थापित किया जा चुका है और यह मुख्यालय 7 फरवरी; 1991 से कार्य कर रहा है।

विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अनिवासी भारतीयों से ऋणों पर ब्याज की दरें

5209. **श्री के. प्रधानी** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक द्वारा छोटी, मध्यम और दीर्घ अवधि के ऋणों के लिए ली जाने वाली ब्याज की दरें क्या हैं; और

(ख) समान अवधियों के लिए अनिवासी भारतीयों की जमा राशियों पर ब्याज की दरें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ब्याज दरों का निर्धारण समय-समय पर प्रचलित एस. डी. आर. ब्याज दरों के आधार पर कुछ समायोजनों सहित किया जाता है। इस समय यह दर 8.62 प्रतिशत वार्षिक है।

जून, 1991 को समाप्त होने वाले सत्र के दौरान परियोजनाओं के उधारों की लागत से जुड़ी विश्व बैंक की नई परिवर्तनीय उधार दर 7 73 प्रतिशत वार्षिक थी।

(ख) चालू दरें निम्न प्रकार से हैं :—

(प्रतिशत प्रतिवर्ष)

मुद्रा	छमाही	एक वर्ष	दो वर्ष	तीन वर्ष
(क) विदेदेशी मुद्रा अनिवासी खाता				
पाउंड स्टर्लिंग	13.25	13.25	13.25	13.25
अमरीकी डालर	7.50	8.00	8.50	9.00
डयूश मार्क	10.00	10.25	10.50	10.50
जापानी येन	8.50	8.50	8.50	8.50
(ख) अनिवासी बाह्य-दरें	8.50	10.50	11.00	13.00

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का बकाया ऋण

[हिंदी]

5210. श्री साईमन मरांडी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1991 से 31 जुलाई, 1991 तक निम्न आय वर्ग के लोगों के विरुद्ध बकाया ऋण की किणनी धनराशि विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा माफ की गई थी;

(ख) सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ऐसी कितनी बकाया ऋण धनराशि है जिसकी वसूली अभी तक नहीं की गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना (ए. आर. डी. आर. एस.) 1990 के अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 27 जुलाई, 1991 तक माफ किए गए ऋणों की कुल राशि 37.26 लाख खातों में कुल मिलाकर 811.14 करोड़ रुपये है जिसमें मुख्य रूप से समाज के कमजोर वर्गों से सम्बन्धित व्यक्ति हैं । मार्च, 1991 के अन्त की स्थिति के अनुसार (अद्यतन उपलब्ध) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अग्रिमों को कुल बकाया राशि मार्च, 1990 के अन्त की स्थिति के अनुसार 3554.04 करोड़ रुपए की तुलना में 3548.01 करोड़ रुपये थीं । उस समय अतिदेय राशियां 937 करोड़ रुपये की थी । गत कुछ वर्षों के दौरान समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की मांग की तुलना में वसूली की प्रतिशतता संतोषजनक नहीं रहीं । समाज के कमज़ोर वर्गों से सम्बन्ध होने के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ग्राहक उत्पादन सम्बन्धी प्रक्रिया में विपरीत मौसमी परिस्थितियों या किसी अन्य नकारात्मक घटकों से आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित होते हैं । भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यों में गुणात्मक परिवर्तन लाने के उपाय करता है ।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण शिविरों का आयोजन

[अनुवाद]

5212. डा. जी. एल. कनोजिया :

श्री बलराज पासी :

क्या वित्त मन्त्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण देने की गति बढ़ाने के लिए ऋण शिविरों का आयोजन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न बैंकों द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान और वर्तमान वर्ष में अब तक आयोजित ऋण शिविरों का ब्यौरा क्या है और गरीब वर्ग के लोगों को शिविर-वार और राज्य-वार कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण शिविरों के माध्यम से ऋणों के संवितरण के लिए कोई योजना नहीं बनायी है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, कैम्पों का आयोजन, बैंकों तथा सरकारी एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय कायम करने के लिए किया जाता है जहां हिताधिकारी अपने आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अभिवेदन कर सकें। सरकारी क्षेत्र के बैंक स्वयं भी कमजोर वर्गों को त्वरित ऋण सहायता देने के उपायों के रूप में ऋण शिविर आयोजित कर सकते हैं। बैंकों की आंकड़ा सूचना प्रणाली, देश के विभिन्न भागों में लगाए गए इस प्रकार के शिविरों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं कराती है। फिर भी मार्च 1991 के अन्त की स्थिति के अनुसार (अद्यतन सपलब्ध) सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को दिया गया कुल बकाया अग्रिम 247 लाख ऋण खातों में 10260.08 करोड़ रुपए था।

वाणिज्यिक पोत अधिकारियों का विदेशी जहाजों में जाना

5213. **श्री अन्ना जोशी** :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक पोत अधिकारियों के विदेशी जलपोतों में जाते रहने के कारण राष्ट्रीय बेड़े में जनशक्ति की बड़े पैमाने पर कमी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने अधिकारियों ने राष्ट्रीय बेड़े को छोड़ा और उनके प्रशिक्षण पर कितना खर्च हुआ था; और

(घ) उनको बाहर जाने से रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) काफी संख्या में अधिकारियों का भारतीय जहाजों से विदेशी जहाजों में चले जाने का मुख्य कारण विदेशी जहाजों में अधिक पारिश्रमिक का मिलना है।

(ग) चूंकि विदेशी जहाजों पर अधिकारियों की भर्ती सरकारी एजेंसियों के माध्यम से नहीं की जाती बल्कि विदेशी नौवहन कम्पनियों द्वारा सीधे की जाती है, अतः विदेशी जहाजों में जाने वाले भारतीय अधिकारियों की संख्या सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सरकार द्वारा ट्रेनिंग-शिप राजेन्द्र के प्रत्येक कैडेट पर लगभग 1.47 लाख रु. और मैरीन इंजीनियरी प्रशिक्षण निदेशालय के प्रत्येक कैडेट पर 99,000/रु. खर्च किए जाते हैं।

(घ) इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

(i) नए "कन्टीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट" (सी. डी. सी.) जारी करना केवल उन्हीं अधिकारियों के लिए सीमित कर दिया गया है जो भारतीय जहाजों में जाना चाहते हैं। शुरू से ही विदेशी जहाजों में जाने के इच्छुक अधिकारियों को सी. डी. सी. नहीं दिया जाता है।

(ii) भारतीय जहाजों पर अधिकारियों और कर्मीदल को प्राप्त होने वाले परिश्रमिक में सुधार करने के लिए सरकार ने आयकर अधिनियम की धाराओं (6) (1) (ग) और 80 आर. ए. के. अन्तर्गत उनके आयकर की गणना करते समय कुछ रियायतें दी हैं।

अप्रवासी भारतीयों की जामा रशि

5214. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1991 को विदेशी मुद्रा में अप्रवासी भारतीयों की कुल कितनी जमाराशि दर्ज की गई;

(ख) क्या हाल के महीनों के दौरान जमाकर्ताओं द्वारा यह राशि वापस लिए जाने के परिणामस्वरूप इस जमाराशि में गिरावट आ गई है; और

(ग) यदि हां, तो 16 अगस्त, 1991 की स्थिति के अनुसार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) अनिवासी (बाह्य) खाते और विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते में 31 मार्च, 1991 को अनिवासी भारतीयों द्वारा धारित कुल 20727 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा निक्षेप थे। ये निक्षेप (क) विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों में, जो प्रमुखतः अमेरिकी डालर, पौंड स्टर्लिंग, ड्यूश मार्क, जापानी येन में हैं, और (ख) अनिवासी (बाह्य) खातों में हैं जो प्रमुखतः रुपयों में हैं परन्तु दुर्लभ मुद्रा में परिवर्तनीय हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। जुलाई, 1991 के अन्त तक, विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों में शेष राशियों में अर्थात् अमेरिकी डालर में (84.4 करोड़ रुपए) ड्यूश मार्क में (– 24.8 करोड़ रुपए) और जापानी येन में (—2682.9 करोड़ रुपए) थोड़ी कमी हुई है परन्तु पौंड स्टर्लिंग शेष राशियों में (—10.5 करोड़ रुपए की) वृद्धि हुई है।

भारत-जापान सहयोग

5215. **श्री मोहन रावले** :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जापान भविष्य में जिन क्षेत्रों में सहयोग करने जा रहे हैं उन पर

विचार-विमर्श करने के लिए अगस्त, 1991 के प्रथम सप्ताह के दौरान एक उच्च स्तरीय जापानी दल ने भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो जापानी दल के साथ आयोजित वार्ता का क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) क्या उन क्षेत्रों की पहचान की गई है जिनमें जापान सहयोग करेगा और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जापानी प्रतिनिधियों ने छोटी तथा लम्बी अवधि के आधार पर देश में कितना पूंजी-निवेश करने की सहमति प्रकट की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर : (क) और (ख) जुलाई, 1991 में श्री ईम यामसिता के नेतृत्व में एक जापानी शिष्टमंडल भारत के दौरे पर आया था। उक्त शिष्टमंडल ने 23 जुलाई, 1991 को उद्योग राज्य मन्त्री के साथ शिष्टाचार मुलाकात की।

(ग) जापानी सहयोग के लिए किसी भी क्षेत्र का निर्धारण नहीं किया गया है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राजस्थान में बैंकों द्वारा थोक व्यापारियों को दिये गये ऋण

[हिन्दी]

5216. **श्री दाऊ दयाल जोशी** :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में थोक व्यापारियों को बैंकों द्वारा वर्ष-वार और बैंक-वार कितनी राशि के ऋण मंजूर किए गए; और

(ख) ऐसे थोक व्यापारियों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1987, 1988 तथा 1989 (नवीनतम उपलब्ध) के लिए प्रत्येक वर्ष के अन्तिम शुक्रवार को राजस्थान में सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा थोक व्यापारियों को दिए गए उधार खातों की संख्या तथा उनमें बकाया धनराशि को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है :

वर्ष	उधार खातों की संख्या	बकाया धनराशि (लाख रुपए)
1987	10,461	138,83
1988	11,417	103,33
1989	14,324	120,41

जहां तक ऐसे थोक व्यापारियों के ब्यौरों का सम्बन्ध है, बैंकर्स में प्रचलित प्रथा और रीति-रिवाज एवं सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के अनुसार उनके ग्राहकों के बारे में या उनके कार्यों से सम्बन्धित सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता।

गोवा से फैरो-मैंगनीज और मैंगनीज अयस्क का निर्यात

[अनुवाद]

5217. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांत्ये** :

क्या वाणिज्य मन्त्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा से 1990-91 के दौरान ग्रेड वार कितना फेरो-मैंगनीज और मैंगनीज अयस्क का निर्यात किया गया और इसका रुपए में मूल्य कितना था;

(ख) सरकार वर्तमान में इनके निर्यातकों को क्या प्रोत्साहन दे रही है;

(ग) क्या सरकार का गोवा से फैरो-मैंगनीज और मैंगनीज अयस्क के निर्यात को और बढ़ाने के लिए इनके निर्यातकों को और अधिक प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान गोआ से रिर्यात होने वाले फेरो-मैंगनीज के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं है लेकिन 1990-91 के दौरान गोआ से मैंगनीज अयस्क का ग्रेडवार निर्यात मूल्य और मात्रा दोनों की दृष्टि से निम्नानुसार रहा है :

ग्रेड	मात्रा लाख टन	मूल्य करोड़
30/28	1.02	9.80
40/38	0.16	2.96

(ख) फैरो मैंगनीज तथा मैंगनीज अयस्क के निर्यातक निर्यात के एफ. ओ. बी. मूल्य के 30 प्रतिशत की दर पर एक्जिमसक्रिप्स के लिए पात्र हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80 एच. एच. सी. के तहत कर रियायत फैरो मैंगगीज सहित संसाधित खनिजों के निर्यात पर भी लागू की गई है।

(ग) और (घ) वर्तमान निर्यात प्रोत्साहन पर्याप्त समझे गए हैं।

गोवा से बॉक्साइट अयस्क का निर्यात

5218. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांत्ये** :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान गोवा से कितना बॉक्साइट अयस्क निर्यात किया गया और इसका रुपये में मूल्य कितना था;

(ख) सरकार इस समय इन निर्यातकों को क्या-क्या प्रोत्साहन दे रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार गोवा से बॉक्साइट के निर्यात को और अधिक बढ़ाने के लिए निर्यातकों को अधिक प्रोत्साहन देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान गोवा से ब्राक्साईट का कोई निर्यात नहीं हुआ था ।

(ख) बॉक्साईट के निर्यात, निर्यातों के पोनपर्यत निःशुल्क मूल्य के 30 प्रतिशत की दर से एकिसमस्क्रिप्स के पात्र हैं । पश्चिमी तट से निम्न श्रेणी के बॉक्साईट के निर्यात को भी नई व्यापार नीति में गैर-सरकारी निर्यातकों द्वारा विपणन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से अ-सरणीबद्ध कर दिया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

रबड़ का सामान बनाने के लिए अनुज्ञापत्र

5219. **श्री पी. सी. थामस** :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ का सामान बनाने और इसका व्यापार करने के लिए आवश्यक अनुज्ञापत्र केवल रबड़ बोर्ड के प्रधान कार्यालय से जारी किये जाते हैं;

(ख) रबड़ बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की वर्तमान संख्या क्या है;

(ग) क्या इन क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुज्ञापत्र जारी करने के अधिकार प्राप्त है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुज्ञापत्र जारी करने तथा उनके नवीकरण के अधिकार देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) रबड़ पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) उत्पादन लाइसेंस बोर्ड के

कोट्टाम स्थित मुख्य कार्यालय से जारी किए जाते हैं तथा व्यापारी-लाइसेंस रबड़-बोर्ड के कोचीन स्थित लाइसेंसिंग अनुभाग से जारी किए जाते हैं ।

(ख) इस समय रबड़-बोर्ड के 34 उप क्षेत्रीत कार्यालय हैं ।

(ग) क्षेत्रीय कार्यालयों को व्यापारियों तथा विनिर्माताओं को लाइसेंस जारी करने का कोई अधिकार नहीं है । उनका काम मुख्य रूप से बागान विकास में सहायता देना तथा तकनीकी सेवाएं प्रदान करना है ।

(घ) और (ङ) क्षेत्रीय कार्यालयों को यह अधिकार प्रदान कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था ठीक ढंग से चल रही है ।

(च) उद्योग को बेहतर सेवा प्रदान करने तथा देरी से बेचने के उद्देश्य से, आवेदन, आवश्यक फीस तथा निर्धारित प्रपत्र में दस्तावेज प्राप्त होते ही लाइसेंस तुरन्त जारी किए जाते हैं ।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 को चौड़ा करना

5220. **श्री पी. सी. थामस :**

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 (कोचीन मदुरई सड़क) की चौड़ाई का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस राजमार्ग पर विकास कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस राजमार्ग के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी है;

(घ) केरल के कनयान्नूर, कुनथानाई, मुत्तुयुजा और कोथामंगलम तालुकों में इस राजमार्ग पर कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) उपर्युक्त तालुकों में इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाए जाने वाले प्रस्तावित नए पुलों का ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ङ) इस नव-घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग पर विकास कार्य, राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा आवश्यक फील्ड सर्वेक्षण पूरा करने के बाद चरणबद्ध ढंग से शुरू किया जाएगा इन सर्वेक्षणों के एक भाग के रूप में विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित पुलों का भी पता लगाया जाएगा । केरल और तमिलनाडु राज्यों में रा. रा. 49 पर भिन्न-भिन्न कार्यों की स्वीकृति के लिए वर्ष 1991-92 की वार्षिक योजना से 12.35 करोड़ रु. का प्रावधान है ।

गंगा और कावेरी नदियों में जलमार्गों का विकास

[हिन्दी]

5221. **श्री राम टहल चौधरी** :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा और कावेरी नदियों में जल परिवहन का विकास करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान किन्हीं अन्य जलमार्गों का विकास करने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) गंगा-भगीरथी-हुगली नदी का इलाहबाद हल्दिया खंड एक राष्ट्रीय जलमार्ग है और भारतीय अन्र्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के उपाय कर रहा है। 1991-92 की वार्षिक योजना में इस राष्ट्रीय जलमार्ग पर विकास कार्यों के लिए 6.75 करोड़ रु. का प्रावधान अनुमोदित किया गया है।

केन्द्र सरकार के पास कावेरी में जल परिवहन के विकास से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) गंगा के अलावा अन्य जलमार्गों के विकास के लिए 1991-92 की वार्षिक योजना में शामिल अन्य ऐसी स्कीमों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

करोड़ रु.

स्कीम का नाम	1991-92 की वार्षिक योजना में प्रावधान
1	2
केन्द्रीय/भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण	
(i) ब्रह्मपुत्र का विकास (राष्ट्रीय जलमार्ग)	2.80
(ii) पश्चिमी तटीय नहर का विकास	0.50
(iii) सुन्दरवन का विकास	0.10

1	2
केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें :	
(i) बिहार में गंडक और कोसी नदियों के जल राशिक सर्वेक्षण	0.04
(ii) गोवा में मंडोवी, जुआरी और मापुसा का "कैपिटल" निकर्षण	0.08
(iii) उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी में जलराशिक सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन	0.15
(iv) तमिलनाडु में बकिंघम नहर का सुधार	0.03
(v) नर्मदा नदी में जलमार्ग का विकास और हैंडलिंग सुविधाओं का प्रावधान	1.66
(vi) हुगली में फेरी सेवाओं के लिए टर्मिनल सुविधाएं	2.25
(vii) केरल में जेटियों का आधुनिकीकरण	0:11
(viii) तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश में बकिंघम नहर का सुधार	0.20

वित्तीय संस्थाओं का नया ब्याज दर ढांचा

[अनुवाद]

5222. **श्री गुरुदास कामत** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वित्तीय संस्थाओं की ब्याज की दरों में वृद्धि करने का है, और

(ख) यदि हां तो वित्तीय संस्थाओं को नई ब्याज दरों का ढांचा बैंक की ब्याज दरों की तुलना में कितना कम या अधिक है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज की दरों का निर्धारण अर्थव्यवस्था और उसके उप-क्षेत्रों की विकास दर, मुद्रास्फीति की दर, मुद्रा विस्तार की गति, बैंकों द्वारा संसाधनों के जुटाने की लागत, बैंकों की लाभप्रदता आदि जैसे अनेक

घटकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। उक्त घटकों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर ब्याज दर ढांचे की संवीक्षा करता है। सितम्बर, 1990 में स्थिति की संवीक्षा की गई थी और इसके परिणामस्वरूप, 22 सितम्बर, 1990 से वाणिज्यिक बैंकों की ब्याज दरों के ढांचे को संगत और संशोधित किया गया था। बहरहाल, 2 लाख रुपये से अधिक की ऋण सीमाओं वाले बैंक ऋणकर्ताओं के लिए ब्याज की दरों को आगे दो चरणों में 13 अप्रैल, 1991 से 16.0 (न्यूनतम) से 17.0 प्रतिशत (न्यूनतम) और फिर 18.5 प्रतिशत (न्यूनतम) प्रभावी किया गया है। 9 मई, 1991 से आयात वित्त-पोषण पर 25 प्रतिशत की सरचार्ज ब्याज दर को भी लगाया गया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिमों के लिए वर्तमान ब्याज दरों का ढांचा संलग्न विवरण में दिया है।

विवरण-I

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित उधार की ब्याज दरों की संरचना

I. बैंकों के सभी उधार-कताओं के समग्र ऋणों पर लागू सामान्य ब्याज दर संरचना

(लघु अवधि तथा दीर्घ अवधि)

सीमा (लिमिट) का आकार	ब्याज की दरें (प्रतिशत प्रति वर्ष)
1	2
(1) 7,500 रुपए तक और 7,500 रुपए सहित	10.0
(2) 7,500 रुपए से ऊपर तथा 15,000 रुपए तक	11.5
(3) 15,000 रुपए से ऊपर तथा 25,000 रुपए तक	12.0
(4) 25,000 रुपए से ऊपर तथा 50,000 रुपए तक	14.0
(5) 50,000 रुपए से ऊपर तथा 2 लाख रुपए तक	15.0
(6) 2 लाख रुपए से ऊपर	18.5 (न्यूनतम)
II. विशेष निर्धारित दरें	
1. विभेदी ब्याज दर (डी. आर. आई.) अग्रिम	4.0
2. कृषि, लघु उद्योग तथा दो वाहनों तक के परिवहन आपरेटरों को सावधि ऋण सीमा (लिमिट) का आकार	

1	2
(i) 25,000 रुपए से अधिक तथा 50,000 रुपए तक	13.0
(ii) 50,000 रुपए से अधिक	14.0
3. (i) टिकाऊ उपभोक्ता की खरीद के लिए ऋण (ii) शेयरों तथा डिबेंचरों/बांडों के बदले व्यक्तियों का ऋण	बैंकों को ब्याज निर्धारित करने की स्वतंत्रता है।
(iii) अन्य गैर प्राथमिकता क्षेत्र व्यक्तिगत ऋण	
III. चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के लिए उधार ब्याज दरें।	
चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अध्याधीन वस्तुओं के बदले में ऋण/अग्रिम/नकद ऋण/ओवर ड्राफ्ट	18.5 (न्यूनतम)
IV. बिलों पर बट्टा	
2 लाख रुपए से अधिक	17.5 (न्यूनतम) (इस शर्त के साथ कि प्रभावी ब्याज दर चयनात्मक ऋण नियंत्रण पर ली जाने वाली ब्याज दर से 1 प्रतिशत बिन्दु कम होगी)
V. मध्यवर्ती अभिकरणों को स्वीकृत आवास वित्त पोषण	
2 लाख रुपए से अधिक*	17.0

टिप्पणी : उधार ब्याज दर संरचना 22.9.1990 से प्रारम्भ हुई थी।। मद सं. 1 में जो परिवर्तन किए गए, वे नीचे दिए गए हैं :—

यह दर 22.9.1990 से 16.0 प्रतिशत (न्यूनतम) निर्धारित की गई थी। यह 13.4.1991 से 17.0 प्रतिशत (न्यूनतम) तथा 4.7.1991 से 18.5 प्रतिशत (न्यूनतम) कर दी गई थी।

*यह श्रेणी 4.7.1991 से लागू की गई थी।

हल्के वाणिज्यिक वाहनों के लिए व्यापार नीति में संशोधन

5223. **श्री गुरुदास कामत** :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी प्रौद्योगिकी से हल्के वाणिज्यिक वाहन तैयार करने वाले निर्माता भार संकट से गुजर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में व्यापार नीति में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जापानी सहयोग से हल्के वाणिज्यिक वाहनों के भारतीय विनिर्माताओं के कार्यों पर विभिन्न कारणों से विपरित प्रभाव पड़ा है, जिनमें से मुख्य है : 1986 से जापानी येन के मूल्य में अत्यधिक मूल्य वृद्धि, इन इकाईयों के उत्पादन की कम मात्रा तथा इस्पात जैसे कच्चे मालों के मूल्य में वृद्धि, रुपया मुद्रा दर के पुन: समायोजन के कारण आयातित निवेश की लागत में वृद्धि तथा भुगतान संतुलन की प्रतिकूल स्थिति को ध्यान में रखकर अपनाए गए आयात सम्पीडन उपाय आदि ।

(ग) और (घ) आयात निर्यात नीति का पुनरीक्षण एक सतत प्रक्रिया है तथा परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार जब और जैसी जरूरत होती है दोष निवारक उपाय किए जाते हैं ।

राज्य व्यापार निगम में स्वैच्छिक सेवा-निवृति योजना

5224. **श्री गुरुदास कामत** :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वैच्चिक सेवा-निवृत्ति के अन्तर्गत अब तक नौकरी छोड़ने वाले राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों की संख्या क्या है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत उस संगठन को छोड़ने के इच्छुक अधिकारियों की संख्या क्या है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) एस. टी. सी. की स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना, 1989 के अन्तर्गत अब तक स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के 170 कर्मचारी सेवा निवृत हो चुके हैं ।

(ख) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अन्तर्गत सेवा-निवृति के लिए जिन अन्य 415 कर्मचारियों ने आवेदन किया है वे 31.8.91 को सेवा-निवृत हो जाएंगे क्योंकि प्रबन्धकों द्वारा सेवा निवृति के सम्बन्ध में उनका अनुरोध पहले ही स्वीकार कर लिया गया है ।

(ग) यह योजना स्वैच्छिक है और कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा-निवृति का विकल्प चुना है ।

गोवा-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत

5225. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांत्ये** :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोहाद से गुजरने वाला गोवा-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग प्रतिवर्ष वर्षा से क्षतिग्रस्त हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं कि इस सड़क की मरम्मत का कार्य समय पर शुरू किया जाये तथा मरम्मत के पश्चात् भी यह सड़क लम्बे समय तक यातायात के योग्य रहे ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ख) जी, नहीं । मोहाद कस्बे से गुजरने वाले बम्बई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 के खण्ड पर हुई । किसी भी गम्भीर क्षति की हर साल पुनरावृत्ति नहीं हुई है । तथापि, वर्षा के कारण होने वाले छोटे-मोटे नुकसान असामान्य नहीं हैं । लेकिन जब भी किसी ऐसे नुकसान का पता चलता है तो सड़क को यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखने के लिए कारंवाई की जाती है ।

सशस्त्र सेना फिल्म और फोटो डिवीजन द्वारा फिल्मों का निर्माण

[हिन्दी]

5226. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेना फिल्म और फोटो डिवीजन ने गत वर्ष कितनी फिल्मों का निर्माण किया;

(ख) क्या इस डिवीजन द्वारा 26 जनवरी और 15 अगस्त के समारोहों की फिल्मों का निर्माण भी किया जाता है;

(ग) क्या मन्त्रालय के उपर्युक्त डिवीजन को वर्गीकृत फिल्मों के निर्माण का कार्य भी सौंपा गया है;

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कुछ समय पूर्व इस डिवीजन के कार्यकलापों की जांच की थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ग) सशस्त्र सेना फिल्मस एवं फोटो प्रभाग ने वर्ष 1990-91 में रक्षा प्रशिक्षण फिल्मों की 15 रीलों के वार्षिक लक्ष्य के स्थान पर प्रशिक्षण फिल्मों की 28 रीलें बनायी थी, जिनमें से 12 रीलें हिन्दी में डब की गई थी। वर्गीकृत प्रशिक्षण फिल्में केवल सशस्त्र सेना फिल्मस एवं फोटो प्रभाग द्वारा ही बनायी जाती हैं।

(ख) इन समारोहों की फिल्में इस प्रभाग द्वारा नहीं बनायी जाती हैं। तथापि पिछले कुछ वर्षों में आन्तरिक रिकार्ड के उद्देश्यों के लिए वीडियो कवरेज उपलब्ध करायी गयी थी।

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने जनवरी, 1990 में इस प्रभाग के कार्यालय परिसर की आकस्मिक जांच की थी।

(ङ) यह निश्चित किया गया है कि इस प्रभाग के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की जाए, जिन्हें केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा प्रदर्शित की गई कुछ क्रिया विधि अनियमितताओं के लिए दोषी पाया गया है तथा एक कर्मचारी के विरुद्ध गैर-सरकारी कार्य करने तथा इसके लिए भुगतान स्वीकार करने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की जाए।

मन्त्रियों द्वारा किया जाने वाला व्यय

5227. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा व्यय कम करने हेतु क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) क्या ये उपाय केन्द्रीय मन्त्रियों तथा प्रधान मन्त्री पर भी लागू हैं; और

(ग) दिसम्बर, 1989 से अब तक प्रत्येक मन्त्री द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) और (ख) गैसोलीन, टेलीफोन, विद्युत, यात्रा, सेमिनारों/सम्मेलनों के आयोजन, नए वाहनों की खरीद आदि जैसी मदों पर व्यय में कटौती करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं। मन्त्रियों के लिए उनके फर्नीचर, कार्यालय तथा आवास के कार्यालय-भाग को सुसज्जित करने पर, एस. टी. डी. सुविधा सहित उनके कार्यालय/आवास टेलीफोन पर व्यय को नियंत्रित करने के लिए भी अलग अनुदेश हैं।

(ग) ऐसी सूचना एक स्थान पर नहीं रखी जाती है तथा सभी मन्त्रालयों/विभागों से एकत्र

करनी होगी। इस सूचना को एकत्र करने में लगने वाला समय और श्रम उससे प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

डी. टी. सी. बसों में दिल्ली पुलिस कर्मियों द्वारा बिना टिकट यात्रा करना

5228. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के कर्मियों को डी टी. सी. बसों में बिना टिकट जब वे ड्यूटी पर नहीं होते हैं अथवा सादे कपड़ों में होते हैं, यात्रा करने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(घ) क्या दिल्ली होम गार्ड कर्मियों को भी डी. टी. सी. बसों में निःशुल्क यात्रा करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस के दो छोटे अधीनस्थ (वर्दी में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल) कर्मियों को दिल्ली परिवहन निगम की किसी बस में, केवल पालम कोच पर्यटक और अन्तर-राज्यीय सेवाओं को छोड़कर, मुफ्त में यात्रा करने की अनुमति है। ऐसा गिरहकटी, महिलाओं के साथ-छेड़-छाड़ और यात्रियों के बीच अन्य दुर्व्यवहार को रोकने के लिए किया जाता है।

(घ) और (ङ) दिल्ली परिवहन निगम की बसों में दिल्ली के होमगार्ड कर्मियों को मुफ्त में यात्रा करने की अनुमति दिए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है। दिल्ली होमगार्ड के वालंटियर्स सरकाकी ड्यूटी करने के लिए 8 कि. मी. और अधिक दूरी की यात्रा करने के लिए 3/- प्रतिदिन की दर से यात्रा भत्ता पाने के हकदार हैं।

दिल्ली में सिले-सिलाये वस्त्रों के अवैध कारखाने

5230. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के यमुना-पार क्षेत्र के आवास ग्रहों में बड़ी संख्या में ऐसी फैक्ट्रियों की स्थापना की गई है जिनमें बिना कोई लाइसेंस प्राप्त किए हुए निर्यात करने के उद्देश्य से सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्माण किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) (क) और (ख) सरकार को यमुना पार के क्षेत्रों में आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए बिना बड़ी संख्या में सिले-सिलाए परिधानों की फैक्टरियों के स्थापित हो जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है । सिले-सिलाए परिधानों की मदें लघु क्षेत्र के उद्योग के लिए अरक्षित मदें हैं और इसलिए इन्हें आई. डी. आर. अधिनिनम के अन्तर्गत लाइसेंस सम्बन्धी अपेक्षाओं से मुक्त रखा गया है ।

स्विस बैंकों में भारतीयों के खाते

[अनुवाद]

5231. **श्री राम कापसे** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 मई, 1991 के दैनिक समाचार पत्र "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित शीर्षक की ओर गया है जिसमें यह बताया गया है कि स्विस बैंक अज्ञात खातों की परम्परा को समाप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से स्विस बैंकों में खाते रखने वाले भारतीयों का विवरण क्या क्या है ?

वित्त मंत्रालल में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सावधि जमा बैंको में ब्याज दर

5232. **श्री राम कापसे** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा तीन वर्ष या इससे अधिक सावधि जमा कर दी जाने वाली ब्याज दरें क्या हैं;

(ख) क्या विगत में सहकारी बैंकों को अधिक ब्याज दर, अर्थात् राष्ट्रीयकृत बैंकों से एक प्रतिशत अधिक ब्याज दर दिए जाने की अनुमति थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने सहकारी बैंकों को सावधि जमा पर अधिक ब्याज दर देते रहने हेतु अनुमति दिए जाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) 4 जुलाई, 1991 से राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास सावधि जमाराशियों पर 3 वर्षों और उससे अधिक की अवधि के लिए ब्याज की दर को 12% से 13% तक बढ़ाया गया है। प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के मामले में, समान अवधि की सावधि जमाओं पर 24 जुलाई, 1991 से ब्याज की दर को संशोधित कर 13% तक बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उन अनुसूचित बैंकों के अलावा, जो प्राथमिक सहकारी बैंक हैं, को 3 वर्षों और उससे अधिक की सावधि जमाओं को छोड़कर अन्य समस्त सावधि जमा के लिए एक प्रतिशत का अतिरिक्त विवेकाधीन ब्याज प्रदान करने की अनुमति दी गई है।

पहले प्राथमिक सहकारी बैंकों को सावधि जमाओं पर एक प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देने का विवेक दिया गया था ताकि ये बैंक वाणिज्यिक बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा की स्थिति में हों और जामाराशियां जुटाएं जिनका ऋण देने में सफलतापूर्वक समुपयोग हो। पिछले कुछ वर्षों में कई शहरी सहकारी बैंकों के आकार में पर्याप्त अनुपात में वृद्धि हुई है। अतः भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को 3 वर्ष और उससे अधिक की सावधि जमाओं पर विवेकाधीन अतिरिक्त ब्याज दर को आधा प्रतिशत तक ही रखने के लिए कहा है। बहरहाल, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 वर्षों से कम की सावधि जमाओं पर इन बैंकों को अब भी 1 प्रतिशत का अतिरिक्त विवेकाधीन ब्याज देने की अनुमति दी हुई है।

माइक्रो लाइट विमान परियोजना

5233. **श्री बलराज पासी :**

श्री रमेश चन्द तोमर :

श्री चेतन पी. एस. चौहान :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने वैयक्तिक प्रसंगों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार पर अपनी रिपोर्ट (1990 की वाणिज्यिक संख्या 7) में हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा पर्याप्त समय लेने और लागत बढ़ जाने के बावजूद एक माइक्रों लाइट विमान विकसित न कर पाने और अन्ततः उस परियोजना को छोड़ देने के लिए टिप्पणी की है ;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी द्वारा इस विमान को विकसित न कर पाने के लिए कोई दायित्व तय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में और क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इसके लिए किसी को उत्तरदायी ठहराने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि यह केवल एक अनुसंधान और विकास परियोना थी, जिसमें हिस्दुस्तान एवरोनॉटिक्स लिमिटेट के डिजाइन प्रभाग में उपलब्ध अप्रयुक्त जनशक्ति को काम में लाया गया और इसे छोड़ दिए दिए जाने के बावजूद इससे डिजाइनरों को बहुमूल्य अनुभव प्राप्त हुआ था ।

वाराणसी जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत

[हिन्दी]

5234. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी हालत में हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर सड़क की शीघ्र मरम्मत किये जाने की जरूरत है और इस संबन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान इस जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत पर कुल कितनी राशि की खर्च की गई है; और

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, नहीं । सभी राष्ट्रीय राजमार्ग सामन्यतः यातायात योग्य स्थिति में हैं । राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण एक सतत् कार्य है और जब कभी मरम्मत की जरूरत समझी जाती है तो धनराशि उपलब्ध होने की स्थिति में मरम्मत की जाती है ।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए राज्य वार धनराशि आवंटित की जाती हैं न कि जिलावार । वर्ष 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य मे राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए 11.085 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई थी । राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के अनुरक्षण के लिए आवंटित राशि में से राज्य सरकार द्वारा 11.42 करोड़ रु. खर्च किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है ।

(घ) वर्ष 1991-92 के लिए उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरमम्त के लिए 13.58 करोड़ रु. की अनंतिम राशि निर्धारित की गई है ।

कमजोर वर्गों के लिए ऋण योजनाएं

[अनुवाद]

5235. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी** :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों द्वारा किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत कमजोर वर्गों को ऋण दिए जाते हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों, प्रत्येक वर्ष के दौरान, अब तक योजना-वार, राज्य-वार और वर्ष-वार, इन योजनाओं के अन्तर्गत कितनी ऋण राशि मंजूर की गई;

(ग) क्या सरकार का इन योजनाओं के अन्तर्गत दिए गए ऋण को बलपूर्वक वसूल करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कमजोर वर्गों को पर्याप्त ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए कौन-से वैकल्पिक उपाय करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राय मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में वाणिज्यिक बैंक भाग लेते हैं ताकि पहचान किए गए हिताधिकारी अपने आर्थिक उत्थान के लिए अर्थक्षम योजनाओं का अनुसरण कर सकें। उक्त अलावा बैंक समाज के कमजोर वर्गों की की सहायता के लिए उत्पादात्मक उपक्रमों के लिए उन्हें ऋण प्रदान करने हेतु स्वयं भी योजनाएं तैयार करते हैं। उन्हें यह आदेश दिया गया है कि उनके अपने कुल अग्रिमों का 10 प्रतिशत समाज के कमजोर वर्गों के लिए होना चाहिए। सरकार के कार्यक्रमों में, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.), ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्य समूहों के चयन किए गए परिवारों को स्वरोजगार कार्यक्रमों के सहारे गरीबी की रेखा के ऊपर लाने का एक व्यापक कार्यक्रम है। कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-सथ व्यवस्था है कि सहायता प्राप्त परिवारों में कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध होने चाहिए और सरकार द्वारा प्रदान की गई कम से कम 50 प्रतिशत सहायता इन श्रेणियों को पहुंचनी चाहिए। वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 (फरवरी 91 तक) के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा दी गई राज्य-वार राशि संलग्न विवरण में दी है।

(ग) से (ङ) बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा को कम करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 23-2-91 के नवीनतम परिपत्र में बैंकों को यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को सामान्य रूप से और ग्रामीण क्षेत्रों तथा सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को विशेष रूप से प्राप्त होने वाला ऋण प्रवाह भंग नहीं होना चाहिए और यह भी कि ऋणकर्त्ताओं को प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी को बैंक शाखाओं से ऋण प्राप्त करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो।

विवरण

वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 (फरवरी, 1991 तक) के तीन वर्षों के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत उपलब्ध राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ऋण

(करोड़ रुपए)

राज्य, संघ राज्य क्षेत्र	1988-89	1989-90	बैंक ऋण राशि 1990-91 (फरवरी तक)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	10034.65	7623.76	8018·21
अरुणाचल प्रदेश	144.30	33.67	62.35
असम	2491.43	865·24	980.80
बिहार	15204.43	11346.36	12925.23
गोवा	215.57	210.82	134.35
गुजरात	3118.90	3148.52	2736.81
हरियाणा	1889.79	1216.50	890.90
हिमाचल प्रदेश	612.72	610.33	446.63
जम्मू व कश्मीर	903.31	340.89	318.70
कर्नाटक	5572.47	3879.16	3874.00
केरल	3234.51	2578.77	2212.56
मध्य प्रदेश	13538.33	8112.12	8191.78
महाराष्ट्र	9302.56	7635.73	6538.17
मणिपुर	47.20	24.26	37.48
मेघालय	70.06	122.31	34.28
मिजोरम	43.99	0.80	10.18
नागालैंड	118.67	43.70	314.45
उड़ीसा	3689.19	2049.74	1888.68

1	2	3	4
पंजाब	2058.87	2180.29	1102.04
राजस्थान	4607.13	3536.52	3391.56
सिक्किम	80.06	50.49	45.00
तमिलनाडु	8487.48	7357.18	5095.65
त्रिपुरा	1021.83	226.14	230.47
उत्तर प्रदेश	25414.04	23111.45	26776.13
पश्चिम बंगाल	11014.35	9419.33	8044.39
अंडमान और निकोबार दीप समूह	83.86	64.25	60.18
चण्डीगढ़	—	INR*	—
दादरा और नागर हवेली	14.19	12.42	12.90
दिल्ली	54.21	44.49	50.69
दमन और दीव	33.05	31.64	27.07
लक्षद्वीप	17.84	7.61	6.42
पाण्डिचेरी	73.92	32.65	44.16
अखिल भारत	123162.00	95916.84	94302.22

*सूचना अप्राप्त

आयात प्रक्रिया का सरलीकरण

5236. **श्रीमती बिल कुमारी भण्डार :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आयात प्रतिक्रिया को सरल बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है;

(ग) उदार बनाई गई प्रक्रियाओं के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र कौन-कौन से हैं; और

(घ) इस सरलीकरण का विदेशी मुद्रा भण्डार पर क्या प्रभाव पड़ा ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) वाणिज्य मंत्री द्वारा दिनांक 4-7-91 को नई व्यापार नीति की घोषणा के अनुवर्तन में आयात प्रक्रियाओं को काफी हद तक सरल बना दिया गया है। नए एकक और ऐसे एकक जिनका पर्याप्त विस्तार हो रहा है और जो विदेशी इक्विटी द्वारा पूरी तरह कवर होते हैं, उनको अब प्रतिबन्धित सूची में शामिल पदों को छोड़कर पूंजीगत सामान के आयात के लिए आयात लाइसेन्स प्रदान किए जाएंगे। इस तरह के आयात लाइसेन्स विज्ञापन प्रक्रिया देशी एंगिल से क्लीयरेंस के बिना दिए जाएंगे साथ ही साथ सम्बन्धित पूंजीगत सामान समिति का अनुमोदन भी इसके लिए आवश्यक नहीं होगा। एक्सिमस्क्रिप्स प्राप्त करने के लिए कागजात की संख्या को घटाकर केवल एक कर दिया गया है जबकि अग्रिम लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए कागजात की संख्या 9 से घटाकर 6 कर दी गई है। अब पात्र आवेदकों द्वारा कारों का आयात शीमाशुल्क के जरिए सीधे किया जा सकता है और इसके लिए अब, पहले की तरह मुख्य नियन्त्रक आयात एवं निर्यात से सीमा शुल्क क्लीयरेंस की अनुमति नहीं लेनी होगी।

(घ) आयात प्रक्रियाओं के सरलीकरण से विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कृषकों के लिए अन्नेवारी प्रणाली लागू करना

5237. **श्री सुधीर सावन्त** :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुगतान करने के लिए अनइच्छुक दोषी कृषकों का निर्धारण करने के लिए लागू की जा रही "अन्नेवारी प्रणाली" की शर्तें निर्धारित करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह प्रणाली भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रणाली से किसी क्षेत्र विशेष के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के प्रावधानों के अनुसार, जानबूझ कर चूक न करने वाले चूककर्ता वे हैं जिन्होंने अपने देय ऋणों की किस्त या ऋणों की अदायगी नहीं की है और जिन्होंने दो या अधिक खराब फसल वर्षों का सामना किया है, चाहे वे लगातार न भी हों और इनमें से एक वर्ष वह है जिसमें चूक हुई है। फसल के नुकसान का अनुमान लगाने के लिए विषय परक मानदण्ड अपनाने के लिए कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना में फसल के नुकसान को राज्य सरकारों की आनावारी घोषणाओं से जोड़ा गया था। उधारकर्ता को राहत प्रदान करने के लिए आनावारी को पूर्व शर्त के रूप में घोषित करने

की प्रणाली अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है। भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा आनावारी की घोषणा के लिए पद्धति के बारे में जारी किए गए निर्देश सम्पूर्ण देश में एक समान हैं। जहां कहीं आनावारी प्रणाली लागू नहीं है वहां पूर्व वर्षों में राज्य सरकार द्वारा अथवा प्राधिकृत प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विपत्ति वर्ष के सर्टिफिकेटों को खराब वर्ष के प्रमाण के रूप में मान लिया गया है।

सिन्धु दुर्ग/रत्नगिरि जिले में भारतीय स्टेट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय

5238. **श्री सुधीर सावन्त** :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सिन्धु दुर्ग और रत्नगिरि जिलों में किसी भी सरकारी क्षेत्र के बैंक का कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन जिलों के लिए भारतीय स्टेट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय पणजी में स्थित है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय स्टेट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय पणजी से हटाकर सिन्धु दुर्ग या रत्नगिरि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इन जिलों के उद्योगपतियों को बैंकों के ऋणों को निपटाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(छ) यदि हां तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक आफ इण्डिया और बैंक आफ महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में रत्नगिरी जिले में अपने-अपने क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अलबत्ता, सिन्धु दुर्ग जिला, महाराष्ट्र में कोई भी क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है।

(ख) क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना शाखाओं की संख्या, उनके कारोबार के स्तर, भौगोलिक निकटता, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता लागत-लाभ विश्लेषण तथा साथ ही पर्यवेक्षण और प्रशासनिक सुविधा की आवश्यकता आदि जैसी बातों को ध्यान में रखकर की जाती है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि क्षेत्रीय कार्यालय को पणजी से हटाकर सिन्धु दुर्ग अथवा रत्नागिरी ले जाना किफायती नहीं होगा।

(च) और (छ) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा द्वारा ऐसी किसी कठिनाई के बारे में सूचना नहीं दी गयी है।

सोड़ा-क्षार का आयात

[हिन्दी]

5239. **श्री तेज नारायण सिंह :**

श्री राम टहल चौधरी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान, सोड़ा-क्षार का कितनी मात्रा में आयात महानिदेशक, तकनीकी विकास के पास पंजीकृत कराया गया;

(ख) क्या उपयुक्त अवधि के दौरान ओपन जनरल लाइसेंस का दुरुपयोग किए जाने के बारे में सराकर को शिकायतें मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत किए गए आयात का आयातकों द्वारा दुरुपयोग न किया जाएं, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(घ) क्या सोड़ा-राख की कमी के कारण इसके मूल्य में हुई वृद्धि भारी मात्रा में आयात किए जाने के बावजूद निर्माताओं द्वारा कम नहीं की गयी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) डी. जी. टी. डी. ने वर्ष 1989-90 के दौरान सोड़ा ऐश के आयात के लिए कोई आयात संविदा नहीं की।

(ख) और (ग) वर्ष 1989-90 के दौरान मुक्त सामान्य लाइसेंस के दुरुपयोग सम्बन्धी कोई शिकायत सरकार की जानकारी में नहीं आई।

(घ) और (ङ) सोड़ा ऐश की कमी के कारण इसकी कीमतों में वृद्धि की कोई जानकारी सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

दिल्ली में स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की शाखाओं के विरुद्ध शिकायतें

[अनुवाद]

5240. **श्री मदन लाल खुराना :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान अब तक दिल्ली में स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की विभिन्न शाखाओं के विरुद्ध कितनी शिकायतें शाखा-वार मिली हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर ने सूचित किया है कि 1-8-90 से 31-7-91 तक अवधि के दौरान दिल्ली स्थित उसकी शाखाओं के विरुद्ध उसे 36 शिकायतें प्राप्त हुई थीं । इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

शाखाओं के नाम	शिकायतों की संख्या
कनॉट सर्कस	7
बाराखम्बा रोड	2
चांदनी चौक	7
कृष्णा नगर	3
बाड़ा हिन्दु राव	3
नांगल राय	3
लारेंस रोड	1
सफदरजंग इन्कलेव	1
सेवा शाखा	1
खारी बावली	2
साकेत	1
न्यू रोहतक रोड	2
अमर कॉलोनी	1
जनकपुरी	2
जोड़	36

ये शिकायतें मांग ड्राफ्टों का भुगतान न किए जाने, सममूल्य के लिखतों की वसूली न किए जाने, बिलों की उगाही में देरी, एफ. डी. आर. का समय पर नवीकरण न किए जाने, कुछ सेवा प्रभारों की वसूली किए जाने, लेखों के विवरण प्रस्तुत करने में देरी आदि से सम्बन्धित थीं ।

36 शिकायतों पर बैंक द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(क) निपटाई गई शिकायतों की संख्या	17
(ख) उन शिकायतों की संख्या जिन्हें नियमों के अनुसार स्वीकार नहीं किया गया और शिकायतकर्ताओं को उपयुक्त रूप से सूचित कर दिया गया	6
(ग) निराधार/बिना गुणावगुण के पाई गई शिकायतों की संख्या	5
(घ) उन शिकायतों की संख्या जिनमें बैंक ने अपनी वास्तविक गल्तियों को माना है और प्रभावित शिकायत कर्ताओं के प्रति अपना खेद प्रकट किया।	2
(ङ) उन शिकायतों की संख्या जिनमें मालिक मकान के साथ बातचीत करने/लिखतों की पुनः वैद्य करने/लिखितों की अनुलिपि जारी करते/वसूली बैंकर के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने की आवश्यकता थी।	4
(च) उन शिकायतों की संख्या जिनमें शिकायतकर्ताओं से आकश्यक औपचारिकतायें पूरी करने के लिए कहा गया।	2

कानूनी सहायता और परामर्शदात्री बोर्ड

5241. **श्री एन. डेनिस** :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : राज्यों में उन कानूनी सहायता और परामर्शदात्री बोर्डों का ब्यौरा क्या है जिसमें उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश चेयरमैन के और वाइस चेयरमैन के रूप में कार्य करते हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों में, उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीश, अध्यक्ष और/या उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं।

दिल्ली वित्त निगम द्वारा वाहनों के लिए ऋण

5242. **श्री प्रतापराव बी. भोंसले** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली वित्त निगम वाहनों के क्रय के लिए ऋण देता है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस ऋण हेतु ग्राह्यता की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली वित्त निगम ने सूचित किया है कि वह विभिन्न प्रकार के नए वाहन खरीदने के प्रयोजन से ऋण उपलब्ध कराता है जिन्हें पब्लिक कैरियर या कान्ट्रैक्ट केरियर के रूप में पंजीकृत करवाना आवश्यक होता है । ऐसे अग्रिमों पर ली जाने वाली ब्याज दर 15% वार्षिक है । प्रवर्तकों (प्रोमोटरों) को 2 वाहन तक 15% का अंशदान करना होता है और 2 से अधिक वाहन के लिए 20% अंशदान करना होता है ।

(ग) दिल्ली वित्त निगम ने सूचित किया है कि ऐसे ऋण की पात्रता के लिए प्रवर्तक को दिल्ली या चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का वास्तविक निवासी होना चाहिए और परिवहन व्यापार को चलाने के लिए उसके पास प्रबन्धकीय और व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए । प्रवर्तक के पास कुल वाहनों की संख्या जिसमें प्रस्तावित वाहन भी शामिल हों, 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

सेना के लिए नई राइफल

5243. **श्री प्रतावराव बी. भोंसले** :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय सेना के जवानों के मानक व्यक्तिगत हथियार के रूप में नई हल्की असाल्ट राइफल "ईशापुर-91" देने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या नई राइफलों का आयात किया जाएगा अथवा इनका निर्माण देश में ही किया जाएगा;

(ग) नई राइफलों की खरीद पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(घ) मौजूदा राइफलों का क्या किया जाएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां ।

(ख) इन राइफलों का निर्माण देश में ही किया जाना है ।

(ग) इन राइफलों के विकास का कार्य अभी चल ही रहा है इसलिए यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि इसकी खरीद पर आने वाला सम्भावित खर्च क्या होगा ।

(घ) इन नई राइफलों का प्रयोग शुरू करने के बाद मौजूदा 7.62 मि. मी. एस. एल. आर.

राइफलें धीरे-धीरे हटा दी जाएंगी और उनका इस रूप में निपटान किया जाएगा कि उससे सरकार को लाभ हो।

हथियारों का निर्यात

5244. **श्री शरद दिघे** :

श्री गंगाधरा सानीपल्ली :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान कितने मूल्य के हथियारों का निर्यात किया गया;

(ख) वर्ष 1991-92 में हथियारों के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने रक्षा उत्पादन के गैर सरकारीकरण की सम्भावनाओं का अध्ययन करने और रक्षा मदों की निर्यात नीति तैयार करने के लिए किसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) रक्षा उत्पादन यूनिटों द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान किया गया निर्यात (मान लिए गए निर्यात सहित) 78.94 करोड़ रुपए मूल्य का था।

(ख) हमारी रक्षा उत्पादन यूनिटों से वर्ष 1991-92 में किए जाने वाले निर्यात (जिसमें मान लिया गया निर्यात शामिल है) का लक्ष्य 104 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के रक्षा उत्पादन एककों की क्षमता का उपयोग

5245. **श्री अन्ना जोशी** :

क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के रक्षा उत्पादन एकक अपनी उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का गैर-सरकारी क्षेत्र को रक्षा एककों की फालतू क्षमता का उपयोग करने की अनुमति देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (शरद पवार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा उत्पादन इकाइयों में उपयोग मे न लाई जा रही अरिक्त उत्पादन क्षमता का उपयोग सम्बन्धित इकाइयां सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों और गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त कार्य आर्डरों का निष्पादन करने में उपयोग कर सकती हैं ।

तूतीकोरन बन्दरगाह से गाद निकालना

5246. **श्री कावम्बुर एम. आर. जनार्दनन** :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित पड़े उस न्यायिक मामले की वर्तमान स्थिति क्या है जिसके कारण तूतीकोरिन बन्दरगाह को और अधिक गहरा करने के लिए गाद निकालने का कार्य रुका हुआ है; और

(ख) उक्त मामले को शीघ्र निपटवाने तथा गाद निकालने का कार्य अविलम्ब शुरू करने के लिए क्या प्रयास किये गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) मैसर्स ए. सी. सी. कम्पनी लिमिटेड द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में दायर की गई तीन रिट याचिकाएं फरवरी, 1991 के दौरान खारिज कर दी गईं थीं।

(ख) अप्रोच चैनल में निकर्षण की शेष भाग का अनुमान लगाने के लिए भारतीय निकर्षण निगम द्वारा इसका जलराशिक सर्वेक्षण शुरू किय गया है और जून, 1991 में इसे पूरा किया गया है । इस सर्वेक्षण के आधार पर निकर्षण की मात्राओं का अभिकलन किया जा रहा है ताकि 9.14 मीटर (30 फुट) का नियोजित डुबाव प्राप्त करने के लिए शेष निष्कर्षण शुरू किया जा सके ।

सरलीकृत आयकर रिटर्न फार्म

[हिंदी]

5247. **श्री राम नारायण बैरवा** :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान आयकर विवरणी सम्बन्धी कार्यों में अनेक बार संशोधन किये हैं;

(ख) यदि हां, तत्सम्न्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार एक सरलीकृत आयकर विवरणी फार्म आरम्भ करने का है; और

(घ) यदि हां तो यह कार्य कब तक होने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) विविध श्रेणियों के करदाताओं के लिए अलग-अलग आयकर विवरणी फार्म निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार के फार्मों को विगत तीन वर्षों के दौरान दिनांक 1 अगस्त, 1988 से लेकर जितनी बार संशोधित किया गया है उनका ब्यौरा निम्नानुसार है :

आयकर विवरणी फार्म का प्रकार	शामिल किए गए कर-निर्धारितियों की व्यापक श्रेणियां	विगत तीन वर्षों के दौरान (दिनांक 1 अगस्त, 1988 से 31 जुलाई, 1991 तक) जितनी बार संशोधन किया गया, उनकी संख्या
1	2	3
फार्म सं. 1	कम्पनियां	2
फार्म सं. 2	कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त करने वाले गैर-नियमित कर-निर्धारिती	3
फार्म सं. 3	कारोबार अथवा व्यवसाय से आय नहीं प्राप्त करने वाले गैर-नियमित कर-निर्धारिती	3
फार्म सं. 3-क	धर्मार्थ तथा धार्मिक न्यास	1

विवरणी फार्मों में फेरबदल मुख्यतया सरलीकरण की निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया के एक भाग के रूप में किए जाते हैं। आयकर अधिनियम में समय-समय पर संशोधनों के कारण भी कुछ परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता होती है। इसलिए, सरलीकरण की कोई समय-सीमा निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

बैंकों में ऋण और जमा राशियों की ब्याज दरों में वृद्धि

[अनुवाद]

5248. **श्री श्रवण कुमार पटेल** :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में ऋण और राशियों की ब्याज दरों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके आयात के नियमित करने, मांग को कम करने तथा भुगतान संतुलन को ठीक करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ... चबीर सिंह) : (क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में 3 वर्ष और उससे ऊपर की सावधि जमा पर 13.4.91 से ब्याज दर को 11.0 प्रतिशत बढ़ाकर 12.0 प्रतिशत कर दिया गया था। सावधि जमा की ब्याज दर में 4 जुलाई, 91 से 1 प्रतिशत की और वृद्धि की गई थी।

(ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जनता से प्राप्त जमा राशि पर परिशोधित ब्याज दरें जो इस समय लागू है, नीचे दी गई हैं :—

जमा की अवधि	प्रति वर्ष (प्रतिशत) ब्याज की दर
1. 46 दिन तथा 1 वर्ष से कम	9.00
2. 1 वर्ष तथा 2 वर्ष से कम	10.00
3. 2 वर्ष तथा 3 वर्ष से कम	11.00
4. 3 वर्ष और उससे ऊपर	13.00

इसी प्रकार 2 लाख रुपए से अधिक ऋण सीमा वाले उधारकर्ताओं के लिए उधार की ब्याज दरों में चरणों में अर्थात् 13 अप्रैल 1991 से 16.0 प्रतिशत (न्यूनतम) से 17.0 प्रतिशत (न्यूनतम) तथा 4 जुलाई 1991 से और वृद्धि करके 18.5 प्रतिशत (न्यूनतम) की दी गई हैं। 9 मई 1991 से आयात वित्त पोषण पर 25 प्रतिशत का ब्याज दर अधिभार लगाया गया है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में वर्तमान में अग्रिमों पर लागू संशोधित ब्याज दरें संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा पर उधारों पर और ब्याज की दरों में हाल ही में की गई वृद्धि, कुल मांगों को कम करने, आयात में कटौती करने और अधिक वित्तीय अनुशासन लाने, उत्पादकता में सुधार लाने और माल सूची (इन्वेन्ट्री) में वृद्धि को नियंत्रित करने अन्य उपायों के साथ साथ उठाए गए कदम हैं।

विवरण

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित उधार की ब्याज दरों की संरचना

I. बैंकों के सभी उधार-कर्ताओं के समग्र ऋणों पर लागू सामान्य ब्याज दर संरचना

(लघु अवधि तथा दीर्घ अवधि)

सीमा (लिमिट) का आकार	ब्याज की दरें (प्रतिशत प्रति वर्ष)
1	2
(1) 7,500 रुपए तक और 7,500 रुपए सहित	10.0
(2) 7,500 रुपए से ऊपर तथा 15,000 रुपए तक	11.5
(3) 15,000 रुपए से ऊपर तथा 25,000 रुपए तक	12.00
(4) 25,000 रुपए से ऊपर तथा 50,000 रुपए तक	14.00
(5) 50,000 रुपए से ऊपर तथा 2 लाख रुपए तक	15.0
(6) 2 लाख रुपए से ऊपर	18.5 (न्यूनतम)
II. विशेष निर्धारित दरें	
1. विभेदी ब्याज दर (डी. आर. आई.) अग्रिम	4.0
2. कृषि, लघु उद्योग तथा दो वाहनों तक के परिवहन आपरेटरों को सावधि ऋण सीमा (लिमिट) का आकार	
(i) 25,000 से अधिक तथा 50,000 रुपए तक	13.0
(ii) 50,000 रुपए से अधिक	14.0
3. (i) टिकाऊ उपभोक्ता को खरीद के लिए ऋण (ii) शेयरों तथा डिबेंचरों/बांडों के बदले व्यक्तियों को ऋण — बैंकों को ब्याज निर्धारित करने की स्वतंत्रता है ।	
(iii) अन्य गैर-प्राथमिकता क्षेत्र व्यक्तिगत ऋण	
III. चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के लिए उधार ब्याज दरें ।	
चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अध्याधीन वस्तुओं के बदले में ऋण/अग्रिम/नकद ऋण/ओवर ड्राफ्ट	18.5 (न्यूनतम

1	2
IV. बिलों पर बट्टा	
2 लाख रुपए से अधिक	17.5 (न्यूनतम) (इस शर्त के साथ कि प्रभावी ब्याज दर चयनात्मक ऋण नियंत्रण पर ली जाने वाली ब्याज दर से 1 प्रतिशत बिन्दु कम होगी)
V. मध्यवर्ती अभिकरणों को स्वीकृत आवास वित्त पोषण	
2 लाख रुपए से अधिक*	17.0

टिप्पणी : उधार ब्याज दर संरचना 22.9.1990 से प्रारम्भ हुई थी । मद सं. 1 में जो परिवर्तन किए गए, वे नीचे दिए गए हैं:

यह दर 22.9.1990 से 16.0 प्रतिशत (न्यूनतम) निर्धारित की गई थी । यह 13.4.1991 से 17.0 प्रतिशत (न्यूनतम) तथा 4.7.1991 से 18.5 प्रतिशत (न्यूनतम) कर दी गई थी ।

*यह श्रेणी 4.7.1991 से लागू की गई थी ।

दिल्ली के लिए सड़क सुधार और विकास कार्यक्रम

5249. **श्री श्रवण कुमार पटेल** :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में दिल्ली के लिए एक सड़क सुधार और विकास कार्यक्रम बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य पर कितनी लागत आएगी और तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस कार्यक्रम के अनुसरण में क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां ।

(ख) 1991-92 का बजट अनुमोदित होने पर सड़कों के सुधार और विकास के पिछले

बकाया और नए कार्यों के लिए प्रस्तावित वार्षिक परिव्यय इस प्रकार है :—

(i) राष्ट्रीय राजमार्ग	—	5.00 करोड़ रु.
(ii) नई दिल्ली नगर पालिका	—	8.00 करोड़ रु.
(iii) दिल्ली नगर निगम	—	59.00 करोड़ रु.
(iv) दिल्ली प्रशासन	—	46.00 करोड़ रु.

विभिन्न सड़कों को चौड़ा करने मजबूत बनाने और उनमें सामान्य सुधार के अलावा उपर्युक्त परिव्यय के अन्तर्गत जिन नए बड़े निर्माण कार्यों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है, उन्हें संलग्न विवरण में दर्शाया गया है ।

(ग) यद्यपि पिछले बकाया कार्य विभिन्न चरणों में चल रहे हैं, फिर भी नए कार्यों का कार्यान्वयन धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

विवरण

1991-92 के वार्षिक कार्यक्रम में प्रस्तावित बड़े नए कार्य

1. राष्ट्रीय राजमार्ग

(i) बदरपुर के समीप एन. एच.-2 पर 'एलीवेटेड' सड़क खंड ।

(ii) एयरपोर्ट के समीप एन. एच.-8 पर 'ग्रेड सेपरेटर' ।

(iii) निजामुद्दीन में यमुना नदी पर बने पुल का सुधार ।

2. दिल्ली नगर निगम

(i) ग्रेड सेपरेटेड चौराहे	—	3
(ii) रोड अन्डर ब्रिजेज	—	3
(iii) अंडरग्राउंड पार्किंग लाट	—	1
(iv) पैदल सबवेज	—	6

3. दिल्ली प्रशासन

(i) माल रोड से बाहरी रिंग रोड तक सड़क नं. 51

(ii) माल रोड से सड़क नं. 57 तक नजफगढ़ नाले के साथ सड़क नं. 38 और 48

(iii पंजाबी बाग क्रासिंग पर ग्रेड सेपरेटर चौराहा

(iv) आई. टी. ओ. पर यमुना नदी पर अतिरिक्त पुल

(v) वजीराबाद में यमुना नदी पर अतिरिक्त पुल

जबलपुर स्थित रक्षा-कारखानों में 'ट्रेड अपरेन्टिसेस'

5250. **श्री श्रवण कुमार पटेल** :

क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जबलपुर स्थित विभिन्न रक्षा-कारखानों में कितने "ट्रेड अपरेन्टिसेस" प्रशिक्षित किये गये हैं;

(ख) उनमें से कितने प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार दे दिया गया है और अभी कितने रिक्त पद भरे जाने बाकी हैं; और

(ग) रिक्त पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) शिक्षु अधिनियम 1991 के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान आयुध निर्माणियों तथा सेना बेस मरम्मत डिपो, जबलपुर में तीन सौ सैंतीस अप्रेंटिसों को प्रशिक्षण दिया गया। यद्यपि आयुध निर्माणियों को ट्रेड अप्रेंटिसों को प्रशिक्षण देना होता है परन्तु प्रशिक्षित किए गए अप्रेंटिसों को नौकरी देने के सम्बन्ध में निर्माणियों के लिए कोई बाध्यता नहीं है और न ही अप्रेंटिसों के लिए उन्हीं निर्माणियों में नौकरी करने की बाध्यता है। आयुध निर्माणियों में ऐसे अप्रेंटिसों की नियुक्ति, निर्माणियों के कार्य-भार और नई भर्ती के लिए पद उपलब्ध होने की स्थिति पर निर्भर करती है। जबलपुर स्थित निर्माणियों के कार्य-भार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए औद्योगिक कर्मचारियों की नई नियुक्ति नहीं की जा सकती है।

रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने की मांग

5251. **श्री श्रवण कुमार पटेल** :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग व्यापार परिसंघ ने मांग की है कि रुपए को पूर्ण संपरिवर्तनीय बनाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) भारतीय वाणिज्य और उद्योग व्यापार परिसंघ ने सुझाव दिया है कि हाल के व्यापार नीति सम्बन्धी सुधारों के माध्यम से शुरू की गई उदारीकरण की प्रक्रिया से अन्ततः रुपया परिवर्तनीय मुद्रा बन जाएगा। सरकार को भी

ऐसी आशा है कि 3 से 5 वर्ष की अवधि में रुपया, व्यापार लेखे में पूर्णतया परिवर्तनीय मुद्रा बन जाएगा।

काजू की गिरी का आयात

5252. **श्रीमति सुशीला गोपालन** :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार केरल के काजू उद्योग को काजू की गिरी का आयात करने की अनुमति नहीं दे रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में काजू की गरी का आयात करने की अनुमति प्रदान करने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) (क) से (ग) आयात तथा निर्यात नीति 1990-93 के अन्तर्गत, काजू गिरी आयात के लिए एक प्रतिबंधित मद है क्योंकि काजू उद्योग इनका आयात करके निर्यात ही करता है। वर्ष 1990-91 में भारत ने 430 करोड़ मूल्य रुपये से अधिक की काजू गिरी का निर्यात किया।

राज्यों के राजमार्गों के लिए राज्यों को आवंटित धनराशियां

[हिन्दी]

5253. **श्री ललित उरांव** :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य के राजमार्गों के निर्माण/सुधार के लिए केन्द्रीय सड़क निधि में से वर्ष 1987-88, 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान विभिन्न राज्यों को, राज्य-वार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई/वापस लौटायी गई; और

(ग) धनराशियों का उपयोग नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) केन्द्रीय सड़क निधि में से विभिन्न राज्यों को रिलीज की गई राशियां को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत अनुमोदित स्कीमों पर व्यय मूलतः राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के

योजना संसाधनों में से किया जाता है और इस व्यय को अनुमोदित स्कीमों की कुल लागत, रिलीज की गई कुल राशि, अखिल भारतीय आधार पर पारस्परिक प्राथमिकता, राज्य द्वारा परियोजित आवश्यकता तथा बजट प्रावधान की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए हुए, वित्त वर्ष के अन्त में किए गए आवंटन से समायोजित किया जाता है। यदि कोई राशि असमायोजित रहती है तो इसे परवर्ती वर्ष के आवंटन से पूरा किया जाएगा। केन्द्रीय सड़क निधि समाप्त न होने वाली निधि (नानलैप्सिग फंड) इसलिए इसे वापिस करने का प्रश्न ही नहीं है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	जारी की गई राशि				(लाख रु.)
		1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	46.26	7.39	4.49	5.00	63.14
2.	असम	26.00	25.00	31.50	—	82.50
3.	बिहार	30.00	12.00	—	—	42.00
4.	गोवा	—	—	—	—	—
5.	गुजरात	120.00	229.23	100.00	150.00	599.23
6.	हरियाणा	9.00	15.10	15.00	50.00	89.10
7.	हिमाचल प्रदेश	28.31	6.00	6.00	6.81	50.12
8.	जम्मू और कश्मीर	—	1.77	10.00	—	11.77
9.	कर्नाटक	70.00	78.00	6.024	7.00	161.024
10.	केरल	57.43	10.06	135.016	150.00	352.506
11.	मध्य प्रदेश	—	45.40	30.00	50.00	125.40
12.	महाराष्ट्र	—	64.05	19.00	4.50	87.56
13.	मणिपुर	19.50	10.00	5.00	10.50	45.00
14.	मेघालय	—	—	—	—	—
15.	नागालैंड	1.00	6.00	1.96	1.19	10.15
16.	उड़ीसा	25.00	—	—	—	25.00
17.	पंजाब	1.50	—	—	—	1.50
18.	राजस्थान	23.00	15.00	161.00	207.00	406.00

1 2	3	4	5	6	7
19. सिक्किम	—	—	—	—	—
20. तमिलनाडु	20.00	15.00	10.00	—	45.00
21. त्रिपुरा	3.00	—	—	—	3.00
22. उत्तर प्रदेश	20.00	160.00	315.00	250.00	745.00
23. पश्चिम बंगाल	—	—	50.00	5.00	55.00
जोड़	500.00	700.00	900.00	900.00	3000.00

भारतीय नौवहन ऋण और निवेश कम्पनी का कार्यकरण

[अनुवाद]

5254. **श्री सी. पी. मुदालगिरियप्पा :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में भारतीय नौवहन ऋण और निवेश कम्पनी के कार्यकरण के बारे में कोई शिकायत मिली है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संगठन के कार्य में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार को भारतीय नौवहन ऋण और निवेश कम्पनी के कार्यकरण में संशोधन और सुधार लाने के लिए हाल के महीनों में पत्र और याचिकाएं प्राप्त हुई हैं।

(ख) भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी/कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत निदेशक मण्डल द्वारा प्रबंधित कम्पनी है, न कि एक सरकारी कम्पनी। सरकार को समय-समय पर कम्पनी के कार्यकरण में सुधार और संशोधन के लिए पत्र और याचिकाएं प्राप्त होती रहती हैं। चूंकि यह निदेशक मण्डल द्वारा प्रबंधित कम्पनी है इसलिए इन पत्रों को यथा अपेक्षित जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए उन्हें भेज दिया गया था। जहां प्रत्यक्ष रूप से सरकार का हित अन्तर्गस्त होता है, ऐसे मामलों में कम्पनी को उचित सुझाव दिए गए हैं और जहां आवश्यक समझा गया, उसकी विशिष्ट जानकारी भी मांगी गयी है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-9 और सं.-5 को जोड़ने के लिए सुरंग का निर्माण

5255. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**

क्या **जल-भूतल परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा में इन्डाकुनाडी पहाड़ी में एक सुरंग के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-9 और रा. रा. सं-5 जोड़ने की योजना को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्पर्क सड़क के निर्माण कार्य के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) यह निर्माण कार्य किस तारीख तक पूरा हो जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) (क) इन्द्रकुलाडी सुरंग द्वारा रा. रा. 9 को रा. रा. 5 से जोड़ने की स्कीम पर कार्य शुरू कर दिया गया है लेकिन कार्य का कुछ भाग अभी पूरा किया जाना शेष है।

(ख) स्थानीय लोगों द्वारा फरवरी, 1987 में उच्च न्यायलय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने के कारण लिंक रोड़ के निर्माण में विलम्ब हुआ क्योंकि इस स्थगन आदेश द्वारा सड़क के एक खंड पर कार्य करने पर रोक लगा दी गई थी।

(ग) चूंकि उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश अभी निष्प्रभावित नहीं किया गया है इसलिए अभी से यह बता पाना मुमकिन नहीं है कि यह कार्य किस तारीख तक पूरा हो जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश में खम्माम जिले के गन्ना उत्पादकों को ऋण

5256. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य बैंक उन किसानों को ऋण नहीं दे रहे हैं जो आंध्र प्रदेश के खम्माम जिले स्थित कैलाश शुगर्स को (गन्ने की) आपूर्ति करने के लिए गन्ने की फसल उगा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का फैक्ट्री क्षेत्र में स्थित वाणिज्यिक बैंकों को उस क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों को फसली ऋण देने के लिए निर्देश जारी करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। प्रचलित नीति के अनुसार, वाणिज्यिक बैंक उन योजनाओं का वित्त पोषण करते हैं जो अर्थक्षम और भरोसे योग्य हैं चाहे गन्ना किसी भी चीनी मिल को दिया जाता हो अथवा नहीं।

पटसन मिलों को आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए धनराशि

5257. **श्री गोपीनाथ गजपति :**

क्या **वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न पटसन मिलों को आधुनिकीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या इन मिलों में आधुनिकीकरण के लिए प्राप्त की गई धनराशि का उपयोग कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर प्रत्येक मिल द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई और प्रत्येक मिल को इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से उत्पादन में क्या उपलब्धियां हुई; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) 31 जुलाई, 1992 की स्थिति के अनुसार पटसन आधुनिकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत निधियों के आवंटन की स्थिति निम्नोक्त अनुसार है :

(करोड़ रु. में)

क्र०सं०	मिल का नाम	आवंटित की गई राशि
1.	एंग्लो इण्डिया जूट मिल्स कम्पनी लि०	1.00
2.	हैस्टिंग्स मिल	1.56
3.	एकता लिमिटेड	4.26
4.	इण्डिया जूट एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	6.68
5.	बिरला जूट एण्ड/इंडस्ट्रीज लि०	3.68
6.	नैहाती जूट मिल्स कं० लि०	1.36
7.	गंगे मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि.	2.35
8.	चितावाल्साह जूट मिल	1.75
9.	चेवियट कं लि.	1.92
10.	कैल्विन जूट कं.	1.14
11.	न्यू सैन्ट्रल जूट मिल्स लि.	1.85

(ख) उपरोक्त राशि आधुनिकीकरण के लिए स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित की गई है और लगभग पूरी तरह उपयोग कर ली गयी है।

(ग) जिन पटनन मिलों ने अधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया है उनमें उत्पादन, उत्पादकता और कार्य-क्षमता में सामान्यतः सुधार हुआ है लेकिन आधुनिकीकरण के कारण ऐसा सुधार कितना हुआ है, यह अभी बता पाना सम्भव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना

5258. **श्री गोपीनाथ गजपति** :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इस प्राधिकरण की स्थापना कब की गई; और

(घ) इस प्राधिकरण द्वारा अब तक शुरू किए गए विभिन्न कार्यों और कार्यक्रमों का ब्योरा क्या है?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) मूल उद्देश्य ये हैं :—

(i) मछली पालन सम्बन्धी संसाधनों का संरक्षण तथा प्रबन्ध और अपतट और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का विकास;

(ii) निर्यातकों तथा संसाधन संयंत्रों का पंजीकरण;

(iii) समुद्री उत्पादों के निर्यात का विनियमन;

(iv) मानकों और विनिर्देशों को सिर्धारित करना;

(v) वित्तीय अथवा अन्य सहायता देना और सरकार के निर्देशों के अनुसार राहत एवं आर्थिक सहायता के विस्तार के हेतु अभिकरण के रूप में कार्य करना;

(vi) बाजार आसूचना, निर्यात संवर्धन तथा आवश्यक वस्तुओं के आयात के सम्बन्ध में उद्योग की सहायता करना;

(vii) विशेष रूप से गुणवत्ता नियंत्रण संसाधन और विपणन के संदर्भ में समुद्री उत्पाद उद्योग के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण देना;

(viii) वाणिज्यिक श्रिप फार्मिंग का संवर्धन;

(ix) गहरे समुद्र में मछली पकड़ना एक्वाकल्चर मछली पालन, मूल्यवर्द्धित समुद्री खाद्य का संसाधन तथा विपणन करने वाले संयुक्त उद्यमों का संवर्धन;

(ग) प्राधिकरण संसद के एक अधिनिमम के द्वारा 30 अप्रैल, 1972 को अस्तित्व में आया।

(घ) देश के समुद्री निर्यातों को बढ़ाने के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) ने विभिन्न विकासात्मक कार्यकलाप शुरू किए हैं जिनमें ये शामिल हैं :

(i) मछली पकड़ने के जरिए उत्पादन बढ़ाने में मार्गदर्शन और आवश्यक सहायता देना;

(ii) मछली पालन फार्मों के माध्यम से निर्यात उत्पादन बढ़ाने के लिए मछली पालन का विकास करना;

(iii) मूल्य वर्द्धित उत्पादों के निर्यातों के लिए प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना करने में समुद्री खाद्य उद्यमियों को प्रोत्साहन देना;

(iv) समुद्री खाद्य उद्योग से सम्बन्धित बाजार आसूचना का प्रसार करना; और

(v) समुद्री खाद्य निर्यात उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए सरकार की विभिन्न आर्थिक सहायता सम्बन्धी योजनाओं को संचालित करना।

हीरों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की कमाई

5259. **श्री गोपीनाथ गजपति** :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने हीरों के निर्यात से वर्षवार कुल विदेशी मुद्रा अर्जित की है;

(ख) क्या हीरों के निर्यात में वृद्धि करने की बड़ी गुंजाइश है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) हीरे का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार पिछले तीन वर्षों के लिए तराशे हुए और पालिश किए गए हीरों के निर्यात का वर्ष वार मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	करोड़ रुपए में
1988-89	4238
1989-90	4972
1990-91	4739

(ख) और (ग) हीरों का निर्यात उन देशों की आर्थिक दशाओं पर निर्भर करता है, जो हमारे प्रमुख क्रेता हैं। इनमें से कुछ देशों में मन्दी की दशाओं और भारतीय रुपए में अवमूल्यन को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1991-92 के लिए अस्थायी निर्यात लक्ष्य 5700 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।

(घ) सरकार ने हीरों के निर्यात के लिए आयातित कच्चे माल की आपूर्ति को सुकर बनाने के लिए उपाय किए हैं। भारतीय रुपए की विनिमय-दर में समायोजन से भी हमारे निर्यात और अधिक प्रतियोगी बनेंगे।

वित्तीय संस्थाओं में धन की कमी

5260. **श्री रमेश चन्द तोमर** :

श्री वीरेन्द्र सिंह :

श्री चेतन पी. एस. चौहान :

श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तीन भारतीय सावधि ऋणदात्री वित्तीय संस्थाएं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम ने सूचित किया है कि वे संसाधनों की कमी का सामना कर रही हैं।

(ख) वित्तीय संस्थाओं की संसाधन जुटाने की कठिनाईयां विभिन्न खराब परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुई हैं जिनमें ब्याज दर से कम नियंत्रित ब्याज की दरों पर (ऐसा अनुबंध जिसमें सरकार ने हाल ही में ढील दी है) उनके द्वारा ऋण दिया जाना, ऐसी बाजार ब्याज दरों पर उधार लेने की उनकी असम-

थता जिसमें उनकी लागत कवर होती हो, रियायती ब्याज दर उधारों का कम होता हुआ अनुपात जिसे सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक उन्हें आवंटित कर सकते हैं और उद्योग से दीर्घावधिक वित्त के लिए मांग में अधिक वृद्धि शामिल है। चालू वर्ष से निवेश निक्षेप खाता योजना के बन्द किए जाने, पूंजी बांडों की लाग इन अवधि की समाप्ति और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की संसाधन आवश्यकतायें जैसे प्रत्येक संस्था को पेश आने वाले कुछ विशिष्ट कारण और ये सभी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की संसाधन की स्थिति को प्रभावित करते हैं।

(ग) वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले सावधि ऋणों के ब्याज दर ढांचे को सरकार ने हाल ही में विनियंत्रित किया है। इससे संस्थानों को लचीलेपन के काफी उपाय करने की सुविधा प्रदान की है ताकि वे संसाधनों के लिए बाजार की शर्तों पर स्पर्धा में भाग ले सकें और इस प्रकार संसाधनों की उनकी स्थिति को काफी सुधार हुआ है।

ईसाई व्यक्तिगत कानून

5261. **श्री पीयूष तरकी** :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को ईसाई व्यक्तिगत कानून में शादी, तलाक, उत्तराधिकारी और गोद लेने सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन करने सम्बन्धी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय किए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगरजन कुमारमंगलम) : (क) जी हां।

(ख) विचारणीय मुद्दों पर विनिश्चय करना सरकार के लिए तभी सम्भव होगा जब वह ईसाई समुदाय के दृष्टिकोण को अभिनिश्चित कर ले, क्योंकि सरकार की यह नीति है कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बद्ध स्वीय विधि में तभी संशोधन पुरस्थापित किया जाए जब सम्बद्ध समुदाय वैसा करने के लिए सहमत हो या उसके लिए उस समुदाय द्वारा मांग की जाए।

त्रिवेन्द्रम में विजय मोहिनी मिल का आधुनिकीकरण

5262. **श्री ए. चार्ल्स**

क्या **वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को त्रिवेन्द्रम में विजय मोहिनी मिल के आधुनिकीकरण के लिए कोई परियोजना प्रस्तुत की है: और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह मामला विचार के किस चरण में है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत विजय मोहिनी मिल्स, त्रिवेन्द्रम नामक वस्त्र एकक के आधुनिकीकरण के बारे में उद्योग तथा समाज कल्याण मन्त्री, केरल सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ था।

(ख) 590.75 लाख रु. के परिव्यय से विजय मोहिनी मिल्स की आधुनिकीकरण की योजना का दिसम्बर, 1990 में वित्तीय संस्थानों द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है और इसे क्रियान्वित किया जा रहा है।

बैंकों द्वारा बड़े उद्योग-घरानों को दिए गए ऋण

5263. **श्री महेश कुमार कनोडिया** :

श्री चेतन पी. एस. चौहान :

श्री प्रभूदयाल कठेरिया :

श्री दत्तात्रेय बंडारु :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरा बैंकों द्वारा बड़े उद्योग घरानों को वर्ष-वार कितनी धनराशि के ऋण वितरित किये गए;

(ख) उपर्युक्त वर्षों के दौरान बैंकों द्वारान विभेदक ब्याज दर (डी. आर. आई.) योजना के के अन्तर्गत वर्ष-वार कुल कितनी धनरारिश के ऋण दिये गए;

(ग) 30 जून, 1991 को स्थिति के अनुसार, बड़े उद्योग-घरानों पर अलग-अल कितनी धन-राशि के ऋण बकाया थे और और विभेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत कितने लोगों को ऋण दिए गए;

(घ) इन दोनों श्रेणियों में वसूल न किए जा सकने वाले ऋण को इसनी अधिक धनराशि होने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) वसूल न किए जा सकने वाले इन ऋणों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उद्योगों के लिए बकाया ऋण राशि आकार-वार, तथा उसी के के लिए जून, 1988 के अन्त, मार्च, 1989 तथा मार्च, 1990 (नीवनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार अतिदेय राशिया नीचे दी गई हैं :—

वर्ष	बकाया धन राशि (रुपए करोड़ में)	अतिदेय राशिया
जून 1988		
बड़े तथा मझोले	22521	3020
लघु उद्योग	11492	2312
योग	34013	5332
मार्च, 1989		
बड़े तथा मझोले	25926	3667
लघु उद्योग	13317	2661
योग	39243	6328
मार्च 1990		
बड़े तथा मझोले	28367	3731
लघु उद्योग	13467	2761
योग	41834	6492

विभेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋण खातों की संख्या तथा अग्रिमों की बकाया धनराशियां तदनुरूप अवधि के लिए इस प्रकार थी :—

वर्ष का अन्त	खातों की संख्या (रुपए लाख में)	बकाया धनराशि (रुपए करोड़ में)
मार्च, 1988	47.01	624.47
मार्च, 1989	47.68	679.59
मार्च, 1990	42.29	703.59

(घ) और (ङ) सरकारी क्षेत्र के बैंक व्यापारियों/उद्योगपतियों को अपने सामान्य बैंकिंग कारबार में आवश्यकता-आधारित ऋण की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के पश्चात अग्रिमों की स्वीकृति प्रदान करते हैं। तथापि, यह हो सकता है कि कुछ खाते/एकक के कारण जो बैंकों के नियंत्रण से परे हैं, अवरुद्ध/रुग्ण हो जाए, ऐसे अग्रिमों की घटनाओं को कम करने के विचार से भारतीय रिजर्व बैंक नियमित रूप से बैंकों का वित्तीय निरीक्षण करता है। प्रत्येक निरीक्षण के पश्चात मुख्य निष्कर्षों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों से चर्चा की जाती है ताकि उपचारात्मक कारंवाही की जा सके। बैंक भी आंतरिक नियंत्रण मशीनरी को चुस्त करने के लिए कदम उठाते हैं और अवरुद्ध/रुग्ण अग्रिमों को घटाने के लिए करंवाई करते हैं। विभेदी ब्याज दर अग्रिमों की खराब वसूली के विभिन्न कारण हैं जैसे घटिया स्तर की परिसम्पत्तियों की खरीद, आंतरिक खपत व्यय में वृद्धि, परियोजनाओं की अपर्याप्त पहचान, अपर्याप्त वित्त की स्वीकृति, पर्यवेक्षण की कमी तथा बैंक कर्मचारियों द्वारा उनका अनुवर्तन न करना। भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंकों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने अग्रिमों के बारे में, विभेदी ब्याज दर योजना सहित वसूली की करंवाही को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को परामर्श दिया गया गया है कि वे अपनी ग्रामीण शाखाओं के लिए सप्ताह में एक दिन गैर-बैंकिंग कार्य दिवस मनाएं। इसके अतिरिक्त, वसूली का कार्य उन मुद्दों में से एक है, जिसकी चर्चा जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर बैंकर्स तथा सरकारी अधिकारियों की बैठक में की जाती है।

विदेशी निवेश सलाहकार परिषद् द्वारा आयोजित गोलमेज सम्मेलन

5264. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी निवेश सलाहकार समिति ने विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मूल्यांकन करने के लिए हाल ही में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था ;

(ख) यदि हां, तो भारत के बारे में क्या टिप्पणियां की गयी थीं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) युनाइटेड नेसन्न आन ट्रांसनेशनल कार्पोरेशन्स (यू. एन. सी. टी. सी.) ने 15-16 मार्च, 1990 को भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी अंतरण पर नई दिल्ली में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था।

(ख) उक्त सम्मेलन में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था।

(ग) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उदार बनाने की दृष्टि से सरकार ने 24, जुलाई, 1991 को

संसद के दोनों मदनों के सभा-पपटल पर औद्योगिक नीति पर एक विवरण रख कर विदेशी निवेश नीति को उदार बना दिया है ।

भारतीय पूंजी निवेश केन्द्रों का कार्य निष्पादन

5265. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों में भारतीय पूंजी निवेश केन्द्रों के कार्यालयों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) विदेशी पूंजी निवेश को आकृष्ट करने में इन कार्यालयों का गत तीन वर्षों के दौरान कार्यालय-वार और वर्ष-वार कार्य-निष्पादन क्या है और उस पर कितना धन खर्च हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) भारतीय निवेश केन्द्र के आबुधाबी (संयुक्त अरब अमीरात), फ्रैंक फुर्त (जर्मनी,) लंदन (यू. के.) न्यूयार्क (संयुक्त राज्य अमेरिका), सिंगापुर और टोक्यो (जापान) में स्थिति छः कार्यालय थे । खर्च में कमी करने के उपायों के कारण इन कार्यालयों को 1990-91 में बन्द कर दिया गया । परन्तु फ्रैंक फुर्त, लंदन और सिंगापुर के कार्यालयों के कुछ कार्मिकों को निजी कारणों से 30-9-1991 तक बने रहने की अनुमति दी गई है ।

(ख) विदेशी निवेश आकर्षित करने में भारतीय निवेश केन्द्र के कार्यालयों का कार्य-निष्पादन सामान्यतः संतोषजनक रहा है । जहां तक पिछले तीन वर्षों में किए गए व्यय का संबन्ध है एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के लिए भारतीय निवेश केन्द्र के विदेशस्थ कार्यालयों पर कार्यालय वार और वर्षावार व्यय

(राशि दस लाख रुपयों में)

कार्यालय	1988-89	1989-90	1990-91	जोड़
आबुधाबी	2.850	3.268	2.615	8.733
फ्रैंकफुर्त	3.276	4.126	5.305	12.707
लंदन	4.056	4.037	5.428	13.521
न्यूयार्क	4.509	5.923	6.104	160536
सिंगापुर	2.396	2.995	3.926	9.317
टोक्यो	4.057	4.768	4.232	13.057
			कुल जोड़	72.871

मात्स्यिकी में संयुक्त उद्यम हेतु मार्ग निर्देश

5266. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनेक प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों को आकर्षित करने के लिए मास्त्यिकी में संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु नये मार्ग निर्देश तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बी ब्यौरा क्या है;

(ग) मात्स्यिकी में संयुक्त उद्यमों की स्थापना हेतु सरकार को प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन प्रस्तावों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) सरकार ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने हेतु संमुक्त उद्यमों के लिए हाल ही में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।

(ख) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए संशोधित संयुक्त उद्यम नीति की मुख्य विशेषताए निम्नानुसार हैं :—

(i) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संम्बन्धी सभी प्रस्तावों का एक मुश्त निपटान करने के लिए सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति का गठन।

(ii) भारतीय ई. ई. जेड. में विशेषीकृत मछली पकड़ने के कार्यों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए निदेश-पूर्व अध्ययन को सरल बनाने के उद्देश्य से परीक्षण के लिए मछली पकड़ने की अनुमति दी गई है।

(iii) लम्बे पट्टे वाले पोतों को भारतीय ई. ई. जेड. में परिचालन की अनुमति दी गई है। विदेशी पंजीकरण तथा विदेशी झंड़े वाले पोत का अब भारतीय ई. ई. जेड. में परिचालन हो सकता है :—

(iv) पोतों के अभिग्रहण के लिए ऋण इक्विटी प्रतिमानों को बढ़ाकर 6:1 से ज्यादा नहीं तक कर दिया गया है।

(v) उत्पादक निर्यातक अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर डीजल तेल लने के हकदार हैं।

(vi) मामला दर मामला आधार पर 40% विदेशी इक्विटी के प्रतिमानों में ढील।

(vii) पोतों की लागत को विदेशी भागीदार की इक्विटी के भाग के रूप में मानना।

(viii) पकड़ी गयी मछलियों को विदेशी बंदरगाहों पर ले जाने की अनुमति है।

(ग) सरकार को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से करीब एक दर्जन प्रस्ताव मिले हैं।

(घ) इन प्रस्तावों पर सचिवों की अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

बैंकों द्वारा अदालती विवादों पर किया गया खर्च

5267. **श्री चेतन पी०एस० चौहान :**

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990 में और 1991 में अब तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों में से प्रत्येक ने ऋणों की वसूली के लिए अदालती मामलों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की;

(ख) क्या पिछले दस वर्षों से ऐसा खर्च बढ़ता जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) बैंकों द्वारा किये जा रहे ऐसे खर्च को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं या उठाये जाने वाले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रक्षा सुरक्षा कर्मियों को 15 वर्ष के सेवाकाल के पश्चात सेवामुक्त होने पर भूतपूर्व सैनिक मानना

5268. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली :**

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सुरक्षा कर्मियों को 15 वर्ष का सेवा-काल पूरा करने के पश्चात उनके सेवामुक्त होने पर उन्हें भूतपूर्व सैनिक मानने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) (क) और (ख) पुनर्वास महानिदेशालय को इस आशय का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था कि रक्षा सुरक्षा कोर में कार्य कर चुके कार्मिकों को भूतपूर्व सैनिकों का दर्जा दिया जाना चाहिए बशर्ते वे भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की 27 अक्तूबर 1986 की अधिसूचना के उप पैरा 2 (ग) (1) से (4) तक में दी गई किसी भी अन्य शर्त को पूरा करते हों। इस

प्रस्ताव के समर्थन में यह तर्क दिया गया था कि रक्षा सुरक्षा कोर के कार्मिक नियमित सशस्त्र सेनाओं के साथ तैनात किए जाते हैं, उनके साथ मिलकर कार्य करते हैं और उन्हें वैसे ही खतरों का सामना करना पड़ता है जैसे कि सेना कार्मिकों को। इस मामले पर भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं पर विचार करने के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति (जिसकी सिफारिशों के आधार पर नवम्बर, 1986 में भूत-पूर्व सैनिकों की परिभाषा संशोधित की गई थी) ने विचार किया था परन्तु उसने यह सिफारिश नहीं की कि रक्षा सुरक्षा कोर के सेवानिवृत्त कार्मिकों को भूतपूर्व सैनिक माना।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

[हिन्दी]

5259. **श्री राम बदन** :

क्या **जल भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय राज-मार्गों के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार के पास भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पर कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और 1990 में अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास से संबंधित प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दिए गए हैं। तथापि खर्च, प्रस्तावों की जांच करके उनको स्वीकृत करने के बाद ही किया जाता है। वर्ष 1990-91 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वीकृत विभिन्न स्कीमों पर राज्य सरकार द्वारा 65.16 करोड़ रु० खर्च किए बताए हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास से संबंधित स्कीमों के लिए वर्ष 1991-92 के लिए 60 करोड़ रु० का अस्थाई प्रावधान किया गया है।

(ग) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 1.4.1990 से और उसके बाद स्वीकृत 111.91 करोड़ रु० के निर्माण कार्यों की सूची संलग्न विवरण-3 में दी गई है।

विवरण-I

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए 25 लाख रु० से अधिक के कार्यों की सूची

सड़कें

क्रम सं०	कार्य का नाम	राशि
1	2	3
1.	कि. मी. 421-432 एन. एच. 2 डी. के रोड में हार्ड शोल्डर	77.00

1	2	3
	2. एन. एच. 56 के 41 कि.मी. को ऊंचा उठाना	26.33
	3. फैजाबाद बाईपास पर हाईटेंशन इलैक्ट्रिक लाईन को ऊंचा उठाना	29.73
	4. एन. एच. 28 के 3 से 5 कि.मी. तक में वर्तमान दो लेन के स्थान पर चौड़ा करके चार लेन बनाना सुदृढ़ करने का प्रथम चरण	49.85
	5. 216.90.219.200 कि.मी. में हाई शोल्डर	27.44
	6. (i) एन एच 2 के 275-278, 287-290 कि.मी.	
	(ii) 291-315, 320-324 डी. के खंड सुदृढ़ करना	249.00
	7. एन. एच. 2 पर इटावा बाईपास चरण—I का निर्माण	670.90
	8. एन.एच. 7 के 8.315-15.00 कि.मी. को सुदृढ़ करना	99.95
	9. एन. एच 24 के 281 308 कि.मी. को सुदृढ़ करना	442.72
	10. एन.एच. 25 के 28 से 57 कि.मी. को सुदृढ़ करना	544.00
	11. एन. एच. 27 के 19-30 कि.मी. को सुदृढ़ करना	202.00
	12. एन.एच 28 के 35-75 कि.मी. को सुदृढ़ करना	863.00
	13. एन.एच. 56 के 225-260 कि. मी. को सुदृढ़ करना	596.36
	14. औरिया बाईपास (एल. ए तथा निर्माण) एन.एच 25 का निर्माण	19.76
	15. एन.एच. 24 पर सीतापुर बाईपास का निर्माण	371.00
	16. 251, 262, 268 तथा 269 कि. मी. एन.एच. 24 को सुदृढ़ करना	73.35
	17. एन.एच. 25 के 215-240 कि. मी. को सुदृढ़ करना	400.57
	18. एन.एच. 28 के 325-361 कि.मी. को सुदृढ़ करना	834.55
	19. एन. एच 2 के. वी. खंड के 320-329, 250 कि.मी को सुदृढ़ करना	148.90
	जोड़	5726.4ᵢ लाख रु.

1.4.90 (90-91) से जल-भूतल परिवहन मंत्रालय को राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए 20 लाख रु. से कम के कार्यों की सूची।

सड़कें

क्रम सं.	कार्य का नाम	राशि
1	2	3
1.	एन.एच., मोबाइल मैकेनाईज्ड मेन्टनेंस यूनिट के रख-रखाव के लिए प्राक्कलन	30.07
2.	शाहजहां पुर बाईपास के संरेखण के साथ-साथ फैंसिंग प्लांट प्रोटेक्शन गार्ड	2.60
3.	रा.रा. 24 के 388 से 390 कि.मी. तक हाहार्ड शोल्डर्स की ऊँचा उठाना और 361 से 383 कि.मी. में ब्रिक एजिंग	18.93
4.	103, 104 कि.मी. (गोपी गंज) में हार्ड शोल्डर	13.73
5.	रा.रा. 24 के 94 से 153.64 कि.मी. के बीच कमजोर और तंग पुलिआओं का पुनर्निर्माण	10.60
6.	रा.रा. 24 के कि.मी. 118,127 तथा 128 में हार्ड शोल्डर	10.50
7.	रा.रा. 24 के कि.मी. 252 से 254 तक में पैदल पथ को मजबूत बनाना	22.00
8.	गाजियाबाद बाईपास के 9 तथा 10 कि.मी. में ऊंचे तटबंध की सुरक्षा	25.00
9.	रा.रा. 24 के कि. मी. 160.40 से 180.66 में कमजोर और तंग पुलिआओं का पुनर्निर्माण	25.00
10.	रा.रा. 2 के 364 से 365 कि.मी. में सुरक्षा प्रदान करने वाले हार्ड शोल्डर	6.30
11.	रा.रा. 3 के 31 कि. मी. पार्वती नदी पर पुलों तक अप्रोचों के लिए पी. ए. प्राक्कलन	1.96
12.	रा.रा. 2 के 221.600 से 223.200 कि.मी. में हार्ड शोल्डर का निर्माण	8.93
13.	रा.रा. 2 डी के खंड का 199.60 से 204.50 कि. मी. हार्ड शोल्डर का निर्माण	24.40
14.	रा.रा. 2 डी. के खंड के 235 से 238 कि.मी. डार्ड शोल्डर की व्यवस्था करना	16 86
15.	रा.रा. 2 डी. के खंड के 216.90 से 219.200 कि.मी. में हार्ड शोल्डर	22.92
16.	कानपुर बाईपास के 18.19 कि.मी. नेटलोन डालना	25.00
17.	रा.रा. 2 के वी. खंड के कि.मी. 76 फतेहपुर बाईपास के बीच सम्पर्क सड़क	15.63
18.	रा.रा. 2 डी. के खंड के 471-473 कि.मी. में हार्ड शोल्डर	87.20

1	2	3
19.	लखनऊ कानपुर सड़क रा.रा. 25 के 30 से 31.500.58 से 59.500 और 75 76-30 से कि. मी. में हार्ड शोल्डर	24.76
20.	रा.रा. 2 डी के रीड के 421 से 432 कि.मी. में हार्ड शोल्डर	77.00
21.	रा.रा. 22 के 322 और 323 कि.मी. हार्ड शोल्डर की व्यवस्था करना	24.71
22.	रा.रा. 28 के 75, 140, 147 कि. मी. की राइडिंग क्वालिटी में सुधार करना	21.57
23.	रा.रा. 56 के 20,21, 22 कि. मी. में हार्ड शोल्डर	21.96
24.	रा.रा. 28 पर 301 से 303 कि.मी. तक प्रोफाइल करेक्शन	24.81
25.	रा.रा. 28 के 260, 261, 268, 269, 316 तथ 317 कि. मी. हार्ड शोल्डर	24.00
26.	रा.रा. 28 के 185 से 186. 400 कि. मी. में हार्ड शोल्डर	5.87
27.	रा.रा. 28 के 297 कि. मी. में ले-बाई निर्माण	22.81
28.	रा.रा. 28 के 303 और 302 कि. मी. की ड्रैनेज में सुधार के लिए एल. सैक्शन करैक्शन के साथ सड़क को ऊंचा उठाना।	21.39
29.	रा.रा. 56 के 175 से 196 कि. मी. तक में क्षतिग्रस्त और तंग पुलियाओं का पुनर्निर्माण।	23.15
30.	रा.रा. 25 (एल के खंड) के 22 से 25 कि. मी. में हार्ड शोल्डर	24.56
31.	रा.रा. 25 के 28, 29 कि. मी. में हार्ड शोल्डर	24.97
32.	रा.रा. 28 के 86.400 से 87.00 कि. मी. में हार्ड शोल्डर	9.26
33.	रा.रा. 56 के कि. मी. 157.174 में कमजोर तंग पुलिआओं का पुनर्निर्माण	23.41
34.	रा.रा. 56 के 80,81 तथा 85 कि. मी. हार्ड शोल्डर की व्यवस्था	14.45
35.	रा.रा. 29 के 160 तथा 161 कि. मी. का सुधार	20.53
36.	रा.रा. 56 के 198 से 210 कि. मी. तक में कमजोर और तंग पुलिआओं का पुन निर्माण।	24.87
37.	रा. रा. 56. के 134 से 156 कि. मी में कमजोर और तंग पुलिथाओं का पुन निर्माण	23.91
38.	रा. रा. 56 के 117 से 133 कि. मी. में कमजोर और तंग पुलियाओं का पुनर्निर्माण	22.34
3.9	रा. रा. 28 के 301 कि. मी. में प्रोफाइल करैक्शन	15.71

1	2	3
	40. रा. रा. 29 के 180, 176 तथा 197 कि. मी. के लिए एस. आर.	11.00
	41. रा. रा. 25 से 27 कि. मी. में हार्ड शोल्डर की व्यवस्था	18.38
	42. रा. रा. 28 के 16 कि. मी. में ऊंचे तटबंध की सुरक्षा	24.70
	43. के. वी. खण्ड की पुलिया सं. 232/1, 241/4, 252/1 का पुनर्निर्माण	5.56
	44. रा. रा. 2 (के. वी. खंड) के 255-256 कि. मी. ब्रिक ऐजिंग	6.36
	45. रा. रा. 2 (के. वी. खंड) के 249-250 कि. मी. को सुदृढ़ करना	25.00
	46. रा. रा. 2 के 231 तथा 233 कि. मी. में पोली भर ग्रिड की व्यवस्था करके उसे डालना	23.93
	47. रा. रा. 2 (के वी खंड के 270-275 कि. मी. में हार्ड शोल्डर	15.56
	48. रा. रा. 2 (के वी खण्ड 213-220 कि. मी. में हार्ड शोल्डर की व्यवस्था	10.00
	49. रा. रा. 7 के 8.213 से 10.313 कि. मीं. तक में हार्ड शोल्डर	7.21
	50. रा. रा. 56 की पुलिया सं. 272/2 का पुनर्निर्माण	2.08
	51. कि. मी. 82.08 से 85.00 98.700 से 100.00 और 110.64 से 111.068 तक में रा. रा. 7 को चौड़ा करने के लिए एल. ए.	2.69
	52. रा. रा. (के. वी. खण्ड) के कि. मी. 146 में ऊंचे तटबंध की सुरक्षा	4.40
	53. रा. रा. 29 के कि. मी. 120, 121 में एस. आर. टोन टोन ब्रिज अप्रोच	23.00

1	2	3
	54. कि. मी. 157 और 158 में दोहरी घाट में चागरा ब्रिज अप्रोच तक एस. आर.	25.00
		20479.137

1990-91 में प्रस्तुत किए गए कार्यों की सूची

पुल

क्रम सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु.)
1.	रा. रा. 28 पर 21 कि. मी. में आर. ओ. बी. का पी.पी. आर/लागत अनुमान	1549.10
2.	रा. रा. 56 पर 256/2 कि. मी. में छोटे पुल का पुर्ननिर्माण	22.75
3.	नैनी इलाहाबाद में यमुना पुल का पी. पी. आर./लागत अनुमान	8000.00
		योग : 9571.85

कुल योग : 35977.399 लाख रु.

=359.77 करोड़ रु.

विवरण-II

1991-92 में प्रस्तुत किए गए कार्यों की सूची

क्रम सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु.)
1	2	3

1	2	3
	1. रा. रा 24 पर शाहजहांपुर बाई पास पर गारा पुल का पी. पी. आर.	233.00
	2. रा. रा. 24 पर शाहजहांपुर बाई पास पर कनाऊट पुल का पी. पी. आर.	173.00
	3. रा. रा. 24 पर 70 कि. मी. में खजूरी पुल का संशोधित डी. पी. आर. (वेल फाउंटेशन)	120.30
	4. रा. रा. 29 पर 88 कि. मी. में मोघाई पुल का संशोधित डी. पी. आर/लागत प्राक्कलन	178.20
	5. रा. रा. 29 पर 188 कि. मी. में अमी पुल का संशोधित डी. पी. आर/लागत प्राक्कलन	187.50
	6. रा. रा. 29 पर 165 कि. मी. में तरायना पुल का संशोधित डी. पी. आर./लागत प्राक्कलन	201.00
	7. रा. रा. 29 पर 84 कि. मी. में बेसों पुल का संशोधित डी. पी. आर./लागत प्राक्कलन	227.00
	8. रा. रा. 29 पर 191 कि. मी. में बीजारा नाला पुल का संशोधित डी. पी. आर./लागत प्राक्कलन	190.40
	योग :	1510.40

1-4-1991 से (91-92) जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय को प्रस्तुत किए गए कार्यों की सूची

क्रम सं.	कार्य का नाम	राशि (लाख रु.)
	25 लाख रु. से अधिक लागत वाले कार्य	
1.	रा. रा. 56 के 41 कि० मी० भाग को ऊंचा उठाना	26.33
2.	रा. रा. 24 के 393 से 485 कि. मी. के भाग को सुदृढ़ करना	246.12
3.	शाहजहांपुर बाईपास का निर्माण	382.50
	योग :	654.95

1-1-1991 से (91-92) जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय को प्रस्तुत किए गए कार्यों की सूची

क्रम सं.	कार्य का नाम	राशि (लाख रु.)
1	2	3
	25 लाख रु. से कम लागत वाले कार्य	
1.	रा. रा. 25 के 127 से 128.680 के भाग में नाले का निर्माण	24.56
2.	रा. रा. 26 के 97 कि. मी. के साथ ले बाई की व्यवस्था	13.86
3.	रा. रा. 56 के 256 कि. मी. के निर्मित क्षेत्र में सड़क तल को ऊंचा करना	25.00
4.	रा रा. 56 के 245 कि. मी. के निर्मित क्षेत्र में सड़क तल को ऊंचा उठाना	22.66
5.	रा. रा. 56 के 34-35 कि. मी. में हार्ड सोल्डर की व्यवस्था	8.70
6.	रा. रा. 2 के 165, 166,168 और 179 (के. बी. सेक्शन) कि. मी में हार्ड सोल्डर	24.99
7.	रा रा. 56 के 241 और 252 कि. मी. भाग को ऊंचा उठाना	25.00
8.	रा. रा. 56 के 226 और 245 कि. मी. के भाग को ऊंचा उठाना	25.00
9.	रा. रा. 28 के 39, 40 कि. मी. में हार्ड सोल्डर की व्यवस्था	1[illegible]0.24
10.	रा. रा. 28 के 36 38 कि. मी. हार्ड सोल्डर की व्यवस्था	24.94
11.	रागा के लिए एल. ए. फारवार्ड-साईड सुविधाओं का प्राक्कलन	1.45

1	2	3
	12. रा. रा. 24 के 208, 209, 216, 217, 231, 232 कि. मी. में हार्ड सालेडर की व्यवस्था	22.65
	13. रा. रा. 24 के 270, 271, 288 और 289 कि. मी. में हार्ड सोल्डर की व्यवस्था	15.96
	14. रा. रा. 2 के 99, 100, 107, 118 कि. मी. के लिए एस. आर.	20.70
	15. रा. रा. 24 के मध्य गंगा कैनल पुल की एमबेंकमेंट की एप्रोच के लिए अनुरक्षण	2.00
	योग :	274.65

कुल योग=2440 लाख रु.
राज्य लोक निर्माण विभाग
द्वारा भेजे गए प्रस्ताव अर्थात् 24.40 करोड़ रु.
(91-92)

विवरण-III

1-4-90 से संस्वीकृत कार्यों की सूची

क. क्रम सं.	25 लाख रु. से अधिक की लागत के कार्य कार्य का ना	कर्म सं.	राशि (लाख रु.)
1.	2	3	4
	1. एफ. डी. के खण्ड के 387 से 400, 421-432 और 452-456 कि. मी. में मौजूदा कमजोर दोहरी लेन के पैदल पथ को मजबूत बनाना।	002 यू. पी. 80169	461.19
	2. -वही-जी. बी. डी. बाईपास का 4 लेन वाला कैरिजवे एन. एच. 24 के 9 से 28 कि. मी. तक	024 यू. पी. 90172	481.00

1	2	3	4
3.	एन. एच. 25 के शिक्युरी-भोगनीपुर खण्ड के 101 (500 मी.) से 125 कि. मी. तक पहुंच मार्ग को मजबूत बनाना	025 यू. पी. 90171	391.06
4.	-वही-एन. एच. 28 के एल. के. ओ., जी. के. पी. खण्ड के 99 से 123 कि. मी. तक	028 यू. पी. 90174	416.00
5.	एन. एच. 2 के. डी. के खण्ड 324-340 और 340-361 कि. मी. में मौजूदा कमजोर दोहरी लेन के पैदल पथ को मजबूत बनाना	002 यू. पी. 90173	497.15
6.	पुल और पुलियों सहित 87, 139 से 94.129 कि. मी. तक ललितपुर बाईपास का निर्माण एन-एच-26	026 यू. पी. 90175	328.49
7.	एन एच-2 के 8.264 से 37.00 कि. मी. तक मौजूदा कमजोर दोहरी लेन को मजबूत बनाना	002 यू. पी. 90176	340.59
8.	320 से 329. 250 कि. मी. के वी. खण्ड के कमजोर दोहरी लेन वाले पैदल पथ को मजबूत बनाना	002 यू. पी. 90177	176.00
9.	एन. एच. 25 के 215 से 240 कि. मी. तक शिकपुरी-भोगनीपुर खण्ड मौजूदा कमजोर दोहरी लेन वाले पैदल पथ को मजबूत बनाना	025 यू. पी. 90178	443.85
10.	वही-एन. एच., 24 के. डी. बी एल. रोड़ 252, 262 एम, 268, 269 कि. मी.	024 यू. पी. 91100	83.80
11.	-वही· एन. एच. 24 के 280-288.400 और 288.400 से 308 कि. मी.	024 यू. पी. 91181	71.00

1	2	3	4
12.	एन. एच. 24 के सिम्भोली और बक्सर (चेनेज 75.100 से 77.250) के आवादी खण्ड को बढ़ा कर 76-77 कि. मी खण्ड का सुधार	024 यू. पी. 91179	48.94
13.	एन० एच०-7 के० वी० एन० एस० मिर्जापुर खण्ड के 8.213-11.308 और 14.540-18.200 कि० मी० में मौजूदा कमजोर दोहरी लेन वाले पैदल पथ को मजबूत बनाना	007 यू० पी० 91183	100.50
14.	एन० एच० 56 के सुल्तानपुर-वी० एन० एस० खण्ड के 226 (500) 235 (400), 241 (450), 245 (800), 251 (600), 256 कि० मी० को छोड़कर 225-260 कि० मी० के कमजोर दोहरी लेन वाले खंड को मजबूत बनाना	056 यू० पी० 91182	496.25
15.	एन० एच०-28 के० एल० के ओ-वाराबंकी रोड़ के 3.60-5.00 कि. मी० में सुधार, चार लेन सुविधा का प्रावधान	028 यू० पी० 91184	49.85
16.	एन० एच० 24 के सीतापुर बाईपास डी० बी० एल० रोड पर आरc ओ० बी० और पैदल पथ का निर्माण	024 यू० पी० 91186	451.61
17.	एन० एस० 25 एल० के० ओ-कानपुर खण्ड के 29.00 से 57.00 कि० मी० में पहुंच मार्ग में कमजोर दोहरी लेन वाले पैदल पथ को मजबूत बनाना।	025 यू० पी० 91185	493.40

1	2	3	4
	18. एन० एच०-2 के दिल्ली मथुरा रोड खण्ड के हरियाणा उ० प्र० वार्डर से मथुरा तक 93.83 से 148.330 कि० मी० के खंड को चार लेन का बनाना।	002 यू० पी० 90170	4532
			(क) 10262.68

1-4-90 संस्वीकृत कार्यों की सूची

क. 25 लाख रु० से कम की लागत के कार्य

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य सं०	राशि (लाख रु०)
1	2	3	4
1.	पुलिया सं० 154/2 कि० मी० 154 का पुनर्निर्माण-एन० एच० 2 (के० पी० खण्ड)	ए० ए० 2 यू० पी० 90238	5.82
2.	बिहार बार्डर जी० के पी०-कासिया के 312 कि० मी० में लेबाई का निर्माण	ए० ए० 28 यू० पी० 90240	19.26
3.	पुलिया सं० 143/1, 145/3, 149/1, 149/2, 152/3 और 161/2 का पुनर्निर्माण एन० एच० 56 के एल० के० के० ओ-सुल्तानपुर खण्ड में	ए० ए० 56 यू० पी० 90239	7.90
4.	एन० एच० 24 पर 93-158 कि० मी० में परियोजना तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और जांच	ए० ए० 248 यू० पी० 90242	11.12

1	2	3	4
5.	एन० एच० 24 पर बरेली के समीप 251. 210 से 256. 200 कि० मी० में क्षेत्र में हार्ड शोलडर का सुधार	ए०ए० 24 यू० पी० 90244	24.85
6.	एन० एच० 24 के 252-254 कि० मी० के पैदल पथ को मजबूत बनाना	ए०ए० 24 यू० पी० 90243	22.22
7.	एन० एच० 28 के 268 और 269 कि० मी० में जी० के० पी० पर स्थाई शहरी लिंक की राईडिंग गुणवता में सुधार	ए०ए० 28 यू० पी० 90245	21.92
8.	एन० एच० 28 के 297 कि० मी० में लेबाई का निर्माण	ए०ए० 28 यू० पी० 90246	2012
9.	एन० एच० 2 के गोपीगंज बाजार 272.00 से 272. 900 कि० मी० खण्ड का सुधार	ए०ए० 2 यू० पी० 90247	24.29
10.	एन० एच० 28 के 302 और 303 कि० मी० में ड्रेनेज के सुधार के लिए एल. सेक्शन करक्शन के साथ सड़क को ऊंचा करना	ए०ए० 28 यू० पी० 90250	21.39
11.	एल० के० पी०-जी० के० पी० के 73, 140 और 144 कि० मी० में सड़क सतह का क्रोफाइल और कैम्बर करक्शन	ए०ए० 28 यू० पी० 90249	23.84
12.	जी० के० पी० में 263-265. 700 में स्थाई शहरी लिंक का सुधार	ए०ए० 28 यू० पी 90248	24.80

1	2	3	4
	13. एन० एच० 2 के के० वी० खंड के 269.600-272 और 272 से 274. 500 कि० मी० में जी० टी रोड़ के भीड़ भाड़ वाले खण्ड में हार्ड शोल्डर लगाना	ए०ए० 2 यू० पी० 91256	18.00
	14. एन० एच० 28 के एल० के० ओ०-जी० के० पी० के 15 कि० मी० में हार्ड शौलडर लगाना	ए०ए० 28 यू० पी० 91254	6.76
	15. -वही-एन० एच० 25 के 22-25 कि० मी० (एल० के० ओ-के० एन० पी०) खण्ड	ए०ए० 25 यू० पी० 91255	22.81
	16. -वही- एन० एच० 24 के बरेली क्षेत्र के अन्तर्गत 237. 850-243.300 कि० मी० में बिल्ट अप क्षेत्र	ए०ए० 24 यू० पी० 91253	24.36
	17. एन० एच० 2 के बार्डर खण्ड 45 वी०-बी० कि० मी० में समुचित ड्रेनेज के लिए प्रोफाइल करकशन	ए०ए० 2 यू० पी० 90251	15.23
	18. एन० एच० 28 के एल० के० ओ०-जी० के० पी० खण्ड के 86.400 से 87.600 कि० मी० में हार्ड शोल्डर लगाना	ए०ए० 28 यू० पी० 91264	9.26
	19. एन० एच० 2 के 157 कि० मी० में आर० ओ० बी० और डी० सी० रोड़ के 176 कि० मी० में नेल्टन ज्योगरिड के साथ स्लोप प्रोटेक्शन	ए०ए० 02 यू० पी० 91266	24.75

1	2	3	4
20.	एन० एच० 28 के एल० के० ओ०-जी० के० पी० खण्ड के 69.00 कि० मी० में नदी पुल के उच्च इंबैंकमेंट पहुच मार्गों का प्रोटेक्शन	ए०ए० 28 यू० पी० 91259	21.73
21.	एन० एच० 28 के 138 कि० मी० में अयोध्या पुल के साथ बाएं पहुंचमार्ग इंबैंकमेंट के लिए प्रोटेक्शन कार्यों का निर्माण	ए०ए० 28 यू० पी० 91258	12.64
22.	एन० एच० 24 पर जी० बी० डी० बाई पास के 9 और 10 कि० मी० में उच्च इबैंकमेंट का प्रोटैक्शन	एस० 24 यू० पी० 91267	25.00
23.	एन० एच० 29 के बी० एन० एस०-जी० के० पी० रोड़ के 188, 189 और 190 कि० मी० में टक्कर बांध का प्रौटैक्शन	एस० 29 यू० पी० 91272	23.84
24.	एन० एच० 56 पर 23, 24, 25 कि० मी० कर हार्ड शोल्डर लगाना	एस० 56 यू० पीज 51265	22.00
25.	एन० एच० 2 (वी० बी० बी० खण्ड) के 46 कि० मी में बाई ओर के स्लोप पर उच्च इंबैंकमेंट का प्रौटैक्शन (नेल्टन लगाकर)	एस० 02 यू० पी० 911261	4.40
26.	एन० एच० 28 के (जी० के० पी०-काशीनगर खण्ड) के 301 कि० मी० में ड्रेनेज के सुधार के लिए प्रोफाइल करैक्शन	एस० 28 यू० पी० 91279	15.17

1	2	3	4
27.	एन० एच० 25 के शिवपुरी-झोगनी पुर रोड के 87 कि० मी० लेबाई का निर्माण	ए०ए० 25 यू० पी० 91260	17.51
28.	एन० एच० 24 के दिल्ली-एल० के० ओ० रोड पर 429 कि० मी० में 1 × 6 मी० स्पैन आर० सी० सी० स्लैब पुलिया का पुनर्निर्माण	ए०ए० 24 यू० पी० 91269	4.06
29.	एन० एच० 2 (डी० के रोड) के 471 में 473.2 (3.2 कि० मी० के दोनों ओर हार्ड शोल्डर लगाना	ए०ए० 2 यू० पी० 91270	17.20
30.	एन० एच० 28 के 16 कि० मी० में शारदा सहायक नहर पुल के पहुंच मार्गों को उच्च इंबैंकमेंट का प्रोटैक्शन	ए०ए० 8 यू० पी० 91282	24.70
31.	एन० एच० 2 के 20 कि० मी० में अलोपीबाग जंक्शन का सुधार	ए०ए० 2 यू० पी० 91257	4.64
32.	एन० एच० 24 के दिल्ली-एल० के० ओ० रोड पर 421 से 491 कि० मी० तक सड़क संकेतों की सप्लाई और निर्धारण	ए०ए० 24 यू० पी० 91268	6.30
33.	एन० एच० 2 वी० के० खण्ड के 199.600 से 204.500 कि० मी० में आबादी भाग में हार्ड शोल्डर लगाना	ए०ए० 002 यू० पी० 91277	24.40

1	2	3	4
34.	एन० एच० 24 के डी० बी० एल० खण्ड के 103, 104, 105, 118, 127 और 128 कि० मी० में आबादी भाग में हार्ड शोल्डर लगाना	ए० ए० 024 यू० पी० 91262	23.46
35.	एन० एच० 25 के 28 और 29 कि० मी० में राईडिंग सतह को मजबूत बनाना और सुधार करना एन० एच० 7	ए०ए० 025 यू० पी० 91273	24.33
36.	68.800-72.800 सी० एच० से मजबूत बनाना	ए०ए० 007 यू० पी० 91284	24.75
37.	एन० एच० 25 के 205. 650-213.265 कि० मी० तक औराई बाईपास की भूमि अधिग्रहण और सर्वेक्षण जांच	ए०ए० 025 यू० पी० 91276	24.97
38.	फतेहपुर बाईपास और मौजूदा एन० एच० 2 के 75 कि० मी० के बीच लिंक का निर्माण	ए०ए० 002 यू० पी० 91271	15.63
39.	एन० एच० 56 पर छोटे पुल संख्या 253/2 का पुर्ननिर्माण	ए०ए० 056 यू० पी० 91363	22.75
40.	एन० एच० 24 के 406 कि० मी० में पिराई पुल पर ए श्रेणी 4 लेन प्लाजा कलैक्शन का निर्माण	एस० 024 यू० पी० 91275	17.86

1	2	3	4
41.	एन० एच० 17 के 8.213 से 11.308 कि० मी० में प्वाइंटिड किनारे के दोनों ओर हार्ड शोल्डर लगाना	ए०ए० 007 यू० पी० 91274	11.82
42.	एन० एच० 56 पर 35 कि० मी० में पहुंच मार्ग के साथ आर० सी० सी० ह्यूम पाइप पुलिया नं० 35/1 का पुनर्निर्माण	ए०ए० 056 यू० पी० 91285	14.23
43.	एन० एच० 24 के 489, 490, 491 कि० मी० में दिल्ली-एल० के० ओ० मार्ग पर हार्ड शोल्डर लगाना	ए० ए० 024 यू० पी० 91290	25.00
44.	-वही-एन० एच० 28 के 260 (400), 261 (400), 268, 269 (600) 316 (200) और 317 (300) कि० मी०	ए० ए० 028 यू० पी० 91278	24.00
45.	एन० एच० 25 एल० के० ओ०-कानपुर रोड़ पर 30.00 से 31.500, 58.00 से 59.500 और 75-76.300 कि० मी० में हार्ड शोल्डर लनाना	ए० ए० 025 यू० पी० 91283	23.50
46.	एन० एच० 25 के एल० के० जे० रोड पर 25-27 कि० मी० में हार्ड शोल्डर लगाना	ए० ए० 025 यू० पी० 91389	18.38

1	2	3	4
47.	एन० एच० 24 के जंगबहादुर गंज टाउन में डी० बी० एल० रोड़ के 356 कि० मी० में पक्का ड्रेन का निर्माण	ए० ए० 024 यू० पी० 91287	8.18
48.	एन० एच० 29 के 160 और 161 कि० मी० में सुधार के लिए विस्तृत प्राक्कलन	ए० ए० 029 यू० पी० 91886	20.53
49.	एन० एच० 85 के शिवपुरी झांसी खण्ड में 8211 कि० मी० में पुल का निर्माण	ए० ए० 085 यू० पी० 91881	15.89
50.	एन० एच० 24 के 388 से 390 कि० मी० में सीतापुर जिला के मोहवी टाउन में हार्ड शोल्डर लगाना और एन० एच० के 361 से 393 कि मी० में ब्रिक आन ऐज पैदल पथ	ए० ए० 024 यू० पी 91288	18.98
51.	रा० रा० पर दूरी संकेतकों गंतव्य संकेतों में वृद्धि	एन० एच० एस० यू० पी० 91252	21.665
		(ख)	928.305

संस्वीकृत कार्यों का सम्पूर्ण योग 11190.985 लाख

(90-91 725 लाख—102.63 अर्थात् 111.91 करोड़

∠ 25" — 9.28

111.91 करोड़ रु०

उत्तर प्रदेश में हथकरघे पर निर्मित बनारसी साड़ियों के लिए क्रय केन्द्रों की स्थापना

5270. **श्री राम बदन** :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और मऊ जिलों में बाजार विकास सहायता योजना के अन्तर्गत हथकरघे पर निर्मित बनारसी साड़ियों के लिए क्रय केन्द्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आजमगढ़ जिले में एक क्रय केन्द्र पहले से कार्य कर रहा है जो मऊ जिले के हथकरघा बुनकरों के हितों के लिए भी कार्यरत है।

उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत सूती कताई मिलें

5271. **श्री राम बदन** :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत कितनी सूती कताई मिलें हैं;

(ख) क्या ये मिलें हथकरघा और बिजली चालित करघा उद्योगों की मांगों को पूरा करने में या सक्षम हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और मऊ जिलों में सहकारी क्षेत्र में कुछ नई सूती कताई मिलों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रकार की कितनी मिलें स्थापित किये जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) (क) उत्तर प्रदेश के सहकारी क्षेत्र में दस सूती। मानव निर्मित फाइबर वस्त्र कताई मिलें हैं।

(ख) हथकरघा और विद्युत करघा क्षेत्रों की यार्न की मांगों को देश की सभी कताई मिलो द्वारा पूरा किया जाता है ; उत्तर प्रदेश में 30 कताई मिलें और 15 मिश्रित वस्त्र मिलें कताई के

क्रियाकलाप में लगी हुई हैं। देश में 1010 वस्त्र मिलें हैं और यार्न को एक राज्य से दूसरे राज्यों में लाने ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कालीनों का निर्यात

5272. **श्री राम बदन** :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989-90 और 1990-91 के दौरान किन-किन देशों को कालीनों का निर्यात किया गया;

(ख) इन निर्यातों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ग) कालीन उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या कालीनों के निर्यात के लिए 1991-92 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 के दौरान आस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापन, नीदरलैंड्स, सऊदी अरेबिया, स्विटजरलैंड, संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, सोवियत संघ तथा पश्चिमी जर्मनी को हाथ से बुने ऊनी। (रेशमी) संश्लिष्ट कालीनों, गलीचों, ड्रगेस्ट्स, दरियों आदि का मुख्य रूप से निर्यात किया गया।

(ख) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान हाथ से बुनै कालीनों आदि के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि क्रमशः 420.08 करोड़ रुपए (अनन्तिम) और 507.00 करोड़ रुपए (अनन्तिम) मूल्य की है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी, हां।

(ङ) वर्ष 1991-92 के दौरान हाथ से बुने कालीनों के निर्यात के लिए लगभग 720.00 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विवरण

वर्ष 1991-92 के दौरान हाथ से बुने कालीन उद्योग के निर्यातों को बढ़ाने के लिए प्रस्तावित उपाय निम्नोक्त हैं—

(क) हाथ से बुने कालीनों आदि की निर्यात संभाव्यताओं को पता लगाने के लिए बिक्री-तह-अध्ययन दल प्रायोजित करना।

(ख) जर्मनी में डोमोटेक्स अंतर्राष्ट्रीय मेले में भाग लेना।

(ग) नई दिल्ली और/अथवा स्पेन में क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित करना।

(घ) भारतीय हाथ से बुने कालीनों आदि को लोकप्रिय बनाने के लिए विदेशों में प्रभावी प्रचार अभियान चलाना।

(ङ) अखिल भारतीय कालीन व्यापार मेला आयोजित करना।

आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान को धनराशि

[अनुवाद]

5273. **श्री माग्ये गोवर्धन** :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्षों के दौरान आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान के लिए आबंटित धनराशि का पूर्णतः उपयोग किया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अनेक मामलों में विकास परियोजनाओं में विलंब के कारण प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकता की दृष्टि से परियोजनाएं बेकार होती जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) (क) और (ख) पिछले दो वर्षों में आयुध अनुसंधान और विकास स्थापना ने आबंटित धन का पूरा उपयोग किया है। तथापि शुरू के वर्षों में धन का कुछ कम मात्रा में उपयोग किया गया था क्योंकि वास्तविक व्यय बातचीत द्वारा निर्धारित मूल्य के बाद दिए गए आर्डरों, सुपुर्दगी की शर्तों सामान की वास्तविक प्राप्ति, सामान की जांच, अंतिम भुगतान की अदायगी तथा केन्द्रीय क्रय एजेंसियों जैसे कि आयुध डिपुओं; पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय आदि के साथ खाता समायोजन आदि, के आधार पर किया जाता है।

(ग) और (घ) आयुध अनुसंधान और विकास स्थापना में विकासाधीन परियोजनाओं की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। विगत समय में कुछ परियोजनाएं सेनाओं द्वारा खतरों की संकल्पना में परिवर्तन अनुभव किए जाने तथा संक्रिया की आवश्यकताएं बदल जाने के कारण कम समय में ही बन्द की जा चुकी हैं। ये परियोजनायें मुख्यतः फ्यूजों और प्रोजेक्टाइलों के विकास से संबंधित थीं। सामान के सुधरे हुए रूप का विकास—कार्य शुरू किया गया था।

आयात पर प्रतिबंध

5274. **श्री रवि राय :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान आयात पर कतिपय प्रतिबंध लगाये हैं जिससे निर्यातकों द्वारा किये जाने वाले आयात पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति को हल करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री. पी. चिदम्बरम (क) से (ग) आयात का नियंत्रण आयात तथा निर्यात नीति (1990-93) द्वारा किया जाता है। सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। किन्तु वर्तमान भुगतान संतुलन की स्थिति को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ कटौतियां लागू की हैं, स्थिति में सुधार होने पर इनकी ससीक्षा की जाएगी।

रुपए के अवमूल्यन का वस्त्रों के निर्यात पर प्रभाव

5275. **श्री रवि राय :**

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : कोटा, गैर-कोटा, रुपये में व्यापार तथा सामान्य करेंगी क्षेत्र में वस्त्रों के सम्पूर्ण निर्यातों पर रुपये के अवमूल्यन का कितना प्रभाव पड़ा है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : जब कि ऐसी आशा की जाती है कि दुर्लभ मुद्राओं में संविदावृत निर्यात को अवमूल्यन से लाभ होगा, फिर भी वस्त्र निर्यात पर रुपये की विनिमय दर के समंजन के प्रभाव का सही मूल्यांकन कर पाना फिलहाल संभव नहीं है।

निर्यातकों द्वारा आर०ई०पी० लाईसेंसों की बिक्री

5276. **प्रो. के. वी. थामस :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निर्यातकों द्वारा अपने आर. ई. पी. लाइसेंस अधिमूल्य पर आयातकों को बेचे जाते हैं;

(ख) क्या आयातक इन आर. ई. पी. लाइसेंसों के माध्यम से अपनी इच्छा की किसी भी वस्तु का आयात कर सकते हैं तथा उसे भारी लाभ देकर भारतीय बाजारों में बेच सकते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे क्या कारगर कदम उठाने का विचार हैं ताकि निर्यातकों और आयतकों की इस प्रथा पर रोक लगाई जा सके ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) (क) से (ग) आयात एवं निर्यात नीति को शर्तों के अनुसार रत्न एवं आभूषण उत्पाद समूह के निर्यात के लिए जारी किए गए लाइसेन्सों के अलावा सभी आर. ई. पी. लाइसेंस, सीमित अनुमेय मदों (परिशिष्ट 3) गैर संवेदनशील सरणीबद्ध मदों (परिशिष्ट 5-ए) और कच्चे माल, संघटकों और उपभोक्ता वस्तुओं आदि की खुले सामान्य लाइसेन्स (ओ. जी. एल.) मदों के आयात के लिए वैध हैं, जैसा कि नीति के सूची 8, भाग—1 और परिरिशिष्ट 6 के 10 में शामिल हैं। ये लाइसेन्स और साथ ही उन पर आयातित माल मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय हैं। इसी तरह ऐसे लाइसेन्सों के हस्तान्तरण पर अधिमूल्य, यदि कोई हो, तो मांग एवं पूर्ति व्यवस्था द्वारा संचालित होगा।

बड़े निर्यात गृहों की गुणवत्ता जांच

5277. **प्रो० के. वी. थामस :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े व्यावसायिक घरानों, व्यापारिक घरानों और निर्यात घरानों को निर्यात जांच एजेंसियों से गुणवत्ता जांच प्रमाण पत्र प्राप्त करने से छूट प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण है; और

(ग) उपरोक्त निर्यात घरानों की गुणवत्ता जांच किस प्रकार की जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) (क) से (ग) विदेशी क्रेताओं की गुणवत्ता सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यातकों को स्वयं ही जिम्मेदार बनाने हेतु सरकारी नीति के अनुसरण में शीर्षस्थ व्यापार घरानों, व्यापार घरानों और निर्यात घरानों को लदान-पूर्व अनिवार्य निरीक्षण के दायरे से मुक्त रखा गया है।

तस्करी के सोने का जब्त किया जाना

5278. **प्रो. के. वी. थामस :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत एक वर्ष के दौरान सीमा शुल्क विभाग तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा, राज्यवार, कितना तस्करीकृत सोना जब्त किया गया है; और

(ख) तस्करीकृत सोना जब्त करने के लिए इन अधिकारियों को दिये गये प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) 1 जुलाई, 1990 से 30 जून, 1991 तक की अवधि के दौरान सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा समग्र देश में पकड़े गए निषिद्ध सोने

की मात्रा और उसके मूल्य का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है :

मात्रा (किलोग्राम में)	मूल्य (करोड़ों रुपयों में)
*6143	*210.57

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

पकड़े गए निषिद्ध सोने के राज्यवार आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(ख) वर्तमान पुरस्कार योजना में सरकारी कर्मचारियों को, पकड़े गए निषिद्ध सोने के प्रति 10 ग्राम पर (999-5 मिलि या अधिक शुद्धता वाला सोना) 500 रु. की सीमा तक पुरस्कार मंजूर करने की व्यवस्था है। इसकी सामान्य उच्चतम सीमा पकड़े गए सोने के प्रति 10 ग्राम पर पर 250 रुपए है। तथापि, ऐसे असाधारण मामलों में जहां अधिकारी उत्कृष्ट ढंग से नेतृत्व करते हैं, हैं अथवा अपने जीवन को जोखिम में डालकर अभिग्रहण करते हैं, उन मामलों में प्रति 10 ग्राम पर 500 रुपए की अधिकतम सीमा तक उच्चतर पुरस्कार मंजूर किया जा सकता है।

काले धन पर रोक

5279. **श्री एस. बी. सिदनाल :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएटिड चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री द्वारा गठित सात सदस्यों वाले काले धन सम्बन्धी समिति ने काले धन पर रोक लगाने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) जी, हां। रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ भूमि सौदों पर स्टाम्प शुल्क को 2-3 प्रतिशत कम करने, शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के प्रावधानों में परिवर्तन करने, अखबारी कागज के उत्पादन पर नियंत्रण हटाने तथा अखबारी कागज के आवंटन में परिवर्तन करने, वस्त्रों के कच्चे माल तथा उत्पादन और वितरण में सम्बन्धित कार्यकलापों को लाइसेंस से मुक्त करने, चुंगी उन्मूलन तथा आयात शुल्क का भुगतान किए जाने पर सोने का आयात करने आदि की सिफारिश की गई है।

2. ऐसोचेम (एसोसिएटिड चेम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री (द्वारा स्थापित समिति तथा अन्य

संघों और व्यक्तियों द्वारा की गई सिफारिशों और सुझावों को सरकार की आर्थिक नीतियां बनाते समय ध्यान में रखा जाता है।

आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों का निर्यात

[हिन्दी]

5280. **श्री दाऊ दयाल जोशी** :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन देशों को इन औषधियों का निर्यात किया जा रहा था और इन औषधियों के नाम क्या हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक देश से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी ;

(ग) क्या सरकार का इन औषधियों के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु कोई योजना बनाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख) भारत से सोवियत संघ, आस्ट्रेलिया, हांगकांग, जापान, केन्या, कोरिया गणराज्य मलेशिया, नेपाल, नीदरलैंड, नाइजीरिया, संयुक्त राज्य अमरीका, स्विट्जरलैन्ड, ब्रिटेन आदि को आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं निर्यात की की जा रही हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं का अनुमानित मूल्य नीचे दिया गया है।

वर्ष	निर्यात् का मूल्य (करोड़ रुपए)
1988-89	2.67
1989-90	2.92
1990-91	7.29

स्रोत : मूल रसायन, भेषज एवं सौन्दर्य प्रसाधन निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई अलग-अलग औषधियों के देशवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जा रहे है।

(ग) से (ङ) विदेशों में भारतीय औषधि प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिए "मोनोग्राफ आन सेलेकटेड मेडिसनल प्लान्ट्स" नामक एक पुस्तक प्रकाशित की जा रही है जिसे विदेश स्थिति

भारतीय मिशनों के जरिए परिचालित किया जाएगा। मूल रसायन, भेषज और सौन्दर्य प्रसाधन निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई, ने बाजार संभावना के अध्ययन के लिए यूरोपीय देशों को आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं के निर्यातकों का एक शिष्टमंडल भेजने की योजना बनाई है।

विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली वस्तुओं का निर्यात

5281. **श्री दाऊ दयाल जोशी** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान उन निर्मित वस्तुओं का निर्यात किया है जिसके उत्पादन पर विदेशी मुद्रा का खर्च नहीं हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों से इन वस्तुओं का निर्यात किया गया और इस प्रकार कितनी मुद्रा अर्जित की गई ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा देने का है ; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या योजना बनाई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) शून्य आयात मात्रा वाले तैयार मालों के निर्यात की पहचान करना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि आयात मात्रा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकती है। उन राज्यों की पहचान करना भी कठिन है जहां से ऐसे तैयार माल का निर्यात किया जाता है।

(ग) और (घ) सरकार निर्यातों के उच्चतर मूल्य-वर्धन तथा निम्न आयात मात्रा को प्राथमिकता दे रही है। आयात को हतोत्साहित करने तथा निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी विनिमय दर नीति तैयार की गई है। सरकार ने निर्यात उत्प्रेरकों को सुदृढ़ करने तथा आयात सम्पीडन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के उद्देश्य से व्यापार नीति के सुधारों की घोषणा भी की है।

एल्कोहल युक्त पेयों का निर्यात

5282. **श्री दाऊ दयाल जोशी** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्मित एल्कोहल युक्त पेयों का निर्यात किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान वर्षवार तथा देशवार किए गए निर्यात का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां ।

(ख) शराब, बीयर, व्हिस्की, जिन जैसे विभिन्न स्वदेश में निर्मित अल्कोहल युक्त पेय निर्यात किए जाते हैं ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों को निर्यात किए गए अल्कोहल युक्त पेयों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

अल्कोहल युक्त पेयों का निर्यात

मूल्य-लाख रुपयों में

देश	1988-89 (मूल्य)	1989-90 (मूल्य)	1990-91 (मूल्य)
यू. ए. ई.	127.00	271.00	510.00
यू. एस. ए.	37.00	47.00	71.00
ओमान	13.00	52.00	57.00
बहरीन	10.00	55.00	8.00
यू. के.	19.00	18.00	10.00
अन्य	34.00	43.00	34.00
योग	240.00	486.00	690.00

शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख योजना से कंपनियों का हटना

5284. **श्री राम शरण यादव** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख योजना में सम्मिलित कई कंपनियों ने योजना से अपने को अलग करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई योजना से केवल कुछ इकाइयों ने अपना नाम वापस लेनेकी इच्छा व्यक्त की है ।

(ख) नाम वापस लेने के कारण प्रत्येक मामले में अलग-अलग हैं ।

(ग) नीति और प्रक्रियाओं दोनों से सम्बन्धित प्रोत्साहनों के एक पैकेज की घोषणा अभी हाल ही में की गई है।

कोचीन से घटिया अदरक का निर्यात

5285. **श्री राम शरण यादव** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोचीन में अदरक के कुछ बड़े निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ ब्रिटेन आदि को कोचीन के अदरक का निर्यात करते समय इस अदरक के साथ अन्य क्षेत्रों को घटिया स्तर के अदरक की मिलावट कर रहे हैं ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप कोचीन के निर्यात बाजार में अदरक के मूल्यों में भारी गिरावट आई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार का इस अनुचित प्रथा की जांच कराने का विचार है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(च) सरकार का इस प्रकार की अनुचित प्रथा पर रोक लगाने के, लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई शिकायत नहीं लाई गई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) अदरक का निर्यात विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (एगमार्क) द्वारा अनिवार्य क्वालिटी नियंत्रण तथा लदानपूर्व निरीक्षण के अध्यधीन किया जाता है।

बिहार मे फुलवाड़ी कॉटन मिल्स को सहायता

5286. **श्री राम शरण यादव** :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार से फुलवाड़ी कॉटन मिल्स को चलाने के लिए सहायता देने का अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा

[अनुवाद]

5287. **श्रीमती बासव राजेश्वरी :**

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कर्नाटक-सरकार की ओर से राज्य में नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा करने के लिए कोई प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण है ; और

(घ) उन्हें कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा पर आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद संसाधनों की उपलब्धता, नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा संबंधी मानदण्डों, पारस्परिक प्राथमिकताओं आदि के अध्यधीन विचार किया जाएगा।

विवरण

	कि. मी.
(i) मैसूर-श्रीरंगापट्नम-नागामंगला- चुक्कनेकानाहली-हलिउर-हिरियुर-बलैरी-सरगप्पा-शाहपुर-गुलबर्गा-हम्नाबाद (रा. रा. 9 को जोड़ने के लिए)	678
(ii) बेलगाम-बीजापुर-गुलबर्गा-हम्नाबाद (रा. रा. 9 को जोड़ने के लिए)	364
(iii) बैंगलूर-मैसूर-मरकारा- मैंगलूर (रा. रा. 17 को जोड़ने के लिए)	385

(iv) बेलगाम-बैंगलकोट-रायचूर-महबूब नगर (आन्ध्र प्रदेश)	336
(v) तुमकुर- अरसिकेर-शिमेगा-सागर होनावर (रा. रा. 17 को जोड़ने के लिए)	325
(vi) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर गुटी गनटाकल-बलैरी-हासपैट-कापल-गज- हुबकीयेलापुर-बैलगुली-करवर (रा. रा. 17 को जोड़ने के लिए)	422
(vii) बंगलौर-मैसूर-नाजनगुड-गंडलपैट-उटी-कोयम्बटूर (तमिलनाडू में रा. रा. 47 को जोड़ने के लिए)	220
(viii) चित्रदुर्गा-होल्लकेरे-होसादुर्गा-चिक्कमंगलूर-मूदीगरे-बैत्थानगडी-मैंगलूर (रा. रा. 17 को जोड़ने के लिए)	283
(ix) धारवाड़-लांडा-अनमोड-पनजी रा. रा. 17 को जोड़ने के लिए	95
(x) पादूबिदरी-करकाला-श्रींगेरी-त्रिरेयाहाली- शिकारीपुर-शिरालकोपा-हुवली-बागलकोटी-हुनगुंड	550
(xi) सिरा (बंगलौर-पुने मार्ग मार्ग-रा. रा. 4 पर) माधुरिगी गौरी-विन्दनर-चिकबालापुर-चिन्तामणि-श्रीनिवासपुर-मलबागाल (रा. रा. 4 बंगलौर-मद्रास मार्ग	160
(xii) बंगलौर-कनकपुरा-मालावली-मैसूर-ननजगुड-सुलतान बेटरी-कालीकट	240
(xiii) चित्रदुर्गा-अरासिकरी-हालेनरामिपुर मादीकेरी-तेलीचेरी	360
कुल :	4425

कर्नाटक में कार्यरत बैंकों द्वारा लेन देन में अनियमितताएं

5288. **श्रीमती बासवराजेश्वरी** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कार्य कर रहे स्टेट बैंक आफ कर्नाटक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में लेन-देन में अनियमितता बरते जाने के अनेक मामले पकड़े गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ कर्नाटक नाम से कोई बैंक नहीं है। शायद माननीय सदस्य का आशय स्टेट बैंक आफ मैसूर से है। 1-1-1991 से 30-6-91 के दौरान स्टेट बैंक आफ मैसूर में अनियमितताओं/धोखाधड़ियों के 14 मामले सूचित किए गए थे जिनमें 4.21 लाख रुपए की राशि अंतग्रस्त थी। अनियमितताओं/धोखाधड़ियों संबंधी सूचना पूरे बैंक के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र की जाती है। वर्तमान सूचना प्रणाली के अन्तर्गत अनियमितताओं/धोखाधड़ियों के मामलों सम्बन्धी सूचना राज्यवार इकट्ठी नहीं की जाती और इस प्रकार की सूचना राज्यवार एकत्र करने पर लगने वाला समय और परिश्रम इसके परिणामों के अनुकूल नहीं होगा। तथापि, वर्ष 1991 (30-6-91 तक) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में घटी धोखाधड़ियों की संख्या और उनमें अर्न्तग्रस्त धनराशि संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों में होने वाली अनियमितताओं/धोखाधड़ियों की भारतीय रिजर्व बैंक तिमाही आधार पर समीक्षा करता है और सम्बद्ध बैंकों द्वारा धनराशि की वसूली, मामलों की जांच आदि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार द्वारा दिए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

विवरण

(लाख रुपए)

क्र० सं०	बैंक का नाम	मामलों की संख्या	अर्न्तग्रस्त राशि
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद बैंक	17	21.44
2.	आन्ध्रा बैंक	19	190.53
3.	बैंक आफ बड़ौदा	30	188.03
4.	बैंक आफ इंडिया	56	490.22
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	5	73.34
6.	केनरा बैंक	71	352.29
7.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	32	37.21

1	2	3	4
8.	कारपोरेशन बैंक	14	5.78
9.	देना बैंक	3	0.48
10.	इंडियन बैंक	31	143.11
11.	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	31	8.83
12.	न्यू बैंक आफ इंडिया	4	80.40
13.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	4	4.51
14.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	7	187.58
15.	पंजाब नेशनल बैंक	8	4.82
16.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	8	47.32
17.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	8	6.26
18.	भारतीय स्टेट बैंक	242	140.51
19.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	4	76.15
20.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	14	4.21
21.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	5	5.15
22.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	2	0.04
23.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	5	3.13
24.	सिंडीकेट बैंक	44	267.24
25.	यूको बैंक	26	339.23
26.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	27	23.42
27.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	13	5.84
28.	विजया बैंक	17	37.92
	जोड़	747	2744.99

जर्मनी से विकास-सहायता

5289. **श्रीमती बासवराजेश्वरी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी ने 1992 के दौरान भारत को दी जाने वाली विकास सहायता को कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) 1990-91 के दौरान जर्मनी ने कुल कितनी सहायता दी; और

(घ) 1992 में इस सहायता में कितनी कमी की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जर्मन संघीय गणराज्य सरकार ने ऐसा कोई निर्णय सूचित नहीं किया है यह समझा जाता है कि द्विपक्षीय सहायता के लिए जर्मन संघीय गणराज्य बजट में कुल मिलाकर कमी आएगी तथापि, अलग-अलग देशों को दी जाने वाली सहायता में इसके प्रभाव की सीमा ज्ञात नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जर्मनी ने अप्रैल, 1990 में वित्तीय सहयोग निधियों में 425 मिलियन डयूश मार्क का वचन दिया था । जर्मनी की वचनबद्धताएं उनके वित्तीय वर्ष, जो कि जनवरी से दिसम्बर तक चलता है, के लिए की जाती हैं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय जीवन बीमा निगम की विदेशी मुद्रा अर्जित करने संबंधी योजना

5290. **श्रीमती बासवराजेश्वरी** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या भारतीय जीवन जीवन बीमा निगम ने विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु एक विदेश निधि योजना शुरू की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और) (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम ने नीदरलैंड्स में एक अल्पजन-धारित निवेश कंपनी (क्लोज इन्डेडइन्वेस्टमेंट कं० (संस्थापित करने के लिए टोशे रेमनेंट, यूनाइटेड किंगडम, के सहयोग से एक अपतटीय निधि (आफ्शोर फण्ड) शुरू करने का निर्णय किया है । मोटे तौर पर इसकी विशेषताएं यह हैं कि इस निधि में शेयरों के लिए अंशदान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा । शेयरों के निर्गम से हुई निवल प्राप्तियों के अधिकांश भाग का निवेश जीवन बीमा निगम द्वारा भारत में इसी प्रयोजन हेतु स्थापित की जाने वाली पारस्परिक निधि की इकाइयों में किया जाएगा ।

केरल को वित्तीय संस्थाओं, बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता

5291. **श्री वी. एस. विजयराघवन** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान केरल को भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जैसी सार्वजनिक क्षेत्र को वित्तीय संस्थाओं द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) क्या उक्त धनराशि अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम और राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक जैसे जैसी सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान केरल को प्रदान की जाने वाली कुल वित्तीय सहायत्ता की राशि वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात ही उपलब्ध होगी।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(ग) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

बिहार की सीतामढ़ी मीठामोड़ सड़क के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

5292. **श्री नवल किशोर राय** :

क्या **जल भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में 1987 में विनाशकारी बाढ़ के कारण कुमोन, पिपराधी-नोहाई, सुंरसंदी हराई और मीठामोड़ पर सीतामढ़ी-मीठामोड़ सड़क टूट-फूट गयी थी और इसके ऊपर बने पुल ढह गए थे;

(ख) क्या सरकार का उपर्युक्त सड़क की मरम्मत के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है; और

(ग) यदि हां तो, कब तक यह सहायता प्रदान की जाएगी और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) चूंकि मंत्रालय केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए सांविधानिक रूप से उत्तरदायी है इसलिए यह मालूम नहीं है कि क्या राज्य की सीतामढ़ी-मिठामोड़ तक यह सड़क 1987 में बाढ़ के कारण कुम्मान, पिपराधी, नोआही; सुरसड़ हादी तथा मीठा मोर में क्षतिग्रस्त हो गई थी और उस पर बने पुल ढह गए थे।

(ख) और (ग) 300.00 लाख रुपए की लागत से सीतामढ़ी-सुरसंड-मीठामोर सड़क (30 कि० मी०) को चौड़ा करने और सुदृढ़ करने के लिए बिहार सरकार से एक प्रस्ताव केन्द्रीय सड़क निधि स्कीम के रूप में प्राप्त हुआ है। चूंकि केन्द्रीय सड़क निधि में अभी वास्तविक बढ़ोत्तरी नहीं हुई है इसलिए इस प्रस्ताव पर अनुमोदनार्थ कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

भुगतान संतुलन की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक औद्योगिक समूह का प्रस्ताव

[अनुवाद]

5293. **श्री एस० बी० सिदनाल :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी औद्योगिक समूह भुगतान संतुलन की विषम स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी-कितनी ऋण-राशि का प्रस्ताव किया गया है, तथा तथा इसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी केरल की परियोजनाएं

5294. **श्री रमेश चेन्नीत्तला :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित उन परियोजनाओं और योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं; और

(ख) सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) केरल से प्राप्त उन विभिन्न सड़क और पुल स्कीमों और उनकी स्थिति निम्नलिखित है जो सरकार के पास लंबित है :—

(i) राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राज मार्गों में परिवर्तित करने की 5 स्कीमें और आर्थिक एवं अन्तर्राज्यीय महत्व के कार्यक्रम के अन्तर्गत 7 स्कीमें हाथ में ली जानी हैं। इन

प्रस्तावों पर आठवीं योजना के अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

(ii) 81 स्कीमों की बढ़ी हुई केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित किये जाने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय सड़क निधि में वास्तविक वृद्धि, जो अभी तक हुई नहीं है, के बाद ही इन स्कीमों पर आगे कार्रवाई की जा सकती है।

(iii) राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्यों ने लिए 11 प्रक्कलन संसद द्वारा अनुदान मांग पारित हो जाने के बाद ही इन पर कार्रवाई की जा सकती है।

2. उपर्युक्त के अलावा केरल ने 730 लाख रु० की अनुमानित लागत से 250 जेटियों के आधुनिकीकरण के लिए एक परियोजना रिपोर्ट भेजी है। चूंकि अभी आठवीं योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया अतः राज्य सरकार को परामर्श दिया गया है कि वे 100 लाख रु० की राशि के अन्दर प्राथमिकता वाली जेटियों के लिए प्रस्ताव तैयार करें जिन्हें केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के रूप में हाथ में लिया जा सके।

औषधियों का आयात

5295. **श्री येल्लैया नन्दी** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्दीय सरकार ने हाल ही में आयात-निर्यात नीति में कुछ परिवर्तनों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो "फार्मास्युटिकल" उद्योग का दर्जा क्या है;

(ग) उन औषधियों के नाम क्या हैं जिन्हें मुक्त विदेशी मुद्रा व्यवस्था के अन्तर्गत आयात किया जा सकेगा तथा उनके नाम क्या हैं जिनका प्रतिपूर्ति लाइसेंस व्यवस्था के अन्तर्गत आयात किया जाता है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान औषधियों का कुल आयात बिल कितना था ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) जी, हां।

सरकार ने नई नीति की मार्फत एक्सिम नीति में कुछ परिवर्तनों की घोषणा की है। इस नीति की घोषणा वाणिज्य मंत्री ने 4 जुलाई, 1991 को की थी। नई नीति के अन्तर्गत जो एकक लघु क्षेत्र में हैं और जो जीवन रक्षक औषधियों और उपकरणों के विनिर्माण में लगे हैं उनको छोड़कर सभी एककों को अपनी कच्चे माल, घटकों और उपभोक्ता वस्तुओं की आवश्यकता पूरी करने के लिए आर० ई० पी० के तरीके पर चलना होगा। लघु क्षेत्र के एकक तथा जीवन रक्षक औषधियां और उपकरण बनाने में कार्यरत जो एकक प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निश्चित किए गये हैं वे विशेष लाइसेंसों, जिन्हें पहले अनुपूरक लाइसेंस कहा जाता था के लिये पात्र बने रहेंगे।

(घ) डी० जी० सी० आई० एंड एस से प्राप्त नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1986-87, 87-88 और 88-89 के दौरान क्रमश: 14963.29 लाख रु० 208.69 लाख रु० तथा 315.83 लाख रुपये की औषधियों का आयात हुआ।

वेतनभोगी वर्ग से आय-कर की उगाही

[हिन्दी]

5296. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989-90 के दौरान आयकर दाताओं के वेतनभोगी वर्ग से कुल कितनी धनराशि के आयकर की उगाही की गई; और

(ख) उनसे उस वर्ष के दौरान आयकर की उगाही करने का कितना खर्च आया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) वित्त वर्ष 19889-90 के दौरान वेतनभोगी वर्ग से स्रोत पर आयकर की कटौती के माध्यम से वसूल की गई कुल राशि 1201 करोड़ रु० थी।

(ख) आयकर विभाग द्वारा वेतनभोगी वर्ग से आयकर की वसूली करने के सम्बन्ध में किये गये व्यय का रिकार्ड अलग से नहीं नहीं रखा जाता है। फिर भी वित्त वर्ष 1989-90 के दौरान आयकर विभग ने कुल 207 करोड़ रुपये का व्यय किया था।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा रुग्ण कपड़ा मिलों को अपने अधिकार में लिया जाना

[अनुवाद]

5297. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अपने अधिकार में ली गई अथवा उसके द्वारा प्रबंधित रुग्ण कपड़ा मिलों का ब्यौरा क्या है और इन मिलों को किस-किस तारीख से अपने अधिकार में प्रबन्धाधीन लिया गया है;

(ख) रास्ट्रीय कपड़ा निगम को 31 मार्च, 1991 तक कुल कितना घाटा हुआ है ;

(ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने 31 मार्च, 1991 तक कयड़ा मिलों को मिलाकर कुल कितना

प्रतिपूर्ति अनुदान दिया है और वर्ष 1991-92 के लिए कितना प्रतिपूर्ति अनुदान दिए जाने का अनुमान है ; और

(घ) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन संचालित रुग्ण कपड़ा मिलों के रख-रखाव के लिए संसाधनों के निरन्तर प्रवाह को रोकने हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) फिलहाल एन० टी० सी० 109 राष्ट्रीयकृत तथा 15 प्रतिबन्धित एककों का संचालन कर रहा है। इन मिलों के अधिग्रहण की तारीख को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) 31-3-1991 तक एन० टी० सी० मिलों को हुआ संचयी नकद घाटा 1656.85 करोड़ रु० था।

(ग) 31-3-1991 तक सरकार द्वारा एन० टी० सी० मिलों को संचयी नकद घाटों के लिये 1536.76 करोड़ रु० की प्रतिपूर्ति की गई। नकद घाटों की प्रतिपूर्ति कुल मिलाकर सहायक निगमों को की जाती है न कि अलग-अलग मिलों को।

वर्ष 1991-92 के दौरान एन० टी० सी० के नकद घाटों की प्रतिपूर्ति के लिये कार्यशील पंजी ऋण के रूप में सरकार द्वारा बजट में 73 करोड़ रु० की राशि की व्यवस्था की गई है।

(घ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन वस्त्र मिलों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिये सरकार तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा किये गये। किये जा रहे उपायों में शामिल हैं :—

(1) समाव्य रूप से अर्धक्षम मिलों का आधुनिकीकरण।

(2) खर्चीली क्षमताओं की छंटाई।

(3) उत्पादन क्षमताओं का अनुकूलतम उपयोग।

(4) अधिक उत्पादकता प्राप्त करना।

(5) श्रमिक सुव्यवस्थीकरण।

(6) कच्चे माल की प्रतियोगी खरीद।

(7) अधिक याने उत्पादन।

(8) कीमत को अनुकूल बनाना।

(9) उत्पाद उन्नयन आदि।

विवरण

राष्ट्रीय वस्त्र निगम मिलों की सूची जिसमें उनके अधिग्रहण की तारीख भी निर्दिष्ट है।

	क्रम सं० मिलों का नाम	अधिग्रहण की तारीख
	1 2	3
राष्ट्रीय कृत एकक	1. दयाल बाग स्पिंग और वी० मिल्स अमृतसर पंजाब	31-10-72
	2. सूरज वस्त्र मिल्स मेलाट, पंजाब	31-10-72
	3. श्री विजय कॉटन मिल्स विजयनगर, राजस्थान	31-10-72
	4. खरड़ वस्त्र मिल्स खरड़, पंजाब	31-10-72
	5. उदयपुर कॉटल मिल्स उदयपुर, राजस्थान	13-4-78
	6. अजुध्या वस्त्र मिल्स, दिल्ली	7-5-71
	7. महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर राजस्थान	9-1-67
	8. एडवर्ड मिल्स, ब्यावर राजस्थान	31-10-72
	9. पानीपत वूलन मिल्स खरड़, पंजाब	31-10-72
	10. हीरा मिल्स, उज्जैन मध्य प्रदेश	4-3-66
	11. स्वदेशी कॉटन और फ्लोर मिल्स इन्दौर, मध्य प्रदेश	13-4-66
	12. न्यू भोपाल वस्त्र मिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश	11-2-66

1	2	3
13.	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश	18-3-71
14.	बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स, राजनन्दगांव, मध्य प्रदेश	17-12-63
15.	इन्दौर मलावा, युनाइटिड मिल्स, इन्दौर, मध्य प्रदेश	31-10-72
16.	कल्याणमल मिल्स, इन्दौर, मध्य प्रदेश	31-10-72
17.	श्री विक्रम कॉटन मिल्स, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	31-10-72
18.	बिजली कॉटन मिल्स, हाथरस, उत्तर प्रदेश	31-10-72
19.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, मौनात भांजन, उत्तर प्रदेश	13-4-71
20.	रायबरेली टेक्सटाइलस मिल्स रायबरेली उत्तर प्रदेश	13-4-78
21.	स्वदेशी कॉटन मिल्स नैनी उत्तर प्रदेश	13-4-78
22.	मुयर मिल्स, कानपुर, उत्तर प्रदेश	22-12-65
23.	न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर उत्तर प्रदेश	1-09-69
24.	लार्ड कृष्णा टेक्सटाइल मिल्स, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश	31-10-72
25.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, कानपुर उत्तर प्रदेश	13-4-78
26.	वर्धा टेक्सटाइल मिल्स, वर्धा	31-10-72
27.	अपोलो टेक्सटाइल मिल्स, बम्बई	31-10-72

1	2	3
28.	भारत टेक्सटाइल मिल्स, बम्बई	31-10-72
29.	दिग्विजय टेक्सटाइल मिल्स, बम्बई	9-7-69
30.	जूपीटर टेक्सटाइल मिल्स, बम्बई	8-10-71
31.	न्यू हिन्द टेक्सटाइल मिल्स, बम्बई	31-10-72
32.	मुम्बई टेक्सटाइल मिल्स, बम्बई	31-10-72
33.	औरंगाबाद टेक्सटाइल मिल्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	11-3-66
34.	चालीसगांव टेक्सटाइल मिल्स चालीसगांव महाराष्ट्र	20-10-70
35.	दुले टेक्सटाइल मिल्स, दुले महाराष्ट्र	31-10-72
36.	नन्ददेड़ टेक्सटाइल मिल्स, नन्ददेड़, महाराष्ट्र	31-10-72
37.	इण्डिया युनाईटिड मिल्स नं० 1 बम्बई	29-11-65
38.	इण्डिया यूनाईटिड मिल नं० 2 बम्बई	29-11-65
39.	इण्डिया यूनाईटिड मिल नं० 3, बम्बई	99-11-65
40.	इण्डिया यूनाईटिड मिल नं० 4, बम्बई	22-11-65
41.	इण्डिया यूनाइटिड मिल नं० 5, बम्बई	29-11-65
42.	इण्डिया यूनाईटिड डाई वर्क्स बम्बई	29-11-65
43.	मोडल मिल्स, नागपुर, महाराष्ट्र	18-7-59

1	2	3
44.	आर. एस. आर. जी. स्पिंग और वी. मिल्स, अकोला महाराष्ट्र	15-9-61
45.	आर. बी. बी. ए. स्पिग और वी., मिल्स रिघनघाट महाराष्ट्र	31-10-72
46.	स्वात्रम रामप्रसाद मिल्स, आकोला महाराष्ट्र	31-10-72
47.	विदरभा मिल्स (बेरर) अचलपुर महाराष्ट्र	31-10-72
48.	राजकोट टेक्सटाइल मिल्स, राजकोट गुजरात	20-6-70
49.	महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स, भावनगर, गुजरात	6-8-70
50.	पेटलैंड टेक्साइल मिल्स, पेटलेड, गुजरात	24-11-70
51.	अहमदाबाद न्यू टेक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	6-9-69
52.	अहमदाबाद जूपिटर टेक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	8-10-71
53.	जहांगीर टेक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	20-8-71
54.	राजनगर टेक्सटाइल मिल्स, नं. 1, अहमदाबाद	7-1-72
55.	राजनगर टेक्सटाइल मिल्स, नं. 2, अहमदाबाद	7-1-72
56.	विरामगम टेक्सटाइल मिल्स, विरामगम, गुजरात	31-10-72
57.	न्यू मेलक चौक टेक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	14-2-69

1	2	3
58.	हिमाद्री टेक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	9-10-69
59.	फाइन निटिंग मिल्स, अहमदाबाद	31-10-72
60.	नटराज स्पि. मिल्स, आदिलबाद, आन्ध्र प्रदेश	3-8-72
61.	नेथा स्पि. मिल्स, सिकन्दराबाद, आन्ध्र प्रदेश	25-1-72
62.	अनन्तपुर कॉटन मिल्स त्रे रादापत्री, आन्ध्र प्रदेश	31-10-72
63.	तिरुपति कॉटन मिल्स, रेनिगुंटा, आन्ध्र प्रदेश	31-10-72
64.	श्री येल्लमा कॉटन मिल्स, तोताहुंसे, आन्ध्र प्रदेश	31-10-72
65.	कैन्नोर स्पि. एण्ड वि. मिल्स, कैन्नोर, केरल	31-10-72
66.	केरल लक्ष्मी मिल्म, त्रिचूर, केरल	31-10-72
67.	विजय मोहनी मिल्स, त्रिवेन्द्रम, केरल	31-10-72
68.	कैन्नोर स्पि. एण्ड वि. मिल्स, मेह	24-2-72
69.	आदोनी कॉटन मिल्स, आदोनी, आन्ध्र प्रदेश	31-10-72
70.	अलागप्पा टेक्सटाइल कॉटन मिल्स, अलागप्पा नगर, केरल	19-3-72
71.	मैसूर मिल्स, बेंगलूर, कर्नाटक	19-10-71

1	2	3
72.	मिनरवा मिल्स, बेंगलूर, कर्नाटक	19-10-71
73.	मेहबूब शाही कुलबरगा मिल्स, गुलबरगा, कर्नाटक	31-10-72
74.	पार्वती मिल्स, क्यूलोन, केरल	10-7-72
75.	आजम जाही मिल्स, वारंगलत, आन्ध्र प्रदेश	30-4-71
76.	ओम परासक्थी मिल्स, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	25-6-69
77.	कंबोडिय मिल्सा कोयम्बटूर, तमिलनाडु	22-10-51
78.	कृष्नावेनी टेक्सटाइल मिल्स, कोयम्बतूर तमिलनाडु	22-10-59
79.	श्री रंगाविलास मिल्स, पदमेदु, तमिलनाडु	07-01-70
80.	पंकज मिल्स, कोयम्बतूर, तमिलनाडु	31-10-72
81.	पायनियर स्पिनर्स, कनुडकुड़ी, तमिलनडु	31-10-72
82.	बलराम वर्मा टेक्सटाइल मिल्स, सेनकोटाच्छ, तमिलनाडु	31-10-72
83.	कालीश्वर मिल्स "ख" यूनिट कल्याणकोयल तमिलनाडु	31-10-72
84.	कोयम्बतूर मुरुगन मिल्स, कोयम्वतूर, तमिलनाडु	19-12-70
85.	सोमासुन्द्रम मिल्स, कोयम्बतूर, तमिलनाडु	08-03-72
86.	कालीश्वर मिल्सए, कोयम्बतूर, तमिलनाडु	31-10-72
87.	श्री भारती मिल्स, पाण्डेचेरी,	05-05-66
88.	कोयम्बतूर स्पि० एण्ड वि० मिल्स, कोयम्बतूर तमिलनाडु	08-03-72
89.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, पाण्डिचेरी	13. .
90.	श्री सारदा मिल्स, पोडनपुर, तमिलनाडु	31-10-72

1	2	3
91.	श्री केथोंद्रम स्पि० मिल्स, मादुरी, तमिलनाडु	31-10-72
92.	बंगाल टेक्सटाइल, मिल्स, मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल	21-01-72
93.	लक्ष्मी नारायण कॉटन मिल्स, रिश्वराम वेस्ट बंगाल	09-10-72
94.	आरती कॉटन मिल्स, दासनगर, हावड़ा, वेस्ट बंगाल	31-10-72
95.	बंगाल फाइन स्पि० एण्ड वि० नं०2 कोटागंज, वेस्ट बंगाल	31-10-72
96.	कोनोरिया इण्डस्ट्रीज, कैनअंगर, प० बंगाल	31-10-72
97.	सोदपुर कॉटन मिल्स, सोदपुर, प० बंगाल	31-10-72
98.	एसोसिएटिड इण्ड० कामरूप, असम	16-06-72
99.	बिहार को-ओपरेटिव स्पि० मिल्स, भोकाम बिहार	24-8-72
100.	उड़ीसा कॉटन मिल्स, भगतपुर, उड़ीसा	31-10-72
101.	सेंट्रल कॉटन मिल्स, हावड़ा, प० बंगाल	28-01-72
102.	बंगाल फाइन एण्ड वि० मिल्स नं0-1	16-03-72
103.	बंगाल लक्ष्मी कॉटन मिल्स, सेरामपुर, प० बंगाल	07-06-72
104.	श्री महालक्ष्मी कॉटन मिल्स, पल्टा, प० बंगाल	12-05-72
105.	रामपुरिया कॉटन मिल्स, सेरामपुर, प० बंगाल	05-10-72
106.	बनारसी कॉटन मिल्स, सुकचर, प० बंगाल	31-10-72
107.	ज्योति वि० फैक्टरी, कलकत्ता, प. बंगाल	31-10-72
108.	गया कॉटन एण्ड जूट मिल्स, गया, विहार	31-10-72
109.	मनिन्द्रा मिल्स, कासिम वाजार, प० बंगाल	21-01-72
प्रबंधक मिलें		
110.	लक्ष्मीरतन कॉटन मिल्स कानपुर, यू० पी०	19-07-76

1	2	3
111.	अथर्टन वेस्ट मिल्स, कानपुर, उ०प्र०	19-07-76
112.	एलफिस्टोन मिल्स, बम्बई, महाराष्ट्र	18-10-83
113.	फिनले मिल्स, बम्बई, महाराष्ट्र	18-10-83
114.	गोल्डन मोहर, बम्बई, महाराष्ट्र	18-10-83
115.	जैम मिल्स, बम्बई, महाराष्ट्र	18-10-83
116.	कोहिनूर मिल्स नं० 1 बम्बई महाराष्ट्र	18-10-83
117.	कोहिनूर मिल्स, नं०-2 बम्बई, महाराष्ट्र	18-10-83
118	कोहिनूर मिल्स नं०-3 बम्बई, महाराष्ट्र	18-10-83
119.	मधुसूदन मिल्स, बम्बई, महाराष्ट्र	18-10-83
120	न्यू सिटी मिल्स, बम्बई, महाराष्ट्र	18-10-83
121.	पोडर मिल्स, बम्बई, महाराष्ट्र	18-10-83
122.	पोडर (प्रो०) बम्बई, महाराष्ट्र	18-10-83
123.	सीताराम मिल्स, बम्बई, महाराष्ट्र	18-10-83
124.	टाटा मिल्स (इ० नॉन वोवन), बम्बई महाराष्ट्र	18-10-83

गोआ में राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि

5298. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांत्ये :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार गोआ में राष्ट्रीयकृत बैंकों में कितनी धनराशि जमा थी; और

(ख) इन बैंकों ने उपर्युक्त तारीख तक विभिन्न पार्टियों को कुल कितनी धनराशि के ऋण दिये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) मार्च, 1991 के अन्त की स्थिति के अनुसार गोवा राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमा राशियां और बकाया अग्रिम क्रमश: 1428.52 करोड़ रुपए और 473.81 करोड़ रुपए थे ।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-47 काजाकट्टम से कोवलम तक उपमार्ग का निर्माण

5299. **श्री कोड्डी कुन्नील सुरेश** :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर काजाकुट्टम और कोवलम में उपमार्ग के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) उप मार्ग के निर्माण पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(ग) इस उपमार्ग के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) त्रिवेन्द्रम नेय्यातिनकारा बाईपास के काजाकुट्टम से कोवलम (22.5 कि० मी० लम्बाई) तक के खण्ड का निर्माण भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में है । 2.82 कि० मी० की लम्बाई पहले ही पूरी की जा चुकी है और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। 7.43 कि० मी० की लम्बाई में सड़क कार्य प्रगति पर है । 10.25 कि. मी. की एक अन्य लम्बाई का निर्माण 1991-92 की वार्षिक योजना में शामिल है । 2 कि. मी. की शेष लम्बाई हेतु अभी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है ।

(ख) बाईपास के निर्माण पर अब तक 797.70 लाख रु. खर्च किये जा चुके हैं ।

(ग) चूंकि कुछ हिस्से में अभी भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी प्रक्रियाएं चल रही हैं इसलिये बाईपास पूरा होने की सम्भावित तारीख अभी से नहीं बताई जा सकती ।

सेना के भगोड़ों को पुनः रोजगार

5300. **श्री गुरुदास कामत** :

क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के भगोड़ों को जो 1984 में अपनी बैरकों से भागे थे, पुनः रोजगार देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इन भगोड़ों की संख्या कितनी है: और

(ग) जिन्हें पहले ही दुबारा रोजगार दिया जा चुका है उनकी संख्या कितनी है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) अनुशासनहीनता के विभिन्न आरोपों, जिनमें ब्लू स्टार संक्रिया (1984) के दौरान सेना से भागने के आरोप शामिल हैं, के लिए दण्डित, सेना के 2709 कार्मिकों में से 2297 कार्मिकों को सेना में रख लिया गया था । शेष 412 कार्मिकों में से 50 को पंजाब सरकार ने पुनः रोजगार में लगा दिया है तथा 240 को केन्द्रीय मन्त्रालयों और सार्वजनिक

क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार दे दिया है। एक व्यक्ति कत्ल के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

शेष 121 कार्मिकों के नाम केन्द्रीय सरकार के विभागों तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि को इस निर्देश के साथ भेज दिये गये हैं कि उनके मामलों में आयु सीमा, शैक्षणिक अर्हताओं तथा रोजगार कार्यालय की प्रक्रिया में छूट दे कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त रोजगार दिये जाएं।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं

[हिन्दी]

5301. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :**

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की बसों और दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली निजी बसों अथवा एस. टी. ए. परमिट के अन्तर्गत चलने वाली बसों को तेज गति से चलाये जाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कोई गति सीमा तय करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कम्पनियों द्वारा आंशिकरूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों का जारी किया जाना

[अनुवाद]

5302. **श्री राम नरेश सिंह :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा उनके सार्वजनिक निर्गम कितने हैं, जिन्हें इस प्रावधान के साथ आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने की अनुमति दी गई है कि 1990-91 और 1991-92 (31 जुलाई तक) के दौरान उनका परिवर्तन नियंत्रक और पूंजीगत निर्गम द्वारा निर्धारित शर्तों पर एक पूर्वनिर्धारित अवधि के पश्चात होगा;

(ख) क्या सरकार को इस प्रक्रिया के विरुद्ध कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) उन कम्पनियों के नाम तथा

उनके सार्वजनिक निर्गमों की मात्रा, जिन्हें आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्रों को इस प्रावधान के साथ जारी करने की अनुमति अप्रैल 1990-जुलाई 1991 के दौरान दी गई है कि ऐसे परिवर्तन पूर्व निर्धारित अवधि के पश्चात पूंजी निर्गम नियंत्रक द्वारा निर्धारित शर्तों पर होंगे, को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) और (ग) पब्लिक लि० कम्पनियों द्वारा परिवर्तनीय ऋण पत्र निर्गमों की परिवर्तन शर्तें निवेशकों के समग्र हितों को ध्यान में रखकर पूंजी निर्गम नियंत्रक द्वारा निर्धारित की जाती हैं। जब कभी किसी विशिष्ट कम्पनी से परिवर्तनीय ऋणपत्रों की परिवर्तन शर्तों के सम्बन्ध में अभिवेदन सुझाव पूंजी निर्गम नियंत्रक के कार्यालय में प्राप्त होते हैं तभी मामले पर निर्णय लेते समय उचित दिया जाता है।

विवरण

क्र० सं०	कम्पनी का साम	सहमति की तारीख	सार्वजनिक निर्गम की धनराशि (लाख रुपये)
1.	मेसर्स टाटा केमिकल्स लिमिटेड	14.6.90	8050.00
2.	मेसर्स-स्पोर्टेक ग्रेनाइट्स लिमिटेड	19.6.90	250.00
3.	मेसर्स स्टील ट्यूब आफ इण्डिया लिमिटेड	31.12.90	660.00
4.	मेसर्स एस्कोर्ट्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड	31.12.90	2311.87

बिहार में हथकरघा उत्पादन

5303. **श्री संयद शाहबुद्दीन** :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में अनुमानतः कितने हथकरघा उद्योग हैं;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान बिहार में अनुमानतः कितना हथकरघा उत्पादन हुआ;

(ग) बिहार में हथकरघा बुनकरों से जनता वस्त्र उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत 31 मार्च, 1991 तक कितना स्टाक खरीदा गया है;

(घ) बिहार में जनता वस्त्र उत्पादन के लिये गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी राज सहायता दी गई है; और

(ङ) बिहार को बाजार विकास सहायता योजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) :

(क) 1. ईकाइयों की संख्या : 1352

2. करघों की संख्या : 82657

(ख) 902.8 लाख मीटर

(ग) 32.42 लाख वर्ग मीटर

(घ) 1988-89 : 179.87 लाख रुपये

1989-90 : 865.27 लाख रुपये

1990-91 : 409.54 लाख रुपये

(ङ) 11.00 लाख रुपये।

गोला से इचागढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

[हिन्दी]

5304. **श्री राम टहल चौधरी :**

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में गोला से इचागढ़ तक बरास्ता-सिल्ली बरान्डा राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण है, और

(ख) उक्त सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) बिहार में सिल्ली-बरांडा से गुजरने वाली गोला से इचागढ़ तक की यह सारी सड़क एक राज्यीय राजमार्ग है, यह राष्ट्रीय राजमार्ग का भाग नहीं है। अतः इस सड़क के निर्माण/विकास का प्रश्न अनिवार्यतः बिहार सरकार से संबंधित है।

पालम विहार में दिल्ली परिवहन निगम का बस टर्मिनल

5305. **श्री राम टहल चौधरी :**

क्या **जल भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पालम विहार में एक बस टर्मिनल स्थापित करने का हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त टर्मिनल कों केन्द्रीय टर्मिनल के साथ जोड़ा जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार में मोहनिया से आरा तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत

[अनुवाद]

5306. **श्री तेज नारायण सिंह** :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मोहनिया (जिला रोहतास) से आरा (जिला भोजपुर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत के लिए कोई धनराशि स्वीकृत की गई है,

(ख) यदि हां. तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(ग) इस कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है और इसके पूरा होने में कितना समय लगेगा ।

जल-भूतल-परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89 से 1990-91 तक के पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के मोहनिया-आरा खंड पर साधारण अनुरक्षण और नवीनीकरणों के लिए 120 लाख रु० की राशि आबंटित की गई थी । इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के इस खंड के लिए बाढ़ से हुई क्षति/विशेष मरम्मत कार्यों के लिए 64 लाख रु. की राशि के 9 प्राक्कलन मंजूर किए गए थे ।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण एक सतत् कार्य है और धनराशि उपलब्ध होने पर यथा-आवश्यक मरम्मत कार्य किए जाते हैं । बात से हुई क्षति/विशेष मरम्मत कार्यों के संबंध में राज्य सरकार ने सूचित किया हैं कि इन कार्यों के चालू वित्त वर्ष की समाप्ति तक पूरे हो जाने की संभावना है ।

व्यापार समझौता

[हिन्दी]

5307. **श्री राजवीर सिंह** :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात-आयात व्यापार के संबंध में । जनवरी, 1990 से 30 जून, 1991 तक कितने विदेशी शिष्टमंडल भारत आए और कितने भारतीय शिष्टमंडल दूसरे देशों में गए; और

(ख) इस अवधि के दौरान सरकार द्वारा किए गए व्यापार समझौतों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) दिनांक 1-1-1990 से 30-6-1991 तक की अवधि के दौरान द्विपक्षीय व्यापार के संबंध में 29 विदेशी सरकारी

दौरा किया है। उनके ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है।

लोकसभा में दिनांक 30-8-1991 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 5307 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण पत्र।

हस्ताक्षरित व्यापार करारों के ब्यौरे

1. इराक के साथ भारतीय कम्पनियों की देयताओं की वसूली संबंधी करार पर दिनांक 14 मार्च, 1990 को हस्ताक्षर किए गए।

2. भारत-जर्मन निर्यात संबर्धन परियोजना को वर्ष 1993 तक बढ़ाने सम्बंधी करार पर दिनांक 28-2-1991 को हस्ताक्षर हुए।

3. वर्ष 1990 के लिए भारत-चैकोस्लोवकिया व्यापार संलेख पर हस्ताक्षर हुए।

4. भारत-पोलैण्ड व्यापार संबंधी करार पर हस्ताक्षर हुए।

5. वर्ष 1991 के लिए भारत-सोवियत व्यापार योजना संलेख पर हस्ताक्षर हुए।

6. वर्ष 1991 के लिए भारत-रूमानिया व्यापार योजना पर हस्ताक्षर हुए।

7. भारत-भूटान व्यापार करार पर दिनांक 2-3-1990 को हस्ताक्षर हुए।

8. वर्ष 1990 के लिए भारत-सोवियत व्यापार सलेख पर हस्ताक्षर हुए।

9. वर्ष 1990 के लिए भारत-रूमानिया, व्यापार संलेख पर हस्ताक्षर हुए .

10. भारत-सोवियत व्यापार कार्यदल संबंधी सलेख पर हस्ताक्षर हुए।

11. चैकोस्लोवाकिया के साथ नए व्यापार एवं भुगतान करार पर हस्ताक्षर हुए।

11- रुवान्डा सरकार के साथ व्यापार करार पर दिनांक 13 जून, 1990 को हस्ताक्षर किए गए।

आयकर की बकाया धनराशि

[नुवाद]

5308. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 तथा वर्ष 1988-89 के अन्त में आयकर की बकाया धनराशि की [ना में वर्ष 1990-91 के अन्त में आयकर की बकाया धनराशि में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) आयकर की कितनी बकाया धनराशि 1990-91 के दौरान बट्टे खाते में डाली गयी [ा ऐसी बकाया धनराशि वसूल न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान आयकर की अधिकतम धनराशि वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं; और

(घ) किस कर-निर्धारण वर्ष तक आयकर निर्धारण पूरा हो चुका है तथा कर निर्धारण को अद्यतन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) संकलित किए गए अस्थायी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1989-90 की समाप्ति के समय बकाया आयकर की तुलना में वर्ष 1990-91 की समाप्ति के समय बकाया आयकर में 5.72 प्रतिशत की वास्तविक कमी हुई है लेकिन, वर्ष 1988-89 की समाप्ति के समय की बकाया की तुलना में वर्ष 1990-91 की समाप्ति के समय की बकाया राशि में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान 4.64 करोड़ रुपये (आंकड़े अनन्तिम हैं) के आयकर की बकाया राशि को बट्टे खाते डाला गया है सामान्यतया निम्नलिखित कारणों से कर-निर्धारितियों के पास परिसम्पत्तियों के उपलब्ध नहीं होने की वजह से बकाया राशि को वसूल कर पाना असंभव हो जाता है—

(i) कर-निर्धारिती की मृत्यु हो गई हो;

(ii) कर-निर्धारिती दिवालिया हो गया हो;

(iii) कर-निर्धारिती का अता-पता मालूम नहीं हो;

(iv) कर-निर्धारिती देश छोड़कर विदेश में चला गया हो;

(v) कम्पनी का परिसमापन हो गया हो;

(vi) फर्म भंग हो गई तथा कारोबार समाप्त हो गया हो।

(ग) बकाया राशि में कमी लाने के लिए निरंतर समुचित उपाय किए जाते रहते हैं। चालू वर्ष के दौरान किए गए महत्वपूर्ण उपायों में से कुछ उपाय ये हैं :—

(i) बकाया राशि तथा चालू मांग की वसूली/घटौती के लिए आयकर विभाग की केन्द्रीय कार्य-योजना में लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्रत्येक मुख्य आयुक्तीय क्षेत्र के कार्य निष्पादन पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है।

(ii) आयकर आयुक्त तथा उच्च प्राधिकारियों द्वारा उच्च मांगों वाले डोजिअरों की प्रत्येक तिमही में समीक्षा की जाती है।

(iii) मुख्य आयकर आयुक्तों को यह निदेश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में अपील आयुक्तों के पास अनिर्णीत पड़ी हुई शीर्ष 100 प्रथम अपीलों के निपटान पर नजर रखें।

(iv) मुख्य आयकर आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई है कि वे उच्च मांग वाले कर-निर्धारणों को दिसम्बर, 1991 के अंत तक अन्तिम रूप दे दें।

(v) उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष से यह अनुरोध किया जाए कि बड़ी-बड़ी मांगों वाली अपीलों का शीघ्र निपटान करें।

(vi) जिन मामलों में बड़ी-बड़ी मांगों पर न्यायालयों ने स्थगन आदेश दिये हैं, ऐसे मामलों में मुख्य आयुक्तों को यह सलाह दी गई है कि वे जहां-कहीं संभव हो, स्थगन आदेशों को निरस्त करवाएं।

(घ) ऐसे कर-निर्धारण वर्षों से सम्बन्धित कर-निर्धारणो को उस विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर पूरा कर लिया गया है, जिन्हें आयकर अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर पूरा किया जाना अपेक्षित होता है।

वाराणसी छावनी क्षेत्र में भूमि और बंगलों पर अवैध कब्जा

[हिन्दी]

5309. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी छावनी क्षेत्र की कुछ भूमि और वहां ब्रिटिश नागरिकों द्वारा निर्मित बंगले छावनी बोर्ड के सदस्यों और सेना-अधिकारियों के संबंधियों के अवैध कब्जे में हैं, और

(ख) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार का उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) रक्षा भूमि तथा छावनी बोर्ड, वाराणसी की कुछ भूमि पर अनधिकृत कब्जा है। ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि अनधिकृत कब्जा करने वाले छावनी बोर्ड के सदस्यों या सैन्य अधिकारियों के रिश्तेदार हैं।

(ख) कुछ मामलों में लोक परिसर (अवैध कब्जे की बेदखली) अधिनियम के अधीन बेदखली की कारंवाई की जा रही है, जबकि अन्य कुछ मामलों में बेदखली की कारंवाई सिविल अदालतों में लम्बित है।

चाय का आयात

]अनुवाद]

5310. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय का आयात करने का कोई प्रस्ताव है जबकि भारत चाय का उत्पादन करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) प्रस्तावित आयात का ब्यौरा क्या है तथा उक्त आयात किन-किन दरों पर किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) घरेलू खपत के लिए चाय के आयात की अनुमति नहीं दी जाती है। तथापि वर्तमान सरकारी नीति के अनुसार मूल्यवर्धन के पश्चात निर्यात करने के प्रयोजन से चाय के आयात की अनुमति अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अन्तर्गत उपलब्ध है।

लौंग का निर्यात

5311. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के विशेष रूप में कर्नाटक तथा केरल से लौंग की कितनी मात्रा का वर्ष-वार निर्यात किया गया ;

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लौंग की बहुत अधिक मांग है ; और

(ग) यदि हां, तो लौंग के निर्यात में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) लौंग का हमारा कुल उत्पादन 1500 एमटी होने का अनुमान है। यह उत्पादन हमारी घरेलू माग को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। परिणामस्वरूप हमें लौंग आयात करनी पड़ती है। लौंग का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार रोपण सामग्री की आपूर्ति का प्रवन्ध करती है, सिंचाई सुविधाएं प्रदान करती है आदि।

काफी का निर्यात

5312. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, विशेष रूप से कर्नाटक से कितनी काफी का निर्यात किया गया ; और

(ख) क्या भारतीय काफी की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी मांग है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने काफी के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कर्नाटक के मंगलौर पत्तन के माध्यम से निर्यात की गई काफी की मात्रा और भारत से काफी के कुल निर्यात नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	कुल निर्यात (मी० टन)	मंगलौर पत्तन से (मी० टन)
1988-89	98266	45680
1989-90	134052	44728
1990-91	100110	42691

(ख) काफी के निर्यात में वर्ष 1970-71 से 32189 मी० टन से 1990-91 में 100110 मी० टन की निरन्तर वृद्धि से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय काफी की मांग में वृद्धि का पता चलता है।

(ग) विनिमय दर के पुनः समायोजन के अतिरिक्त सरकार ने हाल ही में आई० ई० पी० के स्थान पर एक्जिम स्क्रिप शुरू की है जिससे काफी का निर्यात बढ़ाने में सहायता मिलने की आशा है।

मूल्य वृद्धि के संबंध में व्यापारियों के साथ बातचीत

5313. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मूल्य वृद्धि के विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए व्यापारियों को आमंत्रित किया था ;

(ख) यदि हां, तो कब और उनके साथ हुए विचार-विमर्श से क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में व्यापारियों को कोई निर्देश दिए गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इससे मूल्य वृद्धि रोकने में कितनी सहायता मिलेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण के पैराग्राफ संख्या 129 में अन्य बातों के साथ-साथ यह घोषणा की है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के संबंध में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये तौर-तरीके निर्धारित करने के लिये वे उद्योग और व्यापार के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करेंगे। वर्ष 1991-92 के बजट में की गई घोषणा पर अनुवर्ती कारंवाई की जा रही है।

वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण

5314. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकरों को विदेशी मुद्रा में स्वीकार करने की सुविधा के बदले में वाणिज्यिक बैंकों का कुल कितना अल्पकालिक ऋण बकाया है ।

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए गए ऋण के कुछ भाग का उपयोग अल्पकालिक ऋण का भुगतान करने के लिये किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जुलाई; 1991 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार सरकारी प्राधिकार के आधार पर माध्यम अभिकरणों द्वारा जिन्म आयात के लिये प्रयुक्त बैंकर की स्वीकृति की सुविधा के एवज में वाणिज्यिक बैंकों से लिए गए अल्पावधिक ऋण की कुल बकाया राशि 5691.06 लाख अमेरिकी डालर थी ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए गए ऋण भुगतान सन्तुलन के पूंजी खाते में प्राप्तियों के रूप में माने जाते हैं और अल्पावधिक उधार की बकाया राशियों की वापसी अदायगियां एक सतत प्रक्रिया है और इसलिए उन्हें पूंजी खाते की प्राप्तियों की विशिष्ट मदों के साथ संबद्ध नहीं किया जाता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

चांदी की तस्करी

[हिन्दी]

5315. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान देश से बाहर तस्करी करते समय कितनी मात्रा मे चांदी जब्त की गयी ; और

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) गत एक वर्ष के दौरान देश से बाहर चांदी की तस्करी के मामलों के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

चमड़े के सामान का निर्यात

[अनुवाद]

5316. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़ा तथा चमड़े के सामान का निर्यात करने की बहुत संभावनाएं हैं ?

(ख) यदि हां, तो चमड़े के सामान के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान चमड़े के सामान के निर्यात की क्या संभावनाएं हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय चमड़े के सामान की कीमत एवं क्यालिटी की दृष्टि से विश्व-बाजार में प्रतियोगी बनाने के उद्देश्य से विदेश में बाजार संबर्धन उपाय और भारत में उत्पाद-विकास के प्रयासों से निर्यात बढ़ाने में सहायता मिली है तथा इन उपायों को जारी रखने और जब भी आवश्यक हो इन्हें गहन बनाने का प्रस्ताव है।

(ग) ऐसी आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चमड़े के सामान का निर्यात बढ़ता रहेगा।

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन

5317. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी** :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में दिल्ली परिवहन निगम की लगभग सभी बसों द्वारा खुले रूप में प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पूर्णतः उल्लंघन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने तथा नियमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के परिवहन विभाग ने दिल्ली में पंजीकृत वाहनों के प्रदूषण मानकों के प्रमाणीकरण के लिए एक विस्तृत स्कीम तैयार की है। इस सिलसिले में 110 निजी कर्मशालाओं और पेट्रोल पम्पों को प्रदूषण जाँच और ट्यूनिंग सुविधा सुलभ कराने के लिए प्राधिकृत किया गया है। मार्च, 1990 और मई, 1991 के बीच कुल 10.35 लाख वाहन मालिकों ने प्रदूषण जांच सुविधा का लाभ उठाया है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली; 1989 के प्रावधानों के अनुसार जून, 1991 तक 2900 वाहनों के मालिकों पर मुकदमा दायर किया गया। इसके

अलावा, 3250 परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र रद्द कर दिए गए और वाहन मालिकों को निर्देश दिया गया कि वे नया फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पहले वाहन को निर्धारित प्रदूषण मानकों के अन्तर्गत लाएं।

भण्डार की गई वस्तुओं की बजट-पश्चात् मूल्यों पर बिक्री

5318. **प्रो० के० वी० थामस :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उर्वरक, चीनी, पैंट्रोल, मोटर वाहन जैसी अनेक मद, जो कि आम बजट प्रस्तुत किए जाने से पहले ही भण्डार में मौजूद थीं, को बजट पश्चात् मूल्यों पर बेचा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) आम बजट में, 24 जुलाई, 1991 की संध्या, मध्यरात्रि से उर्वरकों, लेवी की चीनी और पेट्रोल की प्रशासित कीमतों में ऊर्ध्वमुखी संशोधन किए गए। 25 जुलाई, 1991 से मोटर कारों के मूल उत्पाद शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्क में वृद्धि के कारण मोटर कारों की कीमतों में वृद्धि की गई। जहां तक इन मदों के पुराने स्टाक की बजट-पश्च दरों पर बिक्री का सम्बन्ध है, इस बारे में वस्तुवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

सरकार के अनुदेशों के अनुसार, 24 जुलाई, 1991 की मध्य रात्रि तक खुदरा व्यापारियों के पास पड़े उर्वरकों के भण्डार को बजट पूर्व दरों पर बेचा जाना था जबकि थोक विक्रेताओं/विनिर्माताओं के पास पड़े स्टाक को संशोधित दरों पर बेचा जाना था। इस प्रकार बजत-पूर्व और बजट-पश्च दरों के बीच अन्तर से होने वाले लाभ को उर्वरकों पर दी जाने वाली सरकारी सहायता में समायोजित किया जाना है।

जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित लेवी वाली चीनी का सम्बन्ध है, पुराने स्टाक सहित इसका खुदरा मूल्य 24 जुलाई, 1991 की शाम से बढ़ा दिया गया। बजट-पश्च दरों/पर चीनी के पुराने स्टाक की बिक्री से हुए इस प्रकार के लाभ को चीनी मूल्य समकरण निधि में जमा किया जाना है।

पेट्रोल के मामले में, कीमत संशोधन के समय इसके भण्डार को केवल संशोधित दरों पर बेचा जाना है और पेट्रोल उत्पादों के मूल्यों में इस प्रकार के परिवर्तनों से होने वाले आकस्मिक लाभ/हानि सदैव इन उत्पादों के डीलरों/वितरकों को प्राप्त होते हैं।

मोटर वाहनों के मामले में, मोटर कारों पर मूल/उत्पाद शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्क में 25 जुलाई, 1991 से वृद्धि की गई। क्योंकि एक बार उत्पादन करने वाली फैक्टरी से माल निकलने के बाद वह माल उत्पाद नियंत्रण के अन्तर्गत नहीं रहता, इसलिए बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्

बाजार में वाहनों के भण्डारों के लिए बजट पूर्व अथवा बजट-पश्च शुल्क दरें अदा की गई हैं यह भेद कर पानासम्भव नहीं है।

उड़ीसा सरकार द्वारा कल्याण निधि का अन्यत्र प्रयोग

5319. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1991 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कुल कितनी अधिक धनराशि निकाली गई;

(ख) क्या संघ सरकार को कुछ ऐसी घटनाओं का पता चला है कि राज्य सरकार द्वारा पिछड़े और आदिवासी लोगों के कल्याण के प्रयोजनार्थ धनराशि का अन्यत्र प्रयोग किया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे क्या कदम उठाने का विचार है जिससे निर्धारित प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशि का अन्यत्र उपयोग न किया जा सके ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) 31 जुलाई, 1991 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के साथ ओवरड्राफ्ट में नहीं थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

गाजियाबाद में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते का भुगतान

[हिन्दी]

5320. **श्री रमेश चन्द्र तोमर** :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने किन परिस्थितियों के अन्तर्गत गाजियाबाद नगरपालिका की सीमा के अन्दर कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिल्ली की दरों पर मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता देना शुरू किया;

(ख) क्या फरीदाबाद स्थित सी. जी. ओ. कम्पलैक्स में कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और गाजियाबाद स्थित सी. जी. ओ. कम्पलैक्स में कार्य करने वाले आयकर और उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों को भी इन भत्तों का भुगतान दिल्ली की दरों पर किया जा रहा है;

(ग) क्या सी. जी. ओ. कम्पलैक्स, गाजियाबाद में स्थित अन्य कार्यालयों में इन भत्तों का

भुगतान ग-श्रेणी के शहर पर लागू दरो पर किया जा रहा है। और कर्मचारियों को 1979 से दिल्ली की दरों पर दिए गए भत्ते की उनसे वसूली की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में संघ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) किसी एक नगरपालिका/निगम के दूसरे के साथ सटे होने के आधार पर मकान किराया भत्ता/प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता मंजूर किये जाने सम्बन्धी सरकार की सामान्य नीति के आधार पर गाजियाबाद नगर पालिका सीमाओं के अन्दर काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिल्ली की दरों पर मकान किराया भत्ता/प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता मंजूर किया गया था क्योंकि यह देखा गया कि गाजियाबाद नगरपालिका दिल्ली नगर निगम के साथ सटी हुई है।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है।

सिले-सिलाये वस्त्र निर्यातकों के लिए भुगतान की समस्यायें

[अनुवाद]

5321. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिले-सिलाये वस्त्र निर्यातक भुगतान की गम्भीर समस्याओं के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाये गए हैं या उठाये जाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) विदेशी क्रेताओं से भुगतान प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई होने के बारे में सरकार को परिधान निर्यातकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार

5322. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार किन-किन क्षेत्रों में शुरू किया गया है;

(ख) क्या सरकार का पाकिस्तान के साथ व्यापार सम्बन्ध सुधारने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) भारत से पाकिस्तान को होने वाले निर्यात में जो मदें कवर होती हैं उनमें मोटे तौर पर तैल खाद्य, मसाले, लौह अयस्क, रंग तथा रोगन और इंजीनियरी माल शामिल हैं जबकि पाकिस्तान से होने वाले आयात में मुख्यतया फल तथा काष्ठ फल (काजू को छोड़कर), वस्त्र यार्न और मेड-अप्स परिधान शामिल हैं। सरकार का सदैव यह प्रयास रहा है कि द्विपक्षीय वार्ताओ के जरिए पाकिस्तान के साथ व्यापार सम्बन्ध सुधार लिए जाएं।

कम्पनियों की आन्तरिक लेखा-परीक्षा में खामियां

5323. **श्री मदन लाल खुराना** :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक ने सरकारी कम्पनियों के लेखाओं के सम्बन्ध में कम्पनी लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदनों पर वर्ष 1990 के अपने प्रतिवेदन संख्या 5 (वाणिज्यिक) में लेखाओं की अनुपूरक लेखा परीक्षा के दौरान ध्यान में आयी भूल-चूकों आदि पर टिप्पणी की हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी हां।

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (5) के उपबन्धो के अनुसार, ये टिप्पणियां सम्बन्धित कम्पनी की वार्षिक साधारण बैठक में रखी जाती हैं और रिपोर्ट पर उपचारात्मक उपाय सम्बन्धित सरकारी कम्पनियों तथा उनके प्रशासनिक विभागों/मन्त्रालयों द्वारा किए जाते हैं।

बैंकों में जमा राशि पर संशोधित ब्याज दर

5324. **डा० सी० सिलवेरा** :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता द्वारा बैंकों में जमा किये गये धन पर ब्याज की दरों को हाल के वर्षों में दो बार संशोधित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस ब्याज की संशोधित दरों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। जनता से प्राप्त जमा

राशियों की ब्याज दरों में पहले 13.4.91 को और फिर 4.7.91 को संशोधन किया गया था।

(ख) इस समय जनता से प्राप्त जमा रकमों पर लागू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की संशोधित ब्याज दरों का ब्यौरा नीचे अनुसार है :

जमा राशि की अवधि	वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत)
(1) 46 दिन, परन्तु एक वर्ष से कम	9 00
(2) एक वर्ष परन्तु दो वर्ष से कम	10.00
(3) 2 वर्ष परन्तु 3 वर्ष से कम	11.00
(4) 3 वर्ष और उससे अधिक	13.00

दिल्ली में आटोरिक्शा और टैक्सी चालकों की हड़ताल

5325. **डा० सी० सिलवेरा** :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आटोरिक्शा और टैक्सी चालकों ने हाल ही में इलेक्ट्रोनिक डिजिटल आधारित किराया वसूली सम्बन्धी प्रणाली लागू करने के विरोध में हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या शिकायतें हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने इलैक्ट्रानिक डिजिटल किराया मीटरों को लगाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

विवरण

(ख) इलैक्ट्रानिक डिजिटल किराया मीटर लगाने के खिलाफ उनकी मुख्य शिकायतें इस प्रकार हैं :

--बम्बई में इलैक्ट्रानिक किराया मीटरों की असफलता।

—पर्याप्त संख्या में सप्लाई करने के लिए कोई फैक्टरी नहीं है।

—भार एवं माप विभाग ने इसे मंजूर नहीं किया है।

— इससे आटोरिक्शा तथा टैक्सियों के ड्राइवरों पर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा।

—इन मीटरों की अभी तक सड़क पर जांच नहीं की गई है।

—ये अधिक मंहगे हैं।

—ये अविश्वसनीय हैं।

—इनके लिए 12 बोल्ट की बैटरी खरीदना आवश्यक है।

—इनमें हेर-फेर किया जा सकता है।

—इनकी जांच के लिए कोई मशीनरी और उपकरण नहीं है।

—डैशबोर्ड आवश्यक है।

—ये केवल वातानुकूलित वातावरण वाली आदर्श स्थिति में कार्य करते हैं।

—आटो रिक्शा मालिक गरीब व्यक्ति हैं वे इसे वहन नहीं कर सकते।

—इसके पुर्जे आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।

—चूंकि इलेक्ट्रानिक मीटर एक आरामदायक वस्तु है इसलिए बीमा कम्पनियां अधिक चार्ज करेंगी।

—इलैक्ट्रानिक मीटरों के चोरी हो जाने अथवा क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति में इनका रिप्लेसमेंट महंगा पड़ेगा।

आटोरिक्शा और टैक्सी के किराये की संशोधित दरें

5326. **डा० सी० सिलवेरा** :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ओटोरिक्शाओं और टैक्सियों के किराये में संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो संशोधित किराये ढांचे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन वाहनों के किराया मीटरों में संशोधित किराये को अंकित कराने का विचार है; और

(घ) यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) आटोरिक्शा और टैक्सियों के किराए 26.7.91 से संशोधित कर दिए गए हैं। ब्योरे निम्नलिखित हैं :

(I) आटोरिक्शा

पहले किलोमीटर के लिए प्रारम्भिक किराया	—3.50 रु०
उसके बाद प्रति किलोमीटर किराया	—1.80 रु०

(II) टैक्सी

पहले किलोमीटर के लिए प्रारम्भिक किराया	—5.80 रु०
उसके बाद प्रति किलोमीटर किराया	—3.60 रु०

(ग) और (घ) किराया-सारणी अंकित करना एक समय लगने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि मीटरों में परिवर्तन करके ही इसे किया जाना है। फिलहाल, आटोरिक्शा और टैक्सियों के ड्राइवरों को पुराने किराए को नए किराए में बदलने वाली 'कन्वर्शन टेबल' सुलभ करा दी गई है।

उदार संपूरक योजना के अन्तर्गत पदोन्नतियां

5327. **श्री मदन लाल खुराना :**

क्या **वित्त मंत्री** 26.7.1991 के अतरांकित प्रश्न संख्या 710 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विभागों की सूची बतायें जिसमें पदोन्नति के लिए उदार संपूरक योजना शुरू की गई है;

(ख) किस-किस श्रेणी के कर्मचारी इस योजना के अन्तर्गत आते है; और

(ग) शीघ्र पदोन्नति में यह योजना किस प्रकार सहायक है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : ऐसी सूचना किसी एक स्थान पर नहीं रखी जाती है।

(ख) यह स्कीम मूलतः विज्ञान विभागों/संगठनों के आधारभूत तथा अनुप्रयुक्त दोनों तरह के विज्ञान अनुसंधान में लगे हुए वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविज्ञों पर लागू होती है।

(ग) एक ग्रेड में निर्धारित रेजीडेंसी अवधि पूरी करने पर वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविज्ञों का, उनकी पदोन्नति के लिए, विधिवत् गठित चयन बोर्ड द्वारा उनकी प्रमाणित योग्यता, किए गए अनुसंधान कार्य तथा अन्य सम्बद्ध पहलुओं के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। यह स्कीम शीघ्र पदोन्नतियां करने में सहायक है क्योंकि पदोन्नतियां रिक्तियों के आधार पर नहीं होती हैं।

स्क्रेप के रूप में अच्छी किस्म के उत्पादों का आयात

5328. **श्री मदन लाल खुराना :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 अगस्त, 1991 के "दि इकानोमिक टाइम्स" में "विड फार० आई० टी० रिकवरी फ्राम फिक्टीशियस स्क्रेप डीलर्स" शीर्षक के अन्तर्गत छापे समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि हमारे देश में करोड़ों रुपये के इस्पात आदि की स्क्रेप के रूप में आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला है जिसमें बड़ी फर्मों ने स्क्रैप के रूप में अच्छी किस्म के उत्पादों का आयात किया और सरकार को वैध राजस्व से वंचित किया है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में ऐसे कोई मामले आये हैं जिनमें सम्बन्धित अधिकारी भी ऐसे घोटालों में शामिल पाये गये हों;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी गतिविधियों में सहायक होने वाली कानूनी कमियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

उरुग्वे वार्ता में व्यापार और सीमा-शुल्क के अनिर्णीत मुद्दे

5329. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापार और सीमा-शुल्क के सम्बन्ध में उरुग्वे दौर की वार्ता के दौरान विकसित तथा विकासशील देशों के बीच मतभेद के अनिर्णीत मुख्य मद्दे क्या थे;

(ख) प्रत्येक मुद्दे पर दोनों पक्षों का क्या रुख था; और

(ग) मतभेदों की सुलझाने की दिशा में 77 राष्ट्रों के समूह ने क्या प्रयास किये ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बर) : (क) से (ग) चूंकि उरुग्वे दौर अभी समाप्त नहीं हुआ है वार्ता के अधिकांश महत्वपूर्ण मामलों पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं में सभी देश अपना-अपना आर्थिक हित चाहते हैं और जिन मामलों पर बातचीत चल रही है उन पर वैचारिक मतभेदों से विकसित और विकासशील देशों के बीच हमेशा विभाजन ही नहीं होता है। एक ही श्रेणी के उत्पादों यानि कृषि उत्पाद, उष्ण कटिबंधी उत्पाद, प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित उत्पाद तथा वस्त्र और क्लोदिंग के लिए अपना बाजार विस्तृत करने के इच्छुक देशों के बीच कुछ सहयोग भी है। 77 का ग्रुप, जो संयुक्त राष्ट्र मंच पर क्रियाशील है, को गाट का कोई दर्जा प्राप्त नहीं है। हालांकि गाट में विकासशील देशों का एक अनौपचारिक समूह है जो कभी-कभी संयुक्त बयान देता है, लेकिन विकासशील देशों के और भी छोटे-छोटे समूहों के वार्ताओं के अपने अलग-अलग उद्देश्य हैं और विभिन्न क्षेत्रों में वार्ताओं को जो महत्व देते हैं वह कम-ज्यादा होता रहता है। कृषि के क्षेत्र में एक ओर प्रमुख भागीदारों के बीच सुधारों की सीमा के बारे में मतभेद है, दूसरी ओर विकासशील देशों के ग्रुप हैं जिनके बीच बहुत ज्यादा मतभेद हैं। उनके दृष्टिकोण इस मुद्दे पर भी अलग अलग हैं कि क्या और किस

सीमा तक निवेश और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संबंध में वस्तुओं के बाजार प्रवेश में सुधार के लिए नीतियों में परिवर्तन किए जा सकते हैं।

जिन प्रमुख मुद्दों पर काफी संख्या में विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद रहे हैं वे निम्नलिखित हैं :

(1) **वस्त्र**—विकसशील देशों की यह मांग है कि बहु-रेशा व्यवस्था (एम० एफ० ए०) के अन्तर्गत वस्त्र व्यापार के लिए जो विभेदकारी और प्रतिवंधात्मक शर्तें हैं उन्हें अर्न्तवर्ती अवधि के बाद आवश्यकता पड़ने पर समाप्त किया जाना चाहिए, जो अन्य बातों के साथ-साथ कोटा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करती हैं। विकसित देश एम० एफ० ए० को बहुत धीरे समाप्त करना चाहेंगे और यह भी चाहते हैं कि इसके साथ ही विकासशील देश भी व्यापार को उदार बनाने के लिए कदम उठाएं तथा गाट नियमों को कड़ा बनाया जाए।

(ii) **ट्रिप्स** : विकसित देश, देशों के सम्बन्ध में बहुत उच्च स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के लिए एक समान मानदंड चाहते हैं। विकासशील देशों का कहना है कि मानदंड और मानक विकास के विभिन्न चरणों को देखते हुए निर्धारित किए जाने चाहिए और सभी देशों पर एक समान दायित्व नहीं लगाना चाहिए।

(iii) **गाट नियम** : विकसित देश उस लोचशीलता में कटौती चाहते हैं जिसका लाभ इस समय विकासशील देशों को प्राप्त है जिससे वे अपनी भुगतान संतुलन की स्थिति बनाए रखने और विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए अर्थ सहायता देने हेतु मात्रात्मक प्रतिबंध लगा सकते हैं। विकासशील देश वर्तमान नियमों में लोचशीलता को बनाए रखना चाहते हैं।

(iv) **ट्रिम्स** : विकसित देश चाहते हैं कि सरकार निवेश से सम्बन्धित जो उपाय करती है उन पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए जैसे स्थानीय आवश्यकताएं, निर्यात निष्पादन संबंधी आवश्यकताएं, व्यापार संतुलन संबंधी आवश्यकताएं आदि। विकासशील देश ऐसे निवेश उपायों को उचित मान-कर इन अधिकारों को बनाए रखना चाहते हैं।

हाथ से बुने हुए ऊनी कालीनों का निर्यात

5330. **डा० जी० एल० कनोजिया** :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हाथ से बुने हुए ऊनी कालीनों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या इन कालीनों के निर्यात की भारी संभावनाएं मौजूद हैं; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) हाथ से बुने ऊनी कालीनों से सम्बन्धित निर्यात आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान हाथ से बुने ऊनी कालीनों, ऊनी ड्रगेट्स, दरियों, गलीचों, नमदों और अन्य फर्श बिछावनों के निर्यात से संबंधित अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि निम्नोक्त है :

वर्ष	निर्यात का मूल्य (करोड़ रु० में)
1988-89	273.27 (अनन्तिम)
1989-90	360.55 (अनन्तिम)
1990-91	425.79 (अनन्तिम)

(ख) जी, हां।

(ग) 1991-92 के दौरान हाथ से बुने ऊनी/रेशमी/स्टेपल कालीनों तथा अन्य फर्श बिछावनों के लिए 720.00 करोड़ रुपए मूल्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से 620.00 करोड़ रुपए मूल्य के ऊनी फर्श बिछावन के निर्यात होने की सम्भावना है।

दिल्ली के न्यायालयों में मकान मालिक/किराएदार विवादों से सम्बन्धित लम्बित पड़े मामले

5331. **डा० जो० एल० कनौजिया** :

श्री बलराज पासी :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीस हजारी, दिल्ली में निचली अदालतों में अब तक मकान मालिक/किराएदार विवादों से संबंधित कितने मामले विचाराधीन हैं;

(ख) ऐसे कितने मामले दो, पांच, आठ और दस वर्षों से अधिक समय से विचाराधीन हैं;

(ग) ऐसे मामलों का लम्बे समय तक लम्बित रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) शीघ्र न्याय दिलाने के लिए ऐसे मामलों का शीघ्र निपटान करने हेतु सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) दिल्ली के निचले न्यायालयों में तारीख 1-8-1991 को भूस्वामी/किराएदार विवाद सम्बन्धी 20642 मामले लम्बित थे।

(ख) क्रमशः दो, पांच, आठ और दस वर्ष से अधिक समय से लम्बित ऐसे मामलों की संख्या

नीचे दी गई है :

दो वर्ष से अधिक पुराने	—	5686
पांच वर्ष से अधिक पुराने	—	2208
आठ वर्ष से अधिक पुराने	—	1310
दस वर्ष से अधिक पुराने	—	986

(ग) मामलों के लंबित रहने के कई जटिल कारण हैं जिनमें से एक ऐसे मामलों का बढ़ती संख्या में संस्थित किया जाना भी है ।

(ख) बकाया मामला विषयक समिति (मलिमथ समिति) की, जिसने न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या का अध्ययन किया था, रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट विभिन्न सिफारिशें सभी संबद्ध राज्य सरकारों, केन्द्रीय मन्त्रालयों और दिल्ली उच्च न्यायालयों सहित सभी उच्च न्यायालयों को भेज दी गई हैं । दिल्ली न्यायिक सेवा के पचास रिक्त पद भरने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय कार्रवाई कर रहा है तथा अधिक न्यायिक अधिकारियों की भरती हो जाने पर किराया विषयक मामलों में कार्रवाई करने वाले न्यायालयों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी ।

इंजीनियरिंग के सामानों का निर्यात

5332. **डा० जी० एल० कनोजिया** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इंजीनियरिंग के सामानों के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या प्रतिवर्ष लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) निर्यात संवर्धन परिषद् ने 1991-92 के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन्जीनियरी सामान का निर्यात लक्ष्य और निर्यात निष्पादन निम्नवत हैं :—

(मूल्य करोड़ रुपयों में)

वर्ष	लक्ष्य	निर्यात
		अनन्तिम
1988-89	1650	1802
1989-90	2200	2863
1990-91	3400	3549

स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यकी महा निदेशालय उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि उपलब्धि लक्ष्य से भी अधिक रही है ।

(घ) इन्जीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद ने वर्ष 1991-92 के दौरान 5000 करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य रखा है ।

बाल विवाह

5333. **डा. जी. एल. कनौजिया :**

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **विधि: न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91 के दौरान और इस वर्ष जुलाई, 1991 तक बाल विवाह के राज्य-वार और वर्ष-वार कितने मामले दर्ज हुये हैं;

(ख) क्या कुछ राज्यों में बाल विवाह में वृद्धि हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कठोर उपाय किये हैं या करने जा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) से (ग) जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं है । राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से इक्ट्ठी करके वह सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 का वर्ष 1978 में इस दृष्टि से संशोधन किया गया था कि इस अधिनियम के अधीन अपराध, अन्वेषण के प्रयोजन और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 42 में निर्दिष्ट मामलों (नाम और पता देने से इन्कार करने पर गिरफ्तारी) से भिन्न सभी मामलों के लिए और किसी व्यक्ति की वारंट बिना या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तारी के लिए, संज्ञेय होंगे । इस बावत इस समय कोई और कठोर उपाय करने का विचार नही है ।

राज्यों द्वारा लिए ऋणों का खपत व्यय को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाना

5334. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान लिए गए ऋणों का प्रयोग कथित रूप से खपत व्यय को पूरा करने के लिए किया है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है । तथा यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

स्वर्ण भूषणों के निर्यात हेतु निर्यातकों को सोने की पूर्ति

5335. **डा. सी. सिलवेरा** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने स्वर्ण भूषणों के निर्यात के लिए सोने की आपूर्ति करना बन्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और आपूर्ति को पुनः बहाल करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह : (क) और (ख) भारत सरकार टकसाल, बम्बई द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को जुलाई-अगस्त, 1991 के दौरान लगभग चार सप्ताहों के लिए कतिपय प्रशासनिक कारणों से सोने की आपूर्ति अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई थी । 19 अगस्त, 1991 से सोने की आपूर्ति अब फिर शुरू कर दी गई है ।

इस्पात उत्पादों का निर्यात

5336. **श्रीमती बासवराजेश्वरी** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल-जून, 1991 के दौरान इस्पात उत्पादों का निर्यात बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों की तुलना में इस्पात के निर्यात और उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) शेष चालू वित्तीय वर्ष के शेष महीनों के लिये कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) इस्पात निर्यात पर प्रमाणिक आंकड़े वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय कलकत्ता ने अभी प्रकाशित नहीं किए हैं । इस्पात निर्यात पर प्रमुख इस्पात उत्पादकों (यानी सेल और टिस्को) से अप्रैल-जून, 1991 की अवधि के लिए उपलब्ध आंकड़े पिछले दो वर्षों की सम सामयिक अवधि की तुलना में निम्न-हैं ।

प्रमुख उत्पादकों द्वारा निर्यात
(सेल और टिस्को) (अप्रैल-जून)

वित्त वर्ष	मात्रा
(अप्रैल-जून)	मी० टन में
1989-90	22.670
1990-91	59.400
1991-92	85.85

(ग) सेल और टिस्कों द्वारा अप्रैल-जून, 1991 के दौरान किये गये निर्यात में वर्ष। 1989- और 1990-91 की समसामयिक अवधि की तुलना में क्रमशः 43.5% तथा 276% की वृद्धि हुई है। अप्रैल-जून, 1991 में परिस्कृत इस्पात का कुल उत्पादन वर्ष 1990-91 और 1989-90 की समसामयिक अवधि की तुलना में क्रमशः 11.5% और 13.0% बढ़ा है।

(घ) 8 वीं योजना के लिए लोहा इस्पात संबंधी कार्यदल ने वर्ष 1991-92 में 8.75 लाख टन सम्भावित निर्यात का लक्ष्य रखा है।

सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि

[हिंदी]

5337. **श्री साईमन मराण्डी** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट की बढ़ रही कीमतों को रोकने हेतु एक समिति का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा सरकार को प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन में क्या सिफारिशें की गई हैं और इनके क्रियान्वयन संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) :(क) सीमेंट की कीमतों को नियंत्रित करने के उपायों पर विचार करने और योजना तैयार करने के लिए एक कार्य दल का गठन किया गया है।

(ख) कार्यदल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

अखबारी कागज के लिए सोवियत संघ से बातचीत

[अनुवाद]

5338. **श्री एस. बी. सिदनाल** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज की सप्लाई के संबंध में वातचीन के लिए एक शिष्टमंडल सोवियत संघ गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस शिष्टमंडल ने सोवियत अधिकारियों से भेंट की थी और उनके साथ कई बार चर्चा की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके साथ कोई समझौता हुआ था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सोवियत ंघ अखबारी कागज की सप्लाई कब तक करने के लिए सहमत हो गया है ताकि देश में इसकी कमी को कुछ हद तक दूर किया जा सके ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) जी हां।

(घ) और (ङ) वर्ष 1991 के लिए सोवियत संघ से 70.000 एम टी अखबारी कागज की आपूर्ति के व्यापार योजना प्रावधान पर एस. टी. सी. ने 22.830 एम. टी. स्टेन्डर्ड अखबारी कागज के आयात के लिए अप्रैल, 1991 में, जब रूस से एक शिष्टमंडल नई दिल्ली आया था, एक सविदा पूरी की थी। जुलाई-सितम्बर, 1991 के दौरान आपूर्ति की जाने वाली मात्राओं की कीमत तय करने के लिए और अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए जुलाई, 1991 के दौरान एस० टी०सी० से एक शिष्टमंडल मास्को गया था। शेष 47.000 एम.टीं. के लिए सोवियत संघ ने कोई बचन बद्धता नहीं की है।

सरकारी शिष्टमंडलों का विदेश दौरा

533°. **श्री राम नरेश सिंह** :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष वार, कितने सरकारी शिष्टमंडल विदेशों को भेजे गए;

(ख) गत तीन वर्षों की अवधि में इन शिष्टमंडलों पर वर्ष वार रुपयों में और विदेशी मुद्रा में अलग-अलग कितना खर्च किया गया; और

(ग) क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस खर्च में कटौती करने के लिए कोई उपाय कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे : (क) और (ख) यह सूचना किसी एक सूचना पर नहीं रखी जाती है और इसे भारत के सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से एकत्रित करना पड़ेगा। इस सूचना को एकत्रित करने में जो समय और श्रम लगेगा उससे प्राप्त होने वाला लक्ष्य उसके अनुरूप नहीं होगा।

(ग) सरकार ने सरकारी अधिकारियों के विदेशी दौरों पर प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन कुछ मामलों में छूट प्रदान की गई है जिनमें अन्यों के साथ व्यापार सम्बन्धी सहायता संबंधी, अथवा विदेश नीति पर बातचीत संबंधी मामले शामिल हैं।

[हिंदी]

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश में आचार्य विनोबा भावे जी ने बड़े-बड़े भूमिपतियों से जागीरदारों से और जमींदारों से भूमि लेकर गरीबों में बांटने का भूदान आन्दोलन प्रारम्भ किया था और उसके तहत लाखों एकड़ जमीन उन्हें मिली और उसका वितरण भी भूदान एक्ट के अन्तर्गत किया गया। अत्यन्त दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार में वहां की सरकार ने बिहार भूदान एक्ट में परिवर्तन कर जमीन बांटने का अधिकार स्वयंमेव ले लिया है और आचार्य विनोबा जी का नाम ही उस अध्यादेश से अलग कर दिया गया है। यह अत्यधिक चिंतनीय विषय है और इस पूरे मसले को लेकर आज पटना में कुमारी निर्मला देशपांडे वहां धरना दे रही हैं, लाखों किसान वहां एक हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इस अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय को सदन के सामने और देश के सामने उठाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री बी० एन० रेड्डी (मिरयालगुडा) : अध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश की जनता को विशेष रूप से खम्मम नीलगोंडा, वारांगल तथा तेलंगाना की जनता को यह जल संसाधन मन्त्री से सुनकर बहुत आघात लगा है कि गोदावरी नदी में जल नहीं है। हर वर्ष इसमें बाढ़ आती है तथा अपने दोनों ओर स्थित गांवों को बहा ले जाती है।

वास्तविकता यह है कि तत्कालीन मन्त्री श्री बी० शंकरानन्द ने आठवीं लोक सभा में तथा अन्य लोगों ने श्री एन. टी. रामाराव के नेतृत्व वाली तत्कालीन राज्य सरकार को यह प्रस्ताव भेजा था कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना को शामिल किया जाना चाहिए। जल संसाधन मन्त्रालय के अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में स्पष्टतः आर्थिक व्यवहार्यता की बात स्वीकार की थी तथा पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय से स्वीकृति भी प्राप्त कर ली थी। योजना तथा वित्तीय पक्षों की भी उन्हीं अधिकारियों द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की रिपोर्ट जिसे दिनांक 6 जून संसद सदस्यों की बैठक में प्रस्तुत किया गया था, उसमें भी यह उल्लेख किया गया था कि विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी थी तथा यह सिद्ध किया था कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो सकता है।

अतः मेरा भारत सरकार से केवल इतना ही अनुरोध है कि सरकार को श्री राम सागर परियोजना के द्वितीय चरण को मंजूरी दे देनी चाहिए जिसमें कथिया नहर को 284 कि. मी. से 347 कि. मी. तक बढ़ाना भी शामिल है तथा जिससे लगभग पांच लाख एकड़ भूमि पर सिचाई की जा सकेगी।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : अध्यक्ष महोदय, मुम्बई के सहार हवाई अड्डे से खाड़ी देशों के

लिए एयर इण्डिया की उड़ानें बिल्कुल अपर्याप्त हैं जिसके परिणामस्वरूप खाड़ी देशों को जाने वाले यात्रियों को मार्ग कठिनाई तथा परेशानी का सामना करना पड़ता है।

मुझे यह सूचना मिली है कि 20 सितम्बर तक एयर इण्डिया की उड़ानों में पहले ही स्थान आरक्षित किये जा चुके हैं। इससे यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है। उन्हें अपने रोजगार पर जाने के लिए इन देशों में पहुंचना है।

उन्हें अपर्याप्त उड़ानों के कारण अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ रहा है। तथा उनके वीजा की अवधि भी समाप्त हो रही है।

अतएव मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तुरन्त ही मुम्बई के सहार हवाई अड्डे से दुबई, आबूधाबी, मास्काट, दोहा, बहरीन, जद्दाह, रियाध तथा कुवैत जैसे खाड़ी देशों तक के लिए अतिरिक्त उड़ानों की व्यवस्था करे **(व्यवधान)**······

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में सड़कों की हालत अत्यन्त खराब है। हजारीबाग से **(व्यवधान)**······ बोकारो तक का जो काम लिया गया था तो उसके लिए एक पैसा भी नहीं दिया गया। भारत सरकार ने ले लिया है और जिसके चलते स्थिति और खराब हो गयी है। आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान में सबसे लम्बी सड़क कलकत्ता से दिल्ली ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानी जाती है।

वह भी फण्ड के अभाव में काफी खराब हो गई है, उस पर रोज हजारों गाड़ियां चलती हैं। भारत सरकार बिहार सरकार के साथ काफी भेदभावपूर्ण व्यवहार रखे हुए है। 1974 से लेकर अभी तक एक भी किलोमीटर सड़क को राजपथ में नहीं लिया है और न ही फण्ड दे रही है जिससे बिहार सरकार इसकी मेनटेन कर सके और रोड्स का दोहरीकरण कर सके। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि बिहार सरकार के साथ इस प्रकार का भेदभाव न करे और नई रोड़ बनाये तथा फण्ड देने पर विचार करे।

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : अध्यक्ष महोदय, देश के अन्य स्थानों के साथ बिहार के रांची शहर में भी जो ट्रेन्स खाड़ी युद्ध के दौरान स्थगित की गई थीं, अभी तक चालू नहीं की गई हैं। ट्रेन नं० 463/464 हदिता-खड्गपुर पैसेंजर ट्रेन जो आरा से रांची को जोड़ती है, दूसरी ट्रेन नं० 8631/8632 हटिया वाराणसी एक्सप्रेस जो सप्ताह में दो बार बोकारो-रामगढ़ होते हुए गुजरती थी, अभी तक पुनः चालू नहीं की गई है। जबकि देश के अन्य भागों में जो गाड़ियां इस युद्ध के दौरान बन्द की गई थीं उनको पुनः चालू कर दिया है।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि उक्त दोनों गाड़ियों को जल्दी से जल्दी चालू कर वहां के जनजीवन की आवागमन की सुविधा के लिए सुधारात्मक कदम उठाये जायें।

[अनुवाद]

श्री थाइल जॉन अंजलोज (अलेप्पी) : केरल में हजारों मछुआरों को सहकारी

समितियों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिये गये ऋणों की अदायगी के लिए आर० आर० नोटिस मिले हैं।

भारी वर्षा के कारण मछली पकड़ने का काम लगभग ठप्प हो गया है तथा उनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। वर्तमान बकाया ऋणों की तुरन्त अदायगी करना उनके लिए इस समय बहुत मुश्किल है। मैं सरकार से अर्ज करता हूं कि सरकार सम्बद्ध अधिकारियों को केरल के मछुआरों के ऋण से सम्बन्धी सभी आर० आर० कार्यवाही समाप्त करने के निर्देश दे तथा वे मछुआरों के कर्जों को माफ करने के लिए कदम उठायें।

श्री कवीन्द्र फरकायस्थ (सिल्चर) : मैं देश की एकता तथा अखंडता को चुनौती देने वाले एक अत्यन्त गम्भीर मसले की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। काफी समय से लाखों घुसपैठिए बंगलादेश की सीमा को पार करके भारत में अवैध रूप से प्रवेश कर रहे हैं। विभिन्न संस्थाओं द्वारा बार-बार सचेत करने के बावजूद भी सरकार ने इस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। परन्तु इस समय यह समस्या काफी गम्भीर रूप धारण कर चुकी है विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में। गैर कानूनी घुसपैठिए अपने आपको मोहाजिव मोहाजीव बताते हैं जो नियमित रूप से कार्यालय चला रहे हैं, संवाददाता सम्मेलन बुला रहे हैं तथा कलकत्ता की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वे आन्दोलनकारी कार्यक्रम भी चला रहे हैं जिनमें पोस्टर लगाना, पम्पलैट बांटना तथा सार्वजनिक रूप से अपनी अवैध घुसपैठ को स्वीकार करते हुए भारत की नागरिकता तथा और दूसरी विशेष सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार इस देश के कानून का उल्घंधन करने वाले घुसपैठियों को गिरफ्तार करके इस प्रकार संविधान की मर्यादा कायम रखने में असफल रही है।

भारत सरकार को इस देश की सुरक्षा तथा इसकी अखण्डता बनाये रखने के मामले को पूरी गम्भीरता से लेना चाहिए। क्या यह एक सच्चाई नहीं है कि घुसपैठ की इस समस्या ने राष्ट्रीय समस्या का रूप धारण कर लिया है ?

यदि केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में कड़ी कार्रवाई करने में असफल रहती है, तो हमारे देश का भविष्य और अधिक अंधकारमय हो जायेगा।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान बिहार के प्रति अदूरदर्शितापूर्ण नीति की ओर खींचना चाहता हूं। बिटूमेन आपूर्ति जो बिहार राज्य को की जा रही है सभी दृष्टिकोण से अव्यावहारिक है और बिहार राज्य के लिए हानिकारक भी है। क्योंकि दूसरे राज्यों को बिटूमेन की आपूर्ति उस राज्य के प्रोसेसिंग केन्द्र या उस राज्य के पड़ोस के प्रोसेसिंग केन्द्र से की जा रही है, लेकिन बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसको बिटूमेन की आपूर्ति हलदिया से की जाती है। जिसमें प्रतिवर्ष पांच करोड़ रुपये भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण बिहार सरकार को अपव्यय करने पड़ते हैं। बिहार राज्य में बरौनी ओयल रिफाइनरी

प्रोसेसिंग केन्द्र है। अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि बरौनी को प्रोसेसिंग केन्द्र मानकर बिहार राज्य को बिटूमैन की आपूर्ति बरौनी से कराई जाये या सीधे हलदिया से कराई जाये। बिहार सरकार को पांच करोड़ रुपये की हानि से बचाया जाये। इसका तत्सम्बन्धी आदेश शीघ्र दिया जाये।

श्री सूरज मण्डल (गोड्डा) अध्यक्ष महोदय, रांची में बी० आई० टी०, मेसरा में 300 छात्रों को इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन दिया जाता है। पहले यह रांची यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत आता था, बाद में दरभंगा यूनिवर्सिटी में ले लिया गया और पूरे हिन्दुस्तान में 250 विद्यार्थियों को रांची में एडमीशन दिया जाता है। लेकिन बिहार से केवल 50 विद्यार्थियों को ही लिया जाता है और उसमें भी जो ट्राइवल सव-प्लान के अन्तर्गत हैं उनमें से 5-10 आदमी ही लिये जाते हैं, इसलिए वहां के इलाके के लोगों में आक्रोश है कि हिन्दुस्तान के 250 स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग करने का मौका मिलता है और वहां के लोगों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय, हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारतीय संविधान की धारा 242 के तहत ट्राइबल सव-प्लान एरिया के लोगों को प्रोटेक्शन देने का दायित्व भारत सरकार का है, वह मिलना चाहिए। इसलिए बी० आई० टी०, मेसरा में 50 प्रतिशत स्थान ट्राइब्ल वेल्ट के 14 जिलों के लोगों को इंजीनियरिंग में दाखिला करने का निर्देश दें और वहां के लोगों में जो आक्रोश है, उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। माननीय अर्जुनसिंह जी, जो इस हाउस के नेता हैं से आग्रह करना चाहता हूं कि वे एजूकेशन मिनिस्टर भी हैं कि ट्राइबल बैल्ट अन्तर्गत बी० आई० टी०, मेसरा में जो अन्याय हो रहा है, उसके प्रति ध्यान दें और इन लोगों के आक्रोश को रोकना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी) : उड़ीसा राज्य में गंजय, कालाहांडी, कोरापट, फूलबनी तथा बोलंगीर जिले हैजा महामारी तथा कालाजार,आन्त्र-शोथ तथा तानिका शोथ बीमारियों से बुरी तरह ग्रस्त हैं। चूंकि राज्य सरकार ने पर्याप्त रूप से दवायें तथा चिकित्सा सुविधायें प्रदान नहीं की हैं अतः मरने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा यह संख्या 1,000 से भी अधिक पहुंच गई है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह पर्याप्त दवाओं तथा चिकित्सा सुविधाओं सहित तुरन्त ही एक चिकित्सक दल को वहां पर भेजे।

[हिन्दी]

श्री विश्व नाथ शास्त्री (गाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद ग्रामीण बैंकों में राष्ट्रीयकृत बैंकों का काफी विस्तार हुआ है। भारत सरकार ने जब इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था तो उसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन बैंकों की जो शाखायें खोली जाएंगी और जो पैसा जमा किया जाएगा, उससे वहां के पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने में मदद मिलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ और इन बैंकों में जमा धनराशि अधिकांशतः बड़े शहरों और बड़े उद्योगों को मदद देने में खर्च की जा रही है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों द्वारा जमा

धनराशि का उपयोग उद्योगपति अथवा औद्योगिक क्षेत्र अपने उद्योग साम्राज्य में करते हैं इस ढंग से जो पिछड़े क्षेत्रों के विकास का निर्धारित लक्ष्य था, उसकी लगातार अनदेखी की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश उसका एक उदाहरण है। मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि पूर्वी उतर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों में उन किसानों की जमा धनराशि का 70 प्रतिशत भाग उनके विकास कार्य के लिए खर्च करने की व्यवस्था करें और उसमें भी कृषि और लघु उद्योग को प्राथमिकता दी जाए।

[**अनुवाद**]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमारे देश में अन्य भागों में या तो रेलवे सुविधाओं में और बढ़ोत्तरी हुई है अथवा उनमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, वे जितनी पहले थीं, उतनी ही अब हैं। पूरे देश में केवल एक भाग ऐसा है जहां पर रेलवे सेवाओं में तेजी से कमी आई है। उनमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है अथवा वे वहीं की वहीं रही हैं। उत्तर बिहार का वह एक मैथिली-भाषा-प्रधान बड़ा क्षेत्र है। कोसी के पश्चिम, निरमली, भरौना तथा सहरसा सुपौल और मसौर के लोगों को अपने जिला मुख्यालयों तक पहुंचने के लिए 300 कि० मी० तक की दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि वह केवल 6, 7 कि० मी० की सीधी दूर पर है।

इसी प्रकार से बागही से चितौनी तक की रेलवे लाईन जो गंडक नदी में टूट गयी थी उसे भी अभी तक नहीं बनाया गया है यद्यपि तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा वर्ष 1976 में इसका उद्घाटन किया गया था।

पिछले वर्ष के बजट प्रावधान में समस्तीपुर से दरभंगा तक की बड़ी लाईन का विस्तार करने के लिए 4 करोड़ और 9 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। इस वर्ष, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा, छः जोड़ी रेल गाड़ियां, दरभंगा से जयनगर तक दो जोड़ी, दरभंगा से नरकटियागंज तक दो जोड़ी तथा समस्तीपुर से निरमली और लौखा बाजार तक दो जोड़ी रेल गाड़ियों को पिछले वर्ष आरक्षण-विरोधी आन्दोलन के दौरान रद्द कर दिया गया था तथा अभी भी उन्हें पुनः चलाना आरम्भ नहीं किया गया है।

लोग यह महसूस कर रहे हैं कि चूंकि लोक सभा चुनावों में बिहार के किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र में कांग्रेस (आई) निर्वाचित नहीं हो पाई है अतः केन्द्रीय सरकार ने बदले की भावना से वहां की जनता के साथ ऐसा किया है···**(व्यवधान)** यहां तक कि सकरी-हसनपुर लाईन जिसका औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था। उसका भी अभी तक निर्माण नहीं किया गया है। **(व्यवधान)** महोदय, पिछले वर्ष बजट में समस्तीपुर से दरभंगा तक बड़ी रेलवे लाईन का विस्तार करने के लिए 4 करोड़ तथा 9 लाख रुपए प्रदान किए गए थे। परन्तु इस वर्ष केवल 1000 रु० ही बजट में प्रदान किए गए हैं···**(व्यवधान)** मैं आशा करता हूं कि रेल मंत्री जी इस भेदभाव पूर्ण रवैये में सुधार करेंगे

... (व्यवधान) आरक्षण-विरोधी आन्दोलन के नाम से उन्होंने अत्यधिक घनी आबादी वाले छोटे से क्षेत्र में छः जोड़ी गाड़ियां रद्द कर दी थी। महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मसला है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री, भारत सरकार तथा सभा के नेता से यह अर्ज करता हूं कि वहां की जनता में यह भावना उत्पन्न हो रही है कि उनके साथ अत्यधिक भेदभाव बरता जा रहा है, अतः मेरी आपसे विनती है कि इस मामले में बहुत देरी होने से पहले ही आप कुछ कीजिए।

डा० राजागोपालन श्रीधरण (मद्रास दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेलवे मंत्री जी के ध्यान में एक बहुत महत्वपूर्ण मामले को लाना चाहता हूं जो मुझे मद्रास समुद्र-तट-ताम्बरम विद्युत खण्ड पर क्रोमपेट रेलवे स्टेशन के निकट मेरे क्षेत्र की जनता से प्राप्त हुआ था।

रेलवे ने रेलवे लाइन तथा उस सड़क, जिस पर सब्जी तथा फूल बेचने वालों ने कब्जा कर लिया है, के बीच तथा सड़क के किनारे स्थित घरों के निकट भी लोहे के गर्डर बनवाये हैं। यह सड़क अलंदूर नगरपालिका से सम्बन्धित है तथा अब लोगों को अपनी दैनिक आवश्यकता की वस्तुए खरीदने में भी कठिनाई हो रही है। कालेज जाने वाले छात्रों को अपने घरों से कालेज जाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि सड़क पर लोहे के भारी गर्डर लगाए जाने के कारण यातायात रुक गया है। यह भी आरोप लगाया गया है कि क्रोमपेट स्टेशन में रेलवे पुलिस सब्जी बेचने वालों से प्रत्येक दिन धन वसूल कर रही है तथा उनके खिलाफ अत्यधिक गैर-कानूनी ढंग से मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

मैं रेलवे मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इन लोहे के गर्डरों को तुरन्त हटवाने की कार्यवाही करें ताकि अत्यधिक उत्तेजित स्थानीय लोगों को राहत मिल सके।

[हिन्दी]

श्रीमती रीता वर्मा (धनबाद) : माननीय अध्यक्ष जी, में आपका ध्यान पश्चिम बंगाल में हिन्दी भाषा-भाषियों को जो असुविधाएं झेलनी पड़ रही हैं, उसकी तरफ आकृष्ट कराना चाहती हूं।

महोदय, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में तथा पहाड़ी इलाकों में खास तौर से चाय बागानों में बहुत हीबड़ी संख्या में बिहारी मजदूर काम करते हैं। कहीं-कहीं तो उनकी संख्या बंगला भाषा-भाषी लोगों से भी ज्यादा है। इनमें से ज्यादातर लोग पिछड़े वर्ग के, हरिजन तथा आदिवासी हैं। हिन्दी को छोड़ कर ये और कोई भाषा बोल भी नहीं सकते। हिन्दी उनकी मातृभाषा ही नहीं, हमारी राष्ट्रभाषा भी है। पर यह अत्यन्त खेद की बात है कि इतनी बड़ी आबादी को यह अधिकार नहीं कि वह अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करे।

शिक्षा सिर्फ राज्य का ही विषय नहीं, वरन् समवर्ती सूची का भी विषय है। मैं खास तौर से अपने सहयोगियों से, जो सामाजिक अन्याय के खिलाफ हर वक्त जेहाद छेड़ने को तैयार रहते हैं, उनसे भी आशा करूंगी कि इस मामले में वे भी हमारे साथ आवाज उठाएं। खास तौर से हरिजनों, आदिवासियों तथा पिछड़े वर्गों की हर असुविधा को दूर करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उनका यह हक है कि वे अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करें।

पश्चिम बंगाल में हिन्दी में शिक्षा देने में कोई रुचि नहीं ली जाती। ऐसे माध्यमिक स्कूल

भी गिने-चुने हैं जिनमें हिन्दी में शिक्षा दी जाती है और उच्च शिक्षा की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। उच्च शिक्षा सिर्फ बंगला या अंग्रेजी में प्राप्त की जा सकती है, या कहीं-कहीं उर्दू में भी। यानि उर्दू में भी उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, परन्तु हिन्दी में नहीं। पश्चिम बंगाल में हिन्दी को समुचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

मैं प्रार्थना करूंगी कि हिन्दी भाषा में शिक्षा देने वाले स्कूल तथा कॉलिजों की व्यवस्था की जाये। स्कूल कॉलिजों में अनिवार्य रूप से हिन्दी की पढ़ाई हो। व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में भी हिन्दी भाषा में प्रशिक्षण देने की व्यवस्थ हो।

मैं फिर कहूंगी कि यह समस्या धनी और उच्चवर्ग की नहीं है। वे तो अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम से ही शिक्षा दिलाना पसन्द करते हैं। मैं आपका ध्यान उन निर्धन मजदूरों की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं जो अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और यह उनका हक भी है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : कृपया मुझे एक मिनट का समय दे दीजिए। मेरे विचार से यह उनका प्रथम भाषण था तथा मैंने उन्हें बीच में नहीं टोका। उनको यह सूचना मिली है कि वहां कोई हिन्दी स्कूल नहीं है। जहां पर उनके अनुसार बंगाली-भाषी लोगों की तुलना में हिन्दी भाषी लोग अधिक हैं। देश में पश्चिम बंगाल ही अकेला ऐसा राज्य है जहां पर बंगला भाषा अनिवार्य विषय नहीं है। हमारे शैक्षिक लक्ष्य भी हैं हम न केवल बंगला भाषा सिखा रहे हैं बल्कि हिन्दी, उर्दू, उड़िया भाषा भी सिखा रहे हैं। यह स्थिति है। मैं समझता हूं कि उन्हें गलत सूचना दी गई है। इस पर भी मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह हमें उन स्थानों, गांवों तथा क्षेत्रों की सूची दें जहां पर हिन्दी सीखने का अवसर प्रदान नहीं किया जा रहा है तथा साथ ही वहां पर कितने प्रतिशत लोग हिन्दी भाषी हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने सदन में जो जानकारी दी, उसके प्रत्युत्तर में, मुझे खुशी है कि बंगाल से आने वाले माननीय सदस्य ने आश्वासन दिया और उन्हें लिस्ट दे दी जायेगी।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें गर्व है कि वहां प्रत्येक सुविधा दी जा रही है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमारे यहां तो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में ही है।

[अनुवाद]

श्री गंगाधरा सानीपल्ली (हिन्दुपुर) : मैं आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले से, जो एक सूखा-ग्रस्त क्षेत्र है, आता हूं। इस बार पूरे मौसम के दौरान केवल 175 मि० मी० वर्षा हुई है और वह भी केवल कुछेक क्षेत्रों में जो केवल बीज बोने के लिए ही पर्याप्त है। बहुत से क्षेत्रों में तो किसानों ने बीज तक नहीं बोया है। वर्षा पर निर्भर मुख्य फसल अर्थात् मूंगफली की फसल बिल्कुल समाप्त होने जा रही है। केवल इसी फसल से इस जिले में लगभग 300 करोड़ रुपए का किसानों को नुकसान होगा। जमीन के पानी का स्तर भी तेजी से घट रहा है। सभी टैंक और कुंओं का पानी सूख गया है। लोगों को पीने के पानी की अत्यधिक कमी हो रही है। मवेशियों की दुःखद स्थिति हृदय को दहलाने वाली है।

मवेशियों के लिए न तो पर्याप्त पानी है और न ही चारा। गांवों से बड़ी संख्या में श्रमिकों का पलायन पहले ही शुरू हो चुका है। हमारे बार-बार अनुरोध और अभ्यावेदन करने के बावजूद हमारी राज्य सरकार स्थिति में सुधार के लिए कड़े उपाय अपनाने में हिचकिचा रही है। अगर केन्द्र सरकार भी स्थिति की गंभीरता को अनुभव नहीं करती और उसके लिए उपयुक्त उपाय नहीं करती तो भूख के कारण होने वाली मौतों की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। मेरा माननीय प्रधान मन्त्री से अनुरोध है कि वह हमारे यहां व्यक्तिगत रूप से आकर स्वयं कृषकों की दुःखद स्थिति देखें और इस जिले में लोगों को भीषण अकाल से बचाने के लिए तत्काल अस्थायी और स्थायी उपाय करें।

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृशन नगर) : हाल ही में प्रधान मन्त्री द्वारा यह आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी कि भारत बौद्धिक संपदा अधिकारों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे नहीं झुकेगा. यह समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि भारत सरकार अमरीका के दबाव में आकर पहले से विद्यमान बौद्धिक संपदा अधिकार सम्बन्धी सभी विधानों पर पुनर्विचार करने के लिए सहमत हो गई है और उस दिशा में तेजी से बढ़ रही हैं। चूंकि भारत पेटेंट कानून को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे पाया इसलिए अमरीका पहले ही सुपर 301 का आह्वान कर चुका है। वे बौद्धिक संपदा अधिकार के संपूर्ण मसले को जिसमें पेटेंट, ट्रेड मार्क और व्यापार सम्बन्धी गोपनीय बातें होंगी; हल करने के लिए दबाव दे रहे हैं।। यह बहुत शर्म की बात हैं कि भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय हित और हमारे देश की गरिमा को ताक पर रखकर बौद्धिक संपदा अधिकार के सम्बन्ध में अपनी पूर्व धारणा को अमरीकी साम्राज्यवाद के दबाव में आकर बदलने का निर्णय कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप यह जाने बगैर ही कि उन्होंने क्या किया है बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं।

श्री अजय मुखोपाध्य : यह बहुत ही गभीर और खतरनाक बात है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार नहीं।

(व्यवधान)

श्री अजय मुखोपाध्याय : अतः मेरी यह मांग है कि सरकार गुप्त समझौते के सभी तथ्यों को बताते हुए एक वक्तव्य तुरन्त दें।

अध्यक्ष महोदय : श्री दत्तात्रेय बंडारू एक बहुत ही दिलचस्प मामला उठाना चाहते हैं।

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान दिनांक 22-8-1991 के इंडियन एक्सप्रैस में "डिफेंस सर्विसिज ओपन टु फेयररसेक्स" शीर्षक के अंतर्गत छपे समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं। सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है परन्तु भर्ती सम्बन्धी संपूर्ण प्रक्रिया के सम्बन्ध में मुझे कुछ आशंका है। चूंकि सेवा पदों के लिए आरक्षण आदेश लागू नहीं होते, इसलिए कमजोर वर्गों अनुसूचित जातियों, जनजातियों की महिला उम्मीदवारों को अच्छे अवसर नहीं दिये जायेंगे। इसके साथ ही, जब संघ लोक सेवा आयोग इस मामले में आता ही नहीं तो एयरमार्शलों और एडमिरल की कान्वेंट स्कूलों में शिक्षित लड़कियों को अधिक अवसर प्राप्त होंगे।

मेरा संघ सरकार से अनुरोध है कि वह इन सेवा पदों को सिविल पदों में परिवर्तित करके इन्हें संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार में लाये ताकि आरक्षण नीति समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी लागू हो।

अध्यक्ष महोदय : आप सेवा पदों को सिविल पदों में बदलना चाहते हैं।

श्री चेतन पी० एस० चौहान (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री के नोटिस में यह लाना चाहता हूं कि 1,27,800 पोंड (57.51 लाख रुपए) की धनराशि जून, 1990 में भारतीय क्रिकेट टीम के इंग्लैंड के दौरे के समय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बिक्री और विज्ञापन के माध्यम से एकत्र की जो ब्रिटेन की विवरणिका में छपा।

आज के इंडियन एक्सप्रैस में प्रकाशित रिपोर्ट से यह लगता है—

अध्यक्ष महोदय : चौहान जी, मैं जो कुछ कह रहा हूं उस पर आप ध्यान दें। अगर आप किसी सदस्य के विरुद्ध कुछ कह रहे हैं तो पहले मुझे उसकी जानकारी दीजिए। आप वह जानकारी उस सदस्य को दें और फिर उस मामले को उठाएं। मैं वह बात उठाने की आपको अनुमति नहीं दूंगा :

श्री चेतन पी० एस० चौहान : महोदय, यह किसी सदस्य के विरुद्ध नहीं है। **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया पहले उसकी जानकारी मुझे दीजिए फिर मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूँ कि यह किसके सम्बन्ध में है। आपको मुझे और उस सदस्य को सूचित करना पड़ेगा तभी आप इसे उठा सकते हैं। मैं अपने कक्ष में आपको बताऊंगा कि इस प्रकार के मामलों में क्या किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आज फिर अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या की तरफ और सरकार और मीडिया के रवैये की तरफ दिलाना चाहता हूं। आज के अखबार में आपने देखा होगा कि गुजरात के रूसदन-गांव में, जो विजयपुर तालुका और मैसाना जिले में है, एक 45 वर्ष के दलित व्यक्ति को लोगों ने कैरोसिन का तेल छिड़ककर जलती हुई आग में डाल दिया। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। कल इस सदन में बताया गया कि जो पुलिस आफिसर थे वे बारिश से बचने के लिए मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ गए तो उनको वहीं मार दिया गया। कल मैंने इसी सदन में कहा था कि तमिलनाडु में सात सैडयूल कास्ट के लोगों की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वे बाबा साहिब के जन्म दिवस के अवसर पर उनका पोर्ट्रेट लगाने जा रहे थे। आंध्र प्रदेश के साथियों को मालूम है कि नरसंहार के बावजूद भी चुन्दूर में सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जहां सरकार पर गुस्सा है वहीं हमें सरकांर की नीयत पर भी शंका होती है। आज के तमाम समाचार पत्रों में यह लिखा है। मैं सभी समाचार पत्रों को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन्होंने कल की घटना को, जिसे सदन के नेता ने भी कहा, कनडेम करने का काम किया। टी०वी० और रेडियों सरकार का अपना मीडिया है। इसे सभी पक्ष के लोगों ने एक स्वर से कनडेम किया और आपने भी उसमें शेयर किया। सदन के नेता ने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी से बातचीत करेंगे और प्रधायमंत्री जी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर इस संबंध में निर्देश देने का काम करेंगे, इस तरह की कार्रवाई की पुनरावृत्ति न हो। इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा आश्वासन, लेकिन एक भी शब्द उसके बारे में नहीं कहा गया। चूंकि मैंने यह मामला उठाया था आपने थोड़ा उसको लाइटली लिया था और कहा था कि नहीं उठना चाहिये था, तभी से मैं देख रहा हूं कि इनका मीडिया जानबूझ कर सेडयूल्ड् कास्ट्स, सेडयूल्ड् ट्राइब्स, वीकर सैक्शन्स का मामला नहीं उठाता है। टी.वी. और रेडियो का नजरिया एंटी दलित एंटीवीकर सेक्शन वनगया है। इस सदन में इस मामले पर तीन दिन डिसकसगन हुआ, कहीं कोई कवरेज उसकों नहों दिया गया। इतना बड़ा इशू उठा, तमाम लोगों ने उठाया, लेकिन एक लाइन भी उसके बारे में नहीं दिया। इतना ही नही कल हम लोग सवेरे अर्जुनसिंह जी, 60 एम. पी. सेडयूल्ड-कास्ट्स, शेडयूल्ड ट्राइब्स से संबंधित कांग्रेस के और अपोजिशन के मिले थे, बूटासिंह जी थे मुकुल वासनिक थे सेलजा जी थी, वी.जे.पी.के. सी.पी. आई व सी.पी.एम. के और जनता दल के थे। सेडयूल्ड कास्ट्स सेडयूल्ड ट्राइब्स पार्लियामेंटरी फोरम के माध्यम से मिलकर ऐसे इशू उठायें जायें ऐसा हमने तय किया है। इसमें पार्टी से ऊपर उठकर बातचीत करने का फैसला किया है। हमने इसके माध्यम से दो घंटे तक डिसकसन किया। इस पर स्टेटमेंट दिया गया, लेकिन एक लाइन का जिक्र नहीं होता है। मैंने कल भी कहा था कि हम को सरकार की नीयत पर डाउट लगता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा अर्जुनसिंह जी से आग्रह करना चाहूंगा, चूंकि कोई मंत्री है नहीं, वह जिम्मेदार सदन के नेता हैं, आप इसको गम्भीरता से लीजिये। यह कैंसर बढ़ता जा रहा हैं ऐसा न हो कि जो गरीब हैं, जो दलित है, उसका विश्वास अहिंसात्मक रास्ते से उठ जाये और वह हिंसा का रास्ता छूने के लिये बाध्य हो। इसलिये हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप सदन के नेता हैं आप निश्चित रूप से कंडेम कीजिये और चेयर को भी इसमें शेयर करना चाहिए। आज कोई ऐसा 'स्टेट नहीं बच रहा है जहां

पर गरीब की जान शेडयूल्ड कास्ट और सेडयूल्ड ट्राइब की जान सुरक्षित यची हो। इनका मीडिया बड़े-बड़े लोगों की चीजें तो देता है लेकिन वह गरीबों के लिए नही है। (**व्यवधान**)

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : इतनी अच्छी बात करने के बाद वह बीच में क्या डाल दिया है। (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : मैं अच्छी बात ही कह रहा हूं सरकार उसकी व्यापक पैमाने पर निन्दा ही न करे। बल्कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि सरकार उसकी निन्दा कर रही है।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : अध्यक्ष महोदय, जो मामला उठा है, वह बहुत गम्भीर मामला है। इस सेशन में इस तरह से महसूस हो रहा है कि लगातार रोज हिन्दुस्तान के कोने कोने में इस तरह की घटनायें घटती जा रही हैं। रोज लगातार सदन में यह मामला उठाया जाता है और सरकार की ओर से लगतार रोज यह कहा जाता है कि इस मामले की ओर सरकार गम्भीरता से ध्यान देगी लेकिन जैसा आज के अखबारों में, गुजरात का मामला आया है, उसी तरह से वाराणसी के कुछ में कुछ गांवों में हरिजन गांव छोड़कर बाहर जा रहे हैं। इस तरह की घटना आज अखबारों में छपी हुई है। महाराष्ट्र में जो घटना हुई उसमें एक पुलिस कोतवाल को मन्दिर की सीढ़ी चढ़ने के लिये बारिश से बचने के लिये उसको पत्थरों से कुचल दिया गया। मैं यहां आज सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हफ्ता-दस दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी ने यह निवेदन किया था कि नेशनल इंटिग्रेशन कोंसिल की बैठक यहां बुलायी जायेगी मैं जानना चाहूंगा कि क्या नेशनल इंटिग्रेशन कौंसिल की मीटिंग की कोई तिथि निर्धारित की गई है या नहीं ? अगर तिथि निर्धारित नहीं की गई तो सरकार तुरन्त उसके बारे में तिथि निश्चित करके यह मीटिंग बुलाये। जैसा राम विलास पासवान जी ने कहा कि कल 60 दलितों और आदिवासी सांसदों की मीटिंग हुई थी, सभी पार्टियों के सांसद उसमें उपस्थित थे और उसमें यह तय किया गया कि आने वाली पांच तारीख को फिर सभी दलों के दलितों और आदिवासी सांसदों की मीटिंग होगी और उसमें एक मैमोरंडम तैयार किया जायेगा और वह राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री जी को दिया जायेगा लेकिन सिर्फ दलितों और आदिवासी सांसदों की यह जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ इस सदन की जिम्मेदारी नहीं है, हिन्दुस्तान के सभी मुख्यमंत्रियों को यहां बुलाकर मीटिंग कराने की जरूरत है। रोज ये घटनायें हो रही हैं, रोज लगातार यह आश्वासन दिया जाता है कि इस तरह की घटनायें नही होंगी लेकिन यह रोज हो रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आज ही सरकार को नेशनल इंटिग्रेशन कौंसिल की मीटिंग की तिथि निर्धारित करनी चाहिये और सैशन खत्म होने से पहले उसकी मीटिंग की जानी चाहिये।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। कल ही, सदन के नेता ने सरकार की चिंता व्यक्त की। हम सरकार की ओर से व्यक्त की गई इस चिन्ता को वास्तविक चिंता समझते हैं। किन्तु अमानवीय, आदिम और असभ्य घटनाएं हो रही हैं जहां लोग मारे जा रहे हैं क्योंकि वे किसी विशेष जाति या समुदाय के थे। कल मेरी प्रतिक्रिया थी हम किस ओर बढ़ रहे

हैं ? हम किस देश में रह रहे हैं ? स्पष्टतः हम ऐसी घटनाओं के होने से शर्मिन्दगी महसूस करते हैं। किन्तु कम से कम इन मुद्दों में पर कोई दलगत विचार नहीं है। सदन के सभी वर्गों के प्रत्येक सदस्य ने अपनी चिंता व्यक्त की है। वैध रूप से यह मांग की जा रही है कि जहां तक मानवता के विरुद्ध इन अमानवीय अपराधों का संबंध हैं, इसके दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।

मैं विवाद से बचने के लिए अब यह उल्लेख नहीं करना चाहता कि यह किस प्रकार हो रहा है कई स्थानों पर लगातार हो रहा है। विशेष रूप से अति संवेदनशील क्षेत्रों में किन्तु कुछ मंत्री स्तर की घोषणाओं के अलावा सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए हैं ? इसके लिए लोगों को किस प्रकार तैयार किया जा रहा है ? इन प्रयासों का क्या हुआ ? हमें प्रत्येक उस क्षेत्र में और प्रत्येक गांव में जाना होगा, जहां इस प्रकार के अपराध हो रहे हैं। यह विचार व्यक्त किया गया है कि जहां तक आंध्र प्रदेश की घटनाओं का संबंध है केन्द्र से किसीं ने भी उस स्थान का दौरा नहीं किया। सदन ने घंटों तक इस गंभीर घटना पर चर्चा की किन्तु जो चिंता व्यक्त की गई थी उसका क्या हुआ ? इस पर क्या प्रशासकीय कार्यवाही की जा रही है ?

मात्र यह कहना कि हम कार्यवाही करेंगे, सिर्फ यह कहने से काम नहीं चलेगा। जैसा कि श्री मुकुल वासनिक ने उचित ही कहा है कि रोजाना सरकार आश्वासन देती हैं किन्तु फिर भी प्रत्येक दिन ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। सरकारी आश्वासन का अर्थ ही लुप्त हो रहा है और यह जनता की सहायता नहीं करता एक और महत्वपूर्ण सामला भी उठाया गया है। संचार माध्यम के दूरदर्शन और रेडियो जैसे महत्वपूर्ण साधन, सदन के नेता कैबिनेट मंत्री द्वारा व्यक्त चिंता का भी प्रचार नहीं करते। इस संचार माध्यम का क्या प्रयोग हो रहा है ? इसलिए हम जानना चाहेंगे कि सरकार क्या कर रही हैं। इस पर चौतरफा हमला करना होगा और महत्वपूर्ण संचार माध्यमों का उचित प्रयोग करना होगा। इसलिए, हम श्री राम विलास पासवान और श्री मुकुल वासनिक के साथ हैं और पुनः कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलानी होगी और सरकार को वास्तविक कदम उठाने होंगे सिर्फ शाब्दिक आश्वासन से काम नहीं चलेगा।

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोलबाग) : अध्यक्ष जी, जब दलित वर्ग पर अत्याचारों की चर्चा सदन में हो रही थी उस समय भी मैंने सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि यह परम्परा सी बन गई है कि हर स्तर में अनुसूचित जाति पर हो रहे अत्याचारों के सम्बन्ध में चर्चा करके हम अपने कर्तव्य को पूरा समझ लेते हैं। मैं समझता हूं कि वही बात हुई जिस समय यहां चर्चा हो रही थी, अभी चर्चा समाप्त भी नहीं हुई थी कि आंध्र प्रदेश में फिर से अनुसूचित जातियों के ऊपर अत्याचारों की खबरें छपीं।

अभी गुजरात में किस तरह से कत्लेआम किया जा रहा है, किस तरह से निर्दयता से लोगों के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर उन्हें आग में फेंक दिया जाता है। अब की घटनाएं उन घटनाओं से ज्यादा गम्भीर हैं क्योंकि जिस समय चर्चा हो रही थी उस समय होम मिनिस्टर ने ब्यान दिया कि हम इसको अच्छी तरह से टेकल करेंगे और इसके बाद इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। कल ही हमारे

लीडर आफ दी हाउस ने यह आश्वासन दिलाया और यहां पर सदन की भावनाओं को देख कर उन्होंने कहा कि इसके लिए हम कोई तरीका अवश्य निकालेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है, कुछ लोग यह दिखाना चाहते हैं कि यहां सदन में इस तरह की कितनी चर्चाएं चलेंगी सरकार के कितने ही ब्यानात हो जाएं लेकिन हम घटनाओं को और ज्यादा बढ़ा कर दिखाएंगे क्योंकि उनके साथ कठोरता का व्यवहार नहीं किया जा रहा हैं।

मैं इस बात की मांग करता हूं कि नेशनल काउंसिल की मीटिंग को तुरंत बुलाया जाए और उसमें यह मामला उठाया जाए। मैं इस बात का भी समर्थन करता हूं कि जैसे श्री राम विलास पास-वान ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है, ऐसा लगता है कि यह कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। यहां पर कहने के बाद सरकार द्वार आश्वासन देने के बाद, सदन में वचनबद्ध हो जाने के बाद कि हम इस समस्या को अच्छी तरह से टेकल करेंगे और ऐसे कदम उठाएंगे, जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, लेकिन पुनरावृत्ति तो क्या यह तो रोजाना का मामला बन गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप अपने गुड-आफिसेस का प्रयोग करें और सरकार को निर्देश दें कि वह देखे कि कमियां कहां हैं, ताकि इन कमियों को दूर किया जा सके। नहीं तो एक दिन वास्तव में ऐसा आएगा, अनुसूचित जाति-जनजाति के नौजवानों से ऐसा सुनने को मिल रहा है, वे कहते हैं कि अहिंसात्मक ढंग से हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है, इसलिए कहीं ऐसा न हो कि सरकार की गलत नीतियों और गलत नीयत के कारण वे अहिंसा की नीति को छोड़कर हिंसक बन जायें। इससे आज देश कों बहुत खतरा है, इससे देश को बहुत नुक्सान हो सकता है। अध्यक्ष महोदय मैं चाहता हूं कि आप इंटरवीन करके इस मामले को रोकिए, नहीं तो इसके गम्भीर परिणाम निकल सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक) : आपको कम से कम किसी प्रकार की टिप्पणी तो करनी ही चाहिए।

श्री जगदीश टाईटलर : कृपया बैठ जाइए, वह यह कर रहे हैं।

श्री अर्जुन चरण सेठी : मैं जानता हूं **(व्यवधान)** किन्तु, महोदय, मानयी अध्यक्ष को दिशा निर्देश देने दें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष की ओर से कोई टिप्पणी या दिशा निर्देश होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कम से कम आप मुझे तो निर्देश न दें, मुझे अपना कार्य करने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय

पासवान जी, सोमनाथ चटर्जी साहब, कालका दास जी और सदन के अन्य माननीय सदस्यों ने जिस बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है, मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं कि कल जो बातें यहां सदन में कही गई थीं, उनके सम्बन्ध में कल सायंकाल प्रधानमन्त्री जी को मैंने अवगत कराया। आज उन्होंने प्रदेश के सभी मुख्यमन्त्रियों को पत्र लिखा है और शायद सत्र के बाद जल्दी से जल्दी इस विषय पर प्रदेश के सभी मुख्यमन्त्रियों की एक बैठक भी बुला रहे हैं और उसमें इस विषय में, खास कर इस विषय को लेकर जो परिस्थिति दिखलाई पड़ रही है, उसके सम्बन्ध में प्रभावी ढंग से क्या किया जा सकता है, इस पर विचार किया जाएगा। क्योंकि मूलतः आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि इसकी दैनिक जिम्मेदारी प्रदेश शासकों पर ही है, यहां से इस बारे में कोई सीधी कार्यवाही नहीं हो सकती, यहां से हम सहायता कर सकते हैं, आप सब की चिन्ता व्यक्त कर सकते हैं, आपके सुझाव उन तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन कार्यवाही तो प्रदेश शासन को ही करनी होगी और इसीलिए प्रधानमन्त्री जी ने प्रदेश के मुख्यमन्त्रियों की बैठक बुलाने का फैसला किया है।

मैं आप से इस विषय पर कहना चाहता हूं कि न तो कोई नीयत की कमी है न खराबी है, हम उन प्रक्रियाओं के माध्यम से, जो उपलब्ध हैं, प्रभावी ढंग से कार्यवाही हो, जो आपकी मंशा है और सरकार की मंशा है, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा।

जो दूसरा विषय पासवान जी ने संचार साधनों के बारे में कहा, उन्होंने बहुत दिलचस्पी से बात सुनी होगी। उनकी जो बात है, उस पर मैं भरोसा करता हूं और इस विषय पर निश्चित रूप से संचार मन्त्री जी को, आई एण्ड बी मिनिस्टर को निवेदन करूंगा कि जल्दी इस विषय पर गहराई में जायें। जैसा पासवान जी ने कहा है, इसको सुधारने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यवाही की जाए, इतना ही मैं आज आप से निवेदन करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय, न तो प्रधानमन्त्री और न ही गृह मन्त्री ही आंध्रप्रदेश गए जहां नौ व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। (**व्यवधान**) सिर्फ शाब्दिक सहानुभूति से काम नहीं चलेगा। आपको वास्तविक चिन्ता दिखानी चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हम सभी जानते हैं कि यह मामला गम्भीर है और यह अच्छा है कि हम इस मामले पर पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं। केन्द्रीय सरकार ने स्पष्टतः यह कहकर कदम उठाया है कि उनका प्रस्ताव यह करने का है। मेरे विचार से राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को मिलकर इस पर विचार करना होगा और हमारे देश के विभिन्न भागों में हमारे भाइयों और बहनों के साथ जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसे नियंत्रित करने का उपाय खोजें। मेरे विचार से सभी संचार माध्यमों द्वारा उचित और सही दिशा में प्रचार और प्रसार से जो देश में हो रहा है उसे प्रकाश में लाने और इसे बनाए रखने और इस अपराध में दोषी शक्तियों को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। मेरे विचार से सभी क्षेत्रों में उचित ढंग से कदम उठाए जाएं।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, यह आशंका बलवती हो रही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का विचार न्यायिक प्रक्रिया को नकार कर अयोध्या में विवादित स्थल के अधिग्रहण करने का है। सरकार इस बारे में एक अनिस्ट सूचक मौन धारण किए है और इससे जनता की आशंकाएं बढ़ रही हैं।

हम उनकी आशंकाओं से परिचित है और समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर सकती है, क्योंकि अपने चुनाव घोषणा पत्र में और सत्ता में आने के बाद अपनी घोषणाओं में उन्होंने अपनी योजना स्पष्ट कर दी है। पर, हम सरकार से जानना चाहेंगे, जो एक मौन धारण किए हुए है, कि वे किस प्रकार समस्या का समाधान करेंगे।

महोदय, यह कहने के लिए मैं एक और मिनट लूंगा कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के एक संयुक्त निर्णय द्वारा 1987 में न्यायिक प्रक्रिया शुरू की गई थी, क्योंकि एक सहमतिपूर्ण समझौते के आधार के लिए कोई बिन्दु नहीं मिला, इसलिए यह निर्णय लिया गया था कि न्यायिक प्रक्रिया ही अपनाई जाएगी। यह प्रक्रिया चल रही है और इसे आगे बढ़ाना चाहिए। किन्तु, मान लीजिए यदि इस न्यायिक प्रक्रिया से हट कर, इसे बीच में रोककर कुछ गुप्त रूप से किया जाए, तो हम माननीय मन्त्री और सरकार से जानना चाहते हैं कि वे क्या करेंगे और वे समस्या को कैसे सुलझायेंगे। **(व्यवधान)**

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय मेरे विचार से यह मामला कल भी उठाया गया था। हमें इस मामले पर सरकार का रुख जानना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से, सरकार शायद मामले पर प्रतिक्रिया देना चाहे। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सरकार की ओर से, श्री चरण सिंह इस मामले पर प्रतिक्रिया देंगे।

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मौन बनाए रखना अपने में कोई पाप नहीं है और अपने क्रम से पहले बोलना कोई गुण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पूर्णतः इसका समर्थन करता हूं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : कई बार हमें खड़े होने की और अपनी उपस्थिति जताने की आवश्यकता होती है।

श्री अर्जुन सिंह : जब वह समय आएगा, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि तब हमारी आवश्यकता नहीं रहेगी।

महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। यह ऐसा मुद्दा है, जो निश्चय ही इस सदन के

माननीय सदस्यों के दिमागों में ही नहीं है, बल्कि इस देश की जनता के एक बड़े वर्ग के मस्तिष्क में भी है और इस सदन के भीतर हम सभी और बाहर इस मुद्दे के विषय में चिंतित हैं जिसने किसी प्रकार इस देश में लोगों के बीच सम्बन्धों को बिगाड़ा है, इसे इस उपाय से सुलझाना होगा कि यह शान्तिपूर्ण हो सके। अगर यह आपस में सम्भव नहीं है। तो इसे कानूनी प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए और यह सरकार की स्थिति है। यही स्थिति थी और यही रहेगी। मैं एक स्थिति की सम्भावना नही करना चाहता और संभावित कार्यवाही के बारे में नहीं कहना चाहता और संभावित कार्यवाही के बारे में नहीं कहना चाहता। यह करने का यह उचित तरीका नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हम सब विश्वास करते हैं कि जो भी उत्तर प्रदेश में शासन चलाने का उत्तरदायी होगा वह अन्धा नहीं हो सकता और देश के हित को नहीं भुला सकते और वे यह ध्यान रखेंगे कि वे जो भी कार्यकरते हैं या नहीं करते, वह किसी भी तरह इस देश की शान्ति को बनाए रखेंगे और इस देश को आत्म-विनाश के पथ पर नहीं ले जायेंगे। मुझे विश्वास है कि वह इसे ध्यान में रखेंगे और भीषण परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होने देंगे क्योंकि जब भीषण परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उनके लिए भीषण निदान सोचने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब, सभापटल पर पत्र रखे जायेंगे। श्री चिदम्बरम।

(व्यवधान)

————

सभा पटल पर रखे गए पत्र

12.44 म० प०

भारतीय माध्यस्थम् परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्य करण की समीक्षा

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखने का प्रस्ताव करता हूं कि :

(1) भारतीय माध्यस्थम् परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय माध्यस्थम् परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 489/91]

राष्ट्रीय फैशन प्रोद्योगिकी संस्थान का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगें आदि

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र

सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए सं० एल० टी० 490/91]

(2) (एक) राष्ट्रीय फैशन प्रोद्योगिकी संस्थान के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय फैशन प्रोद्योगिकी संस्थान के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए सं० एल० टी० 491/91]

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

[अनुवाद]

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : महोदय, मैं महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं :—

(1) सा० का० नि० 15 (अ) जो 8 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (परिवार सुरक्षा निधि) पहला संशोधन विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(2) सा० का० नि० 215 (अ), जो 15 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (विभागाध्यक्षों की नियुक्ति) विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(3) सा० का० नि० 272 (अ), जो 8 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा-निवृत्ति) संशोधन, विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए सं० एल० टी० 492/91]

बैंककारी कम्पनी अधिनियम 1979 आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1979 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) यूनाइटिड बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) विनियम, 1976, जो 25 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका शुद्धि-पत्र 17 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आरडी /61/90 में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी० 493/91]

(दो) कैनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1989 का शुद्धि-पत्र जो 29 जून, 1991 के भारत के राज पत्र में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय मे रखा गया, देखिए सं० एल० टी० 494/91]

(2) केन्द्र सरकार द्वारा अगस्त, 1991 में बाजार ऋणों को जारी करने के परिणामों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी० 495/91]

(3) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) इलाहाबाद बैंक के वर्ष 190-91 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी० 496/91]

(दो) बैंक आफ बड़ौदा के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी० 497/91]

(तीन) बैंक आफ इंडिया के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 498/91]

(चार) बैंक अफ महाराष्ट्र के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी० 499/91]

(पांच) कैनरा बैंक के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी० 500/91]

(छह) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं० नं० एल० टी० 501/91]

(सात) इंडियन बैंक के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं० नं० एल० टी० 502/91]

(आठ) सिंडीकेट बैंक के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी० 503/91]

(नौ) यूनियन बैंक आफ इंडिया के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।]

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी० 504/91]

(दस) यूनाइटिड बैंक आफ इंडिया के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थलाय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी० 505/91]

(ग्यारह) यूको बैंक के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालल में रखा गया, देखिए सं० एल० टी० 506/91]

(4) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) आन्ध्र बैंक के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी० 507/91]

(दो) कारपोरेशन बैंक के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी० 508/91]

(तीन) ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी० 509/91]

(चार) विजय बैंक के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। **(व्यवधान)**

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी० 510/91]

भारतीय हवाई यात्रा कर नियम, 491 आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वित्त अधिनियम, 1989 की धारा 49 के अन्तर्गत भारतीय हवाई यात्रा कर (संशोधन) नियम, 1991, जो 25 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 496 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी० 511/91]

(2) वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा० का० नि० 345 (अ), जो 19 जुलाई 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 से 26 जुलाई, 1991 तक भारत की यात्रा पर आये मोरीशस के प्रधान मन्त्री माननीय सर अनिरुद्ध जगन्नाथ क्यू० सी० पी० सी०, के० सी०, एम० जी० और शिष्टमण्डल के सात सदस्यों को विदेश यात्रा के कर के संदाय से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 511 (अ), जो 29 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 से 31 जुलाई, 1991 तक भारत की यात्रा पर आये श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के विदेश मन्त्री महामहिम श्री जेम्स एडवर्ड हेरल्ड हेरत और शिष्मंडल के पांच सदस्यों को को विदेश यात्रा कर से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 1991, जो 24 जुलाई, 1991 की अधिसूचना संख्या का० आ० 467

(ङ) में प्रकाशित हुआ था की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी०-512/91]

(4) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा० का० नि० 497 (अ), जो 25 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 13 जून, 1986 की अधिसूचना संख्या 340-सी० शु०/86 में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 498 (अ), जो 25 जुलाई 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 21 नवम्बर, 1985 की अधिसूचना संख्या 339-सी० शु०/85 में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 499 (अ), जो 25 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 16 अगस्त, 1985 की अधिसूचना संख्या 263-सी० शु०/85 में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 500 (अ), जो 25 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 16 अगस्त, 1985 की अधिसूचना संख्या 262-सी० शु०/85 में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० का० नि० 501 (अ), जो 25 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 30 नवम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या 227-सी० शु/79 में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा० का० नि० 502 (अ), जो 25 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 17 अप्रैल, 1980 की अधिसूचना संख्या 77-सी० शु०/80 में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० का० नि० 508 (अ), जो 26 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 25 जुलाई, 1991 की अधिसूचना

संख्या 109/91-सी॰ शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰ का॰ नि॰ 509 (अ), जो 26 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 99/90-सी॰ शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰ का॰ नि॰ 517 (अ), जो 1 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा 14 मार्च, 1991 की अधिसूचना संख्या 27/91-सी॰ शु॰ और 25 जुलाई, 1991 की अधिसूचना संख्या 109/91-सी॰ शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰ का॰ नि॰ 518 (अ), जो 1 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 29 मई, 1989 की अधिसूचना संख्या 172/89-सी॰ शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰ का॰ नि॰ 319 (अ), जो 27 जून, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 30 दिसम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या 514/86-सी॰ शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰ का॰ नि॰ 515 (अ), जो 31 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 7 अगस्त, 1987 की अधिसूचना संख्या 287/87-सी॰ शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये सं॰ एल॰ टी॰ 513/91]

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा॰ का॰ नि॰ 102 (अ), जो 5 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वित्त विधेयक, 1991 के अन्तर्गत सभी शुल्क्य माल के सम्बन्ध में विशेष उत्पाद शुल्क की दरें विनिर्दिष्ट की गई हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 103 (अ), जो 5 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची में उल्लिखित सभी माल को 5 से 31 मार्च, 1991 की अवधि के लिए उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण विशेष उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 104 (अ), जो 5 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कतिपय परिस्थितियों के अन्तर्गत तैयार उत्पादों में प्रयुक्त आदानों के सम्बन्ध में अदा किए गए विशेष उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 105 (अ), जो 5 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मुक्त व्यापार क्षेत्र या शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित माल को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण विशेष उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० का० नि० 106 (अ), जो 5 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं को विखंडित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा० का० नि० 107 (अ), जो 5 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 177/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० का० नि० 108 (अ), जो 5 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 या नियम 12 क के अन्तर्गत उत्पाद शुल्क्य माल के निर्यात पर विशेष उत्पाद शुल्क की छूट विनिर्दिष्ट की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० का० नि० 109 (अ), जो 5 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम, 191 ख के अन्तर्गत विशेष उत्पाद शुल्क की अदायगी के बिना ही शुल्क्य माल को लाने ले जाने की अनुमति दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० का० नि० 142 (अ), जो 14 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सभी शुल्क्य माल पर विशेष उत्पाद शुल्क की प्रभावी दर विनिर्दिष्ट की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा० का० नि० 143 (अ), जो 14 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कतिपय परिस्थितियों के अन्तर्गत तैयार उत्पादों में प्रयुक्त किए गए आदानों पर संदत विशेष उत्पाद शुल्क की छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा० का० नि० 144 (अ), जो 14 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा किसी मुक्त व्यापार क्षेत्र या शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपक्रमों में विनिर्मित माल को विशेष उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा० का० नि० 145 (अ), जो 14 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 177/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा० का० नि० 146 (अ), जो 14 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 या नियम 12 क अन्तर्गत शुल्क्य माल के निर्यात पर विशेष उत्पाद शुल्क की छूट विनिर्दिष्ट की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) सा० का नि० 147 (अ), जो 14 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 191 ख के अन्तर्गत विशेष उत्पाद शुल्क की अदायगी के बिना ही शुल्क्य माल को लाने ले जाने की अनुमति दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पन्द्रह) सा० का० नि० 174 (अ), जो 25 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) सा० का० 258 (अ), जो 3 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 1984 की अधिसूचन संख्या 82/84-के० उ० शु० में कतिपत संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्रह) सा० का० नि० 335 (अ), जो 10 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि रिकार्डेड मीडिया के रूप में ऐसे कम्प्यूटर सोफ्टवेयरों पर संदत्त सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क तथा विशेष उत्पाद शुल्क 28 फरवरी, 1986 से 27 अप्रैल, 1988 तक की अवधि के लिए दिया जाना अपेक्षित नहीं है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए सं० एल० टी० 514/91]

हिमशीतित मत्स्य तथा मत्स्य उद्योग उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) (दूसरा संशोधन) नियम 1990

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : महोदय, मैं निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण, अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत हिमशीतित मत्स्य तथा मत्स्य उद्योग उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) (दूसरा संशोधन) नियम, 1990, जो 15 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 3331 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी०-515/91]

———

12.51 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव : महोदय, 23 अगस्त 1991 को सभा को सूचित करने के पश्चात् चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयकों की प्रतियां राज्य सभा के महासचिव द्वारा यथावत अधि प्रमाणित सभा पटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली नगर पालिका (विधि) (संशोधन) विधेयक, 1991

(2) जम्मू-कश्मीर दण्ड विधि संशोधन (दूसरा संशोधनकारी) विधेयक, 1991

———

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) हिसार में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता

श्री नारायण सिंह (हिसार) हिसार में एक क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना के लिए बहुत

समय से की जा रही मांग पर अभी तक उचित ध्यान नहीं दिया गया है। हिसार में दूरदर्शन/आकाशवाणी भवन की नींव 12-2-1991 को रखी गयी थी। लेकिन उसके पश्चात इसकी स्थापना हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया है। हरियाणा सरकार ने हिसार में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना के लिए 12 एकड़ भूमि प्रदान की है।

हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत को उभारने के के लिए तथा हरियाणा के लोगों के सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शन केन्द्र की बहुत अधिक आवश्यकता महसूस की गयी है। इसकी स्थापना हेतु केन्द्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जल्द से जल्द कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(दो) केरल में पथानामथिट्टा जिले के तन्नीतोड़ू क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए तुरन्त कदम उठाने की आवश्यकता

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : महोदय, मैं इस सम्मानीय सभा के ध्यान में केरल के पथानामथिट्टा जिले में तन्नीतोड़ू पंचायत के लोगों की दयनीय दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जहां की आबादी 20,000 से अधिक है जिसमें आदिवासी और जनजातीय लोग शामिल हैं। वहां पहुंचने के लिए लोगों को 20 कि० मी० घने जंगलों से गुजरना पड़ता है। इस पंचायत के लोगों को पेय जल, बिजली, शिक्षा, सही मार्ग और चिकित्सा सुविधाओं मौलिक सुविधाओं आदि की अनुपलब्धता के कारण कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

मैं सरकार से केन्द्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इस पंचायत के विकास के लिए शीघ्र कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(तीन) आरा और सासाराम के बीच रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य का विक्रमगंज दो महान ऐतिहासिक शहरो आरा-सासाराम को जोड़ता है। आरा, भोजपुर जिले का मुख्यालय है। यहां बिहार राज्य का एक प्रमुख व्यावसायिक औद्योगिक शहर है। यह भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर योद्धा बाबू कुंवर सिंह की जन्म भूमि एवं कर्मभूमि है। सासाराम ऐतिहासिक पुरुष शेरशाह की जन्म-भूमि एवं कर्मभूमि भी है। यह रोहतास जिले का मुख्यालय, प्रमुख व्यावसायिक और औद्योगिक शहर है। यहां संसार प्रसिद्ध शेरशाहसूरी का मकबरा भी है। यह एक पर्यटन स्थल भी है। आजादी के पहले इन दोनों शहरों को आरा-सासाराम लाइट रेलवे जोड़ने का काम करता था। आजादी के बाद उक्त रेलवे को यह कह कर उखाड़ दिया गया कि उसे बड़ी लाईन में परिवर्तित कर दिया जायेगा। खेद है कि आज तक इस लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित नहीं किया गया। फलस्वरूप आरा-सासाराम आने-जाने वाले लाखों यात्रियों को अनेक कठिनाईयों को सामना करना पड़ता है। बस मालिकों द्वारा यात्रियों से मनमाना भाड़ा वसूला जाता है। लोक लोग काफी परेशान होते हैं। अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि आरा-सासाराम डिहरी,

रोहतासपुर होते हुए भावनाथपुर, मध्यप्रदेश बिलासपुर तक बड़ी लाईन बनाने की योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने की व्यवस्था की जाये।

(चार) डिंडिगुल, तमिलनाडु में महत्वपूर्ण विपणन स्थलो पर शीतागार और वातानुकूलित कक्ष बनाने और खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने की आवश्यकता

श्री चिन्नासामी श्रीनिवासन (डिन्डिगुल) : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र डिंडिगुल, तमिलनाडु में अंगूर और केले की भरपूर फसल होती है। अन्य फलों जैसे संतरे, आम आदि से भिन्न अंगूर तथा केले की पैदावार डिन्डिगुल में पूरे वर्ष सभी मौसम में होते हैं। इन फलों का उत्पादन करने वाले किसानों को उनके उत्पाद के लिए उचित मूल्य नहीं मिल पाता है क्योंकि इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण बाजारों में शीतगारों तथा वातानुकूलित कक्ष की सुविधायें प्रदान किये बिना इन फलों को तीन दिनों से ज्यादा सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। शीतगारों और वातानुकूलित कक्ष पान के पत्तों को भी सुरक्षित रखने में उपयोगी होंगे जिनकी उपज बहुत अधिक मात्रा में डिन्डिगुल में होती है।

चूंकि अंगूर और केले आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं इसलिए विदेशी मुद्रा कमाने के लिए इन फलों को संसाधित कर, टिन के डब्बों में बन्द कर इनका निर्यात किया जा सकता है।

इसलिए मैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि डिन्डिगुल के महत्वपूर्ण बाजार वाले क्षेत्रो में शीतगारों की सुविधा और वातानुकूलित कक्ष की व्यवस्था करने हेतु कदम उठाये जाए और साथ हीं डिन्डिगुल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने की व्यवस्था भी की जाये ताकि अतिरिक्त फलों को संसाधित किया जा सके और विदेशी मुद्रा अर्जन करने हेतु निर्यात किया जा सके।

(पांच) हिमाचल प्रदेश में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सुदूरवर्ती क्षेत्र भत्ता प्रदान करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : हिमाचल-प्रदेश में जो केन्द्रीय कर्मचारी दूर-दराज के क्षेत्रों में लगे हुए हैं, उन्हें रिमोट एरिया एलाउंस प्राप्त नहीं हो रहा है और न ही उनको आवास की सुविधा उपलब्ध है। वह अपने बच्चों को अपने साथ में रखने हेतु असमर्थ हैं तथा जो उनको आवास किराये पर लेना होता है, उसका भी काफी ज्यादा किराया उनको देना पड़ रहा है। यहां मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर जो सरकारी कर्मचारी भारत सरकार के हैं, उन्हें बहुत अधिक काम करना पड़ता है। तार और दूरभाष विभाग के कर्मचारियों को अच्छी वर्दी प्राप्त नहीं है। कालका से शिमला तक के रेलवे स्टेशन के रेलवे कर्मचारियों को वह सुविधा प्राप्त नहीं है जो रिमोट एरिया करार दिए हुए क्षेत्रों में कर्मचारियों को प्राप्त होती है।

मैं मांग करता हूं कि हिमाचल प्रदेश के हर कर्मचारी को, चाहे वह केन्द्र सरकार का कर्मचारी

हो रिमोट एरिया भत्ता दिया जाये और आवास की सुविधा प्रदान की जाये ।

(छह) पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में रेलवे फाटक पर उपरि पुल का निर्माण करने की आवश्यकता

डा० परशुराम गंगवार (पीलीभीत) हमारे जनपद पीलीभीत में रेलवे क्रासिंग के चारों ओर 4 गन्ने की मिलें तथा राइस मिल तथा मण्डी समिति है। इस क्रासिंग पर लगातार 24 घण्टे ट्रैफिक चलता रहता है जिसमें बस, ट्रक, ट्रैक्टर, साईकल रिक्शा इत्यादि चलते हैं। ट्रेन के समय सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है जिससे कि लगभग एक मील लम्बी लाइन लग जाती है। किसी भी समय कोई दुर्घटना आदि हो सकती है। इस क्रासिंग पर ट्रैफिक को देखते हुए एक ओवर ब्रिज बनवाने की आवश्यकता है।

अतएव मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि यहां पर जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस रेलवे क्रासिंग पर एक ओवर ब्रिज का निर्माण शीघ्र कराया जाये ।

———

12-58 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1991-92

कृषि मन्त्रालय, खाद्य मन्त्रालय और ग्रामीण विकास मन्त्रालय-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कृषि, खाद्य तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें, मांग संख्या 11 से 13 पर एक साथ आगे चर्चा करेगी ।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु अपर्याप्त धनराशि देने के कारण और उत्तरोत्तर सरकार द्वारा बहुत अधिक उपेक्षा बरती जाने के कारण करीब एक लाख गांवों में अभी भी विद्युतीकरण किया जाना शेष है, गांवों के एक चौथाई भागों में अभी भी सड़क की सुविधा प्रदान की जानी है, करीब 75,000 गांवों में बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक भी प्राथमिक विद्यालय नही है। 65 प्रतिशत से अधिक गांवों में अभी तक पशु चिकित्सा की सुविधा प्रदान नहीं की गयी है। ग्रामीण लोगों को पेयजल की सुविधा प्रदान करने में प्राथमिकता दिये जाने के एक दशक बाद भी हजारों गांव अभी भी ऐसे हैं जहां अभी भी सुरक्षित पेयजल की सुविधा प्रदान की जानी है। गांवों में पेयजल की सुविधा प्रदान करने की योजना का नाम इस सरकार ने हमारे स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी के नाम पर रखा है। उनका नाम इनके साथ सम्बद्ध है। इससे यह स्पष्ट होता है कि किस हद तक उत्तरोतर सरकारों ने गांवों और ग्रामिणों की उपेक्षा की है। दुर्भाग्यवश, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से ही सरकार उद्योगों को काफी महत्व दे रही है। उन्होंने सोचा कि कृषि क्षेत्र में विकास किये बिना ही देश करोड़ों

लोगों को रोजगार प्रदान करने हेतु और इस देश में हमारे करोड़ों लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। लेकिन यह गलत साबित हुआ। जबकि प्रथम पंच वर्षिय योजना में कृषि के लिए 15 प्रतिशत धनराशि का प्रावधान था, सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह कम होकर 6 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार, सिंचाई जो कि कृषि के विकास के लिए आवश्यक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में 22 प्रतिशत धनराशि इसके विकास हेतु दी गयी थी लेकिन सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह घट कर 9.4 प्रतिशत हो गया ओर इस वर्ष की योजना में भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है।

1-00 म० प०

आश्चर्य की बात है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय का 2.8 प्रतिशत ही सिर्फ उद्योग के लिए दिया गया था, उत्तरोत्तर योजनाओं में इसे 11 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप सातवीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात देश का सफल राष्ट्रीय उत्पाद अफ्रीकी देशों के औसत से अधिक नहीं है। हमारे देश में गरीबी शेष विश्व की दुगनी है। वर्ष 1970-71 से 1974-75 तक हमारी पंचवर्षीय खाद्य उत्पादन के विकास की औसत दर प्रत्येक वर्ष घटती ही रही है। खाद्यान उत्पादन की विकास दर अभी हरित क्रान्ति से पहले की अवधि से कम है। और कृषि क्षेत्र में रोजगार विकास में तेजी से कमी आयी है जो वर्ष 1972-73 के दौरान 2.32 प्रतिशत प्रतिवर्ष था वह वर्ष 1982-83 से 1987-88 के दौरान घट कर सिर्फ ·65 प्रतिशत हो गया है। और वर्ष 1981-89 के दौरान हमारे देश से कृषि और उससे सम्बन्धित उत्पादों का किया जाने वाला कुल निर्यात 31 प्रतिशत से घटकर 16 प्रतिशत हो गया है।

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : ऐसा इसलिए नहीं है कि उनकी मात्रा में कमी हुई है। ऐसा इस कारण हुआ है कि निर्मित उत्पादों में वृद्धि हुई है और उनके अंश बढ़ गए हैं। **(व्यवधान)**

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : साथ ही कृषि सम्बन्धी अंश भी बढ़ जाना चाहिए।

श्री पी० चिदम्बरम : ऐसा कोई उपाय नहीं है जिसके द्वारा कृषि सम्बन्धी अंश बढ़ जायेंगे। जब आप निर्यात करना शुरू करते हैं तो पहले आप कृषि सम्बन्धी उत्पादों के सामग्रियों का निर्यात करते हैं। जैसे-जैसे उद्योगों में परिवर्तन होता है और ज्यादा से ज्यादा निर्मित सामानों का निर्यात किया जाता हैं, उनके अंश कम होते जायेंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी मात्रा कम हो गयी है या उनके मूल्य कम हो गये हैं अथवा इकाई मूल्य अनुभूति कम हो गयी है कृषि क्षेत्र की सफलता इस बात का परिणाम है कि निर्यातों में वृद्धि हुई है और नयी नीति के कारण भी इसमें वृद्धि होती जायेगी।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : निश्चित रूप से ऐसी बात नहीं हुई है क्योंकि कृषि सम्बन्धी निर्यात के लिए आपने कोई कदम नहीं उठाया है और न ही अब उठा रहे हैं। इन्हीं सब बातों की वजह से देश अब बहुत ही कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा है। हमारी भुगतान संतुलन की

स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि एक बहुत ही अल्प अवधि में हमारे रुपये का अवमूल्यन दो बार करना पड़ा और तीन बार हमें अपने देश के सोने को विदेशों में गिरवी रखना पड़ा। यह सब इस तथ्य के बावजूद हुआ कि घरेलू बचत दर पूरे विश्व में बहुत ही अधिक है। यदि वर्तमान स्थिति से भारत की रक्षा करनी है तो एक राष्ट्रीय कृषि नीति अपनायी जानी चाहिए। मुझे इस बात खुशी है कि कम से कम श्री विश्वनाथ प्रताप सिह जी की सरकार की अवधि में एक शुरूआत की गयी थी और वर्तमान परामर्शदात्री समिति द्वारा राष्ट्रीय कृषि नीति का मसौदा तैयार किया गया था।

इसे सरकार के पास भेजा गया था और हाल ही में माननीय कृषि मंत्री श्री बलराम जाखड़ जी ने यह वक्तव्य दिया था कि इसे राज्य सरकारों के पास उनके विचार जानने हेतु भेजा गया था। मेरा परामर्श यह है कि सरकार को इस पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि राष्ट्रीय कृषि नीति सम्बन्धी संकल्प को अपना लिया जाये। मैं नहीं जानता हूं कि श्री चिदम्बरम जी इस पर सहमत होंगे अथवा नहीं ?

श्री पी० चिदम्बरम : मुझे यह बात बहुत ही अधिक पसंद आयी।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : राष्ट्रीय कृषि नीति संकल्प को अपनाने से पहले कुछ महत्व-पूर्ण योजनाओं को इसमें शामिल किया जाना है। आप जानते हैं कि अभी तक किसानों के प्रति बहुत ही अधिक उपेक्षा बरती जाती थी। उद्योगकर्मियों और निर्माताओं की जहां तक बात है तो एक पेंसिल निर्माता को भी अपने पेंसिल का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार है और जब कृषकों की बात आती है तो मूल्य का निर्धारण आप करते हैं। कृषि लागत और मूल्य सम्बन्धी आयोग सरकार को सिफारिश करती है कि जिस पर सरकार निर्णय लेगी। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि किसान बिक्री करने के लिए स्वतन्त्र है परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। आप यह भली-भांति जानते हैं कि एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध के कारण किसान अपना चावल तभी बेच सकता है जबकि वह लेवी भारतीय खाद्य निगम अथवा राज्य सरकार को लेवी अदायगी कर देता है। आय के सम्बन्ध में भी व्यापार की शर्तें किसानों के प्रतिकूल थी। कृषि क्षेत्र की अपेक्षाकृत गैर कृषि क्षेत्र में औसत आय बढ़ती जा रही है। उस दिन भी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा था कि आय का अनुपात, कृषि क्षेत्रों से गैर कृषि क्षेत्रों की चालू कीमतों पर एन० डी० पी० 1970-71 में 0.43% और 1989-90 में 0. 786 था। यह लगभग दुगना हो गया है। सुविधाओं के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बहुत खराब है और किसानों की दशा बहुत बुरी है। मैंने अभी-अभी कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किये हैं। समयाभाव के कारण मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। हमारी नीति इस तरह की होनी चाहिए कि हमें केवल आत्मनिर्भरता पर ही सन्तोष नहीं कर लेना चाहिए। इस शताब्दी के अन्त तक हमारी जनसंख्या लगभग 100 करोड़ हो जायेगी और हमें लगभग 225 से 245 मीलियन टन खाद्यानों की आवश्यकता होगी। इस वर्ष हमने लगभग 176 मीलियन टन खाद्यानों का उत्पादन किया है। जोकि पिछले वर्ष की तुलना में कुछ अधिक है। सिंचाई की लागत में तीव्र वृद्धि के कारण अब तक सिंचाई क्षेत्र का कम विकास हुआ है जिसके परिणामस्वरूप भविष्य

बड़ा भयावह है। बड़े-बड़े बांधों पर लागत अत्याधिक बढ़ती जा रही जा रही है। और सिंचाई-सुविधा, प्रति एकड़ लागत लगभग 35,000/- रुपए है। भविष्य में, बहुत ही कम क्षेत्र के लिए सिंचाई क्षमता में वृद्धि की जा सकेगी। इस प्रकार खाद्यानों का उत्पादन इस अनुपात में नहीं बढ़ सकेगा जिस अनुपात में यह गत वर्षों में बढ़ता रहा है। यह बहुत कम होगा। इसलिए, इन परिस्थितियों में अपने कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमें कुछ सकारात्मक उपाय करने होंगे। जब हम आत्म निर्भरता प्राप्त कर लेंगे और हमारे पास कुछ अतिरिक्त होगा, केवल तभी निर्धनता बेरोजगारी, और व्यापार-घाटा सन्तुलन जैसी हमारी मुख्य समस्याएं हल हो सकेंगी।

एक अन्य मुद्दा उर्वरकों के बारे में है। मंत्री जी ने कहा उद्योगपतियों को कर लगाने के बाद 12 प्रतिशत लाभांश की अनुमति दी गई। इतना हल्ला-गुल्ला होने के बाद भी सरकार ने यह नहीं कहा कि वे लाभांश में कमी की जाएगी अथवा निर्माताओं को दी जा रही राज सहायता में कमी की जाएगी। 30% अतिरिक्त लागत को झेलने का तमाम भार आपने किसानों पर लाद दिया है। किसान सभी मुसीबतों को, सभी प्राकृतिक आपदाओं को, कीड़े से लेकर तूफान जैसे तमाम संकटों को, जो कि उसके नियंत्रण से बाहर हैं झेल रहा है। जबकि औद्योगिक उत्पादों का निर्माण उद्योग पतियों के प्रबंधन के दायरे में है, उनके नियंत्रण में है।

परन्तु कृषि के मामले में, यह हमारे वश से बाहर की बात है। फिर भी हम रात-दिन महनत कर रहे है। इन परिस्थितियों में भी न केवल उत्पादन लागत, अपितु निश्चित रूप से इसमें लाभ होना चाहिये।

जब हमने सी०ए०सी०पी० के बारे में भानू प्रताप सिंह समिति से पूछा तो उन्होंने कहा कि किसानों के लिये लाभांश का कोई निश्चित प्रतिशत नहीं हैं। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाए और तदनुसार कदम उठायें जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मध्याह्न-भोजन के बाद अपना भाषण जारी रखेंगे।

सभा मध्यान भोजन के लिये 2.10 म०प० तक स्थगित की जाती है।

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.10 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

———

2.15 म० प०

मध्याह्न भोजन के बाद लोकसभा 2.15 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

सभापति महोदय : चूंकि श्री वी० एस० राव बोल रहे थे, वे अपनी बात जारी रख सकते हैं।

श्री शोभना द्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, कृषि मंत्री श्री बलराम जाखड़ जी ने जब यह कहा कि सरकार भानू प्रतापसिंह कमेटी के सुझाव पर आदर्श किसान योजना का अध्ययन कर रही है तो मुझे बेहद खुशी हुई। पंजाब जैसे कुछ राज्यों में ही विस्तार कार्य सन्तोष जनक ढंग से हो रहा है। आन्ध्र प्रदेश जेसे दूसरे राज्यों में प्रशिक्षण तथा दौरा कार्यक्रम और विस्तार प्रणाली सन्तोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रही है। यह केवल कागजों तक ही सीमित है और जब तक कि अनुसंधान कार्य के परिणाम किसानों तक नहीं पहुंचते, तब तक हम अपनी पूरी क्षमता को पा लेने की आशा नहीं कर सकते। जब हम औसत उत्पादन की औसत परिणामों से तुलना करते है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त किये गए हैं, तो जो आज तक प्राप्त किया गया और जो भविष्य में प्राप्त किया जा सकता है, में लगभग $2\frac{1}{2}$ गुणा अन्तर है। महोदय, यह आदर्श किसान योजना निश्चित तौर पर लागू की जानी चाहिये। यदि छोटे किसान को प्रशिक्षण तथा सभी सुविधाएं जुटाई जाती हैं तो इस अनुसंधान के सुखद परिणाम किसानों तक पहुंचेंगे, हमारे कृषि उत्पादन में व्यापक वृद्धि हो जाएगी तो छोटा किसान एक आदर्श व्यक्ति बन जाएगा।

मुझे उस समय बहुत खुशी हुई जब माननीय मंत्री बता रहे थे कि सरकार कृषक प्रशिक्षण केन्द्र बनाना चाहती है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। इसी तरह से, उन्होंने कहा कि एक बड़ी संख्या में कृषि विज्ञान केन्द्र भी खोले जाने हैं। कृषि के लिए राष्ट्रीय आयोग के अनुसार वास्तव में सन् 1985 तक प्रत्येक जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किया जाना था। लेकिन बहुत विलम्ब हो गया है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे गारीकापाड्डू क्षेत्र में कृष्णा जिले में मेरे चुनाव क्षेत्र में एक कृषि विज्ञान केन्द्र की मंजूरी दें। आन्ध्रप्रदेश कृषि विश्व-विद्यालय ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को एक कार्यक्रम नियोजित किया है ताकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अथवा भारत सरकार वह सारा बोझ अपने ऊपर न लें। आन्ध्रप्रदेश कृषि विश्वविद्यालय भी उस व्यय के बोझ को वहन करने और सुनिश्चित करने के लिए तैयार है ताकि कृषि विज्ञान केन्द्र प्रत्येक जिले में आरम्भ हों।

कृषकों की ऋण-आवश्यकताओं को पूर्णतः पूरा नहीं किया जाता है। आप इस बारे में जानते हैं और वित्त मंत्री, जो कि यहां उपस्थित हैं, इस बारे में जानते हैं ही होंगे। कृषकों को उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण की कुछ सीमा है। कुछ मामलों में, यह 10,000 रुपये हो सकती है, और कुछ मामलों में यह 20,000 रुपये हो सकती है। लेकिन यह उनकी आवश्यकता तथा अपेक्षा के अनुसार नहीं दिया जाता है। यह कृपक के पास भूमि की जोत तथा जो फसल वह बो रहा है तथा प्रत्येक फसल के लिए आवश्यक ऋण की राशि के अनुपात में भी नहीं दिया जाता है। इसलिए, मेरा सुझाव यह है कि जब तक कृपक की ऋण की आवश्यकता पूरी नहीं होती, आप कृषक से पूरे उत्पादन की उम्मीद नहीं कर सकते।

उद्योगपतियों के सम्बन्ध में, यदि वे लगभग 20 से 25 प्रतिशत तक अपने अंशदान के रूप में निवेश करते हैं आप उनके द्वारा अपेक्षित राशि का लगभग 75 प्रतिशत देते हैं। लेकिन कृषक के मामले में, हालांकि उसकी भूमि 50,000 रुपये के बराबर होती है, फिर भी आप उसे 3000 रुपए तक की राशि भी नहीं देते हैं। वाणिज्यिक बैंक उनको पैसा देने में हिचकिचा रहे हैं। कृषकों की ऋण की आवश्यकताओं की ओर वाणिज्यिक बैंकों के कार्यान्वयन के तरीके में एक निश्चित और भारी परिवर्तन

आना चाहिए । आज तक, उत्पादन ऋण बोने से काटने तक दिया जाता है । लेकिन महोदय, कृषक का कार्य कटाई के साथ पूरा नहीं होता । उसे अपनी फसल बाजार तक ले जाकर बेचनी होती है । केवल उसके बाद ही, उसकी जेब में कुछ राशि आती है, जिससे वह वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों को वापस राशि दे सकता है । इसलिए जब तक कि उत्पाद बिक नहीं जाता और कृषक को पैसा नही मिल जाता ऐसे समय तक उत्पादन ऋण को बढ़ाया जाना चाहिए । मैं बड़ी नम्रता के साथ कृषि मन्त्री जी और वित्त मन्त्री जी को अपील करता हूं कि वे इस कार्य में आड़े न आएं । मैं जानता हूं कि आपकी पार्टी की बैठक में आपकी तरफ से भी अनेक सदस्यों ने उर्वरकों के सम्बन्ध में पूरी राज सहायता देने के मांग की थी । कृपया उन कृषकों पर बोझ मत डालिए जिनसे इन वर्षों में पहले ही सौतेला व्यवहार किया गया है ।

हालांकि सरकार ने यह कहा है कि उर्वरकों के मूल्य में 30 प्रतिशत वृद्धि को छोटे कृषकों पर नहीं लादा जाएगा, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज वास्तव में क्या हो रहा है । यहां तक कि छोटे कृषक को भी उर्वरक 30 प्रतिशत बढ़े हुए मूल्य पर खरीदने पड़ते हैं । तत्पश्चात्, उसे राजस्व विभाग और कृषि विभाग से प्रमाणपत्र लेना होता है । जब वह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है, केवल तब ही उसे वापसी अदायगी होगी । आप सब जानते हैं कि वह ताल्लुका स्तर, मण्डल स्तर पर और जिला स्तर पर किस तरह से कार्य करते हैं । इसी कारण आपकी तरफ से भी अनेक सदस्यों ने कहा है कि दर में इस तरह का अन्तर नहीं चलेगा । इससे केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और वास्तव में निर्धन किसान लाभ प्राप्त नहीं कर पायेंगे । अतः, मैं आपसे अपील करता हूं कि कृपया अपने निर्णय पर पुनः विचार करें और कृषकों को पूरी राज सहायता देना फिर आरम्भ करें । आखिरकार कृषक बहुत निर्धन हैं जब कि वे 10 एकड़ तक भूमि के स्वामी हों यहां मैं एक बात सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा । हालांकि छोटे और सीमान्त कृषक कुल कृषकों के 75 प्रतिशत है, वे कुल भूमि के केवल 20 प्रतिशत भूमि के मालिक हैं । निम्न तथा मध्यम स्तर के किसान लगभग 50 प्रतिशत भूमि के स्वामी हैं । कृषकों का अन्य वर्ग भूमि के 20 प्रतिशत का स्वामी हैं । महोदय, आप मध्यम स्तर के कृषक के जीवन की तुलना केन्द्र सरकार के चपरासी से भी नहीं कर सकते हैं । अतः मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि आप कृपया उर्वरक राज सहायता के निर्णय पर पुर्नविचार करें ।

अब मैं खाद्य उत्पादन की तरफ आता हूं । मैं वह सब नहीं दोहराऊंगा जो कि अन्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के सम्बन्ध में मेरे मित्र डा० उम्मारेडिड ने कहा है । मैं केवल इतना कहूंगा कि दालों और चने की प्रति व्यक्ति उपलब्धता आधे से भी अधिक नीचे चली गयी है जो कि निर्धन लोगों को प्राप्त एक मात्र प्रोटीन खाद्य है । भारतीय स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद् का कहना है कि एक व्यक्ति को लगभग 70 ग्राम दाल प्रतिदिन खानी चाहिए । लेकिन प्रति व्यक्ति उपलब्धता केवल 33 ग्राम प्रतिदिन है । चने के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है । प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो कि 1951 में 22 ग्राम थी, 1989 में कम होकर 14 ग्राम ही रह गई है । 14 मीलियन टन का लक्ष्य जो कि 1974 में निर्धारित किया गया था, आज तक भी प्राप्त नहीं किया जा सका है । आज भी यह दूर की बात है । मैं सरकार से अधिक कार्यशील बने रहने का अनुरोध करूंगा । कृपया किसानों को सभी सम्भव सहायता दें । मेरे मित्र श्री चिदम्बरम ने बताया है कि हमारे निर्माताओं ने काफी मात्रा में अपने उत्पादों का निर्यात किया है और इस कारण से कृषि तथा दूसरे क्षेत्रों में निर्यात-प्रतिशत में कमी आई है । इसका नुकसान

किसे होगा ? निर्माताओं को आपने कितनी राजसहायता प्रदान दी है । आपने अरबों रुपये की नकद क्षतिपूर्ति सहायता दी है । कई करोड़ की मशीनें और कुछ एक मामलों में पूरे संयंत्र के आयात की अनुमति देकर आपने उन्हें कितना लाभ दिया है । इसकी बराबरी में, आपने किसानों को क्या सहायता दी है ? यदि आप किसानों को भी कुछ सहायता दें, उतनी नहीं जितनी कि निर्माताओं को प्रदान की जा रही है तब भी हमारे किसान अपने उत्पादों के निर्यात में वृद्धि कर सकते हैं।

पहले हमारे पड़ौसी देश चीन ने केवल दो वर्षों में पांच मीलियन टन मोटे अनाजों का निर्यात करके एक हजार करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की है । हमारे देश में मोटे अनाजों का उत्पादन शुष्क-भूमि के किसानों द्वारा किया जाता है जिनमें से अधिकांश छोटे तथा माध्यम दर्जे के किसान हैं। परन्तु क्या आप मोटे अनाज खरीद रहे हैं आपने कितने मीलियन टन मोटा अनाज की खरीद की है उत्पादन कितना हुआ है और खरीद कितनी की गई है ? अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसके काफी दाम अनुकूल हैं। अगर हमें वसूली पर कुछ खर्च करना पड़े तो क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए । यह सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोटे अनाजों के निर्यात से हम बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं ।

आज 60% विश्व बाजार संयुक्त राष्ट्र अमरीका के पास है । विकसित देश पशुओं को ऐसे मोटे अनाज खिलाते हैं। और ऐसे पशुओं का मास, यह मानकर कि अधिक स्वादिष्ट तथा प्रोटीन युक्त हो जाता है, वे स्वयं खाते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश को भी इससे लाभ उठाना चाहिए ।

यद्यपि पाकिस्तान की अपेक्षा भारत में 20 गुणा अधिक चावल पैदा होता है तथापि बासमती चावल का हम उतना निर्यात नहीं कर पाते हैं की हमारा पाकिस्तान कर रहा है। भारत हजारों टन बांसमती चावल और मोटे अनाजों का निश्चित तौर पर निर्यात कर सकता है ।

मैं यह तथ्य सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि 29 फरवरी 1988 को तत्कालीन वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में यह वायदा किया था कि उनकी सरकार राष्ट्रीय कृषि ऋण राहत कोष की स्थापना करेगी ! परन्तु अभी तक ऐसा नहीं हुआ है । यद्यपि श्री त्रिपाठी जैसे विख्यात व्यक्तित्व की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने इस मामले पर गम्भीरता से विचार कर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की तथापि राष्ट्रीय कृषि ऋण राहत कोष की स्थापना के बारे में आज तक भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं ।

कृष्णा जिला, जो कि समुद्र तट के निकट है, का होने के नाते, इस जिले को प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है । हर दूसरे वर्ष अथवा तीन वर्ष में एक बार हमें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और मैं इसे नहीं दोहराना नहीं चाहता हूं । उस दिन भी मैंने फसल बीमा योजना के बारे में एक पूरक प्रश्न पूछा था । मैं यही कहूंगा कि कुछ नहीं लेने से कुछ लेना ही अच्छा । इस योजना के अन्तर्गत वे किसान लोग

आते हैं जो वित्तिय संस्थानों से ऋण लेते हैं। मेरा सुझाव है कि इसका उन किसानों तक, जो प्रिमियम का मुगतान करते हैं, भी विस्तार किया जाना चाहिए। इस समय, आप इसे अन्य फसलों पर लागू करने के लिए तैयार नहीं हैं, मैं आप से अनुरोध करूंगा कि कम से कम तैयार खड़ी फसलों को इसके अन्तर्गत लाया जाना चाहिए क्योंकि वर्तमान प्रावधानों के अनुसार फसल को काटने सम्बन्धी प्रयोग, फसल से पहले ही कर लिए जाते हैं। प्रधानमन्त्री जी, कृषि मन्त्री और वरिष्ठ अधिकारीगण ने स्वयं वहां जाकर देखा है कि किस तरह से समुद्री जल द्वारा ज्वार भाटे की लहरों से 15000 एकड़ धान की खेती नष्ट हो गई है। यद्यपि ये खेत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत आते थे, तथापि किसानों को कुछ भी मुआवजा नहीं दिया गया। मैं आपको अपने कटु-अनुभव बता रहा हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस बात पर विचार करें कि ऐसे किसान जिन्हें बार-बार ऐसी हानियां होती हैं, उनकी अधिक से अधिक सहायता कैसे की जाये। ऐसी हानियां बार-बार होने की अवस्था में, हमारे किसान अपने पैरों पर कैसे खड़े हो सकते हैं आप स्वयं भी एक किसान हैं। किसानों की दुर्दशा के बारे में आप दूसरों से अधिक जानते हैं। अतः आपसे मेरी अपील है कि कृपया इस पर विचार करें।

अब तक हल्दी और लाल-मिर्च को समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है। आप कृपया इस पर भी विचार करें।

बड़े-बड़े शहरों में फलों और सब्जियों के लिए लोगों को बहुत अधिक कीमतें देनी पड़ती हैं किन्तु एक किसान जो कि वहां से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर होता है इस कीमत का 10 या 20 प्रतिशत भी नहीं पाता जो कि उपभोक्ता इन नगरों में दे रहे हैं। बंगलौर में एक बहुत अच्छी योजना है।

बंगलौर हार्टिकलचर ग्रोवर्स कोआपरेटिव सोसायटी, बंगलौर, मैसूर और कर्नाटक के कुछ अन्य भागों के उपभोक्ताओं को 20 प्रतिशत मार्जिन पर फल और सब्जियां उपलब्ध कराती हैं तथा शेष 80 प्रतिशत किसान को मिलता है। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि इस पर सकारात्मक अनुकूल दृष्टि से विचार करें और इस योजना को सभी महानगरों में कार्यान्वित किया जाए। मुझे मालूम है कि दिल्ली में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एन० डी० डी० बी०) योजना है। यह योजना बहुत भारी लागत पर चल रही है। इस योजना पर 70 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि व्यय की गई है। ठीक इसके विपरीत, दूसरी अन्य योजनाएं जो बंगलौर में चल रही हैं, बहुत ही सस्ती हैं।अभी सरकार के वित्तीय संकट को देखते हुए, मेरी समझ से बंगलौर योजना ग्राहकों तथा उत्पादकों दोनों के लिए ज्यादा लाभकारी है।

कई दशक बाद, सरकार ने किसानों के प्रति हो रहे अन्याय को दूर करने का निर्णय किया है इस देश के किसानों को सांत्वना देने के लिए सरकार ने 1990-2000 के दशक को किसान दशक घोषित किया है।

किसानों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया जाएगा। उनकी अपेक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने 1900-2000 को किसान दशक के रूप में मनाना तय

किया था। मुझे अपने प्रिय मित्र एवं किसान नेता से यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि वर्तमान सरकार इस दशक को किसान दशक के रूप में नहीं मानेगी।

अतः मैं इस सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार इससे पीछे न हटे। बल्कि आखिर राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने क्यों यह निर्णय लिया था? क्योंकि इस देश के किसानों के साथ, ग्रामीणों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा था। आप से निवेदन है कि इस दशक को किसान दशक के रूप में मनाया जाए और इस प्रकार इस देश के किसानों की सहायता करें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

***श्री बालिन कुली** (लखीमपुर) : सभापति महोदय, कृषि, खाद्य और ग्रामीण विकास मन्त्रालय के बारे में विचाराधीन अनुदान सम्बन्धी मांग है का मैं समर्थन करता हूं। कृषि भारत की रीढ़ है। सत्तर प्रतिशत आबादी कृषि पर अपनी आजीविका हेतु निर्भर करती है। भारत ने खाद्यानों के उत्पादन में भारी प्रगति की है। एक समय था जब भारत को विदेशों से खाद्यानों का आयात करना पड़ता था। अब हमने इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। स्थिति तो इतनी उत्साहजनक है कि अब हम कुछ कृषि उत्पादों का निर्यात भी कर सकते हैं। यहां, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि भारत के कुछ राज्यों में हरित क्रान्ति आई लेकिन कुछ अन्य राज्यों में उत्पादन संतोषजनक नहीं रहा। कृषि के क्षेत्र में प्रगति समान नहीं है, आज आजादी के 44 वर्षों बाद भी क्षेत्रीय असंतुलन है। सभी राज्यों में आत्म-विश्वासों के संचार के लिए यह आवश्यक है कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जाए।

भारत सन् 1947 में आजाद हुआ उस समय पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने कृषि पर विशेष ध्यान दिया जिसके फलस्वरूप पहली पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त धनराशि कृषि के विकास पर खर्च की गई। उस समय भी विपक्षी नेता कृषि नीति की आलोचना करते थे, क्योंकि खाद्यान के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं थे। कांग्रेस की उत्तरोत्तर सरकारों की प्रभावशाली नीतियों के फलस्वरूप स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हुआ। अब भारत, उच्च कोटि का चावल, गेहूं, चीनी, चाय, सूती-वस्त्र, जूट, मसाले और अन्य कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहा है। दुर्भाग्यवश, हमारे विपक्षी नेता कांग्रेस की इन उपलब्धियों की प्रशंसा नहीं करते हैं। उनकी दिलचस्पी सिर्फ कांग्रेसी सरकार की आलोचना करने में है। मैं चाहता हूं कि विपक्ष को रचनात्मक आलोचना करनी चाहिए। इससे हमारी सरकार को प्रभावशाली ढंग से कार्य करने में सहायता मिलेगी। मैं एक बहुत ही पिछड़े राज्य आसाम का रहने वाला हूं। आसाम के लोग बहुत ही शान्ति प्रिय हैं। आसाम में कई भाषिक और धार्मिक समुदाय के लोग पारस्परिक सौहार्द के वातावरण में शान्तिपूर्वक ढंग से रह रहे हैं। आसाम में कभी भी सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ है। धान आसाम की मूल खेती है। और चावल वहां का मूल खाद्य पदार्थ है। आसाम के किसान बहुत ही परिश्रमी हैं, लेकिन उनके पास आधुनिकतम उपकरणों

*मूलतः असमी में दिए गए चालान के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर

और तकनीकी ज्ञान का अभाव है। यही कारण है कि उनकी प्रति हेक्टेयर पैदावार बहुत ही कम है और यही कारण है कि वे केन्द्रीय भण्डार में अधिक अंशदान नहीं कर सकते। किसानों को अपना उत्पाद बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है और उन्हें शोषण एवं उत्पीड़न से मुक्त कराया जाना चाहिए।

नावगांग, गोलपारा, दारांग और काम रूप जिलों में पटसन की खेती बड़े ही पैमाने पर होती है। हमारे राज्य के किसान बहुत ही परिश्रमी हैं। वे पटसन धान और अन्य कृषि उत्पाद पैदा करते हैं। लम्बे अरसे से आसाम के लोग मंगलडोई में एक जूट मील की स्थापना की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया है। इस आशय का प्रस्ताव भूतपूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा रखा गया था उन्होंने इसका शिलान्यास भी किया था। अतः निवेदन है कि अविलम्ब इस मिल की स्थापना की जाए। केन्द्रीय सरकार को लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

एक और बात जो मैं उठाना चाहूंगा वह यह है कि मजुली विश्व में सबसे बड़ा नदी-द्वीप है, जहां सरसों बहुत बड़ी मात्रा में उगाई जाती है। लेकिन उच्च उत्पादन प्रदान करने वाले विभिन्न बीजों की कमी के कारण उत्पादन इच्छित सीमा तक नहीं होता। दूसरी बात यह है कि हमारे कृषकों के पास कृषि की आधुनिक तकनीक की कमी है और उनके पास आधुनिक उपकरण नही हैं। फलस्वरूप उत्पादन कम है। जब से उर्वरकों के मूल्य बढ़े हैं, वे उर्वरक प्रयुक्त करने की स्थिति में भी नहीं हैं और कई बार उनकी आपूर्ति भी समय से नहीं हो पाती। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उर्वरकों की आपूर्ति नियमित हो और यह किसानों को तुरन्त उपलब्ध हो। मेरा सुझाव है कि उर्वरक किसानों को सीधे ही सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध होने चाहिए।

एक और बात यह है कि असम में बाढ़ बराबर आती रहती है और जमीन का कटाव बराबर होता रहता है इससे कृषक समुदाय को भारी नुकसान होता है। बाढ़ बहुत सी मुसीबतों को लाती हैं; जैसे कि यह खड़ी फसल को बहा ले जाती है और उपजाऊ मिट्टी को भी बहाकर ले जाती है जिससे किसानों को अत्यधिक नुकसान होता है। भूमि कटाव को रोकने के लिए सरकार को अल्पावधि और दीर्घावधि उपाय करने चाहिए। यह बात सदन में बार-बार उठाई गई है। लेकिन बदकिस्मती से इसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए हैं। यह बहुत दुःख की बात है। अतः मेरा सरकार से पुनः अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में वह तत्काल कदम उठाए ताकि असम के लोग राहत की सांस ले सकें।

एक और बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह हैं कि वहां एक तरफ बाढ़ है तो दूसरी तरफ अकाल असम में सूखे की स्थिति बहुत विकट है। दिल्ली में बैठे आयोजक असम में सूखे की वास्तविकता से शायद अनभिज्ञ हैं क्योंकि यह देश के शेष भाग से कुछ अलग है। उनका विचार है कि असम में कोई सूखा प्रवण क्षेत्र नहीं है। लेकिन यह सत्य नही है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सूखे के मौसम के दौरान अधिक कृषि उत्पादन के लिए पर्याप्त सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराई जायें। भारत सरकार और विशेष रूप से जल संसाधन मन्त्री से मेरा विनम्र

अनुरोध है कि असम के लिए उपयुक्त योजनायें लायें और उन्हें पूरी ईमानदारी से लागू करें।

हालांकि गन्ना असम की मुख्य फसल नहीं है लेकिन फिर भी यह वहां की नकदी-फसल है और असम के कुछेक क्षेत्रों में गन्ना उगाया जाता है। असम में केवल एक चीनी मिल है। यही कारण है कि असम चीनी के उत्पादन में आत्म-निर्भर नहीं है। हमें अन्य राज्यों से चीनी खरीदनी पड़ी है जिसके लिए चीनी की ढुलाई पर बहुत बड़ी धनराशि खर्च की जाती है और असम में एक या दो और चीनी मिलें स्थापित करके इस व्यय से बचा जा सकता है। अगर ऐसा किया जाता है तो लोग गन्ना उगाने की तरफ अधिक ध्यान देंगे। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले पर गम्भीरता पूर्वक विचार करे।

अगली बात जिसकी ओर में संकेत करना चाहूंगा वह यह है कि असम के कृषक समुदाय को उपयुक्त समय पर उचित मूल्यों पर सही प्रकार के बीज प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय बीज निगम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समय पर प्रमाणित बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराये जायें। कई बार ऐसा होता है कि घटिया स्तर के बीज के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। उन्हें प्रति हेक्टेयर बहुत कम उपज प्राप्त होती है। बीजों के साथ उर्वरक भी समय पर उपलब्ध कराने चाहिये। यहां एक बात और बताना चाहता हूं वह यह है कि असम के लोग एक प्रकार से बहुत पिछड़े हुए हैं, उनके पास अद्यतन-तकनीक कृषिगत औजार नहीं हैं और यहां तक कि विभिन्न फसलों के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले उर्वरकों से भी अनभिज्ञ हैं। इस सम्बन्ध में उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिये।

एक अन्य बात यह है कि बीज बोने का कार्य उपयुक्त समय पर नहीं किया जाये तो उत्पादन कम होता है। अतः यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि विभिन्न फसलों जैसे धान, सरसों, आलू के लिए उपयुक्त समय पर बीज उपलब्ध हो, अन्यथा किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा।

अगली बात यह है कि कृषि के क्षेत्र में आज पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश बहुत विकसित हैं। अन्य राज्यों के किसानों के लिए इन राज्यों के दौरे करने और यह देखने के लिए कि अपने राज्य में वे किस प्रकार से इन तकनीकों को अपने लिए और अच्छे ढंग से प्रयोग कर सकते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम होने चाहिये। इस प्रक्रिया में खेती के विभिन्न पहलुओं और उससे संबंधित बातों पर विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं और इस प्रकार दूसरों के अनुभव से अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस कार्य के लिये कुछ युवाओं को कृषि में प्रशिक्षण लेने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। प्रशिक्षण के पश्चात् वे अपने-अपने राज्य में जायेंगे और उन राज्यों के इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण देंगे। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न राज्यों के युवाओं के विचारों का इस प्रकार का आदान-प्रदान हमारी मातृ भूमि की एकता और अखण्डता के सूत्र को मजबूत करेगा।

सभापति महोदय, आप घंटी बजा रहे हैं। इसलिये मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। अंत में मैं अवश्य कहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में न केवल असम बल्कि संपूर्ण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (सप्त-भगिनी राज्य) पिछड़े, हुए हैं। अतः मेरा विनम्र अनुरोध है कि असम को केन्द्र से उसका अपना हिस्सा मिलना

चाहिए तथा कई अन्य माननीय सदस्यों और मेरे द्वारा रखे गए सुझावों पर ध्यान दिया जाए। एक बार फिर मैं हृदय से कृषि, खाद्य और ग्रामीण विकास मंत्रालयों की, जिन पर चर्चा चल रही है, के लिए अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं आपको इस वाद-विवाद में मुझे भाग लेने का अवसर देने के लिए तथा धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद देता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मुही राम सैकिया (नोगोंग) : मैं आपको कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

भारत में कृषि मुख्य धंधा है। हमारी 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। लेकिन यह मुख्य धंधा मानसून पर निर्भर करता हैं। अगर मानसून समय पर नियमित रूप से आता है तो फसल अच्छी होगी और अगर मानसून नहीं आता तो सूखा पड़ेगा। कृषि योग्य 30 प्रतिशत भूमि सिंचाई प्रणाली और 70 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि मानसून पर निर्भर करती है। अतः मैं सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि के और अधिक क्षेत्रों को लाने के लिए उसके अधिक विस्तार का अनुरोध करता हूँ क्योंकि हमारे देश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुत अधिक वर्षा होती है और उसके परिणामस्वरूप विनाशकारी बाढ़ आती हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां वर्षा बिल्कुल नहीं होती और चूंकि वहां बारिश समान रूप से नहीं होती इसलिए सूखा पड़ता है। अतः कृषि क्षेत्रों में जल की आपूर्ति करने के लिए सिंचाई प्रणाली का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहिए।

आज, चूंकि कृषि के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य दिन-प्रति दिन बढ़ रहे हैं, इसलिए कृषकों को ऊँची लागत की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उवर्रक का मूल्य 40 से 50 प्रतिशत तक बढ़ गया है। साथ ही सरकार ने उर्वरक पर दी जाने वाली राज-सहायता को भी समाप्त कर दिया है। अतः निर्धन किसानों को, जो छोटे और सीमाँत किसान हैं ऊँची लागत के कारण इन वस्तुओं को प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती हैं। सरकार समर्थन मूल्य देती है। उसके बावजूद उत्पादन की वास्तविक लागत और समर्थन मूल्य में बहुत अन्तर है। साथ ही समर्थन मूल्य बड़े जमींदारों के लिए सहायक हो सकता है छोटे अथवा सीमान्त किसानों के लिए नहीं क्योंकि वे फसल का उत्पादन केवल अपनी जीविका चलाने के लिए करते हैं और वे उसे बाजार में नहीं बेच सकते। अतः उत्पादन की वास्तविक लागत और समर्थन मूल्य में समानता होनी चाहिए।

हमारे देश में जमीन के पुन-वितरण की समस्या भी है। हालांकि भूमि सुधार अधिनियम हैं परंतु उन्हें ठीक प्रकार से ईमानदारी से लागू नहीं किया गया है? जिसका परिणाम यह हुआ कि कृषकों के बीच जमीन का किसी प्रकार का पुन-वितरण नहीं हुआ है। हम जानते हैं कि बेनामी सौदेबाजियों के माध्यम से सामन्ती जमींदार अपनी संपत्ति छिपाते हैं। वे अपनी भूमिगत संपत्ति अपने नौकरों, पति, पत्नियों, रिश्तेदारों, पुत्रों, पुत्रियों और यहां तक कि अपने कुत्तों और बिल्लियों के नाम से रखते हैं अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह कृषकों के मध्य वास्तविक रूप से जमीन का पुर्नवितरण करने के लिये, जो अभी तक नहीं किया गया है, कुछ व्यवहारिक संशोधन लाए। केवल यही नहीं सरकार को भूमि सुधार कानून को लागू करने में भी कर्त्तव्यनिष्ठा होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि कृषिगत उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन के मूल्यों में बहुत अन्तर है। इनके बीच कोई समानता नहीं है। कृषक निर्माताओं को कच्चे माल की पूर्ति करते हैं जबकि औद्योगिक उत्पादों के मूल्य कृषिगत उत्पाद से बहुत अधिक हैं। अतः यह अन्तर समाप्त होना चाहिए और किसी प्रकार की समता स्थापित की जानी चाहिए।

इसके अलावा, किसान अपने उत्पादों के लिए विपणन सुविधाओं की कमी से परेशान हो रहे हैं। मैं असम के मामले में एक उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे एक माननीय मित्र पहले ही बता चुके हैं कि असम जूट की खेती के लिए प्रसिद्ध है। वहां एक जूट निगम है। लेकिन जूट निनम के सदस्य कभी बाजार नहीं जाते; वे कुछ दलाल रखते हैं। वास्तविक किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य कभी नहीं मिलता। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह जूट निगम को सीधा बाजार जाने के लिए और किसानों से उत्पादन खरीदने के लिए कहे।

असम में एक द्वीप है जो तिलहन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हमें मालूम है कि हमें चूंकि विदेशों से तिलहन की बहुत बड़ी मात्रा खरीदनी पड़ रही है इसलिए विदेशी मुद्रा संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन तिलहन का उत्पादन बढ़ाकर हम अपनी स्थिति सुधार सकते हैं। अगर हम कुछ कठोर कदम उठायें जैसे निर्धन कृषकों को उत्पादन की आधुनिक तकनीकों से लैस करने के लिए उनको वित्तीय सहायता दें तो वे तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह किसानों को फसल अभाव वाले क्षेत्रों में काम करने के लिए कहे और जिन क्षेत्रों मे फसल कम होती है उनमें सिंचाई-प्रणाली की व्यवस्था की जाए ताकि वे उत्पादन में पर्याप्त योगदान कर सकें।

हम शेखी बघार रहे थे कि हमारे पास खाद्यान्नों के फालतू भंडार हैं। लेकिन पिछले दो वर्षों से हम यह कह रहे हैं कि अपने मौजूदा भंडारों से अनाज लेकर हम खाद्यान्नों के मामले में आत्म-निर्भर होना चाहते है। लेकिन सरकार ने अब तक क्या किया ? उन्होंने उर्वरकों के मूल्य बढ़ा दिये ? क्या यह कृषकों के ऊपर प्रहार नही हैं ? क्या यह खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए कोई गंभीर धक्का नहीं है ? इस प्रकार, एक तरफ हमें गर्व है कि हमारे पास फालतू खाद्यान्न है, लेकिन दूसरी ओर हम खाद्यान्नों का मूल्य बढ़ाना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में हम उर्वरकों के मूल्य बढ़ाकर कृषकों को खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने से रोकना चाहते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में असहाय कृषक बिजली से परेशान हैं। कृषकों के लिए बिजली एक महत्वपूर्ण साधन है। सभी किसान विद्युत की कमी से पीड़ित हैं। किसानों की सहायता के लिए विद्युत एक महत्वपूर्ण साधन है। अतः इस दिशा में सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि गरीब किसानों को विद्युत की नियमित रूप से पूर्ति होती रहे।

हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ विकास कार्य चल रहे हैं जैसे भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम और नेहरू रोजगार योजना इत्यादि। ये सभी योजनायें निर्धनों को ऊपर उठाने के लिए हैं। भारत

में 52 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। हम उन्हें ऊपर लाना चाहते हैं। उस उद्देश्य के लिए हम बहुत सी-योजनाओं में रुचि रखते हैं। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य अधिक रोजगार उत्पन्न करना है। लेकिन वास्तव में होता क्या है ? लोग वहां काम में नही लगाए जाते हैं। ये कार्य जान पहचान के लोगों के माध्यम से किए जाते हैं। इससे योजना का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है क्योंकि स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता। जहां ये योजनायें शुरू की जाती हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए ताकि रोजगार के अधिक अवसर पैदा हों और अधिक सामाजिक अस्तियों का निर्माण हो सके। लेकिन, वास्तव में, हम सामान्यतः देखते हैं कि अधिक रोजगार के लिए ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। यहां अधिक सामाजिक अनुसंधान की आवश्यकता है। लेकिन यह सब बातें कुछ व्यक्तियों के लिए ही सोची जाती हैं। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि इसे अपने कार्यों में असफल नहीं होना चाहिए। सरकार कहती है कि वह ग्रामीण विकास पर 600 करोड़ रु० खर्च कर रही है। सरकार ग्रामीण विकास पर खर्च करे। लेकिन जो वे बता रहे हैं यह उनका वित्तीय लक्ष्य है और न कि क्रियात्मक लक्ष्य है।

सरकार को वित्तीय लक्ष्यों के बजाए क्रियात्मक लक्ष्यों को पूरा करने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, पिछले चालीस वर्षों से हम देख रहे हैं कि सरकार केवल वित्तीय लक्ष्यों के आंकड़े दिखा रही है न कि क्रियात्मक आंकड़ों के। इसलिए, सरकार का रवैया वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करना न होकर क्रियात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करना होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री लाईता उम्ब्रे (अरुणाचल पूर्व) : सभापति महोदय, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम स्वतंत्रता के चवालीस वर्षों के बाद भी किसी भी समस्या को सुलझा नही पा रहे हैं, जिनका कि किसान सामना कर रहे हैं। हम न तो बांध और पर्याप्त सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करवा सके हैं, जिसमें सूखा ग्रस्त क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए। देश के अन्य क्षेत्रों में भी हम बाढ़ से बचाव के पर्याप्त उपाय नहीं कर पाए हैं।

ऐसी अनेक अन्य समस्याएं हैं जिनका सामना आज किसान कर रहा है। जिन समस्याओं का सामना उन्होंने किया है उनमें से कुछ भूमि अधिग्रहण, उर्वरक, अच्छे बीज, उचित कीमतें और बाजार सुविधाएं इत्यादि हैं। इन समस्याओं पर सरकार द्वारा तत्काल तथा अधिक गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। अनेक समस्याएं होने पर भी हम अब आत्मनिर्भर हैं। माननीय खाद्य मंत्री ने कल बहस में भाग लेते हुए, कहा कि हम अनाज को निर्यात करने की स्थिति में हैं। यदि ऐसा है तो हमारे देश के किसान हम सब की बधाई के हकदार हैं।

कुल जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में बसा हुआ है और लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है। इसी कारण, मैं माननीय मंत्री जी से तथा सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वह कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

मैं उत्तर-पूर्व में मणिपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय खोलने के सरकार के निर्णय का स्वागत करता हूं, जिसकी उन्होंने कल घोषणा की थी।

3.00 म० प०

यहां एक अन्य पहलू है जिस पर सरकार द्वारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और जो कि कृषि उपज से सम्बन्धित है अर्थात् परिवार नियोजन। मैं समझता हूं दुर्भाग्य से समय की कमी के कारण स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा नहीं हो पाएगी । इन्हें बिना चर्चा पारित कर दिया जाएगा। लेकिन मैं सरकार से परिवार नियोजन को आवश्यक महत्व देने का अनुरोध करूंगा क्योंकि आज देश में हम जिस किसी समस्या का सामना कर रहे हैं वह जनसंख्या वृद्धि से ही उत्पन्न होती है ।

महोदय, मैं अपने आपको अरुणाचल प्रदेश की समस्याओं तक ही सीमित रखूंगा क्योंकि अपने राज्य से मैं अकेला वक्ता हूं । हमारे अरुणाचल प्रदेश में लगभग 84,000 वर्ग किलोमीटर का भौगोलिक क्षेत्र है । कुल क्षेत्र का केवल 5 प्रतिशत क्षेत्र तलहटी का है और इसमें से कुल क्षेत्र का 3.35 प्रतिशत कृषि योग्य है । हमारी राज्य सरकार जो कि बहुत सुदृढ़ और स्थायी है, सिंचाई के लिए सीढ़ीदार खेती की सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा लोगों को शिक्षित करने की भर-पूर कोशिश कर रही है ताकि लोग झूम खेती न करें। बागबानी तथा अन्य प्रकार की खेती की सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कोशिशें जारी हैं । लेकिन जैसा कि आप जानते हैं धन की कमी के कारण, हमारी अरुणाचल प्रदेश सरकार कुछ अधिक नहीं कर पा रही है । यहां अनेक अन्य क्षेत्र ऐसे हैं जहां विकास की काफी गुंजाइश है । ये हैं सेब, अनानास, संतरे तथा आलू के बागीचे इत्यादि । ऐसा माना जाता है कि सैकड़ों प्रकार की औषधीय जड़ी-बूटिगां अरुणाचलप्र देश में पायी जाती है । इनमें सबसे प्रमुख मिश्मीतीता है, जिसे एक समय निर्यात किया जाता था और जो कि एक समय इस देश में विदेशी मुद्रा कमाने का साधन था । हमारी राज्य सरकार ने मिश्मीतीता की खेती को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जोकि समुद्र तल से 7000 फुट से अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक योजनायें शुरू की गई हैं, लेकिन अब 'मिशमितीता' के लिए कोई बाजार नहीं है । इसलिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले लोगों को आज गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । मैं समझता हूं कि कृषि मंत्री इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे। अरुणाचल सरकार ने डेरी उद्योग बकरी पालन उद्योग और मत्स्य उद्योग के विकास के लिए भी कदम उठाए हैं । मत्स्य उद्योग अरुणाचल में अच्छी तरह से चल रहा है । अतः केन्द्रीद सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह अरुणाचल प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिए धन उपलब्ध करे । उन्हें उन छोटे और निर्धन राज्यों को जो कि पूरी तरह से केन्द्र पर निर्भर रहते हैं इतनी कम राशि उपलब्ध नहीं करनी चाहिए जैसे कि हर वर्ष किया जाता है ।

महोदय, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में कुछ नए चाय बागान लगाए गए हैं। लेकिन "नाबार्ड' अरुणाचल प्रदेश को ऋण नहीं दे रहा है । मैं आशा करता हूं कि कृषि मंत्री इस मामले पर गौर करेंगे ।

जहां तक खाद्य मंत्रालय का सवाल है—मुझे ज्यादा नहीं कहना है लेकिन महोदय मैं

यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि खाद्यान्नों के मामले में हम पूरी तरह से देश के विभिन्न भागों पर निर्भर हैं। लेकिन इन खाद्यान्नों की गुणवत्ता जो कि हमें यहां प्राप्त होती है, खराब है। महोदय, जैसे कि आप जानते हैं हमारे राज्य में संचार की समस्या है। यहां तक कि जिला मुख्यालय जहां से मैं आया हूं सड़क-संचार व्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए मेरे जिला मुख्यालय सहित कई प्रशासनिक मण्डलों में वायुयान के जरिए खाद्यान्न गिराया जाता है लेकिन पैकिंग में कमियां होने की वजह से ये पैकिट फट जाते हैं और हमें मजबूर होकर इन्हें लेना पड़ता है। हमें यहां घटिया किस्म का खाद्यान्न मिल रहा है। इसलिए, मैं माननीय खाद्य मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस समस्या पर भी गौर करें।

अब मैं कुछ शब्द ग्रामीण विकास के बारे में कहना चाहूंगा। हमारी कांग्रेस सरकार ने विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तथा रोजगार पैदा करने वाले कार्यक्रम जैसे कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना आदि आरम्भ किए हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना तथा अन्य निर्धनता उन्मूलन और रोजगार पैदा करने वाली योजनायें मेरे राज्य में सफलता पूर्वक कार्यान्वित किये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह पंचायती राज व्यवस्था और ग्रामीण परिषदों के उचित ढंग से काम करने की वजह से हुआ है। अतः मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह अधिक धन उपलब्ध कराए। विशेष रूप से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजग र योजना कार्यक्रमों के लिए क्योंकि जवाहर रोजगार योजना ऐसी योजना है जिसमें राजनैतिक नेताओं जैसे विधान सभा सदस्य एवं संसद सदस्यों तथा मन्त्रिओं का हस्तक्षेप नहीं होता है तथा धन जिला परिषदों और निचले स्तर से चुने लोगों के पास सीधें पहुंचता है तथा वे इसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में निर्णय करते हैं और इसे सफलता पूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। इस समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए जो औपचारिकतायें निर्धारित की जाती हैं वे सारे देश में समान हैं। मैं माननीय मन्त्री और सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर विचार करें और इस मामले की समीक्षा करें क्योंकि जगह-जगह की समस्यायें भिन्न हैं तथा जिस औपचारिकताओं की सिफारिश की जा रही हैं वे मेरे राज्य के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए ये सब सम्बन्धित क्षेत्रों की समस्याओं पर आधारित होना चाहिए।

महोदय 64 वां संविधान (संशोधन) विधेयक लाया गया और इस सभा में पारित किया गया लेकिन दुर्भाग्य से यह राज्य सभा में पारित नहीं हुआ। यह विधेयक लोगों को शक्ति देने और लोकतन्त्र को निचले स्तर पर मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया था। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह इस अधिवेशन के दौरान ऐतिहासिक पंचायती और नगरपालिका विधेयक लाये। यह इसलिए भी लाया जाना चाहिए क्योंकि हमारी पार्टी ने चुनाव के दौरान इसका वायदा किया था लेकिन यह बहुत आवश्यक समझा गया कि लोकतन्त्र को निचले स्तर पर मजबूत किया जाये। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि हम पहले ही विधेयक के सम्बन्ध में काफी पीछे रह गए हैं अतः लगता है कि सरकार वर्तमान अधिवेशन में इस विधेयक को पेश नहीं कर पायेगी। यदि हम इस विधेयक को इस सत्र में नहीं ला पाये तो हम लोगों के संग अन्याय करेंगे और वह हमें माफ नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार (खारगोन) : सभापति महोदय, अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं अपनी बात ऋग्वेद के अर्थ देवन सूक्तम् से प्रारम्भ करता हूं—"कृत्रिम इदलू कृषस्य वित्ते रमस्व बहुमन्य मानव।"

इसमें कहा गया है कि कृषि ही करो और इससे प्राप्त होने वाले धन से सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करो। किसानों ने भी, मैं समझता हूं इसी सूक्तको ध्यान में रखते हुए कृषि प्रारम्भ की पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 44 वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी भी सरकार के दौरान राज्यों में किसानों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार नहीं मिला।

आज भी गांवों में न स्कूल हैं, न सड़कें हैं, न डाकखाना है; न दवाखाना है। दवाखाना है तो बिल्डिंग नहीं है; बिल्डिंग है तो डाक्टर नहीं है, डाक्टर है तो दवाई नहीं है, दवाई है तो दाई नहीं है। 40 वर्ष तक अन्धी पीसती रही और कुतिया खाती रही। इसी कारण आज हम देखते हैं कि गांवों में स्थिति संतोषप्रद नहीं है; गांवों से पलायन हो रहा है; आज किसानों के पढ़े लिखे बच्चे, लुहार, बढ़ई,; जुलाहा और गरीब वर्ग के लोग शहरों में चले जा रहे हैं। आज ऐसे 52 करोड़ लोग हैं जो शहरों में ठेला खींचते हैं और फुटपाथ पर अपना जीवन बिता रहे हैं।

आज किसान को हर बात के लिए; चाहे वह बिजली हो, पानी की समस्या हो, स्कूल की समस्या हो, हर बात के लिए सरकार के सामने भीख का कटोरा लेकर जाना पड़ता है। आज देश को सम्मान का जीवन देने वाला किसान, जिसने 1950 के साढ़े पांच करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाकर आज 18 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन तक पहुंचा दिया, देश को ऐसे गौरव का जीवन देने वाला किसान; एक जमाना था जब हमारे मंत्री भीख का कटोरा लेकर अमेरिका गेहूं लेने जाया करते थे, हमारे देश के किसानों ने तब हमारे देश को भिखारी होने से बचाया। आज गौरव के साथ हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने जो खाद्यान्न का उत्पादन किया, वह रिकार्ड उत्पादन किया पर वह रिकार्ड उत्पादन करने के बाद भी किसान को क्या मिला। आज उसकी स्थिति वैसी ही है, आज भी उसकी झोंपड़ी में वही बरसात में पानी टपकता है और उसको अपनी खटिया एक जगह से दूसरी जगह सरका कर करनी पड़ती है। आज भी उसका मकान वैसा का वैसा है जिसमें उसको कुछ नहीं मिलता है। इसका एकमात्र कारण, जो मैं समझता हूं, यह है कि उसकी कपास सस्ती है और कपड़ा महंगा है, उसका गन्ना सस्ता है और चीनी महंगी है, उसकी मूंगफली सस्ती है और तेल महंगा है और यही कारण है कि आज किसान दयनीय स्थिति में पहुंच गया है। आज कपास का भाव 10 रुपये किलो है तो सूत का भाव 50 रुपये किलो और कपड़े का भाव 100 रुपये किलो हो गया।

इसी अन्याय और अत्याचार के कारण किसान की हालत दयनीय बनी रही। पिछले दिनों

सरकार की गलत नीतियों के कारण और आगे चलकर उसके गलत क्रियान्वयन के कारण किसान गरीब होता चला गया। आज हम देखते हैं कि गन्ना इतनी मुश्किल से किसान पैदा करता है जिसमें अपना खून और पसीना बहाता है। देवर और भाभी खेत पर पानी देने जाते हैं, गन्ने को पानी देते हैं, छोटे से 6 माह के बच्चे को उसकी भाभी खेत में ले जाती है, दोनों पेड़ों के बीच में एक रस्सी बांधकर उस बच्चे को झूले पर सुला देती है और खेत में वह क्यारी में पानी देने लगती है। पानी देते-देते उसकी उंगली कट जाती है, गन्ने की पत्ती से उसकी उंगली कटती है, उंगली से खून बहने लगता है, खून बहने के कारण वह उस पर पट्टी भी नहीं बांध पाती और उसको सिंचाई के पानी की क्यारी में लगा देती है। पानी के साथ खून भी बहता जा रहा है, किसान अपना खून पिलाता है गन्ने को और उसके बाद गन्ना पैदा होता है। इस तरह खून, पसीना, पानी और पैसा लगाकर किसान गन्ना पैदा करता है और उस गन्ने की पूरी कीमत उसे नहीं मिलती है। आज भी योजनाओं की गलती है, हमारी कृषि नीति की गलती है कि जिसके कारण जहां शुगर मिल बनकर तैयार हो गई है, शुगर मिल के पास गन्ने के बाइ प्रोडक्ट उसके छोते से कागज तैय.र किया जा सकता है। उसकी राव से शराब तैयार की जा सकती है, शराव से आगे और प्रयोग भी किया जा सकता है, इस तरह से उसकी राब से पैट्रोल भी तैयार किया जा सकता है। जहां इतनी ज्यादा शुगर मिलें हैं, वहां अगर सरकार की तरफ से उद्योग लगा दिए जाएंगे तो आज किसानों को गन्ने का भाव 40 रुपए क्विंटल उक्त के वजाए डेढ़ सौ रुपए क्विंटल पड़ सकता है और किसानों की हालत सुधर सकती है। परन्तु मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन सारी योजनाओं पर सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आज इस धरती पर बैठा किसान इस तरह से परेशान है जैसे धरती जब अंगड़ाई लेती है तो ज्वालामुखी फूट पड़ती है और भूचाल उठ खड़े होते हैं इसलिए आज किसान का भी जो असंतोष और आक्रोश है वह भी उसी ज्वालामुखी के समान फटने की तैयारी में है। इसलिए यदि किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो किसान भी ज्यादा दिन तक यह अन्याय और अत्याचार सहन नहीं करेगा।

आज किसान समझ गया है कि उसके पास इतनी ताकत है कि वह सरकारों को बना भी सकता है और बदल भी सकता है। इसलिए आज किसानों की ओर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। सभापति महोदय, युद्ध के मैदान में दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए सैनिक और जवान गांव से आते हैं, कारखानों का पहिया चलाने के लिए मजदूर गांव से आते हैं, शहरों में ठेला खींचने के लिए भी मजदूर गांव से आते हैं। आज शहरों और कारखानों के 60 प्रतिशत उद्योग कृषि उपजों से चलते हैं, राष्ट्रीय आय में आज ग्रामीण हिस्सा 30 प्रतिशत है, उसके बाद भी उसके हिस्से का पूरा रुपया उसको नहीं मिल पाता और इसीलिए आज किसानों में असंतोष पनपता चला जा रहा है। आज गांवों की ओर से पलायन हो रहा है। देश की नदियों का पानी बह कर सागर में जा रहा है और देश की जवानी बहकर विदेशों में चली जा रही है। डाक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर और मजदूर तक लगातार विदेशों में जाते जा रहे हैं। क्या कारज है कि हम अपने देश में उनको प्रोत्साहन नहीं दे सकते ?

जहां तक कृषि नीति का सवाल है इस कृषि नीति ने किसान को उदासीन और निराश किया है, उसमें उदासीनता बढ़ती चली जा रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 1981 में

गेहूं का भाव और समर्थन मूल्य सरकार ने 130 रु० क्विंटल जारी किया, उस समय कृषि मंत्री जी का वयान था कि हमारे देश में खाद्यान्न पर्याप्त पैदा हुआ है, उसके बाद भी अमरीका से गेहूं खरीदा गया और 174 रु० क्विंटल में खरीदा गया और 80 रु० क्विंटल उसकी ढुलाई लगी और भारत को वह 274 रु० क्विंटल में पड़ा, हमने अपने देश के किसानों को 130 रु० क्विंटल से ज्यादा का भाव नहीं दिया। उस समय कपास 500 रु० क्विंटल था, उसके बावजूद विदेशों से कपास खरीदा गया और विदेशों से, पाकिस्तान से एक हजार रु० क्विंटल कपास खरीदा गया और भारत के किसानों को 500 रु० क्विंटल का भाव दिया। इसलिए भारत के किसान खाद्यान्न का उत्पादन क्यों बढ़ाएं ? क्यों कपास की उपज बढ़ाएं ? यदि उसको अपने उत्पादन का ठीक से भाव नहीं मिलेगा तो वह क्यों उपज बढ़ाएगा। मैं आपको इन सारी बातों को देखते हुए 1980-1981 का उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि उस समय भी हमारे यहां शक्कर की कमी थी और उसके बावजूद शक्कर बाहर भेजी गई। हमने लन्दन से महंगी शक्कर खरीदी, जब कि थाइलैंड से सस्ती शक्कर हमें मिल रही थी। मूंगफली और खाने का तेल देश में कम था, परन्तु फिर भी उस समय हमारे यहां से मूंगफली अमरीका को भेजी गई। फिर उसके बाद मूंगफली का तेल और रेपसिड आयल विदेशों से खरीदा गया।

कांग्रेस की सरकारों का यह खेल मेरी समझ में नहीं आता, जो चीज कम है उसको यह विदेशों में भेजेंगे भी और फिर उसे वापस विदेशों से खरीदेंगे भी। इससे साफ लगता है कि खरीदने और बेचने दोनों में लेन-देन होता है और दोनों में कमिशन मिलता है और वह कमिशन प्रोत्साहित करता है कि माल को बाहर भी भेजा जाए और बाहर से फिर वही कच्चा माल वापस खरीदा जाए। अगर इस तरह से नीति चलती रही तो इस कारण से किसानों में उदासीनता और निराशा बढ़ती चली जाएगी।

मैं 1951-52 के दिनों को याद करता हूं जब हमारे नेता डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार बल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि कृषि को आप प्राथमिकता दें। 1951-52 से यदि कृषि को प्राथमिकता देते चले जाते जो आज देश में किसानों की जो हालत है, गरीबों की हालत है, वह हालत न रह पाती और उनको अधिकतम लाभ मिलने लगता।

3.19 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

आज अगर देश की नीति को हम देखें, तो आज देश की कृषि नीति ऐसी है और सिंचाई के सम्बन्ध में भी मैं बताना चाहता हूं, आज अलग-अलग प्रदेशों में सिंचाई का औसत प्रतिशत कितना अलग-अलग हो गया है। हम समान रूप से अपने हर प्रदेश के किसानों को पानी भी नहीं दे सकते हैं। आज मैं बताना चाहता हूं कि 1986-87 में पंजाब में सिंचाई का प्रतिशत खाद्यान्न की दृष्टि से 92.1 परसेंट था, मध्य प्रदेश में वही प्रतिशत 16.5 है, केवल तमिलनाडु में 48 प्रतिशत, कर्नाटक में 17.5 प्रतिशत, गुजरात में 19 9 प्रतिशत, राजस्थान में 21.8 प्रतिशत और हरियाणा में 67.9 प्रतिशत और आन्ध्र प्रदेश में 45 प्रतिशत है। अलग-अलग प्रदेशों में जो सिंचाई के प्रतिशत की

भिन्नता है, इसके कारण ही प्रदेशों में असंतोष फैल रहा है। पंजाब-हरियाणा में जिस तरह से सिंचाई का प्रतिशत सबसे अधिक है, उसके बावजूद नदी जल विवाद खड़े हुए हैं, वे आपके सामने हैं। आन्ध्र प्रदेश-कर्नाटक में जिस तरह से कावेरी जल विवाद चल रहा है, आप जानते हैं, इसके कारण वहां असंतोष पैदा हो रहा है। मध्य प्रदेश में तो केवल 16 प्रतिशत सिंचाई होती है, उस हिसाब से तो वहां पर और ज्यादा असंतोष होना चाहिए। मैं इस बारे में सुझाव देना चाहता हूं कि ये जो नदी जल विवादों के अन्तर्राज्जीय ट्रिब्यूनल्स से हल करते हैं, लेकिन ये हल होने के बजाए उलझते चले जाते हैं, इस बारे में हमको यह सोचना चाहिए। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, इनके ट्रिब्यूनल्स से जितने भी फैसले हुए, सब में 8-10 साल लग गए, उसके बावजूद मामले उलझते चले गए। कावेरी ट्रिब्यूनल के इन्टेरिम-आर्डर पर झगड़ा शुरू हो गया, यह सब आपके सामने है। इसलिए हम जब तक इस ओर पूर्ण ध्यान नहीं देंगे, इन मामलों को निपटाने में केन्द्र सरकार विशेष रूचि नहीं लेगी तब तक मामले हल नहीं होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सब नदियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। नदियों को सारे देश की सम्पत्ति माना जाए और जिन प्रदेशों में सिंचाई का प्रतिशत कम है, उनको अधिक पानी दिया जाए। लोअर रिपेरियन का सिद्धान्त बनाया हुआ है, इसको दूर करना पड़ेगा। इस सिद्धान्त को दूर किया जाए और समान रूप से सारे प्रदेशों को पानी दिया जाए, तभी सिंचाई का प्रतिशत ठीक हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश का सिंचाई का प्रतिशत 32.7 है और जो 70 प्रतिशत अनाज पैदा होता है वह 30 प्रतिशत सिंचाई से पैदा होता है। आज आबादी जिस गति से बढ़ रही है, इस सदी के अन्त तक आबादी इस देश की 100 करोड़ होने वाली है और 2024 तक 160-170 करोड़ होने वाली है। उस समय जनता को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए अभी से प्रयत्न करने होंगे। इसके लिए आप क्या योजना बना रहे हैं। आज आबादी निरन्तर बढ़ती जा रही है, आप बढ़ती हुई आबादी की गति को रोक नहीं पा रहे हैं ओर उस दृष्टि से अगर खाद्यान्न का उत्पादन नहीं बढाया गया तो आगे चल कर बहुत मुश्किल होने वाली है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं खासकर एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह है ड्राइ-फार्मिंग। आज बरोनी खेती पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन उससे खास लाभ होने वाला नहीं है। सूखी खेती द्वारा आखिर कब तक काम चलाया जाएगा। जब तक आप पानी का प्रबन्ध नहीं करेंगे, तब तक कृषि को लाभ होने वाला नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी नर्मदा नदी है। नर्मदा ट्रिब्यूनल का फैसला हुआ है। उसमें मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध बनाने की स्वीकृति दी जानी चाहिए थी, लेकिन 3-4 वर्ष तक मामला सेंट्रल वाटर कमीशन, दिल्ली में पड़ा रहा, ब्यूरोक्रेट्स उस पर कुण्डली मारकर बैठे हुए हैं। बार-बार 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और उनका उत्तर आने में वर्षों लग जाते हैं। इस बांध की कास्ट 900 करोड़ रुपए, 4 वर्ष पहले थी आज बढ़ कर 1500 करोड़ रुपए हो गई है और आगे चल कर 2000 करोड़ रुपए होने वाली है। इस तरह से मध्य प्रदेश का दोहरा नुकसान हुआ है। एक तरफ तो बांध का लागत खर्च बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ बांध के लाभों से मध्य प्रदेश वंचित है। क्या इसके लिए हम अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराएंगे, जिनकी वजह से देरी हो रही है

या हम उन मन्त्रियों को जिम्मेदार ठहराएंगे, जिनकी वजह से देर हुई है या ट्रिब्यूनल्स को जिम्मेदार ठहराएंगे, जो ठीक समय पर मामले का निराकरण नहीं कर सके। आज इस दृष्टि से देखें तो नर्मदा सागर बांध के लिए विश्व बैंक की ओर से जो वित्तीय सहायता मिलने वाली थी, उस पर अभी तक समझौता नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार बार-बार प्रधान मंत्री महोदय को लिख रही है, हम भी बार-बार केन्द्र सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि विश्व बैंक से इस कार्य के लिए वित्तीय सहायता दिलवाई जाए। जब तक सहायता नहीं मिलती, तब तक आठवीं पंचवर्षीय योजना में से मध्य प्रदेश को 157 करोड़ रुपया दिया जाए। मध्य प्रदेश सरकार ने इस बारे में मांग की है, तभी नर्मदा सागर बांध बन सकता है। नर्मदा सागर बांध बनने से मेरे चुनाव क्षेत्र में, जहां का मैं प्रतिनिधि हूं, वहां 450 लाख एकड़ भूमि सिंचित होगी, पास में धार जिले में 2 लाख एकड़ में सिंचाई होगी। यह इतनी वृहत योजना है, इसमें केन्द्र सरकार को विशेष रूचि लेकर अनुदान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से महेश्वर परियोजना खरगोन जिले में है, यह 467 करोड़ रुपए की योजना है और इससे 400 मेगावाट बिजली पैदा होगी। सी० डब्यू० सी०, सी० ई० ए० ने इसको मंजूरी दे दी है, पर पर्यावरण विभाग की ओर से अभी तक इसको मंजूरी नहीं मिली है। इस कारण मामला अटका हुआ है और यह योजना शुरू नहीं हो पा रही है। सारे बिन्दुओं के उत्तर मध्य प्रदेश सरकार ने दे दिए हैं। ओंकारेश्वर परियोजना 788 करोड़ की है, इससे 520 मेगावाट बिजली पैदा होगी। उसमें भी पर्यावरण और वन विभाग से उसका अनुमोदन अपेक्षित है और वह लटका पड़ा हुआ है। इस विषय में मैं यह कहना चाहूंगा कि कृषि विभाग को विशेष रूचि लेनी चाहिए। कृषि राज्य मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो पर्यावरण और वन विभाग, वित्त मंत्रालय और दूसरे मंत्रालय इसको अटकाए रखते हैं तो इनमें समन्वय करना चाहिए। इसका समन्वय कृषि विभाग को करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि बांध बनेगा तो सिंचाई होगी और कृषकों को लाभ करने का मंतव्य है कृषि विभाग का वह तभी पूरा होगा। मध्य प्रदेश सरकार 51 परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास भेज चुकी है। पर्यावरण और वन विभाग से स्वीकृति न मिलने के कारण अटकी पड़ी हैं। कहीं पर दस, कहीं पर पचास और कहीं पर सौ एकड़ भूमि डूब रही है ···**(व्यवधान)** केन्द्र सरकार की स्वीकृति मिलनी चाहिए। 1980 में ऐसा संशोधन कर दिया गया जिससे राज्य सरकारों की शक्तियां छीन ली हैं। दस एकड़ भूमि डूबती है तो पर्यावरण और वन विभाग की स्वीकृति लेनी पड़ती है और वह नहीं मिलती जबकि मध्य प्रदेश की 51 परियोजनाएं भी पड़ी हुई हैं। मेरे जिले की योजनाओं में 1980 के पहले के एक बांध का सवाल है तो उस पर साठ लाख रुपया खर्च हो गया। 1980 में एक्ट आ गया और उसकी परमिशन लेनी होगी। अभी तक उसकी परमिशन नहीं मिली है। मध्य प्रदेश की कई योजनाएं ऐसी हैं जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली देनी है। वन विभाग की भूमि में केवल खम्बे गाढ़कर ले जाने थे लेकिन केन्द्र सरकार से अनुमति नहीं मिलती। रिकार्ड में लिखा है कि वन है और वन की भूमि है। लेकिन वहां पर वन नहीं है। भूमि डूबने के नाम पर स्वीकृति नहीं दी जाती और वन विभाग की ओर से जल्दी से जल्दी स्वीकृति दी जानी चाहिए। सारे देश में वनों की अन्धाधुन्ध कटाई हुई है और वर्षा का प्रतिशत गिरता जा रहा है। कई क्षेत्रों में कुएं और ट्यूबैल हो गए हैं लेकिन वहां जलस्तर काफी नीचे गिर गया है। जलस्तर

को ऊंचा करने के लिए भी हमारे पास कोई साधन नहीं है। हम प्रकृति पर निर्भर हैं। आज भी वर्षा का पानी सागर में चला जाता है, लेकिन हम उसको रोक नहीं पाते। इसके लिए कुआं रिचार्जिंग सिस्टम चालू है। स्पेशल एप्लीकेशन सेन्टर-अहमदाबाद और टैक्नीकल संस्थान, इन्दौर ने महत्वाकांक्षी परियोजनाएं तैयार की हैं जिसमें कुओं और ट्यूबवैल में रिचार्जिंग के माध्यम से बरसात का पानी उल्टा कुओं में चला जाता है। धरती के भीतर पानी को उतारा जा सकता है और जब यह करेंगे तो अधिकतम जलस्तर नीचे का है, उसको ऊपर उठा सकते हैं।

[अनुवाद]

बोरिन और कुएं के परिस्त्रवण के द्वारा भूजल को रिचार्ज कर सकते हैं।

[हिन्दी]

हमारे इन्दौर के कृषि कालेज के वैज्ञानिकों ने इस स्कीम को अच्छी तरह से लागू किया है। मैं स्वयं किसान हूं। मैंने अपने कुएं में इस पानी का रिचार्जिंग करके देखा है। जो गर्मी के दिनों में सूख जाता है घर और रिचार्जिंग बरसात में कर दिया जाए तो कुओं में चार-चार घण्टे पानी होता है। रिचार्जिंग कर दिया जाए तो देश को बहुत लाभ हो सकता है। मध्य प्रदेश में सरकार जो योजना लागू करने जा रही है तो उसको सारे देश में लागू करना चाहिए। उसके बाद ही जो जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है तो उसको ऊपर उठाने में सफल हो सकते हैं। मैं यह मांग करता हूं कि वन संरक्षण अधिनियम में राज्य सरकारों को शक्ति देनी चाहिए जिसके कारण छोटी-मोटी योजनाएं स्वीकार कर लिया करें नहीं तो केन्द्रीय सरकार के पास आकर बरसों पड़ी रहती हैं। उसकी वजह से पेन्डींग रहने का मौका न मिले।

1978 में जनता पार्टी के समय में किसानों के लिए पायलट फसल बीमा योजना लागू की गई थी। वह अधूरी है क्योंकि कुछ छटे हुए ब्लाक्स में लागू की गई। जहां पर सिंचाई पहले से अधिक होती है तो वहां फसलों का बीमा किया गया है। उससे किसानों को क्या लाभ है। सामान्य वर्षा के क्षेत्रों में जहां वर्षा कम होती है तो वहां भी किसानों की फसलों का बीमा होना चाहिए। जब तक व्यक्तिगत रूप से किसानों की फसलों का बीमा नहीं होगा तो कोई लाभ नहीं होगा। एक बार किसानों का गेहूं पकने को तैयार बैठा था तो ओले गिर गए। ओले गिरे तो किसान की बीमे की राशि फसल को देखकर ही तय की जाती है। एक किसान के पास यदि 5-10 एकड़ जमीन है तो सारा गेहूं खराब हो जाने के बाद ही एक हजार रुपया मिला। यदि इस प्रकार की प्रणाली में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक फसलों का व्यक्तिगत बीमा नहीं करेंगे और ऐसे रिश्क वाले क्षेत्र, जहां कम वर्षा होती है, वहां भी जब तक नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं चल सकता है। इस तरह जब तक दलहन व तिलहन का व्यक्तिगत बीमा नहीं करेंगे, तब तक उत्पादन नहीं बढ़ सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि किसानों की फसलों का बीमा किया जाये जैसा कि जापान में होता है। वहां पर तो किसानों के बीमे का प्रीमियम सरकार भरती है.......

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब गैर सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य लेगी।

विधेयकों का पुन:स्थापन

———

3.31 म० प०

उड़ीसा उच्च न्यायलय (सम्बलपुर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक*

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्बलपुर में उड़ीसा उच्च-न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुन: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सम्बलपुर में उड़ीसा उच्चन्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

3.31 ½ म० प०

संविधान (संशोधन)* विधेयक (नये अनुच्छेद 23 क, 23 ख और 23 ग का अन्त: स्थापन,

श्रीमती बासवराजेश्वरी (बेलारी) : मैं प्रस्ताव करतो हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने नाले विधेयक को पुर:स्थापित कग्ने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

* दिनांक 30-8-91 के भारत के असाधारण, राजपत्र भाग-2 खंड-2 में प्रकाशित।

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती बासवराजेश्वरी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

3.32 म० प०

विवाहित स्त्री (अधिकार संरक्षण) विधेयक*

श्रीमती बासवराजेश्वरी : मैं प्रस्ताव करती हूं कि विवाहित स्त्रियों के अधिकारों के संरक्षण तथा उनसे संबंधित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती बासवराजेश्वरी : मैं विधेयक पुरः स्थापित करती हूं।

3.32 ½ म० प०

लिंग निर्धारण परीक्षणपाबंदी विधेयक

श्रीमती बासवराजेश्वरी : मैं प्रस्ताव करती हूं कि जन्म से पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षणों पर पाबंदी लगाने तथा उससे संबद्ध विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जन्म से पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षणों पर पाबंदी लगाने तथा उससे संबद्ध विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेंयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती बासवराजेश्वरी : मैं विधेयक पुरः स्थापित करती हूं।

---

* दिनांक 30-8-1991 के भारत असाधारण, राजपत्र भाग 2, खंड-2 में प्रकाशित।

3.33 म० प०

रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक* (विधेयक के पूरे नाम के स्थान पर विधेयक के नये पूरे नाम का प्रतिस्थापन, आदि)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेल संरक्षण बल अधिनियम 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेल संरक्षण बल अधिनियम 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं :

———

3.33 ½ म० प०

भिक्षावृत्ति उत्सादन विधेयक*

श्रीमती बासवराजेश्वरी : मैं प्रस्ताव करती हूं कि भिक्षावृत्ति उत्सादन और उससे संबंधित अथवा अनुषंगी विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भिक्षावृति उत्सादन और उससे सम्बन्धित अथवा अनुषंगी विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती बासवराजेश्वरी : मैं विधेयक पुरः स्थापित करती हूं।

———

3.34 म० प०

गुजरात उच्चन्यायालय (राजकोट में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक*

श्री दिलीप भाई संघानी (अमरेली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजकोट में गुजरात उच्च-

* दिनांक 30-8-91 के भारत के असाधारण, राजपत्र भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजकोट में गुजरात उच्चन्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दिलीप भाई संघानी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

3.34½ म० प०

गुजरात उच्च न्यायालय (राजकोट में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक*

श्रीमती भावना चिखलिया (जूनागढ़) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजकोट में गुजरात उच्चन्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजकोट में गुजरात उच्चन्यायालय की स्थायी न्यायपीठ की स्थापना करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती भावना चिखलिया : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

———

3.35 म० प०

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक*

(धारा 2 का संशोधन)

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकारी स्थान

* दिनांक 30-8-91 के भारत असाधारण, राजपत्र भा-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

(अप्राधिकृत अधिभोगियों की वेदखली) अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बदेखली) अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री शरद दिघे : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

3.35 ½ म० प०

आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (गुंटूर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक*

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय; में प्रस्ताव करता हूं कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में उच्च न्यायायालय की एक स्थायी न्यायापीठ की स्थापना करने सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठ स्थापित करने संबंधी विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

3.36 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक* (अनुच्छेद 58 आदि का संशोधन)

श्री विश्वनाथ शर्मा (हमीरपुर) : महोदय प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाला विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

---

* दिनांक 30-8-91 के भारत असाधारण, राजपत्र भाग-2 खण्ड-2 में प्रकाशित ।

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, मैं इस विधेयक के प्रस्तुत किए जाने का विरोध करता हूं। आप देखेंगे कि यह विधेयक संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है क्योंकि यह देश में नागरिकों के दो वर्ग बनाता है। इस सम्बन्ध में प्रस्तावना का उल्लेख करने से पहले और यह बताने से पहले कि यह भारत के संविधान के मूल ढांचे को बदलना चाहता है, मैं धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न किए जाने के बारे में संविधान के अनुच्छेद 15 के प्रावधानों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं। इसमें यह कहा गया है।

"15 (1) राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के अधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।"

इस विधेयक द्वारा माननीय सदस्य संविधान के उन विभिन्न अनुच्छेदों को बदलना चाहते हैं जिनमें कहा गया है कि केवल ऐसा व्यक्ति ही जो जन्म से भारत का नागरिक है उन पदों के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने अथवा उन पदों के लिए हकदार है।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जैसा कि मैंने अनुच्छेद 15 का उल्लेख करने के बाद कहा था कि यदि इस प्रकार के संशोधन किए जाते हैं तो यह भारत के संविधान के मूल ढांचे को ही बदल देगा। हम केवल भारत के नागरिक की बात कर रहे हैं और और जो व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 5 के अन्तर्गत नागरिकता प्राप्त करता है वह देश का नागरिक है। माननीय सदस्य ने अनुच्छेद 5 में संशोधन करने का विचार नहीं व्यक्त किया है और न ही उनका प्रस्तावना में संशोधन करने का विचार है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधन करने की बात नहीं कही है। जिन अनुच्छेदों का मैंने उल्लेख किया है यदि हम उनमें संशोधन नहीं करते हैं तब हम वह संशोधन भी नहीं कर सकते हैं जो अभी प्रस्तुत किए गए हैं। महोदय; मेरा मूल मुद्दा यही है। मैं विधायी सक्षमता की बात बाद में करूंगा क्योंकि देश का मूल कानून यह है कि संसद को संविधान के मूल ढांचे में पविर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है और इस मामले में मूल ढांचे में परिवर्तन होता है। हमें नागरिकों में भेद नहीं करना चाहिए। देश की नागरिकता प्राप्त करने की योग्यताओं के बारे में अनुच्छेद 5 में उल्लेख किया गया है जिसका मैं अब उल्लेख करूंगा। वह इस प्रकार है :

"(क) जो भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था; या

(ख) जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था; या

(ग) जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले कम से कम पांच वर्ष तक भारत के राज्य- में मामूली तौर से निवासी रहा है। केवल ऐसे लोग ही भारत के नागरिक होंगे।"

इसके बाद संविधान के अन्तर्गत भारत के नागरिक को कुछ अधिकार मिलेंगे। माननीय

सदस्य द्वारा प्रस्तत इस संशोधन से भारत के नागरिक के विभिन्न पदों के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया है जो कि देश के नागरिक को प्राप्त हैं। महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्यों ने संविधान के जिन अनुच्छेदों का उल्लेख नहीं किया है, उनको वैसा ही रखने से यह संशोधन नहीं किया जा सकता है। मेरा यही निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : श्री विश्वनाथ शर्मा क्या आपको कुछ कहना है ?

श्री विश्वनाथ शर्मा : महोदय, मैं अंग्रेजी में बोलूं या हिन्दी में। **(व्यवधान)**

[हिंदी]

श्री पवन कुमार बंसल : अगर आप इंगलिश में नहीं समझे तो मैं उसे हिन्दी में दोहरा सकता हूं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ शर्मा : विधेयक की भाषा विधेयक बनाने वाले की सुविधानुसार होनी चाहिए। महोदय, मेरा यह विनम्र निवेदन है कि चूंकि मैं पहली बार विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूं इसलिए इसमें कुछ कमियां हो सकती हैं। लेकिन इसे प्रस्तुत करने के पीछे जो भावनाएं हैं उन्हें समझना होगा।

श्री पवन कुमार बंसल : मुझे संशोधन की मूल भावना पर आपत्ति है।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : और माननीय सदस्य द्वारा विधेयक प्रस्तुत करने की भावना पर भी आपत्ति है। **(व्यवधान)**

श्री विश्वनाथ शर्मा : महोदय, उद्देश्यों और कारणों के कथन, जिसे मैंने कुछ उदाहरणों के साथ शुरू किया है. में स्पष्ट रूप से बताया हैं कि

> "संयुक्त राज्य अमरीका में केवल वही व्यक्ति शासनाध्यक्ष बन सकता है यदि वह जन्म से देश का नागरिक है।"

मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि उसका कोई अति विशिष्ट नागरिक जो वहां पर बहुत लम्बे अरसे तक देश का विदेश मन्त्री रहा था, शासनाध्यक्ष नही बन सका क्योंकि वह जन्म से अमरीका का नागरिक नहीं था। मैं एक व्यक्ति का उल्लेख कर रहा हूं। इसी प्रकार इंग्लैंड में राजा अथवा रानी को ईसाई होना चाहिए। जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन विदेश में रहा है, जिसके दूसरे देशों से सम्बन्ध हैं वह कुछ निश्चित परिस्थितियों के अन्तर्गत ही देश का नागरिक बन सकता है लेकिन उसे देश में महत्वपूर्ण और संवेदनशील पदों पर रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मैंने कथन में अग्रेतर स्पष्ट किया है कि :

> "इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति देश का जन्म से नागरिक नहीं है

और लम्बे समय तक विदेश में रहा है अथवा उसने अपना अधिकांश जीवन विदेश में बिताया है, देश में महत्वपूर्ण पद जैसे राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री आदि का पद धारण न कर सके। तदनुसार विधेयक संविधान में संशोधन करने के लिए है।"

महोदय, मैं इस मुद्दे को और स्पष्ट करना चाहता हूं। प्रत्येक देश की एक आत्मा होती है जिसे मुख्यतया वहां के लोग ही समझ सकते हैं जो वहां पैदा हुए हैं और उस संस्कृति में पले बढ़े हैं। केवल वे व्यक्ति जो सभी परिस्थितियों में देश से तथा वहां की जनता के कल्याण से सम्बन्ध रखते हैं। विधेयक के उद्देश्यों में मैंने उनको स्पष्ट किया है। एक व्यक्ति जो 70 वर्ष तक विदेश में रहा है और जिसने कहीं और जन्म लिया है, लेकिन किन्हीं विशेष परिस्थितियों में इस देश का नागरिक बन गया है। तब भी उसके मन में इस देश और इसके नागरिकों के कल्याण की वह भावनाएं नहीं होंगीं जो उस व्यक्ति के मन में होगी जो यहां पैदा हुआ है और जिसने अपना पूरा जीवन यहां बिताया है।

जहां तक संविधान के मूल ढांचे को बदलने का सम्बन्ध है तो उसके बारे में मेरा कहना है नीति निदेशक तत्वों में भी यह कहा गया है कि राज्य एक आम कानून बनाने का प्रयास करेगा। जो सरकार आज सत्ता में है वह स्वतंत्रता के बाद से अब तक अधिकांश समय तक सत्ता में रही है। अत: यह सरकार भी एक आम कानून लाने में असफल रही है। केवल यही नहीं शाहबानो मामले में नीति निदेशक तत्वों का उल्लघंन करते हुए उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को जीवन-निर्वाह भत्ता देने के लिए कुछ उपबंध करने हेतु संविधान में संशोधन किया है। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तर्क में दम नहीं है। मैं केवल यही बात कहना चाहता हूं।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : महोदय, हम विधेयक प्रस्तुत करने के चरण पर हैं। माननीय सदस्य ने विधेयक की संविधानिक वैधता के बारे में आपत्तियां उठाई हैं। यह तर्क दिया गया है कि इस संशोधन द्वारा विधेयक शक्ति बाह्य हो जाएगा क्योंकि यह संविधान के मूल ढांचों का उल्लंघन करता है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विधेयक में अनुच्छेद 58 में संशोधन करनेकी मांग की गई है जिसमें कहा गया है :

"कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह—

(क) भारत का नागरिक हो,

(ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और

(ग) लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो।"

राष्ट्रपति पद के लिए यह अर्हताएं संविधान की मूल विशेषताएं नहीं हैं। ये अर्हताएं जन प्रतिनिधियों द्वारा बदली जा सकती हैं जो जनता द्वारा चुने गए हैं। यह कार्य संविधानिक संशोधन करके भी किया जा सकता है। संविधान में संशोधन करने के लिए अपेक्षित बहुमत चाहिए लेकिन

वह प्रश्न विधेयक पारित होने के चरण पर आता है। जहां तक संविधान के मूल ढांचे का सम्बन्ध है केशवानन्द भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि नागरिक कौन होना चाहिए। और इस देश का राष्ट्रति कौन चाहिए। इसे विभिन्न माललों कों ऐसे बगं में में नहीं रखा गया है जो संविधान का मूल ढांचा बनाते हैं। उदाहरण के लिए हमारा संघात्मक ढांचा है। यदि हम तानाशाही शासन चाहते हैं और उसके लिए संशोधन करना चाहते हैं तब यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने के समान होगा। मैं इस विधेयक का विरोध करने वाले योग्य सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह केशवानन्द भारती मामले से एक पंक्ति भी उद्धृत करें जिससे यह पता चलता हो कि राष्ट्रपति बनने की अर्हताएं संविधान का मूल ढांचा है। इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। इस बात को और स्पष्ट करते हुए मैं एक और मुद्दे का उल्लेख करना चाहता हूं। यदि हम 35 वर्ष की आयु को घटाकर 25 वर्ष करने या इसे बढ़ाकर 40 वर्ष करने का निर्णय लेते हैं तब उससे संविधान का मूल ढांचा नहीं बदलेगा। यह लोक सभा और राज्य सभा के अधिकार और क्षेत्राधिकार में है कि इस मामले पर संविधान में संशोधन करे। अतः मेरा यह निवेदन है कि केवल यह कह देने से संविधान का मूल ढांचा नहीं बदलता है। इसे केशवानन्द भारती मामले के निर्णय द्वारा साबित किया जाए जो कि इस मुद्दे पर एकमात्र मूल निर्णय है। अतः मेरा निवेदन है पुरः स्थापन के चरण पर ग्राह्यता के नाम पर यह आपत्ति सही नहीं है।

श्री चित्त बसु (बारासाट) : प्रायः गैर-सरकारी विधेयकों को प्रस्तुत करने का विरोध नहीं किया जाता है। प्रायः गैर सरकारी विधेयकों के उद्देश्य के कथन को सदस्य स्वीकार कर लेते हैं। जब भी इस पर चर्चा होती है तो सदस्यों की अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार होता है। लेकिन यहां कुछ परिवर्तन करने की मांग की गई है जो देश के संविधान के मौलिक अधिकार का हनन है। इस मामले में मैं संविधान के अनुच्छेद-13 को उद्धृत करना चाहता हूं। संविधान के अनुच्छेद-13 में कहा गया है—

> "इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं।"

इसके साथ कृपया अनुच्छेद-14 पढ़े जिसमें विधि के समक्ष समता का उल्लेख है।

नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार के मामले में कुछ मतभेद हो सकते हैं। अनुच्छेद-5 के अनुसार जन्म के आधार पर या किसी अन्य आधार पर नागरिकता मिल सकती है लेकिन नागरिक तो नागरिक ही हैं। उन्हें समान अधिकार है। उन्हें विधि के समक्ष समता का लाभ मिलना चाहिए। इसलिए, महोदय, विधेयक में किया गया यह प्रावधान नागरिकों के एक वर्ग और दूसरे वर्ग के बीच अन्तर पैदा करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि नागरिकता के अधिकार विभिन्न तरीकों से प्राप्त किए गए हैं। किसी को जन्म से नागरिकता के अधिकार मिलते हैं तो किसी देश में एक निश्चित अवधि तक रहने के बाद नागरिकता के अधिकार मिलते हैं। जब भी किसी को नागरिकता मिलती है

तो उसे विधि के समक्ष समता का अधिकार भी मिल जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह देश के संविधान के भाग-तीन, जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, हनन है।

माननीय सदस्य ने अमरीका और ब्रिटेन की परम्परा जिक्र किया है। मैं समझता हूं कि वह उनके संविधान का अंग है। ब्रिटेन और अमरीका में कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे देश में लागू नहीं की जा सकती क्योंकि वे हमारे देश के संविधान के अनुरूप नहीं है। इसलिए, महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी व्यवस्था देनी चाहिए और इस विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, चूंकि उन्होंने केशवानंद भारती मुकदमे का उल्लेख किया है इसलिए, मैं यह कहना चाहता हूं····

श्री राम नाईक : महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कैसे कोई विशेष सदस्य जब तब बोलता रहा है।

श्री पवन कुमार बंसल : क्योंकि दूसरे पक्ष के माननीय सदस्य ने मुझे उत्तर देने को कहा है। यही साधारण सा कारण है कि मैं उत्तर देने के लिए बार-बार खड़ा हो रहा हूं अन्यथा मैं ऐसा नहीं करता···(**व्यवधान**)। कृपा मेरी बात सुन लें। दूसरे पक्ष के माननीय सदस्य ने जो कुछ भी कहा है उसका मैंने उत्तर दिया है क्योंकि उन्होंने मेरे पक्ष से स्पष्टीकरण मांगा था। उन्होंने केशवानन्द भारती के मुकदमे के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण देने को कहा था····।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बंसल, आपको एक मौका दिया जाएगा कृपया अन्य माननीय सदस्यों की बात सुनें। आपने एक संवैधानिक मुद्दा उठाया है।

श्री सुधीर सावंत (राजापुर) : महोदय, इस विधेयक को प्रस्तुत करने का उद्देश्य हमने स्पष्ट रूप से समझ लिया है। अब प्रश्न है इस सभा की विधायी क्षमता का केशवानंद भारती के मुकदमें और उसके बाद अन्य मामलों में दिए गए न्यायिक निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी है कि कोई भी प्रावधान जो संविधान के मौलिक ढांचे पर प्रहार करता है, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती और संसद् ऐसा कानून नहीं बना सकती है। अब, यहां यह प्रश्न नहीं है कि अमरीका और ब्रिटेन में क्या किया गया है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने संविधान से स्पष्ट प्रावधान किये हैं और वे भारत के लोगों की आवश्यकता के अनुरूप हैं। संविधान की प्रस्तावना में ही सबसे पहले यह कहा गया है कि : "हम भारत के लोग, भारत को एक····बनाने के लिए," इसलिए हम अमरीका और ब्रिटेन के पूर्वोदाहरण के अनुरूप नहीं चल सकते क्योंकि वहां की परिस्थितियां यहां की परिस्थितियों से पूरी तरह भिन्न हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : वहां भी भारतीय न्यायाधीश और संसद सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं।

श्री सुधीर सावंत : इसके अलावा हमें अपने संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करना

होगा न कि दूसरों के संविधानों द्वारा स्थापित पूर्वोद्धाहरण के अनुरूप। यह हमारा पहला मुद्दा है।

मेरा दूसरा मुद्दा विधायी क्षमता के प्रश्न के बारे में है। इस देश के नागरिक कौन होगा इस सम्बन्ध में अनुच्छेद-5 में स्पष्ट उल्लेख है। अध्याय तीन भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। अनुच्छेद-14 में कहा गया है :

> "राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।"

अनुच्छेद-15 में भी कहा गया है :

> "राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।"

इसलिए यह इस मुद्दे को और भी स्पष्ट करता है। इसलिए हम किसी भी व्यक्ति के साथ केवल जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। इस सम्बन्ध में संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। कोई भी कानून या विधेयक जिसे प्रस्तुत किया जाना है और जो देश के किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार को प्रभावित या संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार करता है और इस मुद्दे से अलग है वह संविधान के क्षेत्र से बाहर है। इसलिए इस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसका कारण यह है कि इस विशेष मामले में संसद को विधान बनाने की शक्ति नहीं है।

श्री राम नाईक : महोदय पहला और मुख्य कारण यह है कि यह गैर-सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्य का दिन है। यह परम्परा रही है कि गैर-सरकारी विधेयकों का प्रस्तुत होने के समय विरोध नहीं किया जा सकता है। विधेयक के प्रस्तुत होने के बाद हम इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार कर सकते हैं। इस सभा की यह परम्परा रही है कि गैर-सरकारी विधेयकों का विरोध प्रस्तुति के चरण में नहीं किया जाता है।

दूसरी बात यह कि पिछले सप्ताह सरकार ने अराधना स्थल सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत किया था जिस हमने काले विधेयक की संज्ञा दी थी और उसे अपने सुनहरा विधेयक माना।

जब यहां पर मुद्दे उठाए गए थे तो उस पर चर्चा हुई। अध्यक्ष महोदय ने यह विनिर्णय दिया था कि विधेयक की संवैधानिक वैधता के सम्बन्ध में वह निर्णय नहीं देंगे। यह कार्य उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों का है। इसलिए इसका निर्णय माननीय अध्यक्ष द्वारा नहीं किया जाएगा—यही अध्यक्ष महोदय का विनिर्णय है—इसकी संवैधानिक वैधता के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाएगा।

4.00 म० प०

पिछले सप्ताह ही अध्यक्ष महोदय ने यह विनिर्णय दिया था। यह विगत सप्ताह अध्यक्ष

महोदय द्वारा दिया गया विनिर्णय है और यह परम्परा रही है कि गैर-सरकारी विधेयकों का विरोध नहीं किया जाता है। इसलिए इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय सदस्य द्वारा लगाई गई आपत्तियों को आप रद्द कर दें। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : अब चर्चा नहीं होगी। आपने अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं।

(**व्यवधान**)

श्री पवन कुमार बंसल : पूरे सम्मान के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि केशवानंद भारती के मामले में संविधान के कुछ तथ्यों और पहलुओं की चर्चा की गई है, इसमें पूरे संविधान की समीक्षा करके यह नहीं बताया गया है कि अमुक बातें इसकी बुनियादी ढांचा है और अमुक नहीं है। जब मैंने यह कहा था कि यह संविधान के बुनियादी ढांचे के विरुद्ध है तब मैं नागरिकता और संविधान के अनुच्छेद-15 के सम्बन्ध में कह रहा था कि राज्य, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के बीच कोई भेद-भाव नहीं करेगा और इस मामले का जब माननीय सदस्य श्री राम नाईक पिछले सप्ताह उल्लेख कर रहे थे तो वह यह भूल गए कि यहां एक ऐसा ही मामला है जो इस मुद्दे पर संविधान का उल्लंघन कर रहा है। कुछ ऐसे प्रावधान हैं। जो इस विधेयक को प्रस्तुत करने से प्रभावित नहीं हुए है। यदि वह उन प्रावधानों में भी सशोधन लाने का विचार रखते—शायद श्री राम नाईक का ठीक ही विचार था—तो मैं इस समय इसका विरोध नही करता। तकनीकी आधार की मैं बात कर रहा हूं—कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनका जिक्र भी नहीं किया गया और जबकि उन प्रावधानों में संशोधन लाने की मांग नहीं की गई है तो कुछ अन्य और प्रावधानों में भी संशोधन नहीं कर सकते। मैं इस बात के गुण दोष की चर्चा नहीं करने जा रहा हूं कि कुछ देश हैं जहां भारतीय जन्म से ही रह रहे हैं और वे अति महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रहे हैं। मैं इस पहलु पर चर्चा नहीं करने जा रहा हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय पर इस बात का क्या प्रभाव पड़ेगा कि भारत एक संकीर्ण विचार धारा वाला देश बन रहा है। मैं उन बातों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं केवल तकनीकी पहलु की बात कर रहा हूं और केवल उन्हीं पहलुओं के सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि इस विधेयक पर आपत्ति की जानी चाहिए और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि केशवानंद भारती केस के जमाने के बाद किसी को भी वेसिक इंसट्रक्चर को खत्म करने का अधिकार नहीं है। उसके विरोध में जो लोग प्राइवेट मेम्बर बिल नाथपाई साहब के विधेयक के समर्थक थे, वे लोग भी आज बुनियादी ढांचे में हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते। जब उनके मुंह से इसकी वकालत हो रही है तो कम से कम मुझे खुशी हो रही है जो उसके विरोध में 19 महीने मायूसी में जेल में काटे है, जिन लोगों के द्वारा। इसके साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि निजी सदस्यों द्वारा विधेयक प्रस्तुत करने का जो इस सदन में अधिकार है उस अधिकार को कुछ कानूनी नुक्तों के जरिए रोकने का प्रयास किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हमारा जो स्वतंत्र रूप से काम करने का तौर-तरीका है वह बाधित होगा। इसलिए मेरे विचार से इस पर बहस करके इनकी मेजोरिटी को ये डाउन कर सकते हैं, लेकिन जो निजी सदस्यों का प्राइवेट मेम्बर बिल प्रस्तुत करने का अधिकार है उसको किसी तरह से रोका नहीं जाना चाहिए, उसकी अनुमति दी जानी चाहिए। इसी तरह का एक विधेयक मैंने भी प्रस्तुत किया है जो 13 तारीख को इनलिस्ट हुआ है वह इंट्रोड्यूस होने वाला है। इसलिए मुझे आचम्भा है कि उसमें भी इस तरह की आपत्ति की जाएगी। रिजनल डिसक्रिमिनेशन करने का पालियामेंट को अधिकार है और दुनिया में ऐसी स्थिति आ गई है कि दुनिया की विदेशी शक्तियां हमारे हर अन्दरूनी मामले में दखलअन्दाजी करने लग गई हैं। इसमें जो देश के शीर्षस्थ पद हैं राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री और उपराष्ट्रपति, ये शीर्षस्थ पद भारतीय लोगों का होना ही चाहिए। यह हर देशभक्त का कर्तव्य और राय होनी चाहिए।

इसलिए श्रीमान्, मैं आपसे अनुमति चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने की कृपया इजाजत दी जाए।

श्री शरद दिघे (मुम्बई-उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्य रूप से प्रक्रिया संबंधी मामला है। जहां तक इस मुद्दे का संबंध है, किसी भी विधेयक का उसकी विधायी सक्षमता के आधार पर प्रस्तुत होने के समय ही विरोध किया जा सकता है। ठीक है, यह विनिर्णय दिया गया है कि विधायी सक्षमता के बारे में पीठासीन अधिकारी अथवा इस सभा द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता है। लेकिन यदि इस पक्ष के सदस्य यह महसूस करते हैं कि इस विधेयक को पारित करने की विधायी सक्षमता इस सभा में नहीं है तो वे बेशक इस विधेयक की प्रस्तुति का विरोध कर सकते हैं। सदस्यों को पूरा अधिकार है कि वह इस विधेयक का विरोध करें। कुछ लोग परम्परा की बात करते हैं। लेकिन एक नियम है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि किसी भी विधेयक का प्रस्तुति के समय ही विरोध किया जा सकता है। इसलिये, यदि कोई परम्परा है भी तो वह उन लिखित नियमों पर हावी नहीं हो सकती जिसे इस सभा ने बनाया है। इसलिए इस सभा को पूरा अधिकार है कि वह किसी भी विधेयक का उसके प्रस्तुति के समय ही विरोध करे।

इसलिए, प्रक्रिया यह होनी चाहिए आप उपाध्यक्ष होने के नाते इसकी विधायी सक्षमता के बारे में निर्णय नहीं कर सकते और न यह सभा ही इस संबंध में निर्णय ले सकती है। लेकिन जो यह महसूस करते हैं कि इस सभा के पास कोई विधायी सक्षमता नहीं है तो उन्हें यह अधिकार है कि वह इस विधेयक के प्रस्तुत होने का ही विरोध करें।

सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव किया गया है कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए और उसके बाद प्रस्ताव को मत-विभाजन के लिए रखा जाएगा। जिन्हें ऐसा लगता है कि सभा के पास इस संबंध में विधायी सक्षमता नहीं है तो वे इसका विरोध कर सकते हैं कोई परम्परा नहीं है मैंने पहले ही कौल और शकधर की पुस्तक 'संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार' का जिक्र किया है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस आधार पर तो बहुमत वाला दल हमें कोई अधिकार नहीं देगा कि हम कोई विधेयक पेश कर सकें। इस तरह से तो से तो पुरःस्थापित करते समय ही विधेयक को समाप्त कर दिया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे : कौल एवं शकधर द्वारा लिखित पुस्तक के पृष्ठ 478 में कहा गया है :

> **"लोकसभा में यह स्वीकृत प्रथा है कि कोई विधेयक संवैधानिक रूप से विधायी सक्षमता के अन्तर्गत है या नहीं ऐसे व्यवस्था के प्रश्न पर अध्यक्ष अपना विनिर्णय नहीं देते। सभा भी किसी प्रश्न विशेष पर विधेयक की वैधता के बारे में कोई निर्णय नहीं दे सकती है। उस मामले में पक्ष और विपक्ष में विचार व्यक्त करना सदस्यों एवं समय पर निर्भर करता है। सदस्य प्रस्ताव पर मत विभाजन के दौरान इस पहलु पर ध्यान देते हैं। वे सदस्य जो यह महसूस करते हैं कि यह सभा की विधायी सक्षमता से बाहर है तो वे प्रस्ताव के विरोध में या उसकी प्रस्तुति के विरोध में अपना मत दे सकते हैं और उनके अलावा और कोई इस संबंध में कोई निर्णय नहीं ले सकता।" (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह वाद-विवाद नहीं है। हमें संवैधानिक स्थिति क्या है यह देखना होता है। श्री अहमद एक मिनट।

श्री ई० अहमद : (मंजेरी) : सबसे पहले मैं अपने सहयोगी श्री पवन कुमार बंसल द्वारा व्यक्त विचारों का समर्थन करता हूं। यहां वैधानिक सक्षमता पर विचार करना होगा। उनके अनुसार इस विधेयक पर सभा इसलिए चर्चा नहीं कर सकती क्योंकि यह इसकी वैधानिक सक्षमता के दायरे से बाहर है जैसा कि हमारे माननीय मित्र ने बताया है मुझे एक बात और कहनी है। भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 16 में मूल अधिकारों सम्बन्ध में कहा गया है :

16. (1) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।

(2) कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा या उससे विभेद नहीं किया जाएगा।

यहां प्रस्तावित विधेयक में मेरे विद्वान मित्र ने कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करने की मांग की है। अनुच्छेद 58 के अतिरिक्त उन्होंने अनुच्छेद 75, 76, 89, 93, 124 और इसी प्रकार अन्य प्रावधानों का भी उल्लेख किया है। यहां प्रधान मंत्री अथवा किसी मंत्री के रूप में किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति और सरकार द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति तथा अनुच्छेद 33

के अन्तर्गत इस सभा के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव पर विचार किया जा सकता है।

इसलिए, उस विधेयक द्वारा जिसके द्वारा मेरे विद्वान मित्र ने संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन की मांग की है, इस माननीय सभा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसलिए इसके द्वारा किसी पद पर अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी पद पर नियुक्ति में इसके द्वारा न केवल नागरिकों में भेद-भाव बरता जाता है बल्कि इससे इस सभा के सदस्यों के अधिकार छिन जाते हैं। अतः वास्तव में इसके द्वारा संविधान की मौलिक संरचना में संशोधन की मांग की जा रही है जोकि मेरे अनुसार वैध नहीं है। लेकिन, मेरे विचार में कोई विधेयक इस सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है अथवा नहीं और उस पर चर्चा की जा सकती है या नहीं इसका निर्णय आपको करना है इसलिए इस विधेयक को इस आधार पर अस्वीकृत कर देना चाहिए कि इससे एक वर्ग के नागरिकों और दूसरे वर्ग के नागरिकों के बीच भेदभाव उत्पन्न होता है और इससे इस सभा का अधिकार छिन जाता है। इसलिए यह विधेयक प्रारंभ से ही अमान्य है और इसे पुरःस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह वाद-विवाद का रूप धारण करता जा रहा है।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : चूंकि कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इसलिए इस पर वाद-विवाद होने दीजिए। वाद-विवाद करने में क्या खराबी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इससे जुड़े मुद्दे पहले ही प्रकाश में आ चुके हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी चार दिन पहले यहां पूजा स्थल के मामले पर एक विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा था। उसके बारे में भी यह प्रश्न उठाया गया था कि उसे प्रस्तुत किया जाना रोका जाये। माननीय अध्यक्ष जी ने रूलिंग दे दी कि यह लेजिस्लेशन की बात हम नहीं तय करेंगे। यह तय करने वाले दूसरे हैं। जब वे बिल लाये तो उनको इंट्रोडक्शन के लिए अनुमति दी गयी। मेरा अनुरोध है कि इसको प्रस्तुत किया जा रहा है तो अनुमति दी जानी चाहिए।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं समझता हूं कि मुझे श्री पाण्डेय और श्री दीघे के इस कथन से सहमत हो जाना चाहिए कि यह सही है कि इस सभा की विधायी सक्षमता पर अथवा विधेयक के संवैधानिक वैधता के प्रसंग पर अध्यक्ष पीठ द्वारा कोई विनिर्णय नहीं दिया जा सकता है। लेकिन

निश्चित रूप से इसका उल्लेख कर दिया गया है और अध्यक्ष महोदय ने अध्यक्ष पीठ से इसका उल्लेख किया है और यह विनिर्णय दिया है कि जब विधेयक का पुरःस्थापन हो तो मतदान द्वारा अथवा अन्य तरीके से अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करते समय माननीय सदस्य विधायी सक्षमता और और संवैधानिक मान्यता की बात को ध्यान में रखेंगे। फिर भी वास्तविक समस्या विधेयक पुरःस्थापित करने अथवा नहीं करने की नहीं है। यहां कुछ महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे उठाए गए हैं ······· **(व्यवधान)** यदि व्यवहार करने का यही तरीका है तो मैं सभा में नहीं बोलूंगा। यदि माननीय सदस्य खड़े हो कर मुझे अपनी बात समाप्त करने के लिए कहें तो मैं अपनी बात समाप्त करने के लिए तैयार हूं। इतना ज्यादा सोर करने से सभा का मान नहीं बढ़ता है। व्यवहार करने का एक तरीका होता है: मुझे बहुत दुःख है। सभा में शिष्टचार बरतनी पड़ती है जो दिन प्रति दिन क्षीण होता जा रहा है। मैं नहीं जानता हूं कि क्यों हम शिष्टाचार खो रहे हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय बोल रहे हैं। ऐसी परम्परा रही है कि यदि कोई सदस्य कुछ कहना चाहते हैं तो उन्हें खड़ा होना पड़ेगा। यदि मंत्री महोदय अपनी बात समाप्त करते हैं फिर उन्हें बोलने का अवसर मिल सकता है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री कुमारमंगलम जी से भाषण जारी रखने का अनुरोध करता हूं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : आमतौर पर परम्परागत रूप से हम गैर-सरकारी विधेयकों के पुरःस्थापन का विरोध नहीं करते हैं। लेकिन खासकर इस विधेयक में यह बताया गया है कि यदि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 पर विचार किया जाए तो इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों की पूर्ति नहीं होगी। यह बहुत ही स्पष्ट है कि ऐसे नागरिक जिन्हें जन्म से नागरिकता प्राप्त नहीं है और जो नागरिक बन गए हैं, जो आम तौर से भारत के निवासी नहीं हैं उन्हें अनुच्छेद 5 के अन्तर्गत नागरिक नहीं माना जा सकता। सबसे पहले भारत का नागरिक होने के लिए आमतौर पर आपको भारत का निवासी होना पड़ेगा। अब यदि प्रस्तावना पर ध्यान दिया जाये············ **(व्यवधान)** आप या तो माननीय सदस्य को उचित रूप से व्यवहार करने के लिए कहें या हमें यह चर्चा बन्द कर देनी चाहिए। माननीय सदस्य सभा में अनुचित व्यवहार कर रहे हैं।············ **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पहले मंत्री जी अपने मंत्रियों को ठीक से अपने स्थान पर स्थापित करें तो हमें कोई ऐतराज नहीं होगा क्योंकि ये कह रहे हैं** **(व्यवधान)**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल

** अध्यक्षपीठ के अदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : आप ऐसे मत बोलिए। वे इस सदन की मेम्बर नहीं हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल देंगे। कृपया उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए ।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, सभा के समक्ष मुद्दा यह नहीं है कि यह संवैधानिक मान्य है अथवा नहीं बल्कि निश्चित रूप से लोगों के लिए यह निर्णय लेना प्रासंगिक है कि वे इन विधेयक की पुरः स्थापन की अनुमति दें अथवा नहीं। जो संशोधन लाया गया है उससे इस विधेयक की पूर्ति नहीं होती है। निश्चित रूप से विभिन्न प्रावधानों के बीच विरोधाभास हैं··· **(व्यवधान)**···

श्री राम नाईक · महोदय माननीय मंत्री महोदय इस विधेयक के गुणों और अवगुणों का अध्ययन कर रहे हैं यद्यपि इस स्तर पर यह कार्य करना उनसे अपेक्षित नहीं है। अब संशोधन के अनुसार उनके उद्देश्यों की पूर्ति होती है अथवा नहीं ये बात चर्चा करते समय स्पष्ट हो सकती है। मैं नहीं जानता हूं कि इसे स्वीकार किया जायेगा अथवा नहीं लेकिन वे इस विधेयक के गुणों का अध्ययन कर रहे हैं, नियमानुसार जिसकी अनुमति नहीं है ।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने इस विधेयक के सम्बन्ध में और यहां व्यक्त किए गए विचार के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय को सरकार की स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था। अतः सरकार की स्थिति स्पष्ट करते समय उन्हें इस विधेयक के उपबन्धों की व्याख्या करनी पड़ सकती है। अतः उनकी व्याख्या करने में कोई हर्ज नहीं है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, मैं उनसे सहमत हूं। मैं इस विधेयक के गुणों का अध्ययन कर रहा था। जैसा कि मैंने कहा कि यह बात यहां प्रासंगिक नहीं है कि यह विधेयक संवैधानिक रूप से मान्य है या विधायी रूप से सक्षम है अथवा नहीं लेकिन, निश्चित रूप से यह मार्गदर्शी सिद्धान्त है। लेकिन इस समय महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं। अध्यक्षपीठ से मेरा अनुरोध है कि अनावश्यक रूप से हम परम्परा का उल्लंघन नहीं करें। इस मुद्दे पर यहां मतदान कराने की जगह यदि हम बाहर आपके कक्ष में इस मुद्दे पर चर्चा कर इसका समाधान करें तो यह ज्यादा बहतर होगा। यह पुरः स्थापन की परम्परा, जिसका कि विरोध नहीं किया जाता है, में परिवर्तन करने का मुद्दा है। मैं उनसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इसका विरोध नहीं हो तो उचित होगा। यदि ऐसा नहीं होता है और विधेयक के प्रस्तुतकर्ता आज ही विधेयक के पुरःस्थापन पर जोर डालते हैं तो ठीक है हम तद्नुसार ही निर्णय लेंगे।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : उपाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि अभी चार दिन पहले पूजा स्थलों के विषय में इसी प्रकार का एक विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया था, जब विधेयक प्रस्तुत किया जाने वाला था तो इसी प्रकार की कानूनी आपत्ति उठायी गयी थी। उस समय यह कहा गया

था कि हम विधेयक को, बिल को लाना चाहते हैं, बिचार के समय आपत्ति करें और अत: विधेयक को प्रस्तुत करने दिया जाये। आज मेरी समझ में नहीं आता कि जब विधेयक की प्रतियां वितरित की गई तो गवर्नमेंट की नौलेज में सब कुछ था, फिर गवर्नमैंट क्या इस तरह हमारे अधिकारों को करटेल करना चाहती है और विपक्ष की ओर से यदि कोई विधेयक आता है तो क्या उसे यहां प्रस्तुत भी नहीं करने दिया जाएगा।····(**व्यवधान**)···अगर इन्हें विरोध ही करना है तो ये विरोध करें लेकिन मैं समझता हूं कि विधेयक को प्रस्तुत करते समय कोई विरोध नहीं होना चाहिये। ·······(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं कार्यवाही आगे बढ़ाता हूं। विधेयक के गुणों के सम्बन्ध में अध्यक्षपीठ द्वारा निर्णय नहीं किया जाता है। प्रस्ताव पर मतदान करते समय माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों पर ध्यान देना माननीय सदस्यों के ऊपर निर्भर है। अब मैं इसे मतदान हेतु रखता हूं।

(**व्यवधान**)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, कृपया जरा रुकिये। मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे इसके पुर:स्थापन हेतु दबाव डाल रहे हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि वे अभी इस पर दबाव न डालें। यदि मेरे अनुरोध करने के बाद भी वे इस पर दबाव डाल रहे हैं तो मैं इसका कारण जानना चाहूंगा। क्योंकि मुझे बताया गया था कि यदि मैं अनुरोध करूं तो वे इसके लिए जोर नहीं डालेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इसके लिए अब भी दबाव डालेंगे ?

श्री रंगराज कुमारमंगलम : या फिर आप अगामी सप्ताह में इसे प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री विश्वनाथ शर्मा : यहां इस प्रकार की प्रतिक्रिया को देखकर मैं हैरान हूं। मैं नहीं जानता हूं कि यह चर्चा का मुद्दा क्यों बन रहा है। मेरे मन में किसी व्यक्ति के प्रति कोई बात नहीं थी। यह उनकी आत्मग्लानी है। (**व्यवधान**)·······

श्री पवन कुमार बंसल : मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह आपके पक्ष का ही कोई व्यक्ति है। (**व्यवधान**)·······

श्री विश्वनाथ शर्मा : महोदय, इसके अतिरिक्त मेरी आपत्ति यह है (**व्यवधान**)·· ····

उपाध्यक्ष महोदय : विश्वनाथ जी, आपके समक्ष प्रश्न यह है कि क्या आप मतदान कराना चाहते हैं ? आपने अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से कह दी है।

श्री विश्वनाथ शर्मा : मेरा स्पष्टीकरण यह है कि मैं नागरिकता प्राप्त करने के विरुद्ध हूं। भारतीय माता-पिता के किसी संतान का जन्म अमेरिका या आस्ट्रेलिया में होता है तो भी वह भारतीय ही रहेगा। मैं इस पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूं। खतरा तो नागरिकता प्राप्त करने

में है। उनके मन में किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए (**व्यवधान**) महोदय मैं इस बात के लिए जोर डाल रहा हूं। मुझे विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये। ......(**व्यवधान**)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, चूंकि माननीय सदस्य इस पर जोर डाल रहे हैं और चूंकि गैरसरकारी सदस्यों के विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करने की परम्परा नहीं रही है इसलिए इस विधेयक की संवैधानिक वैधता और विधायी सक्षमता के सम्बन्ध में घोर आपत्ति होने के बावजूद भी मैं अनुरोध करूंगा कि पूरी सभा सर्व सम्मत्ति से इस विधेयक के पुरःस्थापन की अनुमति प्रदान करे।

श्री चित्त बसु : मैं भी माननीय मंत्री जी के विचारों का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीकान्त जेना : हम सब भी यह बात ही कह रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री विश्वनाथ शर्मा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

4.24 म० प०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक* (धारा 36 में संशोधन)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

* दिनांक 30-8-1991 के भारत के असाधारण, राजपत्र भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

4.24½ म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक* (आठवीं अनुसूची का संशोधन)

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री गुमान मल लोढा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

4.25 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक* (अनुच्छेद 48, इत्यादि का संशोधन)

श्री गुमानमल लोढा (पाली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री गुमानमल लोढा : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

4.25½ म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक अनुच्छेद 311 में संशोधन*

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

* दिनांक 30-8-91 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुधीर गिरि : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

4.26 म० प०

श्रमजीवी महिला कल्याण विधेयक*

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि विभिन्न उद्योगों और स्थापनाओं में नियोजित महिलाओं के कल्याण के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विभिन्न उद्योगों और स्थापनाओं में नियोजित महिलाओं के कल्याण के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

———

4.26½ म० प०

मातृ वंशावली विधेयक*

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि किसी की वंशावली उसके मातृपक्ष से जानने के अधिकार का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

* दिनांक 30-8-1991 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि किसी की वंशावली उसके मातृपक्ष से जानने के अधिकार का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

————

4.27 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक* (अनुच्छेद 371 में संशोधन)

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

————

4.27½ म० प०

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक* (अनुसूची में संशोधन)

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित

* दिनांक 30-8-91 के भारत के असाधारण, राजपत्र भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापिन करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री के० वी० थामस : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

4.28 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक* (नए अनुच्छेद 31 का अन्तःस्थापन)

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुधीर गिरि : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

———

4.28½ म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक* (अनुच्छेद 29, इत्यादि में संशोधन)

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* दिनांक 30-8-1991 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

श्री सुधीर गिरि : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

4.29 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 356 में संशोधन)

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुधीर गिरि : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

4.30 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 81 इत्यादि में संशोधन)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम नाईक : महोदय, मैं विधेयक को वापस लेता हूं।

———

4.31 म० प०

शिशु खाद्य और पोषण बोतल (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन विधेयक)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 2 अगस्त, 1991 को श्री राम नाईक द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित

* दिनांक 30-8-1991 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

प्रस्ताव पर आगे विचार करेगीं :

"कि स्तन पोषण के संरक्षण और संवर्धन की दृष्टि से शिशु खाद्य और पोषण बोतलों के उत्पादन, प्रदाय और वितरण कि विनियमन का और उनसे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री राम नाईक।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिशु खाद्य और पोषण बोतल (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक जो मैंने प्रस्तुत किया है और जिस पर 2 अगस्त को थोड़ी-सी बहस प्रारम्भ हुई थी, उसे मैं आगे चलाना चाहता हूं। दो अगस्त को लगभग एक महीना हो गया है, तब मैंने इसके बारे मे कुछ निवेदन किया था। उसका मैं अभी संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा माननीय सदस्यों और माननीय मंत्री महोदया की जानकारी के लिए। मां और बच्चे का एक ऐसा रिश्ता है जो कि एक खून से और एक शरीर से पैदा हुआ और इसलिए मां और बच्चे के रिश्ते को बनाए रखने की दृष्टि से और अन्य दृष्टिकोणों से भी यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं अपने आपको भाग्यवान समझता हूं कि यह बिल आज यहां पेश करने का मौका मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का मुख्य उद्देश्य यह है कि महिलाएं अपने बच्चों को दूध और खाद्य अपने स्तनों के जरिए दें और उसमें ही बच्चे और मां का हित है। शिशु खाद्य के नाम पर आज बाजार में जिस प्रकार की अलग-अलग चीजें आ रही हैं, उससे बच्चे का और साथ ही साथ मां के शरीर पर और आरोग्य पर एक बड़ा आघात पहुंचता है। उसको रोकने का प्रयास मैं इस विधेयक के जरिए करना चाहता हूं। यह कोई मेरी नई खोज नहीं है बल्कि वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन में 1981 की कान्फ्रेंस में इसके बारे में प्रस्ताव पारित हुआ। उस कान्फ्रेंस में अपनी पूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी भी गई थी। उन्होंने वहां पर की नोट एड्रैस किया और कहा कि सारी दुनिया में इस प्रकार के कानून बनाने की आवश्यकता है। इसके बाद डब्ल्यू० एच० ओ० ने इस प्रकार का प्रस्ताव भी किया और उसके बाद भारत सरकार ने दिसम्बर 1983 में उस कोड़ को स्वीकार किया। हम यह चाहते थे कि जब भारत सरकार ने दिसम्बर 1983 से उस कोड को स्वीकार किया तो उसको कानून में परिवर्तन करने का प्रयास सरकार करेगी लेकिन दुर्भाग्य से यह काम जिस गति से होना चाहिए था, नहीं हुआ यानी कछुआ भी तेज गति से चल सकता है, ऐसा काम हुआ। अन्त में 18 दिसम्बर 1986 को राज्य सभा में भारत सरकार ऐसा विधेयक लायी और उसको पारित किया। मैंने पहले भी कहा था कि यह संयोग की बात है कि उस समय मानव संसाधन मन्त्री राव साहब थे और सौभाग्य से या संयोग से वह आज इस देश के प्रधान मन्त्री हैं। और जो बिल उन्होंने उस समय पर लाया, राज्य सभा ने उसको पारित किया लेकिन राज्य सभा से जब लोक सभा में आया तो दुर्भाग्य से कहिए, उस समय पर लोक सभा ने बिल को विचार में नहीं लिया, वह बिल

पारित नहीं किया और आठवीं लोक सभा जब समाप्त हुई, उस विधेयक पर चर्चा न होते हुए ऐसे ही वह विधेयक रह गया और स्वाभाविक तौर पर वह विधेयक आठवीं लोक सभा के साथ ही समाप्त हो गया, लैप्स हो गया।

बाद में नौवीं लोक सभा में गए समय पर, इस समय जो बिल मैं लाया हूं, वैसा ही विधेयक मैं तब भी लाया था और आज जैसे बैलट में आ गया और चर्चा प्रारम्भ हुई तो उस समय भी वह बैलट में आया था लेकिन चर्चा नहीं हो पाई। बाद में चन्द्रशेखर जी की सरकार आई और चन्द्रशेखर जी की सरकार ने जनवरी, 1991 में इस प्रकार का विधेयक लोक सभा के सामने प्रस्तुत किया लेकिन हम जानते हैं कि चन्द्रशेखर जी की सरकार भी गई और इसलिए उनकी सरकार ने लोक सभा में जो विधेयक प्रस्तुत किया था, वह लैप्स हो गया। जिसके कारण आज मैं दोबारा यह विधेयक इस सभा गृह के सामने ला रहा हूं, इस आशा के साथ कि 1981 में वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन ने यह प्रस्ताव किया था कि ऐसे विधेयक सारी दुनिया में बनने चाहिए। अब 1981 से 1991 आ गया, 10 साल हो गए, जिस वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन में माननीय प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी ने प्रस्ताव रखा है, कि नोट एड्रैस किया, उसको विधेयक बनाने में इस देश को 10 साल लगे।

मुझे लगता है कि यह देश के लिए शोभा की बात नहीं है। आज यदि यह विधेयक आप मंजूर करते हैं तो एक दृष्टि से इन्दिरा जी की जो आकांक्षा थी, विचार था, उसको भी क्रियान्वित करने का लाभ सरकार को मिल सकता है, कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है और उसका लाभ उन्हें उठाना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है।

इस विधेयक का सबसे बड़ा मुद्दा कौन-सा है? इस विधेयक का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमारे यहां जो बच्चों की मौतें होती हैं; जो मोर्टेलिटी रेट है वह बहुत ज्यादा है। मोर्टेलिटी रेट पर जाने के पहले मैं एक बात यहां बता दूं कि जैसे वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन ने इसके बारे में प्रस्ताव किया है और दुनिया के अलग-अलग संगठन हैं जैसे यूनिसेफ है, इण्टरनेशनल पीडियाट्रिक एसोसिएशन है, हिन्दुस्तान में भी जो इण्डियन एकेडेमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, इण्टरनेशनल फैडरेशन ऑफ गाइनाकोलोजी है, इण्डियन मैडीकल एसोसिएशन है, वालेण्टरी हैल्थ आर्गेनाइजेशन ऑफ इण्डिया है और एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर्स एक्शन फॉर सेफ्टी हैल्थ है, इस प्रकार की कई संस्थाओं ने बार-बार समय-समय पर मांग की है कि यह कानून बनना चाहिए और इस मांग को लेकर विचार करना चाहिए।

माता के दूध का अलग से एक महत्व है। अमृत से भी उस दूध का महत्व ज्यादा है, क्योंकि, जो अमृत पीता है, वह केवल उसको जीवन देता है लेकिन मां का दूध बच्चे के लिए लिए अमृत से भी अधिक महत्व का है, आरोग्य की दृष्टि से भी। बच्चा जो पैदा होता है तो वह मां के शरीर से पैदा होता है इसलिए मां का जो दूध है वह उसको जब मिलता है।

[अनुवाद]

मां और बच्चा जैविक प्राणी हैं।

[हिन्दी]

बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित खाद्य होगा तो मां का दूध होता है, उससे कोई इन्फैक्शन होने की सम्भावना नहीं होती। मां की तबियत अच्छी है तो बच्चे की तबियत भी अच्छी है और बच्चे के आरोग्य की दृष्टि से भी यह बहुत सुरक्षित, बहुत आवश्यक है।

मैं तो मानता हूं कि जिस बच्चे को मां का दूध नहीं मिलता है वह बड़ा अभागा बच्चा होता है और जो मां अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती है या नहीं पिलाती है तो वह भी एक अभागी मां ही है। जो अपने बच्चों को उसका दूध पिलाने का दायित्व है, वह मातृत्व का है। इसमें यह बात जरूर है कि कुछ मां ऐसी होती हैं कि शारीरिक प्रकृति के कारण उसके स्तनों में दूध नहीं आता है तो वह न दे, उस स्थिति में दूसरा खाद्य बच्चों को दिया जाए। लेकिन जिस मां का दूध आता हो उस मां को अपने बच्चे को दूध देना चाहिए। आज बाजार में शिशु खाद्य के नाम पर जो चीजें मिलती हैं वे इतनी महंगी हैं कि सामान्य परिवार के लोग उनको नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि आर्थिक दृष्टि से वह बहुत महंगी होती हैं और बाजार में जो दूध पिलाने के लिए बोतलें मिलती हैं उनका नीपल भी अच्छा नहीं होता है। इन सारी बातों को देख कर मुझे लगता है कि हमें यहां कानून बनाना चाहिए।

मैंने इनफेंट मोटलिटी की चर्चा की थी, मुझे कोई फिगर प्राप्त नहीं हो सकी, लेकिन मैंने जानकारी लेने की कोशिश की तो 1986 की फीगर मुझे मिली और इस फिगर में हिन्दुस्तान में यह बताया गया है कि रोज 63,000 बच्चों का जन्म होता है, लेकिन उनमें से सात हजार बच्चों की एक साल पूरे होने के पहले ही मृत्यु हो जाती है। 63,000 बच्चों में से सात हजार बच्चों की एक साल से पहले ही मृत्यु हो जाती है। (व्यवधान) यह 11 प्रतिशत होता है। दुनिया के बाकी दूसरे देशों का इनफेंट मोटेलटी का रेट 2, ढाई परसेंट और ज्यादा तीन परसेंट है, जिसको हम देख सकते हैं और सोच सकते हैं, इस तरह से कितने बच्चों की मृत्यु हो रही है। एक बच्चे की मृत्यु होने से माता-पिता की वेदना और परिवार की कठिनाइयां किस प्रकार से होती हैं, इन सारी बातों को देख कर ये जो इनफेंट मोटेलिटी है उसको दूर करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए।

इस इनफेंट मोटेलीटी में जो सबसे ज्यादा मृत्यु होती है, यह मृत्यु बच्चों को डायरिया होने के कारण कारण होती है और इसका कारण यह है कि बच्चों को अपनी मां का दूध नहीं मिलता है, अच्छा दूध नहीं मिलता है और अगर कोई मां बीमार हो, दूध में जो खराबी आती है यह भी हो सकता है। लेकिन डायरिया को यदि दूर करना है तो उसके लिए यह जरूरी है कि मां सशक्त बने और सशक्त मांग के जरिए बच्चों को उनके स्तनों के जरिए दूध दिया जाए, तो इस डायरिया पर, इनफेंट मोटेलिटी पर हम रोक लगा सकते हैं, इस प्रकार से काम करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं समझता हूं। ऐसा क्यों होता है, यह इसलिए होता है क्योंकि मुख्यतः महिलाओं में सौन्दर्य की जो कल्पना बन रही है उसमें मांग को लगता है कि अपना शारीरिक सौन्दर्य बना कर रखना है तो हमें अपने बच्चों को अपने स्तनों के जरिए दूध नहीं पिलाना चाहिए। यह सौन्दर्य की जो गलत धारणा बन रही है, उसी के कारण यह सब बातें हो रही हैं और सारी दुनिया में इस प्रकार से दिखाई दे रहा है।

हिन्दुस्तान में जब फीगर्स निकाली गई तो उसमें से यह जानकारी मिली है कि वर्ल्ड हैल्थ आर्गनाइजेशन द्वारा एक सर्वे हुआ है कि जितनी महिलाएं ज्यादा शिक्षित हैं उतनी महिलाएं अपने बच्चों पर अन्याय करती हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है कि जितनी शिक्षा हम लोगों को ज्यादा देंगे उतना ही उनमें अज्ञान दूर होगा, लेकिन इस विषय में उल्टा हो रहा है। जितनी महिलाएं पढ़ी-लिखी हैं वे सोचती हैं कि इनफेंट फूड अच्छा है इसको दे देंगे तो हमारा सौन्दर्य अच्छा रहेगा।

ऐसा नहीं है कि मां अपने बच्चों को प्यार नहीं करती है, लेकिन गलत धारणा बन गई है और यह गलत धारण वही है कि वर्ल्ड हैल्थ आर्गनाइजेशन, हिन्दुस्तान का जो उन्होंने सर्वे किया है उससे ऐसा लगता है कि शहरों में जो उच्च वर्ग की सबसे ज्यादा महिलाएं हैं उनमें से 80 प्रतिशत महिलाएं अपने बच्चों को स्तनों से दूध नहीं पिलाती हैं और मध्यम वर्ग में 64 परसेंट महिलाएं अपने बच्चों को स्तनों के जरिए दूध नहीं पिलाती हैं। फिर शहरों में भी जो गरीब महिलाएं हैं उनमें कम से कम 30 परसेंट और देहाती ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 10 परसेंट तक ये बात आती है। लेकिन ग्रामीण महिलाएं या जो शरीर की गरीब महिलाएं हैं बस वे ही अपने बच्ची को दूध पिला रही हैं क्योंकि बाजार में जो इनफेंट फूड मिलता है उसको लेने की क्षमता उनके पास नहीं है। वे सोचती हैं कि यदि हमारे पास पैसा होता तो हम भी वही फूड बच्चों को देते और उसकी प्रकृति की अधिक चिन्ता कर पाते। इसलिए यह जो एक गलत धारणा बन गई है, इस गलत धारणा को दूर करने के लिए कानून की आवश्यकता है और कानून के जरिए अच्छी चीजों पर अमल करवाने की कोशिश की जाती है और इसी के जरिए यह काम हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मराठी के एक प्रसिद्ध साहित्यिक हुए हैं, उनका नाम आचार्य पी०के० अत्रे है। उनका साहित्य में, काव्य में, नाटक में, कविता में, अखबारों में जरनलिजम के जरिए काफी योगदान रहा है। पुराने जमाने का बहुत सारा साहित्य उनकी देन है और उन्होंने उन दिनों इंग्लैंड में जाकर बी०ए० किया था उन्होंने मराठी में एक ही वाक्य में महिलाओं के बारे में कहा है—

"स्त्री क्षणची पत्नी आणि अनन्त कालची माता और" यानी स्त्री जो होती है वह एक क्षण की पत्नी होती है, लेकिन अनन्त काल के लिए वह माता रहती है। दुर्भाग्य से आज मातृत्व की जिम्मेदारी माताओं को समझाना जरूरी है और वह जिम्मेदारी हम सब पर है। कानून से सारा काम होगा, यह मैं नहीं मानता लेकिन कानून से एक सेंक्शन मिलती है कि यह गलत काम चल रहा है और इसको रोकने के लिए कोशिश होनी चाहिए। महिलाओं को बताया जाए कि यदि आप अपने स्तन से बच्चों को दूध नहीं देंगी तो जो दूध स्तन में इकट्ठा होता है, यदि वह बाहर नहीं आएगा तो उससे ब्रेस्ट-कैंसर भी होने की सम्भावना होती है। इसलिए हम ज्ञान की जितनी जानकारी महिलाओं को देंगे, मुझे लगता है कि उससे जरूर लाभ हो सकता है और इस दृष्टि से हमको कोशिश करनी चाहिए।

यह आज जो सारा कुछ हो रहा है, इसका दूसरा पक्ष यह है कि ये जो शिशु खाद्य बाल खाद्य बनाने वाली कम्पनियां हैं, वे बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं। वे अग्रेसिव पब्लिसिटी कैंपेन करती हैं, बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट पढ़ने के बाद लगता है कि यह अच्छी चीज है। जैसे सिग्रेट का है, बहुत अच्छा

एडवर्टीजमेंट दिया जाता है और नीचे एक कोने में लिखा होता है "स्मोकिंग इज इन्जूरियत टू हैल्थ" तो उसको कौन पढ़ता है और लोग सोचते हैं कि चलो हम भी एक बार सिग्रेट का आमन्द ले लें देखलें कि स्मोकिंग का आनन्द क्या है। मुझे लगता है कि शिशु खाद्य और बाल खाद्य बनाने वालों की तरफ से भी इस प्रकार का एक अग्रेसिव एडवर्टीजमेंट केम्पेन चलता है और उसमें हिन्दुस्तान की भी बड़ी कम्पनियां हैं और मल्टीनेशनल्स भी हैं और यह एक प्रकार का वेस्टेड आर्थिक इंटरेस्ट बना हुआ है।

मुझे याद है कि पिछली लोकसभा में श्रीमती सुभाषिनी अली का इस सम्बन्ध में एक प्रश्न था कि क्या सरकार रेडियो और टेलीविजन पर बाल खाद्य के एडवर्टीजमेंट पर रोक लगाएगी और उस समय यहां कांग्रेस में अपोजिशन के लोग थे, शायद कुमारमंगलम जी या किसी और ने कहा था, नाम मैं भूल रहा हूं कि बेबी फूड की लाबी इतनी सशक्त है कि कोई भी सरकार हो, वह इस काम को करने की हिम्मत नहीं कर सकती। यह लाबी बहुत प्रभावशाली है और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इस लावी के विरोध में और देश की माताओं और बच्चों के हित में यह कानून मंजूर करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि जैसे ही यह बिल 2 अगस्त को चर्चा के लिए आया तो मेरे पास भी इन्फेंट फूड और मल्टीनेशनल कम्पनीज के अलग-अलग प्रकार के प्रतिनिधि आने शुरू हो गए और कहने लगे कि आप क्या कर रहे हैं, शहरों में महिलाएं काम पर जाती हैं, वे अपने बच्चों को कैसे स्तन से दूध पिला सकती हैं। आप तो मुंबई के, उपनगर के रहने वाले हैं, आपको पता है कि दो ढाई घण्टे तो महिलाओं को काम पर जाने-आने में लग जाते हैं, सुबह जाती हैं और रात को 7 साढ़े 7 बजे आती हैं। यह इन्फेंट फूड नहीं होगा तो कैसे होगा। ऐसा लगता है यह बात तर्क की दृष्टि से सही है। लेकिन यह जो लावी है, मैंने उनको बताया कि आप इस प्रकार का दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी वाले या राम नाईक इस मिट्टी के बने हुए हैं कि जो हमें उचित लगेगा उसको करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपने जो भी कहा है और कैसा भी कहा इसमें बच्चों और माताओं का हित नहीं है। मैंने मल्टीनेशनल वालों को और बेबी फूड वालों को यह भी कहा कि मैं अपना कर्त्तव्य करूंगा जिसके लिए मुम्बई की जनता ने मुझे चुनकर यहां भेजा है। इसलिए मेरा कर्त्तव्य है कि 1981 में वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन ने जो प्रस्ताव मंजूर किया वह दस साल में सरकार ने नहीं किया, मैं याद दिला दूं आपको कि यह करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ यह बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को लगता होगा।

[अनुवाद]

हर व्यक्ति का मूल्य होता है।

[हिन्दी]

इसके लिए भी अपवाद होते हैं। यह भी आपको महसूस होगा, ऐसा मैंने उनको बताया।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि आपकी भी कोई प्राइस नहीं है, सरकार की भी इस मामले में कोई प्राइस नहीं है। अपने यहां के फैसले देश के हित में, माताओं और बच्चों के हित में करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से देश को लाभ हो सकता है। प्रारम्भ आप इससे करिये कि टी० वी०, रेडियो और अखबार वालों को भी प्रार्थना करें, आप पब्लिक कम्पेन शुरू करें कि इस प्रकार के विज्ञापन नहीं देने चाहिए। अखबार वालों को इससे कुछ नुकसान तो होगा, लेकिन सारे देश के हित को देखकर जो प्रबुद्ध अखबार हैं जिनका काम देश के लोगों को अच्छी जानकारी देना है, प्रबोधन करना है, अखबार वाले भी, मैनेजमेंट को भी यह मंजूर हो सकता है। लेकिन पहल सरकार को करनी चाहिए। सरकार अगर शुरू करती है तो मुझे लगता है कि यह हो सकता है।

इन सब चीजों पर विचार करके मैंने यह विधेयक आपके सामने प्रस्तुत किया है और यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है। न भारतीय जनता पार्टी का, न सी० पी० एम० का, न जनता दल का और न ही कांग्रेस का सवाल है। यह किसी एक सदस्य का भी सवाल नहीं है। कुछ सवाल देश में ऐसे होने चाहिए जो पार्टी के ऊपर जाकर हम सोचें, यह ऐसा सवाल है। इस सवाल के बारे मे मुझे विश्वास है कि सदन के सभी वर्गों से इस विधेयक को समर्थन मिलेगा और सरकार भी इस विधेयक को मंजूर करेगी। एक नई दिशा हम देश के बच्चों और माताओं को देंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर, अभी श्री राम नाईक जी ने जो शिशु खाद्य और पोषण बोतल (उत्पादन,) प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक, 1991 पेश किया है मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। वास्तव में मां और बच्चे या मां और शिशु के सम्बन्धों में जो कोमलता, मधुरता, जो संस्कार और सहृदयता तथा संवेदनशीलता उत्पन्न होनी चाहिए वह मां के स्तनपान से ही बालक में आ सकती है। महादेवी वर्मा ने बचपन के बारे में कविता लिखी है उसमें उन्होंने कहा है :

"मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना—
बरसा करता पल-पल में मेरे जीवन में सोना।"

लेकिन यह शिशु बाल्यवस्था, किशोरावस्था, यौवनावस्था में आयेगा और उसके बाद जीवन के उतार-चढ़ावों से गुजरेगा तो उसके जीवन के अन्दर तभी सोना बरसेगा और पल-पल तभी खिलेगा जब वह शैशावस्था में मां की गोद में स्तनपान कर चुका हो और मां की लोरियां सुनते हुए उसमें संस्कार पड़ चुके हों। हमारे यहां एक कहावत है कि

"होनहार बीरवान के होत चिकने पात"

वह बच्चा आगे कैसा होगा, जो एक शिशु के रूप में जैसा अंकुरित हुआ है वह मां की गोद में स्तनपान करता हो, उसके बाद वैसा ही पल्लवित, पुष्पित और फलित आगे चलकर होगा। यह सब

वास्तव में मां के स्तनपान पर निर्भर है। अभी जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने मां के स्तनपान के बारे में और बच्चों में आने वाले संस्कारों के बारे में विस्तार से बताया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल 2-3 बातें सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। हमारी संस्कृति में कहा गया है :

वरमे को गुणी पत्रो, न च मूर्ख शलान्यापि,
एकश्चन्द्रतमोहन्ति, न च तारागणाअपि ॥

अर्थात् गुणबान पुत्र तो एक श्रेष्ठ है लेकिन अगर मूर्ख सैंकड़ों पैदा हो जायें तो किस काम के ? जैसे चन्द्रमा सारे अन्धकार का नाश करता है और हजारों तारे टिमटिमाते रहते हैं, वे कुछ नहीं करते हैं।

इसी प्रकार बच्चों की संख्या तो बढ़ती जा रही हैं, जनसंख्या की दर बढ़ती जा रही है लेकिन शिशु स्वस्थ नहीं हुए उनमें उत्तम संस्कृति और उत्तम संस्कार नहीं हुए, भली प्रकार से पोषण नहीं हुआ तो ऐसे शिशुओं की संख्या आगे जाकर कोरी जनसंख्या में वृद्धि करेंगे, उनका भाग्योदय नहीं होगा। इसलिए इस विधेयक के माध्यम से मां को बच्चों को स्तनपान कराना अत्यन्त आवश्यक है। जैसा कि इसमें प्रावधान किया गया है कि वहां साथ-साथ बाजार में जो मिलने वाले नाना प्रकार के बेबी फूड्स या इन्फेंट मिल्क जो मिलते हैं और डिब्बे बन्द भी मिलते हैं ऐसे दूध को पीकर बच्चे आगे कैसे बनेंगे। अकबर इलाहाबादी ने कहा है :

हम उन कुल कित।बों को काबिले जब्ती समझते हैं,
जिनको पढ़ के बेटे बाप को खब्ती समझते हैं।

आज मां-बाप के सामने समस्या है कि बच्चे उनका कहना नहीं मानते हैं। बच्चे को बाल्यवस्था में, शैशवास्था में जब डिब्बे का दूध पिलाते हैं बच्चे को गोदी में नहीं खिलाते हैं और स्तनपान नहीं कराया जाता है तो माता के संस्कार बच्चे के अन्दर कैसे संक्रमणित होंगे, कैसे वह अच्छे संस्कार वाला बच्चा पैदा होगा क्योंकि हमारे यहां कहा गया है :

"मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः

कि माता से युक्त, पिता से युक्त और आचार्य से शिक्षा प्राप्त किया हुआ बालक होता है, वह वास्तव में सच्चा गुणी होता है। हमें यह कहना चाहिए :

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।

कि जन्म देने वाली मां और वन्य भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसलिए मातृभूमि को कहा गया है :

माता भूमि पुत्रोअऊहमं पृथिव्याः ।

कि भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि श्री राम नायक ने जो प्रस्ताव रखा है और जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पारित किया गया है और उसके बाद भारत के अन्दर 1983 में भारतीय राष्ट्रीय स्तनदान संरक्षा और संवर्द्धन संस्था का निर्माण हुआ था। फिर उसके बाद भी पाश्चात्य शिक्षा औद पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित जो मातायें बनती हैं, बच्चों को दूध पिलाने में अपने आपको असमर्थ समझती हैं, वे समझती हैं कि इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा और बच्चों को बाजारू दूध पिलाती हैं, इससे वे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, अपंग बन जाते हैं अपाहिज बन जाते हैं, मानसिक दृष्टि से विक्षिप्त हो जाते हैं। उसके अन्दर नान प्रकार के ऐसे रोग पैदा हो जाते हैं जो आगे जाकर मानसिक रोगों का संक्रमण करने वाले होते हैं। इसलिए बच्चों को ऐसे कुसंस्कर से बचाने के लिए बच्चों के अन्दर जैसी छुट्टी जायेगी या जैसा माता का दूध पियेगा, वैसा आगे जाकर बच्चा बनेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कहा जाता है कि जीजीबाई ने छत्रपति शिवाजी को स्तनपान कराकर और लोरियां सुनाकर निर्माण किया था। महाराणा प्रताप का निर्माण उसकी माता ने दूध पिलाकर किया था जबकि उदयसिंह वनों को चले गये थे। उन्होंने झुलाते हुए ऐसे संस्कार प्रदान किये थे कि महाराणा प्रताप आगे जाकर महान् बने।

जननी जणें तो शूर जण, कैंदाता कैंशूर,
नहीं तो रीजे बांझड़ी, बृथधमावे नूर,

इसलिए माता को चाहिए कि वह खुद अपने बच्चों को स्तनपान कराये ताकि उनका स्वास्थ्य संपुष्ट हो सके एवं उनकों संक्रामक रोगों से बचाया जा सके। बाजार में जो नाना प्रकार के बच्चों के नाम पर भड़कीले विज्ञापना टीवी पर बिस्किट और खाने एवं दूध की बोतलों और अखबारों में रंग-बिरंगे विज्ञापन, बच्चों की चन्दा मामा, चाहे चम्पक हो, पराग हो या धर्मयुग या इलेस्ट्रेडेट वीकली या अन्य पत्रिकाओं के अन्दर जो लुभावने विज्ञापन आते हैं जिसमें माता-पिता से कहा जाता है कि बच्चे के लिए फीडर बोतल लाओ, चुचक लाओ, इत्यादि ऐसे पर प्रतिबंध लगना चाहिए और जिन माताओं का दूध नहीं आता है, वे इसे ले सकती हैं तो ठीक है लेकिन मां का दूध अमृत तुल्य होता है, इसलिए बच्चों के लिए मां का दूध अत्यन्त आवश्यक है।

मान्यवर, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। स्वास्थ्य अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे स्तनपान को संरक्षित करें प्रोत्साहित करें और शिशु खाद्य, पोषण बोतल और चुचक के विपणन और संवर्द्धन को नियंत्रित करने के लिए प्रयास करें। इसमें कारावास का भी प्रावधान किया गया है कि जो लोग जान-बूझकर बच्चों को कुपोषण का शिकार करेंगे, उन बच्चों को गलत चीजें खिलायेंगे या बच्चों के लिए गलत चीजों का निर्माण करेंगे, उनके यहां छापा मारने का कानून बना हुआ है।

5.00 म० प०

(राव राम सिंह पीठासीन हुए)

उस कानून के अन्तर्गत और इस कानून के अन्तर्गत भी इस प्रकार की व्यवस्था होगी। मान्यवर, अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि गरीबी के कारण आज देश के अन्दर जैसा वातावरण मिल रहा है कि बच्चों को दूध पिलाने के लिए माताओं के पास इतनी शक्ति नहीं, शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं—"श्वानों को मिलता दूध, भूखे बालक अकुलाते हैं।

मां की हड्डी से चिपक-चिपक, सिसक रह जाते हैं।" इसलिए बच्चों के लिए विशेष प्रकार के मेडिकेटेड दूध की व्यवस्था हो लेकिन आज भी स्तनपान बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है और जैसा इस देश की माताएं कहती थीं कि कि "बेटा तू लड़ाई के लिए जा रहा है, कर्तव्य-पालन के लिए जा रहा है, देश की रक्षा के लिए जा रहा है, देश में हुए आक्रमण का मुकाबला करने के लिए जा रहे है, मेरे दूध को मत लजाना।" आज माताएं ऐसी शिक्षा देना भूल गईं इसलिए बच्चों में न देशभक्ति की भावना है और बड़े भी हो जाते हैं तो लड़ते हैं, बड़ों के प्रति कैसे शिष्टाचार होने चाहिए, देश के प्रति, माता-पिता के प्रति, परिवार के प्रति, ईश्वर के प्रति, मानवता के प्रति, विश्व के प्रति, ये सारी बातें कहां हो रही हैं ? मानवता का ह्रास हो रहा है, संवेदनहीनता बढ़ रही है और सहानुभूति का विनाश हो रहा है। मधुरता, कोमलत क्यों मिट रही है, सामाजिकता का क्यों नाश हो रहा है ? यह सब डिब्बे का दूध पीने के कारण कई माताएं बच्चों को गोद में लेने से डरती हैं और उनको बेबी वाहन पर बैठाकर सड़कों हर घुमाने के लिए ले जाती हैं। बच्चा गोद में खेलेगा तो मां को आत्मीयता होगी, अनुभव होगा और माता तो बच्चे का निर्माण करने वाली होती है। इसलिए मान्यवर, मैं इस बात का समर्थन करता हूं और सारे सदन से प्रार्थना करूंगा कि सब इसको पास कराएं।

"मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव" की जो हमारी संस्कृति है, वह संस्कृति केवल तभी सार्थक होगी। अंत में एक राजस्थानी दोहा कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं जो माताएं अपने बच्चों को स्तनपान कराते हुए, लोरियां गाते हुए शिक्षा देती थीं कि—

"इड़ान देणी आपणीं, हालरियां हुलराय।

पूत सिखावै पालणै, मरण बड़ाई माय।"

माता बच्चे को झूला झुलाते हुए और अपनी गोद में स्तनपान कराते हुए यह शिक्षा देती थीं कि "बच्चे, अपने देश की, अपनी धरती की एक इंच भूमि भी शत्रु को मत देना, और कर्तव्य का पालन करते हुए वीरगति को प्राप्त होना।" यह शिक्षा कब मिलेगी बच्चों को, जब माताएं उनको अपनी गोद में खिलाएंगी, तभी बच्चे सुसंस्कृत होंगे, तभी बच्चे होनहार बनेंगे। "मॉर्निंग शोज द डे, चाइल्ड शोज द मैन।" जैसे प्रातःकाल समय से पता लग जाता है कि आज का दिन कैसा होगा वैसे ही बच्चे का कैसा लालन-पालन, पोषण तथा अपने परिवार के अंदर जैसा होता है, उससे पता लग जाता है कि आगे जाकर वह कैसा मानव बनेगा, कैसे व्यक्तित्व वाला बनेगा, कैसी योग्यता को

धारण करने वाला बनेगा, कैसी योग्यता उसके अंदर आएगी, कैसा उसका विकास होगा शारीरिक और मानसिक, और कैसा बौद्धिक विकास होगा, ये सारी बातें इस पर निर्भर करेंगी। इसलिए मान्यवर, मैं श्री नाईक जी के द्वारा लाए गए बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि सरकार इस बारे में कदम उठाए और इसको स्वीकार करके अपनी ओर से ऐसा कानून लाए ताकि बाजार के अन्दर ये मिलावट वाले और ये नकली और तड़कीले-भड़कीले, पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित विज्ञापनों का जो जोर-शोर से प्रदर्शन है वह हमेशा के लिए बंद हो जाए या उन पर थोड़ा प्रतिबंध लग जाए और उन पर भी लिखा हो कि—"मां का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है, मां का दूध बच्चे के लिए लाभप्रद है, मां का दूध ही बच्चे के लिए श्रेष्ठ है, स्तनपान कराइए।" ऐसी बातें उस पर लिखी हुई हों जिससे माताओं को भी चिन्ता हो कि वास्तव में अगर बच्चों का विकास करना है, परिवारों के बिघटन को रोकना है, बच्चों में तनाव कम करना है तो बच्चों को खिलाना पड़ेगा, दुलारना पड़ेगा और बच्चों को स्तनपान कराना पड़ेगा और वह इस प्रकार के दूसरे पदार्थों से हमें अलग रखना पड़ेगा।

डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति जी, मैं श्री राम नाईक जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। प्रस्तुत विधेयक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और विशेषकर भारत जैसे देश के लिए जहां बच्चों के ऊपर सबसे कम चिन्ता की जाती है। भारत यद्यपि विकासशील देश है फिर भी इस देश में शिशुओं की मृत्युदर सबसे अधिक है। यदि शिशुओं के कुपोषण की बात की जाये, शिशुओं के अल्प-पोषण की बात कही जाये, उन्हें जिस प्रकार का आहार मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से भारत का नाम विदेशों में लिया जाता है। यदि इस दृष्टि से हम चिन्ता करें, उन शिशुओं के बारे में ध्यान दें, जो कुपोषण का शिकार हैं, जिनका ठीक से पालन पोषण नहीं होता है, प्रारम्भ से ही, जन्म लेने से ही, जन्म लेते ही बच्चे को जिस स्तनपान की आवश्यकता होती है, जैसा अभी मेरे विद्वान मित्र, माननीय सदस्य श्री राम नाईक जी ने कहा, एक बच्चे को जो प्रेम माता से मिलना चाहिये, माता की गोद मिलनी चाहिए, माता की गोद में उसे बड़ा होना चाहिए। आज पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में और पाश्चात्य देशों का अनुकरण करते हुए, हमारे यहां भी माताएं बच्चे को अपना स्तनपान कराने से विरक्त होकर, बाजार से दूध का डिब्बा लाकर, उसी पर बच्चे को पालने के मामले में निर्भर रहने लगी हैं, यही कारण है कि आज हमारे यहां बच्चों की मृत्युदर ज्यादा है, सामान्यतः पहले 6 मास तक, जिस प्रकार से बच्चों को माता के दूध की आवश्यकता होती है, उसमें अभाव में वे अनेकानेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा माना गया है कि माता के दूध में अनेक बीमारियों के प्रति, स्वाभाविक रूप से, प्रतिरोधात्मक शक्ति होती है। बाहरी दूध में जो अनेक प्रकार के वायरस होते हैं, अनेक प्रकार के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, जिनके कारण बीमारियां पैदा होती हैं, और बच्चे अतिसार, या डायरिया के शिकार हो जाते हैं, उसी से पोलियो तक के शिकार हो जाते हैं, माता के दूध में प्रतिरोधात्मक शक्ति होने के कारण, माता का दूध ही अत्यधिक हितकारी है, वांछनीय है, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती।

मैं समझता हूं कि माता के दूध के बारे में जो बातें कही गयी हैं, प्रारम्भ में ही, बच्चे के

जन्म से लेकर, 6 या 8 मास के अन्दर जो बीमारियां पैदा होती हैं, यदि इस अवधि में माता अपने बच्चे को स्तनपान से वंछित रखती है, बाहर के दूध पर बच्चों को निर्भर रहने देती है तो शिशुओं को बीमारी होना संभव है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस वैज्ञानिक युग में जब सभी प्रकार की सुविधायें मौजूद हैं, सब प्रकार की जानकारी हमें हासिल है, डिब्बों का दूध सप्लीमैंट के तौर पर प्रयोग में लाया जा सकता है, दूध के सप्लीमैंट के रूप में अन्य पदार्थ भी हो सकते हैं, उन सब से गया-बीता डिब्बे का दूध होता है। यदि बनाना को या केले को मसल कर, दूध की तरह पतला बनाकर बच्चे को दिया जाये तो वह उसके लिए ज्यादा लाभप्रद होगा, उतना लाभप्रद डिब्बे का दूध नहीं हो सकता। वैसे ही अन्य कई उपाय हैं। चावल के बारे में भी ऐसा ही है कि चावल को यदि थोड़े पानी के साथ मिलाकर, जूस बनाकर, पानी बनाकर बच्चे को पिलाया जाये तो वह डिब्बे के दूध की बनिस्बत ज्यादा लाभप्रद हो सकता है।

यह बात सही है कि हमारे देश में जिस तरह से बड़ी-बड़ी कम्पनियों का प्रादुर्भाव हो रहा है, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां डिब्बे के दूध के बारे में जिस तरह का प्रचार करती हैं और कहती हैं कि यह दूध भी माता के दूध के समान ही पौष्टिक है, माता के दूध के समान सभी गुण इसमें विद्यमान हैं, विटामिन्स विद्यमान हैं, सारे गुण मौजूद हैं, सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व उपलब्ध हैं, यदि बड़े-बड़े विज्ञापनों के माध्यम से वे इस तरह का प्रचार करती हैं, तो निश्चित रूप से उनका प्रभाव उच्च कुलीन वर्ग जो अपने आप को समझता है, समाज के अन्दर अपने को विशिष्ट वर्ग का व्यक्ति समझता है, विशिष्ट सुविधा-सम्पन्न व्यक्ति समझता है, उन पर पड़ता है और वे बच्चे को स्तनपान में अपना अपमान या लज्जा का अनुभव करते हैं। अपमान या लज्जा की वजह से उच्च वर्ग की माताएं यदि अपने बच्चे को स्तनपान से वंचित रखती हैं, यही कारण है कि काफी बड़ी मात्रा में उनके बच्चे अनेक तरह की बीमारियों का शिकार होते हैं। मैं नहीं समझता कि जो गरीब परिवार की माताएं हैं, जो निर्धन अवस्था मे रहती हैं, उनके पास निश्चित रूप से उतनी सुविधाएं नहीं है, उतना अच्छा हायजीनिक वातावरण भी नहीं है, फिर भी उनके बच्चे डाक्टरों के पास कम जाते हैं बनिस्बत धनी वर्ग या उच्च वर्ग के बच्चों के। उच्च वर्ग की माताओं को आए दिन डाक्टरों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। मैं स्वयं एक चिकित्सक हूं और मैं जानता हूं कि ऐसे वर्ग के बच्चे ही ज्यादातर बीमारियों का शिकार होते हैं जबकि निर्धन वर्ग के बच्चों को उतनी बीमारियां नहीं होती है जितनी बीमारियां उच्च वर्ग, शिक्षित वर्ग के बच्चों में पायी जाती हैं और उन्हें बार बार डाक्टरों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, डाक्टर के यहां जाकर लाईन में खड़े रहना पड़ता है।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में काफी वैज्ञानिक खोज हो चुकी है कि माता का दूध ही बच्चे के लिए ज्यादा हितकर हो सकता है। न केवल देश में बल्कि यहीं दिल्ली के लोकनायक इंसटीट्यूट में भी प्रयोग हुआ है, विदेशों में भी इस प्रकार से हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस बारे में काफी खोज की है, यूनिसेफ के द्वारा भी खोज की गई है। वर्ल्ड चिल्ड्रन्स फंड की संस्था ने भी इसके बारे में वैज्ञानिक खोज करके वह तय पाया है कि निश्चित रूप से स्तनपान ही ज्यादा हितकर हो सकता है। यदि इसको अपनाया

गया तो ज्यादा अच्छा होगा । इसी दृष्टि से यहां पर पहले भी विधेयक प्रस्तुत किया गया था। जैसा श्री नाईक जी ने बताया कि उन्होंने स्वयं इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत किया था लेकिन 9वीं लोक सभा के समाप्त होने से चर्चा नहीं हो सकी और आज यह चर्चा नहीं हो सकी और आज यह चर्चा के लिए लाया गया है । यह महत्वपूर्ण विधेयक है जिसके लिए कानून बनाना अति आवश्यक है डिब्बे के दूध के प्रसार और प्रचार की सामग्री पर यद्यपि सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं, प्रतिबंध लगाने के बारे में भी निश्चित रूप से विचार किया है क्योंकि उन्हें खड़ा किया जाना चाहिए। दूरदर्शन या रेडियो पर भी इस प्रकार के प्रचार को रोका जाए । लेकिन और भी प्रभावी उपाय करने चाहिएं । हमारी भावी पीढ़ी अच्छी बने स्वस्थ शिशु हो उसके लिए स्तनपान हितकर है क्योंकि माता के संस्कार बच्चों में आते हैं और माताएं भी भावनात्मक लगाव पैदा कर सकती हैं ।

मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए ठहना चाहता हूंकि यह ऐसा विधेयक है जिसके बारे में दो मत नहीं हो सकते। यह देश की दृष्टि से और उन बच्चों की दृष्टि से जो देश की भावी सन्तान हैं लाभदायक होगा ।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति महोदय, शिशु खाद्य और पोषण बोतल (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनिमयन) विधेयक जो हमारे मित्र श्री राम नाईक लाए हैं मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । आज के जमाने में कई बच्चे ऐसे हैं जिसका न कोई बाप है न मां है। उनका पालन पोषण ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं करती हैं । जो उनका शोषण कर रही । मैं पिछले दिनों बम्बई गया था और रेलवे स्टेशन के रैस्ट हाउस में बैठा रहा। सुबह जब मैं सैर करने के लिए शहर गया तो मैंने कई ऐसी औरतें देखीं जो अनाथ बच्चों को गोद मैं लेकर जगह-जगह मांग रही थीं ! इसका कारण यह है कि हमने इस देश में अभी तक बच्चों की तरफ तवज्जह नहीं दी है । राष्ट्र की संतान यदि अच्छी होगी तो वह देश को आगे ले जाने का प्रयत्न करेगी और उनको बीमारी भी नहीं होगी । हम बाहर के देशों में जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चे हृष्ट-पुष्ट हैं क्योंकि उनको जिन्दगी की जरूरी चीजें मुहैया होती हैं । जो बच्चे अच्छे माहौल में पलते हैं, उनकी परवरिश अच्छी होने से वे देश के निर्माण में भो अच्छा काम कर सकते हैं। हमारे यहां बच्चों को पोलियो की बीमारी होती है और वे लाइलाज मर जाते हैं।

कई लोग ऐड्वर्टाइजमैंट द्वारा बताते हैं कि यह खुराक बच्चों के लिए अच्छी है। गांवों में और शहरों में यह देखने में आया है कि बच्चों के नाम पर रसना वगैरह का ऐडवर्टाइजमैंट दिया जाता है । लेकिन यह पता नहीं है कि वह क्या है । वे इस तरह से अपना उद्योग चलाते हैं और करोड़ों रुपया बना लेते हैं। इसी तरह से ऐपल जूस या कोई और जूस बनाते हैं और उसमें इस तरह का लेबल लगा देते हैं कि यह बच्चों के लिए अच्छा है । लेकिन वच्चों को बीमारी होती है; डायरिया होता है तो इलाज कराने के लिये, गांवों में कहीं बड़े अस्पताल नहीं होते हैं । हमारी वदकिस्मती तो यह है कि पहाड़ों में बच्चे बीमार पड़ जायें तो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल 60-100 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं जहां एक्सरे का इन्तजाम नहीं होता है और न ही कोई ठीक इलाज

मिल पाता है।

अभी यहां कहा गया कि मां अपना दूध ठीक ढंग से बच्चे को नहीं पिलाती है, मैं समझता हूं कि गांवों में ऐसा नहीं है और शहरों में थोड़ा बहुत हो सकता है। कोई मां ऐसी नहीं है जो अपने बच्चों को स्वस्थ न देखना चाहती हो और दूध न पिलाती हो। अगर मां अपना दूध नहीं पिलाती है तो वह बच्चा राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता है। इसके लिये केवल मां को ही दोष नहीं देना चाहिये, बाप को भी दोषी ठहराना चाहिए क्योंकि वह उसकी घरवाली है, वह क्यों इस प्रकार का दूध पिलाने का कष्ट करती है। अभी माननीय सदस्यों ने सारी बातें उनके खिलाफ कहीं है, मैं समझता हूं कि वह उचित नहीं है। हमारे यहां कई आदमी ऐसे हैं जिन्होंने शादी नहीं की और कई स्त्रियां ऐसी हैं जिन्होंने शादी नहीं की। उनके भविष्य के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। बच्चों को अच्छी खुराक मिले इसका आपको बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। आज कई ऐसे विज्ञापन निकलते हैं जिसमें कहा जाता है कि यह बच्चे के लिए अच्छी खुराक है जबकि असलियत में वह अच्छी खुराक नहीं होती है। इसको भी आप देखें।

आप समय-समय पर सर्वे करते हैं कि इतने बच्चे बीमार होते हैं, उनकी इतनी जन्म दर है और इतनी मृत्यु दर है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। इस पर कट्रोल करने के लिए भी आपको कोई कदम उठाना चाहिए। जो कम्पनियां बच्चों के ऊपर विज्ञापन निकालती हैं, उनकी आप देखरेख करें।

आपका जो समाज कल्याण है, यह विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं को जो पैसा देता है कहीं उसकी चैकिंग नहीं करता है। अगर कहीं बच्चों के लिए होस्टल खोलना होता है तो वह उस स्थान पर खुलता नहीं है। मैं मध्य प्रदेश में गया। मध्यप्रदेश के झाबुआ क्षेत्र में एक होस्टल देखा और वहां ट्राइवल बच्चों को पढ़ते और रहते देखा। वहां उनको खुराक ठीक नहीं मिल रही थी। सारा पैसा खुराक को लाने वाले लोग ही खा जाते थे। राज्य सरकारों को इसकी पूरी देखरेख करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कहां-कहां गड़बड़ी हो रही है। वह अपनी सालाना रिपोर्ट भेज देते हैं और उसमें कह देते हैं कि इतने बच्चे पढ़ा दिए और इतनी खुराक दी लेकिन असलियत में कुछ होता नहीं है। उन लोगों को बड़ी कठिनाई की जिन्दगी वसर करनी पड़ती है।

मेरे चुनाव क्षेत्र में बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि इस काम को करती हैं। बच्चों के नाम से और समाज कल्याण के नाम से ये संस्थाएं बनी हुई हैं। वह पैसा समाज कल्याण के कामों पर खर्च न करके अपने निजी कामों में खर्च करती हैं। इससे उन्होंने बड़े-बड़े मकान बना लिए। ये संस्थाएं एक प्रकार का भ्रष्टाचार अड्डा बन गयी हैं। इसको आपको देखना चाहिए। संसद सदस्यों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में इनको देखना चाहिए। भारत सरकार का पैसा राज्यों को इस काम के लिए जो जाता है; उसका दुरुपयोग न हो और सही लोगों को मिलता रहे यह संसद सदस्यों, लोकल विधायकों को देखना चाहिए। हम यहां जो भाषण देते हैं, वह भाषण कार्रवाई में जरूर आ जाता है लेकिन वह प्रेक्टिकली भी गांवों तक जाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि यह भी बहुत आवश्यक है।

इसके साथ-साथ जहां गलत खुराक देते हैं और बोतलों में बन्द चीजें देते हैं, जैसा इन्होंने कहा कि उन लोगों को, उन कम्पनियों की भी सजा होनी चाहिए तो मैं कहता हूं कि सख्त सजा उनको देनी चाहिए।

दूसरे, जिनकी शादी नहीं होती, उनको बच्चों से प्यार भी नहीं होता, वह अगर बच्चों को गोद में उठा लेंगे तो समझते हैं कि पता नहीं गन्दा कर देगा, कहता है कि नहीं छीछी कर देगा तो जिनकी शादी नहीं होती, हमारे यहां ऐसे कई नेता भी हैं तो ऐसे लोगों को दूसरे लोगों को, शिक्षित करना चाहिए कि वह शादी करें और समाज की सेवा करने के लिए वहां जो बच्चे हैं और जो स्त्रियां हैं, उनको किस तरह से रखा जाता है, इसके बारे में उनको अवगत कराना चाहिए लेकिन यह बात नहीं होती, क्योंकि, वह तो यह समझते हैं कि शादी करना फिजूल की बात है और बच्चे पालना फिजूल की बात है। मैं नहीं समझता फि ऐसे लोगों के दिल में बच्चों के लिए दर्द होता है। अगर वह दूसरों के बच्चों को पाल लें तो बहुत अच्छी बात है। हमारे यहां कई लोग इस तरह के हैं।

इसके अलावा कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, उनकी यह परेशानी है कि उनका पालन पोषण किस तरह से हो, उन्हें पालने के लिए वही लोग आगे आयेंगे। लालू प्रसाद जी जैसे तो आगे नहीं आयेंगे, क्योंकि उनके तो 9 बच्चे हैं। खुराक के मामले में जो बात आपने कही है, वह अच्छी बात है, मैं इसका समर्थन करता हूं, क्योंकि, इस प्रकार का बिल लाकर उन्होंने राष्ट्र को मार्गदर्शन देने का काम किया है। ऐसे बच्चे जो अपनी मां के दूध से पलते हैं, यह बिल लाकर उन्होंने पिताओं को भी सतर्क कर दिया और मांओं को भी सतर्क कर दिया, नाईक जी यह बहुत अच्छा बिल लाए हैं।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और समझता हूं कि इस बिल को पास किया जाए तो बहुत अच्छा है। यदि यह पास न हो तो सरकार द्वारा इस बिल को रखा जाए और इस पर विचार किया जाए कि इन बच्चों को कारागार की सजा, जेल यात्रा नहीं होनी चाहिए। आज जो हमारी स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा बच्चों के क्षेत्र में काम किया जा रहा है तो इनकी भी देखभाल की जाय, क्योंकि यह खुराक के नाम से सारा पैसा इकट्ठा करके खुद हजम कर जाती हैं और उन बच्चों तक चीजें नहीं पहुंचती हैं, जिनको हम वह चीजें देना चाहते हैं तो इस पर भी हमको ध्यान से देखना है। एडवर-टाइजमैण्ट्स पर भी हम लोगों की निगाह रहनी चाहिए कि वह गलत न हो।

गांव के लोगों को इंजेक्शन वगैरह का पता नहीं होता, वह सीधे-सादे लोग होते हैं, न उनको खुराक का पता है। यदि कई दिन की सड़ी हुई बोतल की दवाई बच्चे के पेट में जाएगी तो उससे उसमें बीमारी पैदा होगी और उससे राष्ट्र कमजोर होगा। फैमिली प्लानिंग और मैडीकल डिपार्टमैण्ट के लोगों को चाहिए कि जहां मैडिकल सैण्टर खुले हैं, वहां इनके वर्कर नहीं हैं; भारत सरकार से राज्य सरकारों को जो पैसा जाता है उसका ठीक से उपयोग नहीं होता तो यह बात भी आप देखें कि कहां वह पूरे वर्कर काम नहीं करते।

इस बिल में जो कहा गया कि हैल्थ वर्कर को अवगत कराना चाहिए लेकिन वह अवगत कराने

के लिए नहीं हैं, वह तो तनख्वाह लेने के लिए हैं। अगर इसको हम सही माने में समझें तो यह बहुत अच्छी चीज होगी कि गांव में जो प्राइमरी हैल्थ सैण्टर हैं या फर्स्ट एण्ड पोरट हैं, उसमें इस तरह का सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए कि यह बच्चों के लिए लाभदायक हो सकता है, वहां इस तरह का काम हो, और बच्चों को जो दवाई और खुराक देते हैं या कई चीजें देते हैं तो उसका प्रचार हो और शहरों में जो लूट खसोट होती है, बच्चों के नाम पर, इसको बन्द करने का एक तरीका यह है कि इस पर पाबन्दी लगाई जाय और जो बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं, राष्ट्र को कमजोर करते हैं, ऐसे लोगों को, जैसा बिल में कहा गया है, भारी से भारी सजा होनी चाहिए।

यही मैं कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं श्री राम नाईक द्वारा पेश किए गए विधेयक का समर्थन करता हूं।

यह एक बहुत ही साधारण और महत्वपूर्ण विधेयक है—साधारण किन्तु इसी के साथ महत्वपूर्ण विधेयक है। वास्तव में, ऐसे उपायों तथा उनकी आवश्यकता पर पहले ही विचार कर लिया गया है। सरकार ने 1986 में राज्य सभा में एक विधेयक रखा था। यह व्यगत हो गया है। चूंकि यह यह व्यगत हो गया है, इसलिए एक ऐसा विधेयक लाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार भी एक विधेयक, बल्कि एक व्यापक विधेयक लाने पर विचार कर रही है।

इसके उद्देश्य के बारे में दो मत नहीं हैं। यह अत्यन्त उत्तम एवं प्रशंसनीय है। विधेयक का मैं समर्थन करता हूं, पर इसके कार्यान्वयन सम्बन्धी खण्ड, इसे लागू करने और इसके प्रभाव के बारे में मुझे कुछ शक है। इस सम्माननीय सदन में ही कई महिला सदस्य हैं और मैंने सोचा था कि वे इस विधेयक में काफी रुचि लेंगी। मैंने पहले सोचा था कि इससे सम्बन्धित बहस पर महिला सदस्य बढ़-चढ़कर भाग लेंगी। महोदय, कृपया प्रतिक्रिया देखिए। सिर्फ दो महिला सदस्य उपस्थित हैं। श्री राम नाईक अपने पक्ष की महिला सदस्यों को भी उत्साहित नहीं कर सके। इस समय सिर्फ दो महिला सदस्य उपस्थित हैं। एक महिला सदस्य मन्त्री हैं। कुमारी ममता बनर्जी सम्बन्धित मन्त्री हैं। पीछे एक और महिला सदस्य बैठी हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वे बहस में भाग लेंगी तो उन्होंने कहा कि नहीं (व्यवधान)

श्री राम नाईक : नहीं वे बोलेंगी।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही : फिर, मैं इसका स्वागत करता हूं। उन्हें बोलने दें। इस विधेयक के कार्यान्वयन सम्बन्धी खण्ड के बारे में मुझे कुछ आशंका है। इसके उद्देश्य के बारे में, मुझे कोई संदेह नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय संहिता को देखते हुए हमने भी एक संहिता अपनायी है। इस विषय पर पहले से ही एक संहिता है। हमने भारत में इसे अपनाया है। यह हमारे लिए अच्छा है और गर्व

की बात है कि हमारी स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गाधी ने इसे अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भी उठाया था। मैं इस उपाय का पूर्णतः समर्थन करता हूं।

वास्तव में, वच्चे हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं। प्रत्येक बच्चे को स्वस्थ रहने के लिए उचित पोषण पाने का अधिकार है। हालांकि हमारी इच्छा कुछ और थी, परन्तु तथ्य यह है कि कुपोषण और गरीबी के कारण, लगभग 7,000 शिशु अपना प्रथम जन्मदिवस भी नहीं देख पाते। अर्थात् वे एक वर्ष तक भी जी वित नहीं रहते। प्रतिदिन तिरेसठ हजार शिशु पैदा होते हैं और 7,000 शिशु मर जाते हैं, वे एक वर्ष तक भी जीवित नहीं रहते। शिशु मृत्यु दर लगभल 11 प्रतिशत है। जैसा मैंने कहा, यह गरीबी व कुपोषण के कारण हैं। इससे भी अधिक चिंतनीय यह है कि प्रतिवर्ष 10,000 से भी अधिक शिशु पीड़ित रहते हैं। एक अध्ययन के अनुसार, एक रिपोर्ट में यह तथ्य उजागर किया गया है कि माताएं स्तनपान नहीं करवातीं। माता के दूध की उपयोगिता और गुणों के बारे में मुझे विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि विधेयक के प्रस्तावक, श्री राम नाईक जी ने यह स्पष्ट कहा है।

माता का दूध शिशुओं को संक्रामक रोगों के विरुद्ध सक्रिय सुरक्षा प्रदान करता है। शिशु के स्वास्थ्य एवं सामान्य वृद्धि के लिए यह अधिक पोषण युक्त एवं लाभकारी हैं। किन्तु प्रश्न यह है कि वे माताएं कौन हैं जो अपना दूध बच्चों को नहीं देती ? सभी माताओं को अपने बच्चों से अत्यन्त प्यार होता है। शिक्षित, सम्पन्न, संभ्रात, अपने प्रति अत्यन्त जागरूक माताएं ही स्तनपान नहीं करातीं। क्या ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब, आदिवासी, हरिजन माताएं अपने बच्चों को स्तनपान नहीं कराती ? वे कराती हैं। सब नहीं तो, अधिकांश शिक्षित माताएं कृत्रिम या तैयार शिशु खाद्य पदार्थों की अपेक्षा स्तनपान की उपयोगिता व लाभों को समझती हैं। फिर भी वे यह नहीं करती यह एक फैशन बन गया है। इसके लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। किन्तु इसे कैसे लाया जाए ?

धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह कौन नहीं जानता फिर भी, धूम्रपान, स्वास्थ्य के खतरे के रूप में लगातार बढ़ रहा है यहां तक सिगरेट के पैकटों पर भी यह लिखा होता है "धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।" मैंने कैपस्टन का एक अत्यन्त सुन्दर, अत्यन्त बुद्धिमत्ता पूर्ण विज्ञापन देखा" धूम्रपान मत कीजिए, यहां तक कि कैप्स्टन भी नहीं।" अर्थात्, यदि आपकी धूम्रपान करने की इच्छा होती है तो आप कैपस्टन ही अधिक पीते हैं। यदि आप यह लिखें कि शिशु आधार या कृत्रिम खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, माता का दूध सर्वोत्तम है और ऐसी ही कुछ और बातें लिखें तो कोई समस्या नहीं होगी आप विज्ञापन को रोक दें क्योंकि संहिता का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो रहा है, इसीलिए, इस कानून की भी आवश्यकता है ताकि दोषी लोगों को दण्ड दिया जा सके। मैं इससे सहमत हूं। किन्तु इसके साथ ही इस पर नियंत्रण करना होगा। यह बाजार से अदृश्य नहीं हो सकता माताओं का ऐसा भी एक वर्ग है, जो स्वास्थ्य आदि जैसे स्पष्ट कारणों से शिशु के लिए दूध उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं। इस देश में अनाथ बच्चे भी हैं। उन्हें किसी प्रकार का दूध तो देना ही होगा। इसलिए इसे पूरी तरह हटाया तो नहीं जा सकता। इसे

नियंत्रित करना होगा। इसकी आवश्यकता है कि इसका उचित परीक्षण हो। इसे बाजार में आने से से पूर्व इसका प्रयोगशाला में उचित परीक्षण होना चाहिए। विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक लड़कियों की शिक्षा में स्तनपान की उपयोगिता और कृत्रिम शिशु आहार की बुराइयों पर बल दिया जाना चाहिए। इसे विशेषकर महिलाओं के पाट्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। यह अच्छा है कि शिक्षित महिलाओं की संख्या बढ़ रही हैं। वास्तव में, कई राज्यों में, प्राथमिक शिक्षा महिलाओं के हाथ में हैं। वे उन्हेंप्रात: जल्दी ही कुछ दूरी पर स्थित अपने विद्यालयों में जाना होता है और शाम वे को लौटती हैं। ऐसे मामलों में, ऐसी महिलाएं को पीछे घरों में अपने शिशुओं को छोड़ जाती हैं उन्हें 'बेबी फूड' पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे मामलों में, स्तनपान व 'बेबी फूड' दोनों ही दिए जाते हैं या एक और विकल्प गाय का दूध है। जहां तक मानक 'बेबी फूड' का सम्बन्ध है, उस पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए कि वे इसे एक सीमित मात्रा में बनाएं और जो भी बनाया जाए वह अपेक्षित मापदण्डों के अनुसार हो ताकि सभी तरह के स्वास्थ्य के खतरों से बचा जा सके।

फिर, जैसा कि माननीय सदस्य ने पहले कहा, एक अध्ययन के अनुसार भी, कम से कम चार मास तक स्तनपान अनिवार्य है। किन्तु सरकार सिर्फ तीन महीनों का प्रसूति अवकाश देती है। इससे श्रमजीवी महिलाओं को मुश्किल होती है।

विधेयक का उद्देश्य प्रशंसनीय है। इसमें कोई विवाद नहीं है। किन्तु जहां तक इसके क्रियान्वयन और व्यवहारिकता की बात है, मुझे कुछ संदेह है, कुछ आपत्तियां है। महिलाओं का एक बड़ा वर्ग विशेषकर सम्पन्न वर्ग अपने शिशुओं को स्तनपान नहीं कराता किन्तु, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब, अशिक्षित, आदिवासी माताएं हमेशा अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं। अत: इसमें स्थिति सम्बन्धी परिवर्तन की आवश्यकता है।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। किन्तु विधेयक का समर्थन करते हुए मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री से एक इस समस्या के सभी गुण दोषों पर विचार करते हुए एक व्यापक विधेयक लाने का अनुरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि सरकार भी शीघ्र ही एक व्यापक विधेयक ला रही है और इस स्थिति में मैं माननीय प्रस्तावक से विधेयक को वापस लेने का अनुरोध करूंगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री राम नाईक जो शिशु खाद्य और पोषण (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक, 1991 लाये हैं, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, मैं इसमें आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हिसाब से जो कहना चाहिए था, वह माननीय सदस्य श्री राम नाईक द्वारा कह दिया गया है। इसमें मात्र 2-3 सुझाव

देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। यह बिल निश्चित रूप से साधारण जरूर है लेकिन बहुत ही इम्पाटेंट है। इसलिए मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि इस बिल को मान लेना चाहिये।

सभापति महोदय, इस भौतिकवादी युग में महिलायें पुरुषों से कन्धा से कन्धा मिलकर हर क्षेत्र में राष्ट्र के विकास में अपना योगदान कर रही हैं, इतना समय उनके पास नहीं है जितना सही मायनों में बच्चो को दें। फिर भी इतना जरूरी है कि महिलाओं को कम से कम अपने बच्चों को 6 माह तक निश्चित रूप से अपना स्तनपान कराना चाहिए तभी हमारे देश के जो कर्णधार हैं, जो देश का भविष्य है, उनका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। पौष्टिक आहार के रूप से मां का दूध अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए माताओं को इस बारे में और इस मामले में प्रशिक्षित करने की जरूरत है। एक बात जरूर है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और धीरे-धीरे पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं। यदि स्पष्ट रूप से कहा जाय तो हम डिस्को युग में भाग रहे हैं। भारतीय संस्कृति को भूलकर और पाश्चात्य सभ्यता की ओर दौड़ने से जो हमारे देश के कर्णधार हैं, उनका स्वास्थ्य प्रतिदिन खराब होता जा रहा है।

सभापति महोदय, विज्ञापनों के ऊपर मैं दो-तीन सुझाव दूंगा। एक तो माताओं को प्रशिक्षित किया जाये कि अपने बच्चों को स्तनपान करा सकें और दूसरे विज्ञापनों द्वारा टी० वी० आकाशवाणी या पेपर्स पर बेबी फूड के लिए जो प्रसार एवं प्रचार कराया जा रहा है, इस पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए, तभी यह रोका जा सकता है। एक बात और, इस वाद-विवाद में महिलाओं को भाग लेना चाहिए था लेकिन दुर्भाग्य है कि इस सदन में इस विषय पर चर्चा हो रही है तो वहीं ज्यादा उपस्थित नहीं हैं। निश्चित रूप से महिलाओं को भाग लेना चाहिए था।

सभापति महोदय, ज्यादा समय न लेकर मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो बिल मानीय सदस्य श्री राम नाईक द्वारा लाया गया है, इसको मान लेना चाहिए या उनकी तरफ से इस सम्बन्ध में एक बिल इस सदन में लाया जाना चाहिए। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : सभापति महोदय, मैं श्री राम नाईक को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने इस इम्पॉटेंट बिल को लाकर इस सदन का ध्यान आकृष्ट किया है। मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहती मगर मुझे याद है कि इस तरह का बिल लाने की कोशिश की गयी थी और आपने कहा है जिसकी ओर मेरा मेरा ध्यान दिलाया है।

श्री राम नाईक ने जो सुझाव दिया है, मैं उसका समर्थन करती हूं। साथ ही यह बताना चाहूंगी कि इन्फेंट्स मिल्क फूड के सम्बन्ध में एक बिल 1986 में लाया गया जिसको राज्यसभा में पास किया गया लेकिन लोकसभा में पास होने से पहले तो 8वीं लोकसभा डिजोल्व हो गयी। उसके

बाद 1990 में भी जब इस तरह का बिल आया तब यह पास नहीं हुआ क्योंकि नवीं लोकसभा भी डिजौल्व हो गयी।

सभापति महोदय (राव राम सिंह) : इस बार इसकी सम्भावना नहीं है।

एक माननीय सदस्य : तो इसके लिए गलत है। वह आपको मालूम है यदि हाऊस डिजाल्व हो जायेगा तो क्या होगा ?

कुमारी ममता बनर्जी : अभी भी हम वादा करते हैं, लेकिन आपको आश्वासन दे सकते हैं कि यह बिल लाएंगे। पर गवर्नमेंट कितने दिन चलती है ये आप बोल नहीं सकते। पहले आप बिल तो ले आए थे, लेकिन गवर्नमेंट चली गई। आज हम आपको यह आश्वासन दे रहे हैं कि जितनी भी जल्दी होगा, हम यह बिल खुद ले आएंगे क्योंकि यह बिल बहुत जरूरी है। आपने दो-चार बातें कहीं। जो मल्टी नेशनल्स हैं उनकी लॉबी बढ़ती जा रही है। उनकी लॉबी क्यों बढ़ती जा रही है, यह हमारे देखने का काम नहीं है, लेकिन हमारे देखने का काम है कि हमारे देश के बच्चों का ज्यादा विकास हो और हमारा आने वाला जो भविष्य है उसकी देखभाल हो। इसीलिए मैं चाहती हूं कि हम जो बिल लाए हैं वह और भी ज्यादा कंप्रिहेन्सिवबिल होना चाहिए। आपने बोला है कि इन्फेन्ट मिल्क फूड एण्ड फीडिंग बॉटल बिल होना चाहिए लेकिन हम इन्फैन्ट फूड भी बिल में लाना चाहते हैं और बहुत सारे वॉल्यंटरी आर्गनाइजेशंस और एक्सपर्टस ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, वह सुझाव भी हम देख रहे हैं। इसलिए वह सुझाव भी हम लागू करना चाहते हैं। एक कंप्रिहेन्सिव बिल हो तो हम लोग अपने देश के बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। इन्ही शब्दों के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप इसको विदड्रा कर लें तो जितनी जल्दी हम इस बिल को लागू कर सकते हैं, वह लाएंगे। जिन्होंने इस बहस में भाग लिया है, मैं उनको धन्यवाद देती हूं। मैं आपको इस बिल को लाने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। परन्तु अगर मेहरबानी करके आप इसे विदड्रॉ कर लें तो यहां सरकार की तरफ से बिल आ जाएगा।

श्री राम नाईक : माननीय सभापति जी, मैं प्राध्यापक रासा सिंह रावत जी, डा० लक्ष्मी-नारायण पाण्डेय, सुल्तानपुरी जी, बल्लभ पाणिग्रही, छेदी पासवान जी, जिन्होंने इस बिल के समर्थन में भाषण दिए, उन सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस विधेयक का समर्थन किया। जो सदस्य यहां पर उपस्थित रहे इस विधेयक की चर्चा सुनने के लिए, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उनकी उपस्थिति के कारण ही यह चर्चा अच्छी प्रकार से हो सकी। इसके लिए मैं सारे उपस्थित सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। यह बात भी सही है कि कुछ सदस्य तैयारी करके बोलना चाहते थे। मैं संक्षेप में इसलिए कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदया ने बड़े ठीक ढंग से बताया है कि इस विधेयक के विचारों के साथ वह सहमत हैं और सरकार की ओर से जल्दी से जल्दी विधेयक लाने का प्रयास करने वाली हैं। इस प्रकार का उन्होंने आश्वासन दिया है और कहा है कि और कम्प्रिहेन्सिव बिल लाएंगे और मैं मानता हूं कि एक सदस्य का दिया

हुआ विधेयक और सरकार द्वारा दिया हुआ विधेयक, दोनों में से सरकार का कम्प्रिहेन्सिव हो सकता है और होना चाहिए, इसलिए उन्होंने जो विश्वास दिलाया है कि जल्दी से जल्दी लाएंगी, मेरे मन में केवल एक ही शंका है कि इस विधेक की दो बार हत्या हो गई है। 1986 में भी भ्रूण हत्या, आते-आते रह गया और इसलिए 1986 का विधेयक मंजूर नहीं हो सका, उसकी वहां हत्या हुई। कारण क्या हैं, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अयूब खान : तब आप नहीं थे।

श्री राम नाईक : ऐसा नहीं है, मैं होता तब भी ऐसा होता। 1991 में मैं था, लेकिन सरकार चली गई। एक बार लोक सभा गई और दूसरी बार सरकार चली गई, लेकिन वह एक इतिहास बन गया है और उस पर काफी लम्बी बहस हुई है कि सरकार क्यों गई, सरकार क्यों नहीं लाई। उस बात पर न जाते हुए माननीय मंत्री महोदया से मेरी एक ही प्रार्थना है कि आपने विधेयक लाने के लिए हां कहा है, मैं इतनी अपेक्षा रखूंगा कि आने वाले सत्र में यह विधेयक आ जाए और आने वाले सत्र में यदि यह विधेयक आता है तो तब तक तो सरकार चलने वाली है, आप चिन्ता मत करिए।

कुमारी ममता बनर्जी : ऐसी बात नहीं है, हमारी सरकार बहुत दिन चलेगी। वैसा नहीं है, जैसा आप सोचते हैं। **(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : नहीं, आपने अभी कहा कि सरकार कितने दिन चलेगी, कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता।

कुमारी ममता बनर्जी : हमने ऐसा नहीं कहा बल्कि यह कहा कि पिछली बार डिस्सोल्यूशन हो गया था हाउस का, यह वजह थी। **(व्यवधान)**

श्री तेजनारायण सिंह (बक्सर) : हम बैठे हुए हैं, सरकार को चलाएंगे। आप घबराइए मत।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : मैं यहां किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता। मेरी सिर्फ इतनी ही प्रार्थना है कि अगले सेशन में सरकार एक कार्म्प्रीहैन्सिव बिल लाए जिसका आश्वासन अभी मंत्री जी ने दिया है। वह बिल अवश्य आना चाहिए और इसके साथ सदन मुझे अनुज्ञा दे कि मैंने जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसे वापस ले लूं, विदड्रा कर लूं। इतना ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्तन पोषण के संरक्षण और संवर्धन की दृष्टि से शिशु खाद्य और पोषण बोतलों

के उत्पादन, प्रदाय और वितरण के विनियमन का और उनसे सम्बन्धित या उसके आनुसंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को वापस लेने के लिए अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव पारित हुआ।

श्री राम नाईक : महोदय, मैं विधेयक को वापस लेता हूं।

———

5.52 म०प०

संविधान (संशोधन) विधेयक

(नए अनुच्छेद 19 क का अन्तस्थापन)

सभापति महोदय : विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए श्री चित्त बसु को बुलाने से पूर्व, हमें इस विधेयक पर बहस के लिए समय सीमा निर्धारित करनी है। क्या हम 2 घण्टे निर्धारित करें।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, दो घण्टे।

सभापति महोदय : ठीक है, अब श्री चित्त बसु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री चित्त बसु (बारसात) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि सूचना प्राप्त करने के अधिकार से मौलिक अधिकारों में शामिल करने पर भी आवश्यकता से सभा के समक्ष लाने का मुझे मौका मिला है। महोदय, मैं श्री नाईक के प्रति और आपके प्रति मेरी बहन ममता बनर्जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं जिनकी कृपा से आज मैं इस विधेयक पर विचार के प्रस्ताव को रखने में समर्थ हुआ।

महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य अत्यन्त साधारण है किन्तु इसका स्वरूप क्रान्तिकारी है। इस विधेयक का उद्देश्य है कि देश के संविधान में मौलिक अधिकारों का अध्याय भाग—तीन है। उस अध्याय का अनुच्छेद 19 हमें वाक स्वातन्त्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों के संरक्षण का अधिकार देता है। सभी नागरिकों को—

(क) वाक स्वातन्त्र्य और अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य का;

(ख) शान्तिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का;

(ग) संगम या संघ बनाने का;

(घ) भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संचरण का;

(ङ) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का; और

(च) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार देता है ।

ये संविधान द्वारा प्रतिष्ठापित मौलिक अधिकार हैं । मेरे विधेयक का उद्देश्य सूचना प्राप्त करने के अधिकार को इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में शामिल करना है और यह अनुल्लंघनीय हैं और इस उद्देश्य के लिए मैंने संविधान के अनुच्छेद 19 क में एक और उपखण्ड के अन्तस्थापन का प्रस्ताव किया है ।

महोदय, आगे बढ़ने से पूर्व मैं सभा से इस अनुच्छेद 19 क के महत्व पर विचार करने का अनुरोध करूंगा जिसका मैंने सभा द्वारा स्वीकृति करने का प्रस्ताव रखा है । महोदय, वाक स्वातन्त्र्य और अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य एक नागरिक को स्वत: ही सूचना प्राप्त करने का अधिकार नहीं देते। सूचना प्राप्त करने का अधिकार हमारे देश के नागरिक को वाक स्वातन्त्र्य व अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है ।

जब तक सूचना प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित नहीं किया जाता, मुझे क्षमा करें व यह कहने की अनुमति दें—कि तब तक वाक स्वातन्त्र्य, अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य का अधिकार भी सीमित रहेगा । यदि हमें वह अधिकार नहीं होगा तो हम पूर्ण रूप से इसका उपयोग नहीं कर सकते ।

इसके निहितार्थ को आसानी से समझा जा सकता है । अगर मुझे सूचना ही नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा ?

यदि मुझे सूचना प्राप्त करने का अधिकार नहीं है तो मेरे विचारों की क्या अभिव्यक्ति होगी ?

इसलिए, अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य के अधिकार का उपयोग करने के लिए सूचना प्राप्त करने का अधिकार अत्यन्त जरूरी है ।

यह हमारे देश के संविधान की मूल त्रुटि है और मूल कमी है ।

मैं उन परिस्थितियों को समझता हूं जिनके तहत हमारे संविधान के निर्माताओं को देश का संविधान बनाना पड़ा । तब देश एक असाधारण स्थिति से गुजर रहा था और कुछ मौलिक अधिकार देते हुए, संविधान के निर्माताओं ने उसे अत्यन्त मौलिक अधिकार को अंगीकार नहीं किया । यह सभा के प्रति मेरा प्रथम निवेदन है ।

इसके साथ ही सूचना प्राप्त करने के अधिकार के साथ अन्य अधिकार भी जुड़े हुए हैं । संवाद के स्वातन्त्र्य का अधिकार इसमें निहित है । यदि आपके पास संवाद स्वातन्त्र्य नहीं हैं तो आप सूचना भी नहीं पा सकते । अगर आपके पास सूचना नहीं है तो ज्ञान भी नहीं हो सकता । यदि आपके पास ज्ञान नहीं है । तो आप देश के जागरूक नागरिक की तरह व्यवहार कर सकते । अगर नागरिक जागरूक नहीं हैं तो लोकतन्त्र हमेंशा खतरे में रहता हैं, विद्रोह का खतरा रहता है और यह कमजोर हो जाएगा ।

यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि हमारे देश के संविधान ने हमें एक जनप्रतिनिधित्व सरकार दी है।

भारत के लिए यह अत्यन्त गर्व की बात है कि संसदीय लोकतन्त्र की प्रक्रिया, जिसे हमने शुरू किया था, वह बिना किसी बाधा के जारी है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, सभा मंगलवार, 3 सितम्बर, 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है और मैं इस अवसर पर आप सब को एक शुभ एवं मंगलमय जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं।

6.00 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 3 सितम्बर, 1991/12 भाद्र, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स दिल्ली-6